राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम-सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 7

सोमवार,

1 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री उदय सिंह राठौड़।

जोधपुर नगर निगम में सामग्री खरीद में अनियमितता की जांच।

150. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर निगम में वर्ष 1997 से 1999 में बिजली के सामान, निर्माण एवं विकास कार्यों, सोडियम लाइट, ट्यूब लाइट इत्यादि को खरीदने में काफी अनियमितताएं हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि शिकायतों के आधार पर उक्त जांच की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जांच के पश्चात् उक्त प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अब तक उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अनियमितताओं में तत्कालीन महापौर, पार्षद एवं अधिकारी लिप्त रहे हैं ?

क्या उक्त अनियमितता में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो उक्त का नाम एवं कितनी राशि की अनियमितता की गई ? जांच कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त अनियमितता में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1)नगर निगम, जोधपुर में वर्ष 1997 से 1999 में बिजली के सामान, निर्माण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में शिकायत होने पर राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में एक परिवाद दर्ज हुआ है जिसकी जांच चल रही है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के पास विचाराधीन है।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(5) प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या 4 में निहित है।

श्री उदय सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इसमें कितने मुकदमे दर्ज कराये यह इसमें नहीं दर्शाया। बिजली के मामले में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई यह भी नहीं दर्शाया और इसी तरह जो-जो घपला करने वाले लोग थे उनका कोई तथ्य इसमें नहीं दर्शाया गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन-किन के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हुआ और यह मुकदमा दर्ज होने के, किस-किस केस में किस श्रीमान् के विरुद्ध दर्ज हुआ इसकी जानकारी दें।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि उदयपुर नगर निगम के अन्दर बिजली विस्तार पर कितना पैसा खर्च हुआ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक-एक का जवाब आ जाये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब दे दूं उसके बाद.....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हां, जोधपुर का पूछेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहली बात तो यह पूछी है कि मामले कितने दर्ज हुए? इसमें मामले तीन दर्ज हुए। मुकदमा संख्या 367\2000 जो विकास निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है। इसमें कोई अधिशासी अभियंता और लेखाधिकारी के खिलाफ भी मामला है और कुछ पार्षदों के खिलाफ भी है। दूसरा मुकदमा संख्या 368\2000 यह विद्युत सामग्री से सम्बन्धित मामला है और स्टोर कीपर वगैरह-वगैरह कई लोग इसमें शामिल हैं।

श्री उदय सिंह राठौड़ : इसकी विभागीय जांच करवाई है क्या अध्यक्ष महोदय?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विभागीय जांच भी इसकी हुई है लेकिन इन सबके पहले ही शिकायत दर्ज करवाई श्री रमेश चन्द्र कच्छावा के द्वारा।

श्री उदय सिंह राठौड़ : विभागीय जांच हो गई और उसमें जांच में दोषी पाये गये हैं। यह जांच इनकी पूरी हो गई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुन लें आप। श्री रमेश चन्द्र कच्छावा की शिकायत जो कि राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी इस पर विभागीय जांच चालू हुई और विभागीय जांच डायरेक्टर लोकल बाडीज में जो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं उनको दी गई तथा सारी पत्रावलियां भी उनको दे दी गई। विभागीय जांच चल ही रही थी, नतीजे पर पहुंच ही रहे थे इसी बीच.....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप आसन की तरफ देखें। पीछे देख कर क्यों कह रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने करैक्ट किया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका ध्यान बहुत अच्छा रहता है मेरे पर।

अध्यक्ष महोदय, उसके पहले ही श्री रमेश चन्द्र जी कच्छावा ने एक परिवाद और दर्ज करवा दिया एसीडी. में और एसीडी. ने उसी वक्त यह सारी पत्रावलियां अपने पास मंगवा ली और मंगवा करके वहां पर जांच चालू कर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

दी जो आज तक उनके विचाराधीन है। तीसरी बात आपने यह पूछी कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ जांच की जानी है। इसमें कई आफिसर भी हैं, तत्कालीन महापौर श्रीमती संगीता सोलंकी, राजेन्द्र गहलोत उप महापौर वगैरह-वगैरह कई लोग हैं लेकिन विभागीय जांच का जहां तक ताल्लुकात है, विभागीय जांच इनकम्पलीट है। उसी बीच में एसीडी. ने पत्रावलियां मंगवा ली जो आज तकके पास विचाराधीन है।

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जोधपुर नगर निगम में बिजली के विस्तार के लिए 2001-2002 में कितनी राशि खर्च की और उसमें कितना उपयोग किया। यह बताने का क़ष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, नगर निगम जोधपुर के द्वारा पिछले तीन सालों में बिजली के बिलों पर करीब 75 लाख रुपये व्यय किये गये। आपने दूसरा सवाल पूछा कि बिजली का सामान कितना क्रय किया गया? गत वर्ष बिजली का सामान 26 लाख 22 हजार रुपये का क्रय किया गया और इस मद में 50 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय मंत्रीजी से मेरा विनम्र निवेदन है कि नगर निगम, जोधपुर में विद्युत रख-रखाव को ठेके पर क्यों नहीं दिया जा रहा है, पहला प्रश्न। जबकि अन्य जगह आपने इसको दे दिया।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में नगर निगम, जोधपुर के द्वारा बिजली के भुगतान पर कितना व्यय किया गया और उसके लिए जो व्यय कम किया गया उसके लिए आप और कुछ व्यवस्था कर रहे हैं क्या? यह दो प्रश्न है साहब मेरे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वायत्त शासन विभाग ने यह एक नीतिगत फैसला कर लिया है कि राजस्थान में जिन भी नगर निगम या नगरपालिकाओं से सम्बन्धित मामलों की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो करता है उसमें सब में विभागीय जांच स्थगित कर दी जायेगी। क्योंकि जोधपुर का जैसा आपने फरमाया वैसे ही सिरोही और कई अन्य बहुत सी नगरपालिकाओं के मामलों में एसीडी. को जांच दी गई है विभागीय जांच बिलकुल स्थगित कर दी गई। और वही के वही अधिकारी कर्मचारी वैसी ही घटनाएं वापस लगातार जारी रखते हैं, दोहराते रहते हैं। जिन मामलों में अनियमितता पट्टों के नियमन में हुई है उसमें लोग बिल्डिगें भी खड़ी कर देते हैं और यह कह कर चुप कर देते हैं कि एसीडी. जांच कर रही है। क्या यह नीतिगत फैसला किया है कि विभागीय जांच हर मामले में, करैप्शन का है उसमें स्थगित कर दी जायेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सदस्य ने पूछा कि नई सड़कों के निर्माण पर तीन वर्षों में कुलमिलाकर कितना खर्चा हुआ? (व्यवधान) क्या पूछा, यह रिपोर्ट कर दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं दुबारा पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। नगर निगम जोधपुर में विद्युत रख-रखाव को ठेके पर क्यों नहीं दिया जा रहा? माननीय मंत्री महोदय इसमें आपकी क्या नीयत है?

दूसरा मेरा निवेदन है कि तीन वर्षों में नगर निगम, जोधपुर द्वारा बिजली बिलों के भुगतान पर आपने कितना व्यय किया है? कम किया है तो क्यों किया है, और ज्यादा कर दिया तो क्यों कर दिया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गत वर्ष 2001-2002 में पूरे शहर में यानि कि कुल मिला करके 60 वार्ड हैं वहां पर उनको 5 जोनों को बराबर बांटा गया है और 5 जोनों को बांट करके सोडियम लाइट के ट्यूबलर पोल्स को छोड़ कर चार लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से खुली निविदाएं आंमत्रित कर पांच फर्मों को ठेका दे दिया गया। एक सवाल का आपका जवाब आ गया। ठेका दे दिया गया। दूसरा सवाल आपका यह था कि तीन वर्षों में नगर निगम के द्वारा बिजली का भुगतान कितना किया गया। कुल मिलाकर तीन वर्षों में बिजली के भुगतान पर 75 लाख रुपये व्यय किये गये।

श्री रामस्वरूप : कितने लाख?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 75 लाख।

श्री रामस्वरूप : 75 लाख। अच्छा।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा भी जवाब दे दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने जो सवाल पूछा है कि अन्वेषण ब्यूरो के पास जाने के बाद विभागीय जांच नहीं होती..

श्री संयम लोढ़ा : जब फाइल एसीडी. को दे दी.........

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कह रहा हूं कि विभागीय जांच शुरू हो गई थी इस प्रकरण में और उसके बाद में एसीडी के द्वारा जब फाइल जब्त कर ली गई, मंगवा ली गई तो विभागीय जांच तो स्थगित होनी थी। अगर एसीडी का छापा संजय लोढ़ा साहब के यहां पड़ जाय तो फिर क्या हो?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है जवाब देने का मंत्रीजी का।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं तो कैसे चलेगी.........

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, एक सदन के सदस्य के यहां एसीडी का छापा किस बात का पड़ जाय, पड़ेगा छापा आपके यहां, मेरे यहां क्यों पड़ेगा। यह क्या बात हुई और आपकी पारदर्शिता को पूरा राजस्थान जानता है, मेरे कहने की भी जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आपकी पारदर्शिता को पूरा राजस्थान जानता है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : जहां माल होता है वहां पड़ता है छापा। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं यह कहना, नाराज.........

श्री संयम लोढ़ा : अन्यथा क्यों न लें। यह कोई तरीका थोड़े ही हुआ आपका जवाब देने का। मेरा अधिकार है इसमें पूछने का, सदन में पूछने का अधिकार है मेरा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत बात है, इसको कार्यवाही से निकालें। आप खेद प्रकट करें। आपने माननीय सदस्य के बारे में जो बात कही है। छापा तो वहां पड़ता है जहां माल होता है, माल संयम लोढ़ाजी के पास कहां है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर वह कह देंगे तो.......(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं-नहीं, वह क्या कह देंगे.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह कह देंगे न।

श्री संयम लोढ़ा : सदन में आपके गलत टिप्पणी करने के बाद सदन का कोई भी सदस्य आपसे पूछ सकता है, मैं क्यों पूछूं, यह भी पूछ सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने आपको यही जवाब दिया कि एसीडी में जाने के बाद में विभागीय जांच स्थगित हो जाती है।

श्री संयम लोढ़ा : आपने यह कहा कि मेरे यहां छापा पड़ जाय। मेरे यहां क्यों पड़े, पड़ना चाहिए आपके यहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री संयम लोढ़ा : और अभी भी, अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवायें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने आपका जवाब दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा : तो मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं.........

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्थगित हो गई, इसलिए स्थगित हो गई कि एसीडी ने पत्रावलियां मंगवा ली। लेकिन अगर उसके बाद भी वह अधिकारी कोई दूसरा अपराध कर देता है या दूसरा कोई गबन का केस आता है तो उस पर विभागीय जांच हो सकती है।

श्री संयम लोढ़ा : वह अपराध आगे बढ़ता रहता है, साहब। वह अपराध आगे बढ़ता रहता है, गलत नियमन हो जाता है जमीन का, उसके बाद में उसी मामले में लैण्ड के कंस्ट्रक्शन की एन.ओ.सी. हो जाती है, फिर बिल्डिंग बन जाती है और आप यह कहते रहते हैं कि एसीडी की जांच हो रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एसीडी की जांच तो उस प्रकरण में हो रही है। अगर मान लीजिये कोई दूसरे प्रकरण में वह कोई अनियमितता करता है तो उसकी जांच, विभागीय जांच हो सकती है।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं तो बाद में आप करोगे कैसे, पूरी बिल्डिंग ही बन जायेगी उस पर, उसके बाद क्या जांच करोगे विभागीय और एसीडी तीन साल तक कुछ करती नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिल्डिंग बन जाती है तो अगर नियमन योग्य है, नियमन कर दिया जाता है। अगर ध्वस्त होने काबिल है तो ध्वस्त कर दी जाती है।

डा. के. सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा.........

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम, जोधपुर में व्याप्त अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य का मूल प्रश्न था। माननीय मंत्रीजी ने बहुत गोलमोल और घुमा-फिरा कर जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भूमिका मत बांधिये, सीधा प्रश्न, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : सीधा नहीं, आपके माध्यम से करूंगा।

श्री अध्यक्ष : गोलमोल आप भी मत बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा कि इस मामले में जोधपुर नगर निगम के महापौर, कई पार्षद और दूसरे अधिकारी लिप्त हैं; उसके बाद आपने इसकी जांच एक बहुत कनिष्ठ अधिकारी यानि एक इंजीनियर से आपने इसकी जांच कराई। इसकी जांच आपको डिप्टी सैक्रेटरी या यू.डी.एच. सैक्रेटरी या कुछ उच्च अधिकारी से करानी चाहिए थी। मेलाफाइड इन्टेंशन तो आपका वहीं साबित हो रहा है कि आप प्रोटोकाल में उससे छोटे अधिकारी से जांच करा रहे हैं और फिर जब जांच कराई और जांच के अंदर अनियमितता और भ्रष्टाचार पा लिया गया, उसके बाद आपने कार्यवाही की। और यह मुकदमे आपने कहा, दर्ज हुए हैं, आप उसके जवाब में कह रहे हैं वगैरह-वगैरह। वगैरह-वगैरह आपको बताने में शर्म आ रही है क्या कि किस-किस के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और किन अपराधों के अंदर हुए हैं और उस पर क्या कार्यवाही, विभाग ने क्या कार्यवाही की है, यह आप बतायें। एसीडी ने फाइल मंगा ली तो विभागीय कार्यवाही तो आपने बंद कर दी लेकिन विभाग ने निर्णय क्या लिया उस पर। कब फाइल मंगाई और कब जांच की रिपोर्ट आ गई थी उसके बीच में आपने क्या किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब दे देता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : यह घेरा-बघेरा मत करो।

मोहम्मद माहिर आजाद : साफ बताओ आप, घुमा रहे क्यों हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा कि एक मामूली इंजीनियर से जांच करवा ली गई.........

मोहम्मद माहिर आजाद : और क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डाइरेक्टर लोकल बाडीज में सबसे बड़ा इंजीनियर जो एडिशनल चीफ इंजीनियर होता है उससे जांच कराई जाती है। यह डिप्टी सैक्रेटरी या सैक्रेटरी यू.डी.एच. जांच नहीं करते, निर्माण के सम्बन्ध की बातें हैं इनके बारे में इंजीनियरिंग पाइंट आफ व्यू से इसकी जांच करते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा, तो पूछा जिसका जवाब दे दिया मैंने पहले ही आपको, अब क्या देना उसका।

मोहम्मद माहिर आजाद : वगैरह-वगैरह नाम बतायें। किस-किस के खिलाफ है, यह तो आपने बताया ही नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नाम तो मैंने बता दिये आपको।

मोहम्मद मदस्हर आजाद : मुकदमे कौन सी धाराओं में किस-किस के खिलाफ हैं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बता देता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो खाली दो नाम बता दिये कि राजेन्द्र गहलोत, फलानां सोलंकी और वगैरह-वगैरह। वगैरह से क्या मतलब हुआ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो रमेश चन्द्र कच्छावा के द्वारा शिकायत.....

मोहम्मद माहिर आजाद : कछुआ नहीं, कछावा होगा। कछुआ नहीं होते हैं वहां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कछावा होते हैं। आपकी तरफ कछावा होते हैं, हमारी तरफ कछुआ भी होते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके तो कछुआ ही हैं, कछुआ चाल ही चल रहे हो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और कछुओं को देखने का शौक है तो चम्बल में बहुत कछुए मिलेंगे आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : देख रहे हैं आपको हम तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कछुआ तो आप कछावा सही फिर। शिकायत दर्ज हुई, महापौर के खिलाफ भी हुई, उप महापौर के खिलाफ भी हुई, पार्षदों के खिलाफ भी हुई और ज्यादातर अधिकारियों के खिलाफ हुई।

मोहम्मद माहिर आजाद : किन-किन पार्षदों, किन अधिकारियों, बताओ क्यों नहीं आप। छिपा क्यों रहे हैं उनको। कागज ही नहीं है सही। (व्यवधान) बताओ आप, महापौर के खिलाफ इंजीनियर करेगा। है नहीं साहब यह तो, जानकारी नहीं है इनके पास, स्थगित कराओ इसको।

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमेंट्री कहा है कि अधिकारी भी है उसमें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह आइटम परव्यू है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं साहब, आउट आफ परव्यू नहीं है।

श्री सांवरलाल : अफसर, अफसर का तो नाम लेते ही नहीं लिखित में।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह आ गया।

श्री जगत सिंह दायमा : पढ़कर बता दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : देखिये। हमारे पास जो शिकायत दर्ज हुई विभाग में, वह तो हुई शुमनेश माथुर, एक्सईएन., एक जेईएन. थे, एक स्टोर कीपर थे गणपत लाल और एक और साहब थे, बंशीलाल लेकिन जो एसीडी में शिकायत गई उसमें कई आपको मैंने नाम बता ही दिये, पार्षद भी थे, यह था, वह था।

श्री सांवरलाल : निर्माण कार्यों में पार्षद क्या करते।

मोहम्मद माहिर आजाद : निर्माण कमेटी थी क्या वह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या करते, क्या नहीं करते, यह तो...

श्री सांवरलाल : आपने कहा न, निर्माण कार्यों की इंजीनियर से जांच कराई, मेरी मंत्रीजी, सुन तो लीजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एसीडी ने जांच स्वयं ली है।

श्री सांवरलाल : आपने यह कहा कि इंजीनियरिंग स्तर की जांच इंजीनियर से इसलिए कराई थी कि टेक्नीकल जांच थी। तो आप यह बता दीजिये कि पार्षद कोई निर्माण करता है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह जांच इनकम्प्लीट गरीवाचल ही रही थी इसी बीच में शिकायत...

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरलाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहुंची वहां पर और एसीडी ने ले ली यह पत्रावलियां।

श्री अध्यक्ष : श्री के.सी. चौधरी।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जोधपुर नगर निगम में जो स्वीकृत बजट प्रावधान था, क्या खर्चा उसकी तुलना में बराबर हुआ या कम ? कम हुआ तो उसके क्या कारण थे और जोधपुर नगर निगम में ही 2001-2002 में नई सड़कों पर कुल कितना निर्माण पर खर्चा हुआ...

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने नाम बता दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां दिया, सर। मेरा सवाल तो यह था कि यह जांच रिपोर्ट आपके पास कब आ गई और एसीडी ने फाइल कब मंगाई है इसके बीच में अंतराल में आपने क्या किया, वह तो आपने जवाब दिया नहीं। जिससे भी आपने, एडिशनल चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी से जांच कराई, उसकी जांच रिपोर्ट कब आपके पास आ गई जिसमें इनको दोषी पाया और एसीडी ने पत्रावली कब मंगाई, इसके बीच का टाइम क्या रहा, उसमें क्या कार्यवाही हुई, यह तो बताओ आप जरा। मेन सवाल जो स्पेसिफिक सवाल है उसका जवाब दिया नहीं आपने।

डा. के. सी. चौधरी : माहिर आजाद साहब, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारियों की जांच तो अधिकारी कर रहा है और महापौर और बाकी पार्षदों की जांच कहां हो रही है, यह भी माननीय मंत्रीजी बतायें।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, यही मैंने कहा था कि महापौर की कैसे कर सकता है अधिकारी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सात अगस्त, 2000 को स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, लोकल फण्ड, उसने एक जांच की और जांच में सात बिंदुओं में उन्होंने कई लोगों को दोषी माना। नाम मेरे पास नहीं हैं उनके इस वक्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम नहीं हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, नाम नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : लो साहब, जिसको दोषी पाया उनके नाम ही नहीं हैं इनके पास।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पहले बता चुका हूं, उसके अलाव कोई दूसरे नाम नहीं हैं। मैं यह कह रहा हूं आपसे। आप और भी पूछना चाहें तो वह नाम मेरे पास नहीं है। अब सवाल यह है कि किन-किन बिंदुओं पर...(व्यवधान)

श्री देवीलाल : ...कोर्ट के मायने कई लोग दोषी पाया था आपा भी हा उके मायने...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किन-किन बिंदुओं पर लोकल फण्ड ने...

मोहम्मद माहिर आजाद : जांच रिपोर्ट नहीं है क्या आपके पास?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जांच हुई कहां कम्पलीट। मैं कह तो रहा हूं आपको कि जांच चल रही थी इसी बीच में एसीडी फाइल ले गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो फिर आप कह रहे हो उनको दोषी पाया...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लोकल फण्ड के द्वारा।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, जिन्होंने भी पाया, उसकी रिपोर्ट तो होगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रही न, मैं पढ़ रहा हूं न।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसमें किस-किस को पाया, बताओ आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पढ़ रहा हूं न आपके सामने।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, पढ़िये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लोकल फण्ड के द्वारा सात बिंदुओं पर जो गड़बड़ियां पाई गई उसमें मूल बात यह है, पहली बात तो यह है कि मूल निविदा में दर्शाये गये कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य, अधिक राशि के कार्यों को संशोधित अनियमित स्वीकृतियां जारी किये जाने के कार्य करवाने पर 84 लाख रुपये की गड़बड़ी की गई। नंबर-2 सड़कों के पेवर डामरीकरण की राशि रुपये एक करोड़ साठ लाख के कार्य अपूर्ण रहे। नंबर-3 बिना निविदाएं आमंत्रित किये निर्माण कार्य कराये

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जाने पर 14 लाख 77 हजार रुपये, इसके दोषी ठहराये गये। सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से निष्फल व्यय राशि रुपये तीन लाख अठारह हजार के कार्य अपूर्ण रहने के कारण ठेकेदार से राशि 92.250 रुपये वसूल करने का अभाव पाया गया। विद्युत सामग्री क्रय में सामग्री प्राप्त होने आपूर्ति आदेश की विशिष्टियों के अनुरूप होने एवं गुणवत्ता की जांच आदि का किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किये जाने के कारण राशि 25 लाख 19 हजार की क्रय करना संदिग्ध माना गया। छठा निगम स्टोर से प्राप्त विद्युत सामग्री को उपयोग हेतु जारी करने के बाद उत्तरदायी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं करने और निगम क्षेत्र में प्रयुक्त की गयी विद्युत सामग्री का प्रभारी अधिकारी के द्वारा सत्यापन नहीं किये जाने के कारण राशि 42 लाख 65 हजार के दुरुपयोग की सम्भावना बतायी गयी और आखिरी यह है कि विद्युत सामग्री स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शायी गयी राशि 7.606 रुपये का सम्भावित गबन पाया गया। ये तो हुई लोकल फण्ड की जांच। अब रही विभागीय जांच। विभागीय जांच चल ही रही थी, जैसा मैंने आप में अर्ज कर दिया पहले ही कि एसीडी. पत्रावलियां ले गई। जिसके बाद...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तारीख तो बताइये कब ले गई एसीडी.? कब ले गई एसीडी.?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 7 अगस्त, 2002 को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसके पूर्व ही एसीडी. में मामला दर्ज हो गया और पत्रावलियां ले गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : एसीडी. कब ले गई तो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तारीख नहीं है तो इसमें यह तो हैं न कम से कम...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एसीडी. ने पत्रावलियां कब मंगायी आपके पास से ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कौनसी पत्रावली ?

मोहम्मद माहिर आजाद : इंकम्प्लीट उत्तर लेकर क्यों आप अपनी जो है वह दिखा रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आपको इंकम्प्लीट दिख रहा है, उत्तर तो पूरा ही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं। एसीडी. ने पत्रावली कब ली आपसे ? (व्यवधान) उसमें अन्तर है बीच में। उस बीच में इनको कोई निलम्बन की कार्यवाही या कुछ रिकवरी की कार्यवाही कुछ तो करनी चाहिये थी, क्या की उसमें ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ब्यूरो ने परिवाद संख्या 87/2001....

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया कि नहीं किया ? नहीं किया, तो क्यों नहीं किया ?

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कार्यवाही की उसमें ?

श्री जगत सिंह दायमा : क्या कार्यवाही की? कार्यवाही तो ये ही पूछ रहे हैं बार-बार। आप घुमा-फिरा कर कह रहे हो। कार्यवाही से मतलब यही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : (व्यवधान) जब तक विभागीय जांच....

श्री जगत सिंह दायमा : और इतना भ्रष्टाचार हो गया, यदि दो हजार रुपये किसान के रह जाएं तो आप किसान की बिजली काट देते हो दो मिनट के अंदर और इनके करोड़ों रुपये हैं और उनको सस्पेंड आज तक नहीं किया और उसी पोस्ट पर आराम से काम कर रहे हैं वे लोग..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : कार्यवाही तो यही है न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जैसा आप पूछ रहे हैं यह एसीडी. में कार्यवाही कब गयी, यह कार्यवाही गयी 29.1.1999 में। बात आ गयी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : 99 का चक्कर है यह 99 का।

मोहम्मद माहिर आजाद : आडिट वाली बताइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आडिट वाली तो मैंने बता दी न आपको 7 अगस्त की है, 7 अगस्त, 2000

मोहम्मद माहिर आजाद : इसके बीच में आपने इसके बारे में कोई कार्यवाही की?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विभागीय जांच चल रही थी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)।

लाटरी विक्रय एजेन्टों से बकाया की वसूली

151. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में एवं राज्य के बाहर लाटरी के टिकट विक्रय हेतु एजेन्ट नियुक्त किये गये थे? यदि हां, तो एजेन्टों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने एजेन्टों पर राशि बकाया है एवं उक्त की वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या वर्ष 1999 का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? क्या उक्त में गबन आदि के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, अल्प बचत (श्री परसादी लाल) : अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। यह सही है कि पूर्व लाटरी विभाग द्वारा राज्य में एवं राज्य के बाहर लाटरी बिक्री के लिए एजेन्ट नियुक्त किये गये थे। विभाग में नियुक्त किये गए बिक्री एजेन्टों के सम्बन्ध में चाही गई जानकारी पूर्व लाटरी विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(श्री परसादी लाल)

(2) उपलब्ध अभिलेख के आधार पर वर्तमान में पूर्व लाटरी विभाग के किसी भी अभिकर्ता के विरुद्ध राजकीय राशि बकाया नहीं है।

(3) जी हां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के वर्ष 1998-99 के प्रतिवेदन में राज्य लाटरी विभाग से सम्बन्धित गबन का एक प्रकरण 46,37,600/- रुपये का श्री रणवीर सिंह भाटी, वरिष्ठ लिपिक से सम्बन्धित प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण में श्री भाटी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर जांच के उपरान्त दिनांक 12.8.1998 में श्री भाटी की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं तथा उक्त राशि की वसूली की कार्यवाही पी.डी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने का जिला कलक्टर, जयपुर को दिनांक 12.5.2000 को प्रकरण संदर्भित किया गया है तथा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(अभिलेख की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा मामला 46,27,600 रुपये का है और वरिष्ठ लिपिक द्वारा किया गया है। 12.8.1998 को आपने इसकी कार्यवाही पूरी कर दी और 12.5.2000 तक आपने कलक्टर के यहां वसूली के लिए नहीं भेजा इसका क्या कारण है और जो वसूली हो रही है उसमें कितनी वसूली हुई और कितनी नहीं हुई? इस मामले में जब गबन हुआ तो एफ.आई.आर. लॉज क्यों नहीं की गयी? दूसरा यह बताइये कि इसको सस्पेंड किया था कि नहीं किया था, कितने समय में इसने यह गबन किया और इसके लिए जो ऊपर के अधिकारी हैं उनका कोई दायित्व बनता है कि नहीं बनत्र सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की आपने? उस पीरियड में किया कि नहीं किया? आप तो यह बताइये और किया तो क्या उसको उस समय का वेतन दिया कि नहीं दिया जब नौकरी से अलग किया उसके बाद इसको पेंशन और जो मिलने वाले लाभ हैं वह उनको दिये कि नहीं दिये? आपने यह रुपये वसूली करने के लिए जो पत्र कलक्टर साहब को भेजा उसको भी दो साल हो गये करीब। अभी तक क्या प्रगति है और क्या इस व्यक्ति के पास ऐसी प्रोपर्टी है कि इतने लाख रुपये वसूल कर पाओगे? जब आपको यह रिपोर्ट मिल गयी कि इस प्रकार गबन हुआ है तो उसके बाद क्या डिपार्टमेंट में और भी छानबीन की गई कि कोई और गबन तो नहीं हैं? ये तो ए.जी. की रिपोर्ट आ गयी इसलिए मामला सामने आ गया। ए.जी. की रिपोर्ट नहीं आती तो यह पता नहीं लगता। क्या यह दायित्व डिपार्टमेंट का है कि इस प्रकार के मामलों में जांच करें? यह व्यक्ति कितनी अवधि तक यह बेईमानी करता रहा इसके ऊपर के अधिकारी की क्या जिम्मेदारी बनती है जिसने नहीं देखा इसको?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि वसूली के लिए इतने समय में क्या कार्यवाही की, वैसे

(श्री परसादी लाल)

यह मामला 1.1.1995 से 14.4.1995 तक का गबन का मामला है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां कोई बात नहीं है।

श्री परसादी लाल : 1.1.1995 से 14.3.1995 तक हरियाणा में इनको कैम्प प्रभारी बनाकर भेजा गया था और वहां पर जिस फर्म को इन्होंने टिकट बेचे उसकी सिक्योरिटी राशि सरकार के पास 11 लाख 46 हजार 400 रुपये थी। इससे बिना सिक्योरिटी राशि लिये, बिना पैसे लिये इन्होंने 46 लाख 37 हजार 600 के अधिक टिकट बिक्री वहां पर किये बहादुरगढ़, हरियाणा में। बहादुरगढ़, हरियाणा के थाने में इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई और जो मामला अभी विचाराधीन है और इसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए इनको नोटिस दिये गये उसके बाद जब इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तो इनकी सेवाएं समाप्त की गई और अभी पी.डी.आर. एक्ट में कलक्टर, जयपुर के यहां इनका मामला विचाराधीन है और उसमें वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, इसमें 46 लाख का मामला है और दो साल हो गये इसको।

श्री परसादी लाल : 46 लाख।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत छोटा ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां इतना हमारा कभी इतनी बड़ी रकम से काम नहीं पड़ता न इतने रुपये का (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : आपके ही जमाने का है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहलैर वि इसलिए क्या करना। हमारे जमाने का है तो क्या करना इसका क्या यही जवाब है कि आपके जमाने का है?

डा. के.सी. चौधरी : (व्यवधान) आपने 46 लाख से 46 हजार कर दिया अभी बस यह फर्क कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां। मेरा आपसे निवेदन है कि दो साल हो गये मामला कलक्टर को दिये आपको। इसमें कुछ वसूल हुआ कि नहीं हुआ? दो साल निकल गये। तो इसकी प्रगति बता दीजिये कि क्या वसूल हुआ कि नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में जो उसके ऊपर के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया ये रिपोर्ट आने के बाद डिपार्टमेंट ने कोई खुद ने जांच की कि नहीं की कि और कोई तो गबन नहीं हुआ कहीं इसमें?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि इनको बार-बार नोटिस दिये गये, सस्पेंड किया गया उसके बाद भी वसूली की कार्यवाही के लिए कलक्टर, जयपुर के यहां इसका मामला विचाराधीन है। पी.डी.आर. एक्ट में कार्यवाही के लिए विभाग ने कलक्टर, जयपुर को बार-बार लिखा है और अब दुबारा भी हम उनको कह रहे हैं कि

(श्री परसादी लाल)

इसमें जल्दी वसूली की कार्यवाही करें। जैसा कि माननीय सदस्य आप जानते हैं कि पी.डी.आर. एक्ट में वसूली की कार्यवाही कलेक्टर ही करेंगे। कलक्टर को हम और पांबद करके कहेंगे कि इसमें जल्दी वसूली की जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, 12.8.1998 को पता लग गया आपको तो आपने वसूली के लिए ही 15.2.2000 को भेजा है। दो साल तो आपने दबाये रखा इन कागजों को। आपकी सरकार आ गई थी, दो साल तो आपने रिकवरी के लिये भेजा ही नहीं। और भेजने के बाद भी अब दो साल और हो गये तो वसूली कुछ हुई कि नहीं इसमें, यह बताइए आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मंत्री महोदय आप यह बताइए कि उनके पास कोई सम्पत्ति भी है कि नहीं? आप वसूली कर रहे हो और वसूली के लिये पी.डी.आर. में मामला चल रहा है। आप यह बताओ कि जिन आदमियों ने गबन किया उनके पास कोई प्रोपर्टी है कि नहीं है और उनके पास कौन कौन सी प्रोपर्टी है, आप लिस्ट बताइए।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि यह 95 का मामला था और 98 में कार्यवाही की गई, तीन साल तो आपके समय ही डिले हुआ। सरकार की ओर से और विभाग की ओर से इसमें कहीं कोताही नहीं बरती गई है और वसूली के लिये पी.डी.आर. एक्ट में कलक्टर, जयपुर को अधिकृत किया गया है। कलक्टर, जयपुर का काम है कि वह इनसे वसूली करें।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार यह जवाब तो दे रहे हैं पर उस व्यक्ति के नाम पर या उसके परिवार के नाम पर, कोई सम्पत्ति है क्या जिससे कलक्टर वसूल कर सके।

श्री परसादी लाल : यह कलक्टर जयपुर का काम है कि प्रोपर्टी है या नहीं है। यह आपकी सरकार के समय की जारी गलतियां थीं।

श्री सांवरलाल : आपका काम है, आपकी जानकारी में होना चाहिये। राजस्थान की जनता के साथ यह धोखा हो रहा है। 46 लाख का गबन हो गया है आप कह रहे हैं कलक्टर का काम है।

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्य, यह आपकी सरकार के समय का मामला है।

श्री सांवरलाल : हमारी सरकार के समय का है तो आप वसूल करो।

श्री रामस्वरूप : आपकी सरकार तीन साल रही थी, तीन साल तक कुछ किया क्यों नहीं? अब जितनी ताकत लगा रहे हो (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आप यह बताइए कि उस व्यक्ति के नाम पर कोई सम्पत्ति है या नहीं है?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी सरकार आने के बाद। जनवरी, 1999 से इस योजना विभाग को बंद कर दिया गया है इसलिए इसकी जानकारी होने में थोड़ा

(श्री परसादी लाल)

विलम्ब हुआ है क्योंकि यह विभाग ही बंद कर दिया गया है। विभाग में कोई अधिकारी नियुक्त नहीं था। विभाग की पुरानी लेनदारियों के लिये एडिशनल चार्ज दे रखा है। सारा विभाग बंद कर दिया गया है। माननीय सदस्य, जानकारी में आने के बाद, सी.ए.जी. की रिपोर्ट आने के बाद हमने इसमें तुरन्त नोटिस देकर कार्यवाही की और वसूली के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं। वैसे हम विभाग बंद कर चुके थे इसलिए इसमें ए.जी. की रिपोर्ट आने के बाद, 1998-99 की जो रिपोर्ट आई उसके बाद इसमें कार्यवाही में तेजी लाई गई।

श्री सांवरलाल : हम यह जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर या उसके परिवार के नाम पर कोई सम्पत्ति है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : है या नहीं है कलक्टर पी.डी.आर. के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहा है।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, पी.डी.आर. के तहत तो कार्यवाही तब होगी जब उसके नाम पर कोई सम्पत्ति होगी। सरकार को जानकारी रखनी चाहिये, 46 लाख का गबन कर दिया उस व्यक्ति के नाम पर या उसके परिवार के नाम पर कोई सम्पत्ति है या नहीं जिससे कलक्टर यह वसूली कर सके।

श्री अध्यक्ष : जो भी सम्पत्ति होगी उसको ऑक्शन करके वसूली करेंगे जितनी हो सकेगी।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, सम्पत्ति होगी तभी वसूली होगी। आज हाउस में हम यह जानना चाह रहे हैं कि 46 लाख का गबन किया उसके नाम पर कुछ है या नहीं है, यह तो बताइए।

श्री अध्यक्ष : श्री किरोड़ीलाल, आप बैठिए।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सरकार बताए ही कि जिसने इतना भ्रष्टाचार फैलाया क्या उसके पास इतनी प्रोपर्टी है कि पी.डी.आर. में उसकी रिकवरी की जा सके। अध्यक्ष महोदय, दूसरा इनके खिलाफ हरियाणा में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस दृष्टि से राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उस एफ.आई.आर. के मामले में क्या प्रोग्रेस है, क्या उसमें एफ.आर. लग गई या चालान हो गया या मंत्री जी आप चुपचाप बैठे हो।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रोपर्टी के बारे में पूछा, प्रोपर्टी की जांच कलक्टर, जयपुर ही करेंगे। हमारा लाटरी विभाग या अल्प बचत विभाग के पास जो इसका चार्ज है उनके पास प्रोपर्टी की कोई जानकारी नहीं है। कलक्टर, जयपुर इसकी जांच करके वसूली की कार्यवाही करेंगे।

श्री सांवरलाल : जानकारी लेओ ही मत फिर क्यों जवाब दे रहे हो।

श्री परसादी लाल : हरियाणा में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें इनकी गिरफ्तारियां हुई और इनके खिलाफ चालान 23.3.1996 को पेश किया गया, आप ही सरकार के समय में। कोर्ट के सामने यह मामला विचाराधीन है। जो भी कोर्ट फैसला करेगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। वैसे विभाग ने सरकार से

(श्री परसादी लाल)

जो राय ली थी उसी के अनुसार हम पी.डी.आर. एक्ट में वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय सदस्य, यह मामला लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट ने पी.डी.आर. एक्ट में वसूली के लिये ही राय मिली कि पी.डी.आर. एक्ट में ही इससे वसूली की जाये।

श्री सांवरलाल : यह बार-बार पी.डी.आर., पी.डी.आर. क्या है। अध्यक्ष महोदय, हम जिला कलक्टर, जयपुर से जानकारी करें क्या? सदन में मंत्रीजी रहे हैं जिला कलक्टर वसूली करेगा। आपको जानकारी लेकर आनी चाहिये थी कि उसकी क्या पोजिशन है, कोई प्रोपर्टी है या नहीं है, जिला कलक्टर कुछ वसूल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप कह रहे हो कि जिला कलक्टर, तो क्या हम वहां जाकर पूछे?

श्री अध्यक्ष : आप एक ही प्रश्न को बार-बार पूछ रहे हैं कि प्रोपर्टी है या नहीं है, आप कह रहे हैं कि पी.डी.आर. में कार्यवाही हो रही है। है या नहीं, अभी इनके पास इंफोरमेशन नहीं है, कलक्टर के पास है।

श्री सांवरलाल : यह कहें मंत्रीजी कि इंफोरमेशन नहीं है, इंफोरमेशन लेकर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, आप बार-बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रकिभी एक ही बात बार-बार कह रहे हैं पी.डी.आर., पी.डी.आर..... (व्यवधान) मंत्रीजी ने इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं कि पी.डी.आर. के तहत जिला कलक्टर कार्यवाही करेगा।

श्री रामस्वरूप : यह सट्टे की बात को ज्यादा क्यों प्रचलित करते हो। यह आपने ही तो किया था, आपके समय में।

श्री अध्यक्ष : You have no right to ask more than one supplementary. See rule 31.

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल किया है और उसका जवाब भी नहीं दिया है। या तो मंत्री जी कहें कि जानकारी करके मैं सदन को बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आप तीन बार खड़े हुए हैं और बार-बार आपको मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सांवरलाल : मंत्री जी बार-बार यही कह रहे हैं पी.डी.आर. के तहत जिला कलक्टर रिकवरी करेगा, रिकवरी करेगा कैसे, यह तो बता दें हमको कि उनके नाम पर कोई प्रोपर्टी है या नहीं है...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने क्वेश्चन में पूछा ही नहीं कि प्रोपर्टी है या नहीं है। आपको क्वेश्चन में लिखना चाहिये था कि उसकी प्रोपर्टी तलाश करके बताएं, यह बता देते... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो साल में कार्यवाही क्या की, कोई नोटिस भेजा, कोई और कार्यवाही की है, पता तो लगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा आपने अपने उत्तर में कहा कि 12.5.2000 को आपने जिला कलक्टर, जयपुर को अधिकृत कर दिया कि पी.डी.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करे। 12.5.2000 के बाद क्या आपके विभाग से किसी भी स्तर पर एक भी पत्र जिला कलक्टर, जयपुर को लिखा क्या कि इस 46 लाख के गबन में विलम्ब हो रहा है इसलिए पी.डी.आर. एक्ट के तहत जो वसूली करनी है उसकी क्या प्रगति है ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कार्यवाही की ? आपने पी.डी.आर. एक्ट के तहत उनसे वसूली के लिये कलक्टर को आदेश दे दिया क्या ? इन दो वर्षों में आपने एक बार भी इसकी जानकारी करने का प्रयास किया क्या कि इसकी प्रगति क्या हुई ?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. की रिपोर्ट आने के बाद हमने इसकी कार्यवाही के लिये विभाग ने कलक्टर को लिखा और कलक्टर ने अपने स्तर पर क्या कार्यवाही की यह मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूली के लिये कलक्टर ही अधिकृत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैसा आपके डिपार्टमेंट का है, पैसा सरकार का है, उस डिपार्टमेंट का पैसा है जिस डिपार्टमेंट को आपने कभी चलाया है तो उसके लिये आपको तो चिंता करनी चाहिये थी कि नहीं ?

श्री परसादी लाल : मैंने तो एक दिन भी विभाग को नहीं चलाया। हमारी सरकार के आने के बाद विभाग को 1 जनवरी, 1999 से बंद कर दिया। यह सब गबन घोटाले आपकी सरकार के समय के हैं। आपने ऐसे लोगों को अपाइंट किया। प्रोपर्टी थी या नहीं थी यह पूर्व की सरकार को जांच करानी चाहिये थी। उन्हीं लोगों को वहां कैम्प प्रभारी बनाना चाहिये था जिनके पास प्रोपर्टी थी। बिना प्रोपर्टी के तो आपने अधिकृत किया। अब यह जांच का विषय है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो मंशा है..(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे टाइम का घोटाला है तो आप वसूल करो ना। आप यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आते ही सट्टे को बंद कर दिया। इन्होंने सट्टा चलाया, हमने आते ही सट्टे को बंद कर दिया। क्यों आप बार-बार दोहरा रहे हो।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, पहले अगर इसको बंद कर दिया है तो फिर दुबारा चालू क्यों कर रहे हो। बार-बार यह सवाल आ रहा है कि हमने बंद कर दिया..(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा जब लाटरी की एजेंसी मिला करती थी तो एजेंसी देने के लिये कोई सिक्योरिटी नाम की चीज आप उस जमाने में लिया करते थे क्या। चूंकि सिक्योरिटी तो आपको लेनी चाहिये थी जब

(डा. के. सी. चौधरी)

एजेंसी आपने दी है। उस समय उसकी क्या प्रोपर्टी है, उसकी क्या हैसियत है, आपको ज्यादा जानकारी में होनी चाहिये थी यह बात।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय डाक्टर साहब, आप मंत्री नहीं हो। इनसे पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री सांवरलाल : आप वसूली नहीं करना चाहते तो आप यह कह दो कि हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय डाक्टर साहब आपको यह विभाग नहीं दिलवाना चाहते हम इसलिए आप बैठो।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य की मंशा है कि इसके पास प्रोपर्टी थी या नहीं थी, मैं इसकी तीन दिन में जांच करा कर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री रामस्वरूप : अब सारा जवाब आ गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** माननीय मंत्री महोदय, आपने अपने उत्तर में यह बताया कि यह जो एजेंट्स की हम नियुक्ति करते हैं, सरकार करती है पर यह एजेंट नहीं है, यह जिसने गबन किया है वह एजेंट नहीं है यह तो आपका लगाया हुआ बाबू है, यह एजेंट नहीं है।

श्री जुगल काबरा : आपके जमाने का लगा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** हमने नहीं लगाया यह, यह तो पहले का लगा हुआ था। (व्यवधान) एजेंट नहीं है, यह कर्मचारी आपके टाइम का है।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एजेंट नहीं बता रहा हूं। यह एल.डी.सी. है आपका भेजा हुआ, कैम्प प्रभारी है, एजेंट अलग है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** हां, एजेंट नहीं है, यह कर्मचारी है आपके जमाने का, आपकी सरकार का कर्मचारी है यह।

श्री जुगल काबरा : यह कर्मचारी लगाया गया था वह किस सरकार ने लगाया था। आपकी सरकार के जमाने में उस कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** नहीं, यह पहले का अपाइंटेड है।

श्री रामस्वरूप : पहले का था तो आपने ईमानदारों ने उसे हटा क्यों नहीं दिया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** आपने एक उत्तर नहीं दिया, आपने जब इसको सस्पेंड किया उस समय खजाने से कोई पेमेंट किया कि नहीं किया, किसी प्रकार का पेमेंट इसको हुआ कि नहीं, चाहे पेंशन का हो, चाहे सस्पेंशन पीरियड का हो, वह पेमेंट किया क्या आपने?

श्री परसादी लाल : अभी इसको किसी तरह का कोई भुगतान नहीं किया गया है। पेंशन वगैरह सब रोक दी गई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

जिला बाड़मेर के किसानों की तारबन्दी में आई भूमि का मुआवजा

152. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के गांवों में रहने वाले किसानों की पुस्तैनी भूमि राष्ट्रीय सुरक्षा तारबन्दी में आई है ? यदि हां, तो कितने किसानों की कितनी भूमि ?

(2) क्या सीमावर्ती ग्रामों/ढाणियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण हटाया गया है ? यदि हां, तो कितनों को और उनको मुआवजा कितना दिया गया है? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा व देरी के क्या कारण है ?

(3) क्या जिला बाड़मेर में दिसम्बर, 2001 से सीमा पर फौज के आने से कई गांवों के घर खाली हुए हैं? यदि हां, तो कितने किसानों के खेतों को काश्त के अयोग्य घोषित किया है ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी हां। पुनः नवीनतम विस्तृत सर्वे के अनुसार जिला बाड़मेर में सीमा पर की गई तारबन्दी में आई प्रभावित किसानों की भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) हां। यह सही है कि सीमावर्ती चार जिलों में केवल एक जिले बाड़मेर में तारबन्दी के कारण सीमा पर बसे ग्राम अमीन का पार (तहसील शिव) को हटाकर ग्राम मखन का पार में बसाया गया है। शेष तीनों जिलों बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में किसी भी ग्राम को हटाकर अन्यत्र नहीं बसाया गया है। ग्राम अमीन का पार से 49 परिवारों को मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। मुआवजे की राशि रुपये 21,60,852 की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

(3) जिला बाड़मेर में सीमा क्षेत्र के 32 गांवों के 595 परिवार कुछ दिन के लिए अपनी ढाणियों एवं गांवों से अपने नजदीकी रिश्तेदारों के पास स्वयं की इच्छा से चले गए थे जो 15-20 दिन बाद अपने गांव एवं ढाणियों में वापस आ गए। सीमा पर फौज के कारण काश्त योग्य भूमि के काश्त के अयोग्य होने की कोई सूचना नहीं है।

(4) जी हां। सरकार द्वारा तारबन्दी में आई किसानों की भूमि की क्षतिपूर्ति/मुआवजा भुगतान करने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि तारबन्दी में आई भूमि की किस्त/मुआवजा राशि भारत सरकार द्वारा ही दी जाएगी। अतः राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र दिनांक 20.10.1998, 19.4.1999 अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 6.5.1999 पत्र दिनांक 18.11.1999, 31.5.2000 एवं 15.12.2000 द्वारा प्रस्तावों के साथ भारत सरकार को निवेदन किया जा चुका है। दिनांक 22.2.2001 को लिखे पत्र के साथ भारत सरकार द्वारा चाही गई प्रस्तावों के सम्बन्ध में वांछित जानकारी भिजवा दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह द्वारा भी

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 7.9.2001 से निवेदन किया जा चुका है।

मुआवजा राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही दी जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के उत्तर भाग संख्या दो में इन्होंने गलत सूचना दी है। तहसील रामसर के गांव तालाब के पार को खाली कर दिया है और उनको एडी.एम. बाड़मेर ने दूसरे गांव में जमीन सिवाय चक का आबंटन किया है और उनके झौंपे वगैरह खुद अपनी जिम्मेदारी से बना रहे हैं, जिनका जवाब आपने नहीं दिया है। यह असत्य जवाब आया है और असत्य जवाब आया है तो क्यों आया है? यह बात जो मैं कह रहा हूं यह सही है या गलत है? गलत जवाब देने वाले पर क्या दण्ड होगा, यह बताइये?

अध्यक्ष महोदय, 1429 किसानों की भूमि इस तारबन्दी से, एक तो तारबन्दी के नीचे आ गई और दूसरी तारबन्दी से आगे चली गई। वह सदा के लिए जमीन सुरक्षा पाइंट आफ व्यू के कारण से बाहर चली गई। इसमें आज दिन तक इनका न तो किसी किसान को मुआवजा दिया, न कोई नोटिस दिया, न ही कोई कारण बताया गया कि इस कारण से हटाए गए हैं। इसको कितना अरसा हुआ है एक तो यह जवाब दीजिए। आप जवाब दे रहे हैं कि हमने इन-इन तारीखों में लिखा दिया। यह मुआवजा कब तक दिया जाएगा? एक पूरी बस्ती जिसके 49 घर 10 साल पहले हटाए जाकर दूसरी जगह पर बसे, जिनका आप 22 लाख का तखमीना मुआवजे के रूप में मानते हैं, अब 20 सालों में इसका मुआवजा मिलेगा, या कतई नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा, आप यह स्पष्ट करें।

मंत्रीजी, मैं यह पूछता हूं अगर भारत सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है तो जिन किसानों की भूमि, जिन गांवों की गई है, उन्हीं गावों में उसी किस्म की भूमि सिवाय चक आपके पास है तो उनको उतनी भूमि का रकबा आबंटन क्यों नहीं करते हो, इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सही है कि गांव अमीन के पार के 49 परिवारों को भारत सरकार के निर्देश के आधार पर खाली करवाया गया था। उसकी जो मुआवजे की राशि बनती थी, जैसा कि मैंने निवेदन किया 21,60,852 रुपये के लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है, क्योंकि भूमि उन्हीं के लिए अवाप्त की गई थी। चूंकि भारत सरकार को बार-बार पत्राचार करने के बाद भी अभी तक हमको स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी भारत सरकार के मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में चिट्ठी लिखूंगा कि काफी दिनों से मामला विचाराधीन है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इसलिए जल्दी से जल्दी राशि स्वीकृत की जाए ताकि किसानों का भुगतान किया जा सके।

जिस सूचना के बारे में आपने कहा कि यह गलत है, यदि माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि मुझे जिला स्तर के अधिकारी

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

ने गलत सूचना दी है, तो मैं उसकी जांच कराऊंगा। अगर जांच में सही पाया गया तो दोषी अधिकारीयों के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार नहीं हिचकेगी।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। दिसम्बर से लेकर आज तक सीमा पर फौज है, किसानों के खातेदारी खेतों में। भारी टैंकर, टैंकों से जमीन इस प्रकार की हो गई है कि वहां पर ट्रेक्टर या हल जून के महीने में बरसात हुई तो नहीं चल सकते। कई जगह पर बारूदी सुरंगे भी हैं। वहां अभी दो आदमी खतम हुए हैं। सैकडों जानवर खतम हुए हैं और आपने जवाब दिया है कि किसानों की भूमि अयोग्य नहीं हुई है। तो इतने बड़े खड्डे, इतनी बड़ी जमीन में गहराई में खड्डे हुए हैं तो वह तो अयोग्य हो गई है। आप किसान की भूमि योग्य कैसे मान रहे हैं? जून तक बरसात में अगर यह खाली नहीं हुई तो इस भूमि के मुआवजे के लिए सरकार क्या विचार कर रही है, यह बताइये?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सीमा पर तनाव होने की स्थिति में जो भारत सरकार ने आर्मी का डिप्लायमेंट किया था और उससे किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ, उसका चारों जिलों के कलक्टर्स से असेसमेंट करवाया था। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि इसके नुकसान का जो हमारा एस्टीमेट है वह करीब 74 करोड़ 92 लाख है। हमने 74 करोड़ 92 लाख रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद 19 मार्च, 2002 को 13 करोड़ 80 लाख, वन-फोर्थ राशि बनती है, 13 करोड़ 80 लाख एक्स-ग्रेसिया के रूप में स्वीकृत किए हैं। हम भारत सरकार से दुबारा निवेदन करेंगे कि यह राशि पर्याप्त नहीं है।

किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए चारों जिलों के जिलाधीश महोदय ने जो असेसमेंट किया है, गंगानगर में 56 करोड़ 52 लाख, बीकानेर में 7 करोड़, बाड़मेर में 9 करोड़ 52 लाख और जैसलमेर में 1 करोड़ 85 लाख। इसके विपरीत जो राशि प्राप्त हुई है वह 56 करोड़ के अगेंस्ट 12.33 व 7 करोड़ के अगेंस्ट में 1 करोड़ 6 लाख और 9 करोड़ 52 के मुकाबले में केवल 13 लाख और जैसलमेर के 1 करोड़ 85 लाख के अगेंस्ट में केवल 28 लाख रुपये ही प्राप्त हुए हैं। इस मामले में हम भारत सरकार से दुबारा निवेदन कर रहे हैं कि किसानों की हुई क्षति की भरपाई की जाए और जो राशि हमने असेसमेंट करके भेजी, उसकी स्वीकृति कराई जाए।

श्री अमीन खान : जो लोग काश्त नहीं कर पाएंगे उनके लिए राज्य सरकार का क्या विचार है? उन किसानों को दूसरी जगह जमीन काश्त का इन्तजाम करेंगे या फसल के गुजारे के रूप में कोई इन्तजाम करेंगे? इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमि के खराब होने का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने सूचना दी है और यह अभी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि आर्मी वहां कब तक डिप्लोय रहेगी

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

और आने वाली फसल नहीं होने की जो शंका उन्होंने प्रकट की है, इस सम्बन्ध में सभी जिलाधीशों से रिपोर्ट प्राप्त करके सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में 4 जिलों, जो उनके पास मांग आयी है उसका उल्लेख किया है। यह बात सही है कि चाहे गंगानगर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, एक बहुत बड़ी समस्या राज्य सरकार के सामने, किसानों के सामने, आर्मी वालों के सामने यह पैदा हुई है। अगर आप उचित समझें तो जिन चार जिलों की रिपोर्ट्स आपके पास आयी हैं, वह सदन की मेज पर रखे दें ताकि हम भी उसको देख सकें और देख करके जितना भी आपका सहयोग कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा धनराशि आपको मिले उस बात का काम कर सकेंगे, नम्बर एक। दूसरा, मैं जानकारी करना चाहूंगा कि इन चारों जिलों के कलक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट्स का वेरीफिकेशन जो आर्मी द्वारा किया जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हुआ है। तीसरा, मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने आपको इसी वेरीफिकेशन के पाइंट आफ व्यू से जो चिट्ठियां लिखीं, क्या उनका उत्तर दे दिया गया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, जिलाधीशों से जो रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है, मुझे सदन को दिखाने में या सदन की टेबल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप भी भारत सरकार से चर्चा करें और जो किसानों की समस्या है उसमें सहयोग करें तो मैं चाहूं...(व्यवधान) मैं खुद ही कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वे खुद ही कह रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वे खुद ही कह रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस मामले पर भारत सरकार से चर्चा करें।

श्री रामनारायण चौधरी : जो रिपोर्ट्स हैं उनको टेबल पर रखवाना चाहते हैं। अगर आप इंकार करते हैं तो इसी पर ये वाक आउट करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो आप जानो। लेकिन मुझे कहा तो जहां तक सरकार का सवाल है सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह किसानों के मुआवजे का सवाल है, फसल के नुकसान का सवाल है वहां हम कोई चीज सदन से छिपाना नहीं चाहते हैं। यह हमारी बहुत साफ मंशा है। इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि जो रिपोर्ट्स हमारे पास आयी हैं उनको मैं कुछ दिनों के अन्दर सदन की टेबल पर रख दूंगा ताकि आप उनका अध्ययन कर सकें और मैं आपसे यह भी इच्छा रखता हूं कि आप भारत सरकार को लिखें कि मुआवजे की राशि जो हमने एस्टीमेट की थी उसके मुकाबले 25 प्रतिशत तक ही 13 करोड़ 80 लाख दिये हैं उसका पूरा का पूरा भुगतान करने के लिये बात करें।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहन नायक।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक शिव से आने वाले माननीय विधायक ने...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पूछा है कि सारे जो आपने पत्र लिखे हैं उनका आर्मी ने वेरीफिकेशन किया है या नहीं किया है, या भारत सरकार की जो इस पर क्वेरीज आयी है उसका आपने जवाब दिया या नहीं दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक मेरी जानकारी है, जिलाधीश महोदय ने वहां पर जो भी मिलिट्री के अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर भूमि का निरीक्षण किया है और उनकी सलाह से यह बनाया गया है फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गयी हो और भारत सरकार को कोई आपत्ति है तो उसकी दुबारा जांच करवायी जा सकती है। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। जहां तक जून तक अगर मान लिया मिलिट्री वहां रहती है...

मोहम्मद माहिर आजाद : रक्षा मंत्रीजी ने कह दिया कि अभी रहेगी, नहीं हटायी जाएगी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह कब तक रहेगी यह नहीं कहा। निश्चित तारीख उसमें नहीं है। अगर ऐसी सम्भावना बनती है कि किसानों को खेती के पहले तक भी जमीन खाली नहीं मिलती है या आसपास की भूमि का नुकसान हो गया हो तो शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि वहां पर सिवाय चक की भूमि और है और वह खेती के लिये आबंटित की जा सकती है, इस प्रश्न पर विचार करके शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा।

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। एक तो यह...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से...

श्री अध्यक्ष : श्री सोहन नायक।

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यह कि जिन किसानों की माइन्स के कारण भूमि खराब हो गयी उनको मुआवजा मिलेगा, क्योंकि जो फसल खराब हो गयी उनको मुआवजा मिलेगा। (व्यवधान) बार्डर पर माइन्स बिछा दी गयी है सैनिक कार्यवाही के द्वारा, उसको मुआवजा मिलेगा। परन्तु सीमा के ऐसे गांव के मजदूर, अनुसूचित जाति और गरीब लोग जो मजदूरी के अभाव में पलायन कर गये थे, जिनका सामान, जिनके मवेशी भूखे मर गये और छोड़ दिये उन्होंने, इसके अलावा उनका जो सामान पलायन के अन्दर टूट गया उनके परिवार उजड़ गये कुछ की तो मृत्यु हो गयी रास्ते में चलते हुए, बच्चे एक्सपायर हो गये तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या उनको भी सहायता देने की सरकार की मंशा है। नम्बर दो, जो भूमि सैनिक कार्यवाही के कारण से माइन्स में आ गयी उसके अलावा 3 बीघा भूमि प्रस्तावित हुई है जिनका सर्वे पटवारियों ने या जिला कलक्टर ने नहीं करवाया परन्तु वह फसल इस कारण से खराब हो गयी किसान माइन्स, बारूदी सुरंगों के भय से वहां नहीं जा सके तो क्या उस प्रभावित क्षेत्र को भी मुआवजा मिलेगा। इन दो सवालों का जवाब दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सीमा पर...

श्री अमराराम (धोद) : साथ ही दे दीजिएगा आप।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान की एक हजार किलोमीटर सरहद पाकिस्तान से लगी हुई है 4 जिलों की, और उसमें जो जमीन तारबन्दी के बीच में आयी है। उसमें राज्य सरकार ने कितने मुआवजे के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया था और उसमें से आज तक एक नया पैसा भी मुआवजे का राजस्थान को नहीं मिला है। वहीं इसी तारबन्दी में आयी हुई भूमि के पंजाब को 9 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में मिले। अभी डेढ़ साल हो गया और राजस्थान को अभी तक कितना प्रस्ताव भेजा था और आज तक नहीं मिला। केन्द्र सरकार ने राजस्थान के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार किया। पंजाब को 9 करोड़ दे दिया और राजस्थान की जो सबसे बड़ी सीमा जो एक हजार किलोमीटर है 4 जिलों की लाखों बीघा जमीन तारबन्दी में आयी है और आज तक एक नया पैसा भी नहीं दिया। केन्द्र सरकार ने यह भेदभाव राज्य के साथ किया है। क्या राज्य सरकार केवल यह पत्र लिखकर या राज्य सरकार के किसी भी उच्च अधिकारी या मंत्री ने केन्द्र सरकार के साथ बैठकर इन पत्रों के अलावा व्यक्तिशः भी प्रयास किया है, यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितने मुआवजे की राशि बनती है। मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं तारबन्दी, जो तारबन्दी में आयी है उसका नहीं बताया आपने। उस मुआवजे का बताया है जो अभी मिलिट्री डिप्लाय होने के कारण फसल का नुकसान हुआ था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नो, नो, तारबन्दी, तारबन्दी, तारबन्दी।

श्री अमराराम (धोद) : वह बताएं तारबन्दी में कितनी जमीन आयी है उसका कितने मुआवजे का प्रस्ताव था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ग्राम अमीन का पार के 49 परिवारों के मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। मुआवजे की राशि...

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, यह तो 49 जो एक गांव स्थापित हुआ उसके लिये कह रहे हैं आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसी के लिये।

श्री अमराराम (धोद) : पूरी तारबन्दी में जितनी जमीन आयी है उसके कितने के प्रस्ताव, चारों जिलों में...

मोहम्मद माहिर आजाद : चारों जिलों की सीमाओं पर जो तारबन्दी की है, सीमा पर उससे जितनी फसल खराब हुई है, यह राजस्थान के किसानों के हक और हकूक का और जीने मरने का सवाल है, मंत्रीजी !

श्री अमराराम (धोद) : जो जमीन तारबन्दी में आ गयी है उसका प्रस्ताव आपने कितना भेजा है ?

श्री अमीन खान : 1429 किसानों की 13627 बीघा जमीन खराब हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : और यह भी आप बताएं कि यह मुआवजा मौजूदा बाजार दर से मिलेगा या 20 साल पहले के हिसाब से मिलेगा ?

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का जवाब आये, मेरे क्वेश्चन का जवाब आये।

श्री अमीन खान : मंत्रीजी, 13627 बीघा का सवाल पूछ रहे हैं अमरारामजी, उसका आपने जवाब नहीं दिया।

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेशन का जवाब भी आ जाए।

श्री अमीन खान : 13627 बीघा जमीन 1429 किसानों की प्रभावित हुई है, तारबन्दी के नीचे और तारबन्दी के आगे आने वाली भूमि....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि में एक हजार विथान मीटर तारबन्दी में कितनी जमीन किसानों की उस तारबन्दी के नीचे आयी है। उसके मुआवजे का कितना प्रस्ताव आपने भेजा है जो कि पंजाब को 9 करोड़ रुपये मिले डेढ़ साल हो गये हैं। (व्यवधान) और आप उस तारबन्दी को, कुल कितनी जमीन आयी है और उनके मुआवजे का कितना आपने भेजा है। आपने ये पत्र बताएं हैं, 4 पत्र बताएं हैं कि ये पत्र राज्य सरकार ने उनको लिखे हैं।

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन मजदूरों से, अनुसूचित जाति से उन गरीब परिवारों से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन गरीब और अनुसूचित जाति, मजदूर लोगों से सम्बन्धित है कृपया उनके बारे में मंत्री महोदय बताएं।

श्री अमराराम (धोद) : तो क्या केवल पत्र लिखा है राज्य सरकार ने व्यक्तिशः कोई प्रयास किये हैं। (व्यवधान) या केन्द्र सरकार ने भेदभावपूर्ण रूप से राजस्थान के किसानों को मुआवजा नहीं दिया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक पंजाब को मुआवजा देने का सवाल है उन्होंने कितनी मांग की, कितनी राशि उनको भुगतान कर दी, इसकी जानकारी मेरे पास अभी तो नहीं है लेकिन मैं पंजाब सरकार.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इसमें ही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके सवाल में ही है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, मेरा यह सवाल है....(व्यवधान) आपने....

मोहम्मद माहिर आजाद : 4 साल हो गये अब तारबन्दी हुए, 4 साल हो गये। 4 साल में उन किसानों को रोटी, रोजी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं उसके ऊपर कभी ध्यान गया क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको उजाड़ दिया....(व्यवधान) उन्हें मुआवजा दिलवाएं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, एक-एक किसान की पूरी-पूरी जमीन आ गयी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप स्वंय बाड़मेर जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। (व्यवधान) बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर, चारों जिलों के किसानों की 4 साल से क्या स्थिति हो रही है, खाने को दाने नहीं, तारबन्दी में उनकी जमीन आ गयी। उनके जीने- मरने का सवाल हो रहा है। चार साल में एक पैसा मुआवजा नहीं मिला और आप केवल पत्र लिखकर इसकी इतिश्री करना चाहते हो कि आपने राजस्थान के किसानों का भला कर दिया। इसके लिए निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए।

(12.00 बजे)

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था उस पर क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अनुसूचित जाति, गरीब और मजदूर परिवारों से सम्बन्धित है। मवेशी मर गये हैं और परिवार के परिवार उजड़ गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मजदूर परिवारों से जिनका...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस सदन को आश्वासन देना चाहिए। इस सदन को उन किसानों को हक दिलाना चाहिए केन्द्र सरकार से।

श्री जगत सिंह दायमा : जबकि रक्षा मंत्री भी कुछ दिन के लिए राजस्थान का रहा है।

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन मजदूरों से सम्बन्धित है, इसका जवाब दिलाइये।

श्री जगत सिंह दायमा : रक्षा मंत्री भी कुछ दिनों के लिए राजस्थान का था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : Question hour is over.

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दुर्गा प्रसादजी, बैठिये आप। आप दूसरी बात तो कर रहे हैं, यहां पर तारबन्दी की और जो फसल का नुकसान हुआ है...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं जीरो-आवर में अपनी बात रखना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : शून्य में है लेकिन आप कुछ भी बात करें, अब आप क्वेश्चन की सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते।

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगापुर सिटी की बात कहना चाह रहा हूं, आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिए, बहुत अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कैसे पूछ सकते हैं? जब एक घंटे का समय बीत गया है।

श्री दुर्गाप्रसाद : नहीं, जीरो आवर में मैं अपनी बात तो रख सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रक्रिया और नियमों के अन्तर्गत लाइये।

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : जब लाएंगे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो मिनट बैठो तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन पैरों पर है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर के चौगान स्टेडियम की भूमि पर अतिक्रमण

257. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि चौगान स्टेडियम जयपुर शहर में कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है एवं न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के कारण नगर निगम, जयपुर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर पा रहा है? यदि हां, तो क्या अतिक्रमियों ने न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण एवं परिवर्तन कर लिया है? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में निगम ने क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्थल में ऐसे अतिक्रमण भी नहीं हटाये जा रहे जिन पर न्यायालय का स्थगन नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अतिक्रमियों के द्वारा न्यायालय के स्थगन के पश्चात् कोई निर्माण एवं परिवर्तन नहीं किया गया है।

(2) अतिक्रमण हटाये जाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

सीकर रोड जयपुर पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर में भू-खण्डों का आबंटन

258. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जयपुर की सीकर रोड पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर में भू-खण्ड आबंटन प्रक्रिया कब से प्रारम्भ की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त नगर में भू-खण्ड आबंटन की न्यूनतम दरें तय कर दी हैं? क्या उक्त दरें ट्रांसपोर्ट यूनियनों की सहमति से तय की जायेगी? उक्त यूनियनों

(श्री नाथूराम)

से भू-खण्ड की न्यूनतम दरों पर सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में सरकार की क्या नीति रहेगी ?

(3) क्या सरकार उक्त भू-खण्डों की राशि एक मुश्त लेने का विचार रखती है ? क्या कोई आबंटी एक मुश्त राशि देगा तो सरकार उसको कोई फायदा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त नगर में चाय, पान, ढाबा, एस.टी.डी. वालों के लिये भू-खण्ड आबंटित करेगी ? यदि हां, तो किस-किस साइज के ?

(5) क्या सरकार उक्त ट्रांसपोर्ट नगर के लिये अलग से कोई और भूमि अधिग्रहीत कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

(6) क्या सरकार उक्त नगर में सदस्यों को आबंटन वास्ते ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा दी गई सदस्यता सूची को मानते हुये आबंटन करेगी ? क्या उक्त सूची की सत्यता की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो किस एजेन्सी से ?

उत्तर

(1) प्राधिकरण द्वारा अभी आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की है।

(2) प्राधिकरण द्वारा अभी कोई न्यूनतम दरें तय नहीं की है।

(3) प्राधिकरण स्तर पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है।

(4) प्राधिकरण स्तर पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है।

(5) जी हां। ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड पर पूर्व में 141.55 हैक्टेयर भूमि अवाप्त वा रे जा रही है जिसकी धारा 4(1) व 17(1)होकर कब्जा प्राप्त कर लिया है। ट्रांसपोर्ट नगर से सीकर रोड के लिये कुछ भूमि अधिग्रहण करनी है। भूमि की नाप व गणना करवाई जा रही है।

(6) अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं हुआ है।

नगरपालिका लोसल (सीकर) में कनिष्ठ लिपिकों की अवैध नियुक्ति

259. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका लोसल जिला सीकर ने दिनांक 16-5-1980 को कतिपय कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्तियां वैध थी ? उक्त तिथि को नियुक्त किये गये कनिष्ठ लिपिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय सहायक निदेशक द्वारा दिनांक 6-2-1984 को उक्त नियुक्तियां कम आयु होने के कारण अवैध मानते हुये सेवा समाप्ति का आदेश नगरपालिका को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल सहरिया)

(3) क्या यह सही है कि माननीय सिविल न्यायाधीश दांतारामगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 1-7-1993 में तथा जिला न्यायाधीश सीकर द्वारा दिनांक 27-1-1994 को सम्बन्धित की नियुक्ति अवैध मानते हुये सेवा समाप्ति के आदेश को वैध माना? यदि हां, तो सम्बन्धित निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कर्मचारी अब भी नियमित रूप से नगरपालिका लोसल में कार्यरत है? यदि हां, तो क्यों व उनका वेतन किस मद से व किन नियमों के अंतर्गत दिया जा रहा है?

(5) क्या सरकार उक्त अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका लोसल जिला सीकर द्वारा दिनांक 16.5.1980 को एक कनिष्ठ लिपिक श्री रमजान खां की नियुक्ति की गई थी। उक्त नियुक्ति नियमानुसार नहीं थी।

(2) जी हां। क्षेत्रीय सहायक निदेशक डीएलबी द्वारा पत्र दिनांक 6.2.1984 से उक्त नियुक्ति को नियमानुसार नहीं होने से सेवा अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया गया, जिसके अनुसार पालिका द्वारा श्री रमजान खां, कनिष्ठ लिपिक को एक माह की सेवा समाप्ति बाबत दिनांक 25.2.1984 को नोटिस जारी किया गया, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने सिविल न्यायालय, दांतारामगढ़ से स्थगन प्राप्त कर लिया गया। दस्तावेजों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) डीएलबी का आदेश सेवा समाप्ति का नहीं था, अपितु सेवा अवधि में वृद्धि नहीं की गई। पालिका द्वारा सेवा समाप्ति बाबत जारी नोटिस की अवधि स्वतः समाप्ति हो जाने के कारण प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया गया। निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। श्री रमजान खां, कनिष्ठ लिपिक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

(5) बिन्दु संख्या 4 के उत्तर में निहित है।

(दस्तावेजों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा कराये गये कार्य

260. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर सुधार न्यास अजमेर ने जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक क्या-क्या कार्य कराये हैं? कार्य का नाम, राशि, कार्य स्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर सुधार न्यास, अजमेर में जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक की आय किन-किन स्त्रोतों से हुई?

(श्री कय्यूम खान)

(3) नगर सुधार न्यास अजमेर की वर्तमान में आवासीय कौन-कौनसी योजनाएं हैं ?

(4) नगर सुधार न्यास अजमेर ने जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक किन-किन मदों में कहां-कहां पर राशि व्यय की है ? विधान सभा क्षेत्र अजमेर की पूर्व तथा पश्चिम में किस-किस स्थान पर किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की है ?

(5) नगर सुधार न्यास अजमेर को कच्ची व गंदी बस्ती क्षेत्र के विकास में जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) नगर सुधार न्यास अजमेर ने कच्ची व गंदी बस्ती क्षेत्र में जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक कितनी राशि व्यय की गई ? उक्त विधान सभा क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक कराये गये कार्यों का नाम, राशि, कार्य, स्थान का संलग्न परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

(2) नगर सुधार न्यास, अजमेर में जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक की आय स्त्रोतों का विवरण परिशिष्ट 2 में दर्शाया गया है एवं पूरक सूचना परिशिष्ट 2(1) में दर्शायी गई है।

(3) नगर सुधार न्यास अजमेर की वर्तमान योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 3 में दर्शाया गया है।

(4) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक व्यय की गई राशि का मदवार, स्थानवार ब्यौरा परिशिष्ट 4 पर दर्शाया गया है।

(5) नगर सुधार न्यास, अजमेर को जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक प्राप्त राशि की सूचना निम्नानुसार है :—

1. कच्ची बस्ती क्षेत्र के विकास हेतु शून्य

2. गंदी बस्ती क्षेत्र के विकास हेतु 40.00 लाख

(6) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा कच्ची बस्ती व गंदी बस्ती क्षेत्र में जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक व्यय की गई राशि का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मानसरोवर जयपुर में विधायकों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों का पंजीयन

261. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मानसरोवर में सांसदों विधायकों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए मकानों का पंजीयन किया गया है ? यदि हां,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तो पंजीबद्ध लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त श्रेणी के पंजीबद्ध लोगों को मकान/भूखण्ड देने हेतु राशि का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो कब तक चयनित कर मकानों/भूखण्डों का कब्जा दे दिया जायेगा?

(3) क्या उक्त श्रेणी के मकानों/भूखण्डों हेतु कीमत व साइज व शर्तों का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंजीबद्ध की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त श्रेणी के पंजीबद्ध लोगों को मकान/भूखण्ड देने हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। मकानों/भूखण्डों का कब्जा प्लींथ के कार्य पूर्ण होने पर लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा।

(3) जी हां। उक्त श्रेणी के मकानों/भू-खण्डों की साइज का निर्धारण कर लिया गया है। 86 भू-खण्ड 12.50 x 21.00 मीटर व 159 भू-खण्ड 12.00 x 27.0 मीटर है। मकानों/भू-खण्डों की कीमत वास्तविक निर्माण पर की गयी व्यय पर आवासन मण्डल के लागत के सिद्धान्तों के अनुसार निर्माण पूर्व होने के पश्चात् किया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बालोतरा (बाड़मेर) में कृषि भूमि का नियम विरुद्ध रूपान्तरण

262. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा में फरवरी व अप्रैल, 2001 की अवधि में कृषि भूमि के अकृषि (वाणिज्यिक या घरेलू) प्रयोजनार्थ उपयोग पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 के प्रावधानों के विपरीत होने पर भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यवाही में सहायक कलक्टर (मुख्यालय बाड़मेर) ने कई अनियमितताएं की हैं? क्या उक्त की जांच कराई गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भूमि रूपान्तरण के दौरान क्या राजकीय दस्तावेजों में कांट-छांट की गई? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) नगरपालिका, बालोतरा में फरवरी व अप्रैल, 2001 की अवधि में कृषि भूमि के अकृषि (वाणिज्यिक या घरेलू) प्रयोजनार्थ उपयोग पर राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के प्रावधानों के विपरीत होने पर भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही नहीं की गई है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) सहायक कलक्टर (मु.) बाड़मेर द्वारा अनियमितताएं बरतने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई और न ही कोई जांच विचाराधीन है।

(3) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बालोतरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूमि रूपान्तरण के दौरान राजकीय दस्तावेजों को कोई काट छांट नहीं की गई।

सीकर रोड जयपुर पर लोहा मण्डी हेतु प्रस्तावित सड़कें

263. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सीकर रोड पर लोहा मण्डी के निमार्ण हेतु कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है?

(2) क्या उक्त मण्डी में चाय, पान, ढाबा व एस.टी.डी वालों के लिये भू-खण्ड आबंटित किये जावेंगे? यदि हां, तो कितने?

(3) क्या उक्त मण्डी में जाने-आने हेतु आपणां गांव होटल के सामने से भी सड़क बनाई जा रही है? यदि हां, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी एवं कब तक बनकर तैयार हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में सीकर रोड पर लोहा मण्डी के निर्माण हेतु कार्य प्रगति पर है। योजना में रुपये 210 लाख की लागत से 15.60 किलोमीटर की सड़क एवं सी.डी. वर्क्स का निर्माण 12.00 लाख की लागत से 650 मीटर लम्बी मुख्य नाली का निर्माण कार्य किया जा चुका है। इस भूमि के विकास हेतु बिजली, पानी सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो चुका है। विकास कार्य निरन्तर गतिशील है।

(2) नवीन लोहा मण्डी के स्वीकृत प्लान में सुविधा हेतु कुछ क्षेत्र छोड़ा गया है। इस सुविधा क्षेत्र का लैन्डयूज अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है तथा आबंटितों द्वारा निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् चाय, पान, एस.टी.डी आदि सुविधाओं के लिए आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जावेगा। पोस्ट आफिस, डिस्पेंसरी आदि के लिये भूमि आरक्षित की गई है। अभी इस प्रकार के आबंटन विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। उक्त मण्डी में आने जाने हेतु आपणां गांव होटल के सामने से सम्पर्क हेतु सड़क बनवाई जा रही है जिसकी चौड़ाई 80 फीट है। कुल लम्बाई 2250 मीटर में से 1300 मीटर लम्बाई में निर्माण हो चुका है। शेष सड़क हेतु भूमि की अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। अधिग्रहण की गई भूमि पर सड़क का कार्य वर्तमान में जारी है।

आवासन मण्डल द्वारा आवासों की लीज राशि की अवैध वसूली

264. **श्री हरीश चन्द कुमावत** (नावां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कालोनियों/योजनाओं के भू-खण्डों के लिए आबंटित एवं मण्डल के बीच सम्पादित एवं पंजीकृत लीज डीड में ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं होते

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

हुए भी मण्डल द्वारा आबंटियों से भूमि की बकाया लीज राशि पर 18% व 24% का वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं की भूमियों के लिए, मण्डल द्वारा राज्य सरकार को लीज राशि देय है? यदि हां, तो किस-किस दर से? बकाया लीज राशि पर ब्याज दर क्या निर्धारित है व अन्य क्या निर्धारित है?

(3) दिनांक 1-7-2001 तक राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कितनी लीज राशि पर ब्याज राशि राज्य सरकार को भुगतान योग्य हुई? मण्डल द्वारा उक्त में से कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही है कि मण्डल द्वारा यथासमय लीज राशि जमा न कराने वाले आबंटियों से ब्याज लिया जाता है। मण्डल की समय-समय पर आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वसूल किया जाता है। परपचुअल लीज डीड के बिन्दुसंख्या 23 के प्रावधान के अनुसार मण्डल इसके लिए प्राधिकृत है।

(2) जी नहीं। मण्डल द्वारा आवासीय योजनाओं की भूमियों के लिए सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 में निहित प्रावधानुसार लीज राशि वसूल की जाती है इसके निर्धारण हेतु मण्डल स्वयं अधिकृत है। मण्डल द्वारा आवासीय भू-खण्डों पर 2.5 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक भू-खण्डों के लिए 5 प्रतिशत की दर से लीज राशि वसूल की जाती है। उक्त वसूल की गई राशि मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 40 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार मण्डल कोष गठन करने हेतु मण्डल में ही जमा की जाती है। उक्त राशि राज्य सरकार को देय नहीं है। बकाया लीज राशि पर मण्डल द्वारा समय-समय पर देय ब्याज का निर्धारण किया गया है जो वर्तमान में संलग्न परिशिष्ट "अ" कार्यालय आदेश संख्या 57 दिनांक 15.5.93 द्वारा 18 प्रतिशत की दर से वसूल की जाती है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) मण्डल में वित्तीय वर्ष 2000 तक कुल लीज राशि 18,36,09,664.68 रुपये प्राप्त हुई है। चुंकि उक्त राशि उपरोक्तानुसार मंडल कोष गठन के लिए है। अब तक राज्य सरकार को उक्त लीज राशि के पेटे कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैसलमेर की डीजल इंजन से संचालित जल प्रदाय योजनाएं

265. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में कितनी जल प्रदाय योजनाएं डीजल इंजन से चलती है? उक्त में प्रत्येक में प्रतिवर्ष कितना डीजल-आयल व्यय होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(2) उक्त जिले में डीजल संचालित योजनाओं के विद्युतीकरण में कितनी राशि की आवश्यकता है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में पेयजल योजनाओं हेतु गत दस वर्षों में कितने डीजल इंजन क्रय किये गये हैं तथा उक्त के रख-रखाव में गत दस वर्षों में कितना व्यय किया गया है?

(4) क्या यह सही है कि कई बार डीजल के अभाव में पेयजल आपूर्ति में व्यवधान आता है?

(5) क्या सरकार उक्त सभी पेयजल योजनाओं को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो आगामी वर्षों में क्या योजना है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में कुल 214 जलप्रदाय योजनाएं हैं जिसमें 48 योजनाएं डीजल जनरेटिंग सैट से चलाई जा रही है। इस वर्ष (फरवरी, 2002 तक) डीजल आयल पर 218.21 लाख रुपये व्यय हुए हैं। योजनावार व्यय का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जिला जैसलमेर में डीजल संचालित 48 पेयजल योजनाओं में से 8 योजनाओं के विद्युतीकरण हेतु रु. 39.08 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिन्हें विद्युत विभाग में जमा करा दिया गया है। शेष 40 जल योजनाओं के विद्युतीकरण हेतु आरम्भिक आकलन के अनुसार लगभग 28.11 करोड़ रुपये राशि की आवश्यकता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) जिला जैसलमेर में पिछले 10 वर्षों में कुल 38 कपल्ड डीजल इंजन पम्पसैट अनुमानित लागत रुपये 9.26 लाख के क्रय किये गये हैं। विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कार्यरत डीजल इंजन पम्पसैटों के रख-रखाव पर गत 10 वर्षों में 69.14 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

(4) जी नहीं। सामान्यत: प्रत्येक डीजल चलित जल योजनाओं पर डीजल का रिजर्व स्टाक रखा जाता है।

(5) शेष योजनाओं के विद्युतीकरण बाबत आपेक्षिक व्यय (पूंजीगत तथा संधारण व्यय) व साइट फिजिबिलिटी सिद्धान्त पर अध्ययन कर धन उपलब्धि अनुसार कार्यवाही करना सतत् प्रक्रिया में है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति

266. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ऐसे गांवों/ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित हैं जिसमें या तो कोई जल स्रोत नहीं है अथवा जल स्रोत ग्रीष्म के कारण वांछित सेवा स्तर के 25 प्रतिशत से भी कम जल उपलब्ध करवा पा रहे हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितने ग्राम व

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

ढाणियों को लाभान्वित किया गया है अथवा प्रस्तावित है? विवरण मय नाम व स्थान के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय मिशन के तत्वावधान में अत्यधिक फ्लोराइड व खारे पानी से प्रभावित ग्राम/ढाणियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए योजना बनाई गई है? यदि हां, तो धौलपुर जिले में ऐसे कितने ग्राम/ढाणियां हैं जो फ्लोराइड एवं खारे पानी से प्रभावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नरपुरा, झोर, राजगढ़, मोरोली पुरानी छावनी, तिघरा, वसईनीव में जल स्त्रोत नहीं है? क्या सरकार उक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में 8 गांव चिन्हित किये गये हैं जिनमें पेयजल का स्तर 25 प्रतिशत से कम है अथवा जल स्त्रोत की कमी है। इन गांवों की पेयजल योजना स्वीकृति विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2000-2001 में किये गये जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार धौलपुर जिले के कुल 131 गांव एवं 137 ढाणियों में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 पी.पी.एम. से अधिक है एवं 43 गांव एवं 26 ढाणियों में घुलनशील पदार्थों की मात्रा 2000 पी.पी.एम. से अधिक है। इन गांवों एवं ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राजीव गांधी मिशन के तत्वावधान में योजना बनाने हेतु निर्धारित प्राथमिकता मापदण्डों के संसाधनों एवं बजट उपलब्धता के आधार पर योजना प्रस्तावित की जावेगी।

(3) जी नहीं। इन सभी गांवों को विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है जिन जल योजनाओं पर जल स्त्रोत की कमी है अथवा पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं है उन गांवों हेतु आगुमेंटेशन योजना स्वीकृत की गई है अथवा बनाई जा रही है। विवरण परिशिष्ट-"ब" के अनुसार है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्रामों में संचालित पेयजल योजनाएं

267. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बुबानी, घुघरा, कालेसरा, करनोस, अलीपुरा, ऊंटडा, गगवाना एवं बड़गांव में विभाग की ओर से पेयजल योजना संचालित की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं के कुओं/ट्यूबवैलों का पानी करीब-करीब खतम होता जा रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों में 500 फुट से ज्यादा गहराई के नये ट्यूबवैल खोदने का

(श्री रमजान खान)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। उक्त सभी ग्रामों में भूजल वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल उपलब्ध न होने के कारण नलकूपों का वेधन सम्भव नहीं है।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में खोदे गये नलकूप

268. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में बी.ए.डी.पी. के तहत नलकूप खुदाए गए हैं? क्या उक्त को अभी तक चालू नहीं किए गये हैं?

(2) अब सरकार उक्त नलकूपों को कब तक चालू करायेगी?

(3) जिला बाड़मेर के नगर खण्ड व उत्तर खण्ड में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नागडदापोसाल, बालासर, भीमडा-शास्त्री गांव खबडाला-खलीफे की बावड़ी बिणावल-बाण्डरसर बुटिया कब स्वीकृत हुई और उक्त योजनाओं का कब तक कार्य पूरा हो जायेगा?

(4) सुवाला रेडाना-रावतसर गोरालिया व राहूजप खण्ड चाडार-योजनाएं कब शुरू होगी और उक्त का काम कब तक पूरा होगा?

उत्तर

(1) जी हां। सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में बी.ए.डी.पी. के तहत नलकूपों की स्वीकृति एवं खोदकर चालू करने का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	जिला	कुल स्वीकृत नलकूपों की सं.	नलकूपों की क्रियान्वयन की स्थिति	
			खोदा गया, चालू नहीं किया गया	खोदकर चालू किया गया
1	बाड़मेर	8	7	1
2.	जैसलमेर	52	—	52
	कुल	60	7	53

(2) प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में बाड़मेर के 7 नलकूपों की बी.ए.डी.पी. के तहत स्वीकृति सिर्फ खोदने के कार्य तक ही सीमित थी एवं इनके खोदने का कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें से 1 नलकूप में जल उत्पादन बहुत कम होने के कारण एवं 2 नलकूपों का पानी गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होने के कारण (अत्यधिक खारा) चालू करना प्रस्तावित नहीं है। शेष 4 नलकूपों को चालू करने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति बाबत निर्णय के पश्चात् बजट एवं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नलकूपों को चालू करना सम्भव होगा।

(3) जिला बाड़मेर की इन 5 क्षेत्रीय योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि का विवरण परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(4) क्षेत्रीय जल योजना सुवाला-रेडाना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अगस्त, 2001 में जारी की गई थी एवं इस योजना की तकनीकी स्वीकृति मार्च, 2002 में जारी की जा चुकी है। इस योजना हेतु स्रोत बनाने का कार्य प्रगति पर है। बजट एवं संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार योजना मार्च, 2004 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय जल योजना रावतसर गोरालिया एवं चाडार (चाडार-बांकलसर-रामदेव मंदिर) के प्रस्ताव स्वीकृति पूर्व परीक्षण में है। तकनीकी जांच में सही पाये जाने एवं स्वीकृति बाबत निर्णय के पश्चात् बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

269. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम वाडिया (पाचेटिथा) के लिए विधायक कोष से ट्यूबवैल खोदा गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त ट्यूबवैल को भूमिगत जलाशय से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ट्यूबवैल को भूमिगत जलाशय से जोड़ कर ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त नलकूप माह सितम्बर, 2001 में खोदा गया था।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विद्युत सम्बन्ध नहीं हो पाने के कारण नलकूप को चालू नहीं किया जा सका है। विद्युत कनैक्शन के सम्बन्ध में नवम्बर, 2001 में 155,064/- का डिमाण्ड नोट प्राप्त हुआ था। डिमाण्ड नोट की राशि से विभाग सहमत नहीं था। अतः इस बारे में सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क किया गया। तद्नुसार सम्बन्धित डिमाण्ड नोट राशि 60,492/- रुपये दिनांक 21-3-2002 को विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। अब इस डिमाण्ड नोट की राशि जमा कराने तथा विद्युत सम्बन्ध लेने की कार्यवाही की जा रही है। विद्युत सम्बन्ध लेते ही समीपस्थ राइजिंग मेन से जोड़कर जी.एल.आर. में पानी भेजना सम्भव होगा।

(3) विवरण प्रश्न 2 के उत्तर में दिया गया है। सम्बन्धित विभाग से शीघ्र विद्युत सम्बन्ध लेने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

गांव को नलकूप का फायदा देना ग्रीष्म, 2002 में लक्षित है।

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में अवैध खनन

270. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के किन-किन स्थानों पर किस-किस किस्म की खानों हेतु स्वीकृति कितनी-कितनी जगह किस-किस खसरा नम्बरों में कितने-कितने क्षेत्रफल में किस-किस नाम से दी गई/ दी जा रही है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में अवैध खनन भी हो रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में दिये गये प्रधान व अप्रधान खनन पट्टों की सूची मय, पट्टाधारी के नाम, स्थान, खनिज, क्षेत्रफल एवं उपलब्ध खसरों के क्रमशः परिशिष्ट 1 व 2 में दी गई है।

(2) उक्त क्षेत्र में यदाकदा अनाधिकृत खनन की शिकायतें प्राप्त होती है, जिस पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में इस क्षेत्र में अवैध खनन होने की रिपोर्ट नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दी बारां भडकोल श्रमिक सेवा समिति अलवर को आबंटित खनन क्षेत्र

271. श्री राजेन्द्र सिंह (लक्ष्मणगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में कुल कितने खनन पट्टे स्वीकृत हैं एवं किस-किस को स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की "दी बारां भड़कोल श्रमिक सेवा समिति" को कुल कितना खनन क्षेत्र किस-किस जगह पर आबंटित था और वर्ष 1996 की अधिसूचना के बाद कितना खनन क्षेत्र किस-किस ग्राम में आबंटित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में 277 में खनन पट्टे प्रभाव में हैं। सूची प्रदर्श "ए" पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले की "दी बारां भड़कोल श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि." को कुल 25.5 वर्गमील क्षेत्र खनन पट्टे के तहत स्वीकृत था। खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र के ग्रामों की सूची प्रदर्श "बी" पर संलग्न है। वर्ष 1996 की अधिसूचना के बाद उक्त समिति ने सप्तम नवीनीकरण के अन्तर्गत 10 वर्ग कि.मी. खनन पट्टा क्षेत्र को रखे जाने हेतु दिनांक 22.8.2001 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस आवेदन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रदर्श "सी" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर जिले में मार्बल रायल्टी

272. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में मार्बल रायल्टी का ठेका किसी प्राइवेट पार्टी को दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों के आधार पर किन-किन को?

(2) क्या सरकार द्वारा दिये गये डेड रेन्ट के रवन्ना होने के बावजूद रायल्टी ठेकेदार द्वारा मार्बल गाड़ियां निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा डेड रेन्ट की रवन्ना जारी करने के उपरान्त भी ठेकेदार की मोहर लगवाया जाने की शर्त को आवश्यक रखा गया है? राज्य सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(4) क्या राज्य सरकार डेड रेन्ट रवन्ना होने के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा मान्य न कर नकद रायल्टी वसूली को उचित मानती है? यदि नहीं, तो उक्त हेतु क्या निर्देश जारी किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में राजगढ़ तहसील की मार्बल खानों से एक्सेस रायल्टी वसूली का ठेका स्वीकृत है। ठेके की शर्तें संविदा में अंकित है। संविदा की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। वाहन में विभागीय रवन्ना में अंकित वजन से अधिक वजन होने पर ही ठेकेदार अधिक वजन की रायल्टी वसूल करने के लिए अधिकृत है।

(3) पट्टाधारी को विभागीय रवन्ना ठेकेदार की चैक पोस्ट पर बताना आवश्यक है व उस पर मोहर लगवाना इसलिए उचित है, ताकि रवन्ने का पुनः उपयोग नहीं किया जा सके। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या विभाग के समक्ष नहीं आई है।

(4) जी नहीं। इस सम्बन्ध में संविदा में स्पष्ट शर्त होने से अलग से दिशा-निर्देशों की आवश्यकता नहीं है।

(निविदा की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थाना सालासर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

273. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री दुलाराम गांव तोलियासर वाया सुजानगढ़ ने थाना सालासर में श्री डालम चन्द पुत्र श्री मावाराम गांव तोलियासर के विरुद्ध जान से मारने एवं गाली गलोच करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? यदि हां, तो कब? उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रिपोर्ट के आधार पर इंचार्ज थाना सालासर ने श्री डालम चन्द के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध सख्त

(श्री भंवरू खान)

कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री दुलाराम को डालम चन्द मार देता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती ? क्या उक्त जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक चूरू एवं थाना इंचार्ज सालासर की नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्री डालम चन्द पुत्र श्री मावाराम के विरुद्ध पुलिस थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं तथा यह आदतन अपराधी तथा शराबी है ? क्या सरकार ऐसे अपराधी तथा शराबी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या श्री गोपाल सिंह पुत्र दुलाराम ने माननीय अध्यक्ष विधान सभा से भी सुरक्षा की गुहार की और अध्यक्ष कार्यालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए लिखा था ? यदि हां, तो पुलिस अधीक्षक ने उक्त पर क्या कोई कार्यवाही की ? क्या उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री दुलाराम जाट निवासी ग्राम तोलियासर जिला चूरू ने थाना सालासर पर श्री डालम चन्द पुत्र मावाराम निवासी तोलियासर के विरुद्ध जान से मारने एवं गाली गलोच करने बाबत कोई लिखित या मौखिक रिपोर्ट नहीं की। श्री गोपाल सिंह पुत्र दुलाराम निवासी तोलियासर का एक परिवाद माननीय अध्यक्ष विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 4420 दिनांक 21-12-2001 के संलग्न पुलिस अधीक्षक चूरू को दिनांक 24-12-2001 को प्राप्त होने पर थानाधिकारी सालासर को भेजा गया।

(2) अध्यक्ष, विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रेषित परिवाद श्री गोपाल सिंह पर प्रभारी थाना सालासर ने परिवाद की जांच कर श्री डालम चन्द पुत्र मावाराम निवासी तोलियासर के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107,116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय एसी. सुजानगढ़ में दिनांक 15.1.2002 को पेश किया है।

(3) श्री गोपाल सिंह पुत्र दुलाराम ने कोई परिवाद थाना सालासर व पुलिस अधीक्षक चूरू को पेश ही नहीं किया तो प्रभारी थाना या पुलिस अधीक्षक चूरू को किसी हादसे के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(4) श्री डालम चन्द पुत्र श्री मावाराम निवासी तोलियासर के विरुद्ध उसके जीवनकाल में सिर्फ एक अभियोग धारा 323 भादस व 3, 1, 10 अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम का पंजीबद्ध हुआ जिसमें बाद अनुसंधान अंतिम निर्णय अदम वकू में दिया गया। उक्त व्यक्ति आदतन अपराधी नहीं है।

(5) प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या 1 व 2 के उत्तर में अंकितानुसार है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पुलिस चौकी की स्थापना

274. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम झौथरी तथा चरवाड़ा में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चौरासी स्थित ग्राम झौथरी पुलिस चौकी वीजा से मात्र 3 किलो मीटर तथा ग्राम चरवाड़ा मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उक्त ग्रामों में पुलिस चौकी स्थापित किया जाना उपयुक्त नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

पुलिस थाना सार्दुलशहर में दर्ज प्रकरण संख्या 26/2000

275. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मुकदमा नं. 26/2000 पुलिस थाना सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा राज्य सरकार ने किन-किन अधिकारियों से जांच करवाई है और उक्त मुकदमे में किस-किस व्यक्ति व अधिकारी को दोषी माना है तथा सरकार ने उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों का चालान अभी तक पेश नहीं किया गया है? उक्त प्रकरण की जांच पूर्ण होने के उपरान्त भी अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्या सरकार अतिशीघ्र उक्त पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त मुकसिंह पें क्या सरकार ने दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुकदमा नं. 26/2000 पुलिस थाना सार्दुलशहर जिला गंगानगर में मुलजिमान वकील चंद पुत्र रामलाल, पेशावर पुत्र फकीर चंद, कालीदासकिशान चंद, महेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सुभाष पुत्र वजीरचंद, नरेश कुमार पुत्र वजीर चंद, सुरेश पाल पुत्र सचदेवराज, पाशुराम पुत्र शंकरदास, सुरजीत कुमार पुत्र शंकर दास, अकवाम ओड राजपूत के विरुद्ध तफतीश में जुर्म प्रथम दृष्ट्या साबित माना गया है। मुलजिम वकीलचंद को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। शेष मुलजिमान की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

उक्त प्रकरण का अनुसंधान दिनांक 21.3.2000 से 2.5.2000 तक श्री रामनिवास उप निरीक्षक, दिनांक 25.5.2000 से 19.11.2000 तक श्री संतलाल उप निरीक्षक, दिनांक 22.1.2001 से 14.2.2001 तक श्री संदीप चौहान उप अधीक्षक गंगानगर शहर, दिनांक 14.4.2000 से 28.6.2001 तक श्री जीठराज सिंह उप अधीक्षक वृताधिकारी बीकानेर, दिनांक 5.7.2001 से 13.8.2001

(गृह मंत्री)

तक देवी किशन शर्मा निरीक्षक सी.आई.डी. (सीबी) रेंज सेल बीकानेर, दिनांक 13.6.2001 से 9.2.2002 तक श्री शायर सिंह निरीक्षक सी.आई.डी. (सीबी) रेंज सेल बीकानेर, 14.2.2002 से आनंद प्रकाश निरीक्षक थानाधिकारी सादुलशहर से जांच कराई गई।

उक्त मुकदमे में बाद तफतीश वकील चंद, पेशावर, कालीदास, महेन्द्र सिंह सुभाष, नरेश कुमार, सुरेन्द्रपाल, पाशुराम व सुरजीत कुमार नामक 9 व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर दोषी माना गया है।

(2) 8 अभियुक्तों की अभियोग में गिरफ्तारी करनी, शेष होने के कारण उक्त प्रकरण का चालान पेश नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। शेष मुलजिमान की तलाश जारी है।

उक्त प्रकरण में शेष मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।

(3) उक्त मुकदमे में दोषी पुलिस कर्मचारी श्री विजयपाल निरीक्षक व श्री सतलाल उप निरीक्षक के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच 16/18 राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं पुनरावलोकन) नियम 1958 के तहत श्रीमान् महानिदेशक पुलिस एवं श्री रामनिवास उप निरीक्षक के विरुद्ध श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज द्वारा 16 आर.सी.एस. (सी.सी.ए) रूल्स 1958 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाकर विभागीय जांच जारी है।

प्रश्न संख्या-276

(स्थगित)

श्री गंगानगर शहर की यातायात व्यवस्था

277. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कितने कंट्रोल रूम संचालित हैं तथा उक्त में कितने कार्मिक तैनात हैं? सूची पदवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या श्रीगंगानगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गठित समिति की बैठकों का आयोजन नियमित किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कितनी बैठकें आयोजित की गयी है व उक्त में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की पूर्ण स्थिति क्या रही?

(3) क्या यह सही है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी यातायात नियमों से प्रशिक्षण प्राप्त है? शहर में यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु पुलिस प्रशासन किन-किन योजनाओं का विचार रखता है?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पृथक से कोई कन्ट्रोल रूम नहीं है, बल्कि यातायात पुलिस थाना वर्ष 1977 से स्थापित है। उक्त थाने में एक उप निरीक्षक एक सहायक उप निरीक्षक, चार हैड कांस्टेबल तथा 28 कांस्टेबल पद आसीन है। पांच

(गृह मंत्री)

कांस्टेबलों में पद रिक्त है। पदवार सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। श्रीगंगानगर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वर्ष 1999 से निरन्तर बैठकें हुई हैं। हाल ही में दिनांक 20.2.2002 को हुई बैठक में निर्णय किया गया कि श्रीगंगानगर शहर की यातायात सुधार व्यवस्था के अन्तर्गत ट्रेफिक लाइट सिंग्नल आवारा पशुओं की रोकथाम, कार पार्किंग, टेलीफोन, बिजली के तारों का सही रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में नगर परिषद् श्रीगंगानगर को लिखा गया है।

(3) श्रीगंगानगर यातायात थाना में 34 पदस्थापित पुलिस कर्मियों में से चार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ से यातायात प्रशिक्षण शुदा हैं। शेष थाना स्तर पर यातायात नियमों से प्रशिक्षित हैं।

श्रीगंगानगर शहर भोगौलिक दृष्टि से पंजाब राज्य से लगा हुआ है, जो अन्तरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 15 श्रीगंगानगर शहर से पंजाब प्रान्त में जाता है। जिसके भारी यातायात दबाव के कारण प्रश्न के बिन्दु संख्या दो में किये जा रहे उपायों के सम्बन्ध में नगर परिषद् श्रीगंगानगर को लिखा गया है। श्रीगंगानगर शहर में निश्चित स्थानों पर टेक्सी स्टेण्ड पार्किंग स्थल की व्यवस्था, शहर में सड़कों पर लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से किये गये अतिक्रमण को हटाना, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु सड़कों को चौड़ी करना, सड़कों की टूटफूट सुधार सम्बन्धी कार्यवाही हेतु आयुक्त नगरपरिषद्, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं जिला परिवहन अधिकारी श्रीगंगानगर को उपयुक्त कार्यवाही के लिये अनुरोध किया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला बाड़मेर के थानों में दर्ज मुकदमे

278. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष में जिला बाड़मेर में थानेवार कुल कितने मुकदमे दर्ज किये गये? उक्त में से कितनों में चालान पेश किये गये तथा कितने अदमवकू और अदम सबूत अंतिम रिपोर्ट दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2001 व 28.2.2002 तक बाड़मेर जिले के विभिन्न थानों में कुल 3181 अपराध पंजीबद्ध हुए है, जिनमें 2203 प्रकरणों में चालान, 627 प्रकरणों में एफ.आर. अदमवकू व 3 प्रकरणों में एफ.आर. अदम सबूत दी गई है। 348 प्रकरण जैर तफतीश पुलिस है। थोनवार सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला वन अधिकारी गंगानगर व हनुमानगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

279. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

(1) क्या जिला वन अधिकारी श्री करमाराम काला गंगानगर के विरुद्ध गत 10 वर्षों में राज्य सरकार या प्रशासन को कोई शिकायतें उनके द्वारा भ्रष्टाचार करने की मिली है? यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें मिली? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा जांच की गई? यदि हां, तो जांच का क्या-क्या नतीजा रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या किसी जांच में श्री काला दोषी पाये गये? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला वन अधिकारी हनुमानगढ़ श्री हंसराज के विरुद्ध भी सरकार को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्री हंसराज व उनके अधीन फ्लाइंग रीम व रेंजरों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतें अन्य माध्यमों से भी सरकार के ध्यान में आई हैं? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

(5) क्या यह सही है कि उक्त ने उक्त भ्रष्टाचार उजागर करने के पीछे शक श्री बलवंत सिंह वनपाल पर किया? क्या उक्त अधिकारी ने 10 माह की अवधि में रंजिश निकालने एवं उसे परेशान करने की नीयत से 12 स्थानान्तरण आदेश जारी किये? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

(6) क्या यह सही है कि श्री बलवंत सिंह वनपाल के विरुद्ध कोई अनुशासनहीनता की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है? यदि हां, तो फिर क्या कारण था कि अल्प वेतनभोगी कर्मचारी को सरकार की नीति के विरुद्ध उसके गृह जिले के बाहर दूर जैसलमेर स्थानान्तरण किया गया?

(7) क्या यह सही है कि श्री करमाराम काला व श्री हंसराज का स्थानान्तरण सरकार ने उनके विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किया था? यदि हां, तो क्या कारण रहे कि उनके स्थानान्तरण रद्द करने पड़े?

उत्तर

(1) जी हां। श्री करमाराम काला उप वन संरक्षक गंगानगर के विरुद्ध गत 10 वर्षों में प्राप्त भ्रष्टाचार करने सम्बन्धी, शिकायतों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार कालम संख्या 2 व 3 अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त शिकायतों पर की गई जांच एवं पाये गये नतीजों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 4 के अनुसार वर्णित कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) श्री हंसराज उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की चार शिकायतें परिशिष्ट "ब" अनुसार प्राप्त हुई इनमें से तीन शिकायतों की जांच करने पर शिकायतें झूठी एवं निराधार पाई गई है। इन

(राज्य मंत्री, वन)

तीनों जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न परिशिष्ट "क" परिशिष्ट "ख" एवं परिशिष्ट "ग" अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है। एक शिकायत पर जांच मुख्य वन संरक्षक बीकानेर द्वारा की जा रही है।

(4) श्री हंसराज उप वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ के विरुद्ध अप्रैल, 1999 से अब तक सम्मिलित रूप से भ्रष्टाचार की विभिन्न शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का शिकायतों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" में दर्शाया गया है।

(5) बलवंत सिंह वनपाल नाम का कोई वनपाल हनुमानगढ़ वन मण्डल में कार्यरत नहीं रहा है अतः आदेश जारी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(6) बलवंत सिंह वनपाल नाम का कोई वनपाल नहीं है अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने अथवा हनुमानग सरवसे जैसलमेर स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(7) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहायक वन संरक्षक जयपुर के विरुद्ध कार्यवाही

280. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक वन संरक्षक जयपुर द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2000 को बिना टी. पी. चन्दवाजी जयपुर के पास जब्त किये गये कोयले के ट्रक काण्ड में वन विभाग के लगभग 8 अधिकारी/कर्मचारियों को दिनांक 11 अप्रैल, 2000 को लाइन हाजिर किया गया? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जब्त ट्रक काण्ड में करायी गयी विभागीय जांच में उक्त सभी कर्मचारी निर्दोष पाये गये तथा 6 माह पश्चात् ही उक्त सहायक वन संरक्षक को ड्यूटी पर ले लिया गया? यदि हां, तो आडिट आपत्तियों के पश्चात् भी अभी तक बकाया कर्मचारियों को दो वर्ष से ड्यूटी पर नहीं लेने के क्या कारण हैं?

(3) अब उक्त कर्मचारियों को कब तक ड्यूटी पर ले लिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.4.2000 की अनुपालना में राजस्थान वन सेवा के 1 अधिकारी तथा 7 अधीनस्थ वन सेवा के कर्मियों को अटैच किया गया था। इनके विरुद्ध राजस्थान जूलीफ्लोरा उन्मूलन संघ द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र मय हल्फनामा की प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मामले की गम्भीरता को देखते हुये प्रकरण की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से पुनः जांच करवाने की कार्यवाही की जाने से फिलहाल कर्मचारियों को अटैच रखा जाना ही उचित है। राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार

(राज्य मंत्री, वन)

निरोधक विभाग से पुनः नये सिरे से जांच करवाई जा रही है। शेष कर्मचारियों को पुनः करवाई जा रही जांच के परिप्रेक्ष्य में अटैच रखा गया है।

(3) जांच की कार्यवाही पूर्ण होने पर जांच के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(हलफनामा की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील फागी (जयपुर) में पेड़ों की अवैध कटाई

281. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सामाजिक वानिकी योजना के तहत तहसील फागी (जयपुर) के पंचाल पंचायत के साबा के पास में पंचायत की करीब 40 बीघा गोचर भूमि पर विभिन्न किस्म के पौधे लगाये थे? यदि हां, तो उक्त पर लगाये पौधों का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गोचर भूमि पर लगभग 10 हजार पौधे बन कर यह श्रेष्ठ सामाजिक वानिकी योजना नर्सरी के रूप में जानी जाती रही है?

(3) क्या कुछ समय पूर्व अधिकांश पेड़ काट लेने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने कोई जांच के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

(4) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति फागी (जयपुर) की ग्राम पंचायत पंचाला के ग्राम साबा के बास की गोचर (चरागाह) भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया था। वितरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) साबा का बास का वृक्षारोपण एक सफल वृक्षारोपण के रूप में पनप गया था और विभाग के अच्छे वृक्षारोपणों की श्रेणी में आता था।

(3) पनपे हुये उक्त वृक्षारोपण दिनांक 9.2.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत पंचाला को सम्भला दिया गया था। सम्भलाते वक्त वृक्षारोपण में 11015 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष मौजूद थे। इस वृक्षारोपण के वृक्षों के काटे जाने की जिला कलक्टर को प्राप्त शिकायत की जांच की जाने पर संरपच ग्राम पंचायत पंचाला श्रीमती चमेली देवी को दोषी पाया गया। साथ ही वन विभाग के क्षेत्रीय श्री दयाल सिंह राठौड़ तथा वन रक्षक मांगे राम को भी परिवेक्षीय शिथिलता पायी गयी है।

(4) वन विभाग द्वारा मौके के वन रक्षक श्री मांगेराम एवं तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी फागी श्री दयाल सिंह राठौड़ को इस सम्बन्ध में आरोप पत्र दे दिये गये हैं। तत्कालीन संरपच के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर जयपुर को दिनांक 27.6.2001 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(राज्य मंत्री, वन)

जिला परिषद जयपुर को दिनांक 21.11.2001 को लिखा गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

उपखंड प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) की सहकारी संस्थाओं द्वारा राशन सामग्री का वितरण

282. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड प्रतापगढ़ क्षेत्र में उचित मूल्य की सामग्री सहकारी समितियों, लेम्पस, पेक्स अथवा लक्ष्मी क्रय विक्रय द्वारा की जाती रही है? यदि हां, तो उक्त सहकारी संस्थान होने के बावजूद प्राइवेट संस्था को उपभोक्ता सामग्री वितरण का दायित्व किन-किन गांवों में किस-किस व्यक्ति को कब से दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सुहागपुरा पंचायत समिति प्रतापगढ़ में लम्बे समय से उचित मूल्य की खाद्य सामग्री, खाद बीज सुहागपुर लेम्प द्वारा वितरण किया जाता रहा है? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था को क्यों कर बदला गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सहकारी समितियों ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आवंटन उठाने हेतु आवेदन नहीं किया तथा त्याग पत्र दे दिया। इस कारण उचित मूल्य की सामग्री उपभोक्ताओं में वितरित करने का दायित्व प्राइवेट डीलर्स को दिया गया जिनका वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) लेम्पस सुहागपुरा के विरुद्ध नियंत्रित सामग्री नहीं उठाने, दुकान नियमित रूप से समय पर नहीं, खोलने, आवंटन लेप्स कराने जैसी शिकायतें प्राप्त होने तथा लेम्पस द्वारा स्वयं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण व्यवस्था अन्य के माध्यम से कराने का निवेदन करने के कारण जनहित में व्यवस्था में बदलाव किया गया था, परन्तु वर्तमान में पुनः लेम्पस द्वारा निवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी के आदेश से उनका प्राधिकार-पत्र बहाल कर कार्य आरंभ कराया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें

283. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में कितनी आबादी के राजस्व गांव में सस्ते अनाज व अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु राशन की दुकानें खोलने की सीमा निर्धारित है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बाद पंचायत समिति द्वारा उसके अनुमोदन होने पर राशन की दुकानें जिला रसद अधिकारी द्वारा खोली जानी चाहिये? यदि हां, तो क्या वर्तमान राशन की दुकान से अति दूरस्थ 5 किलोमीटर की अवधि की

(श्री हीरासिंह चौहान)

सीमा से भी दूर राजस्व गांव कालाकोट, मालनी बलपुरा सीरमा, मेगदडां, नारपुरा (गिरी), बेलपानाहाथीभाटा (चित्तोड़) बड़ी पोल (चांग), बर रेल (बर), रामगढ़, सैंडोतान, सराधना, नाहरखेड़ा (चित्तोड़), झाडली (विराटिया खुर्द), कुडाल (बूंटीवास), वाफोला (कलालिया), इजौडिया (कानूजा), वायामीला (झांला की चौकी) व जैतपुरा (झाला की चौकी), समस्त राजस्व गांव तहसील रायपुर तथा सोजत तहसील के राजस्व गांव रायरा खुर्द, खरजीखेड़ा, पोकरियों की नाड़ी, खारचिया बेरा (सांडिया), रुन्दिया (बोयल), नाथलकूडी, खेजडी का बाला, सांडमगरा, पुरोहितों की ढाणी (दौनडी) इत्यादि गांवों में से कहां-कहां राशन की दुकानें खुली हुई हैं तथा कहां-कहां पर खोलने की कार्यवाही चल रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी स्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को योजनानुसार प्रतिमाह अनाज वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो किस माध्यम से? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में उचित मूल्य की दूकान व्यवहारिकता के आधार पर खोलने हेतु जिला कलक्टरों को अधिकृत कर दिया गया है।

(2) जी हां। उचित मूल्य की दूकान खोलने के लिये दूरी का कोई माप दण्ड नहीं है। तहसील रायपुर एवं सोजत के उल्लेखित राजस्व गांवों एवं ढाणियों में राशन सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु सम्बन्धित दुकानों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। इनके अतिरिक्त और कहीं राशन की दुकान खोलने की कार्यवाही नहीं चल रही है।

(3) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, पाली के माध्यम से अनाज का वितरण किया जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

सहकारी सेवाओं में चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति

284. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान सहकारी सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में किस-किस व्यक्ति का चयन हुआ? चयनित व्यक्ति का नाम, पदनाम, पिता का नाम, स्थाई पता, जाति की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान सहकारी सेवा वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित व्यक्ति का नाम, पदनाम, पिता का नाम, स्थायी पता, जाति की जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जिला नागौर की कार्यरत सहकारी समितियों में अनियमितता

285. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(1) वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिला नागौर में कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर सदस्य संख्या सहित रखें।

(2) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर एवं अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कहा-कहां, कितनी-कितनी राशि का गबन हुआ? उक्त में कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गबन प्रकरणों में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1992-93 से 2001-02 तक की अवधि में कार्यरत रही ग्राम सेवा सहकारी समितियों की वर्षवार सूची उनके सदस्य संख्या सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नागौर के संदर्भ में हुई वैधानिक आडिट, निरीक्षण इत्यादि में गबन सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। इस अवधि में जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संदर्भ में आरोपित धन राशि के गबन-दुरुपयोग की राशि एवं दर्ज प्रकरणों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरणों में दोष आरोपित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई हैं का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य की पंजीकृत सहकारी संस्थाएं

286. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में वर्तमान में पंचायत समितिवार कल सहकारी संस्थाओं की संख्या क्या है तथा उक्त संस्थाओं में कुल सदस्यों की संख्या क्या है?

उत्तर

31.3.2002 की संकलित सूचनाओं के आधार पर राज्य में पंचायत समितिवार क्षेत्रों में सहकारी समितियों की संख्या 16033 हैं जिनमें 6594701 सदस्य हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पेंशनर्स के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण

287. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पेंशनर्स द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा अनुपलब्ध दवाइयों का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के आधार पर बाजार से खरीदी गई दवाइयों के बिलों का गत तीन माह से पुनर्भरण नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री ललित भाटी)

(2) क्या सरकार अब पेंशनर्स को तुरन्त दवाइयों का पुनर्भरण करने एवं भविष्य में भी समय पर पुनर्भरण करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। इस प्रकार की व्यवस्था को सतत् रूप से बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में दवाई की दुकानों की चयन प्रक्रिया

288. श्री राजेन्द्र सिंह (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. की कितनी एलोपैथिक मेडिकल ब्रांचेज हैं ? नामवार व पतेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में जहां राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. की एलोपैथिक मेडिकल ब्रांचेज नहीं है क्या वहां निजी मेडिकल स्टोर/दुकानों को पेंशनर्स के लिये अधिकृत कर रखा है ? यदि हां, तो उनकी सूची नाम व पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निजी मेडिकल दुकानों की पेंशनर्स के लिये अधिकृत करते समय राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा कोई चयन प्रक्रिया अथवा निविदा प्रक्रिया अपनायी जाती है ? यदि हां, तो अपनायी जाने वाली प्रक्रिया व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रक्रिया के तहत अलवर जिले के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में किसी निजी मेडिकल दुकान को पेंशनर्स के लिये अधिकृत कर रखा है ? यदि हां, तो किसको ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त निजी मेडिकल दुकान को ही अधिकृत करने का क्या आधार रहा ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. की कोई एलोपैथिक मेडिकल ब्रान्च नहीं है।

(2) अलवर जिले में जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष "राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना" द्वारा निम्नानुसार पेन्शनर्स के लिए निजी एलोपैथिक मेडिकल दुकानों को अधिकृत कर रखा है :—

क्र.सं.	नाम	पता
1	2	3
1.	इंडियन मेडिकल हाल	बहरोड़
2.	अशोका मेडिकोज	बानसूर
3.	गुप्ता मेडिकल हाल	मुण्डावर
4.	राव मेडिकल हाल	कोटकासिम
5.	अमर मेडिकल हाल	तिजारा
6.	परनामी मेडिकल हाल	किशनगढ़ बास
7.	अतुल मेडिकल हाल	कठूमर
8.	जगदीश मेडिकल स्टोर	खैरली
9.	अग्रवाल मेडिकल हाल	राजगढ़
10.	मामोडिया मेडिकल हाल	थानागाजी

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3
11.	यादव मेडिकल स्टोर	खैरथल
12.	राज मेडिक्योर	रामगढ़
13.	हर्ष मेडिकोज	राजगढ़
14.	राज मेडिक्योर	लक्ष्मगढ़
15.	चौधरी मेडिकल हाल	गोविन्दगढ़
16.	मै. राजस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन	अलवर

(3) वर्तमान में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा पेंशनर्स के लिए किसी निजी मेडिकल दुकान को अधिकृत नहीं किया हुआ है।

(4) राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजनान्तर्गत जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना अलवर द्वारा लक्ष्मगढ़ में पेंशनर्स के लिए मैं. राज मेडिक्योर लक्ष्मणगढ़ को अधिकृत कर रखा है। मै. राज. मेडिक्योर को निगोसिएशन उपरांत निविदा कमेटी ने मै. राज मेडिक्योर द्वारा अधिकतम छूट दिये जाने के आधार पर पेंशनर्स के लिए अधिकृत किया है।

स्पिन फैड यूनिट भीलवाड़ा के कर्मियों को निर्वाह भत्ता

289. श्री रतनलाल जाट (सराड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्पिन फैड यूनिट गंगापुर (भीलवाड़ा) में उत्पादकता एवं गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु क्या प्रयत्न किये जा रहे है? कार्डिग व रिंग फ्रेम मशीन नई क्रय एवं मरम्मत के लिए टी.यू.एफ.एस. योजना के ऋण की क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार उक्त यूनिट में यूनिट स्तर पर रुई क्रय एवं सूत विक्रय के अधिकार दिये जाने पर माह नवम्बर व दिसम्बर में यूनिट रोकड़ लाभ की ओर अग्रेसित हुई? यदि हां, तो प्रधान कार्यालय द्वारा उक्त अधिकार वापस क्यों लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) श्रमिकों के ले आफ व रिटर्न जिस श्रमिक द्वारा एक बार वर्ष में 240 दिन पूर्ण करने के पश्चात् निर्वाह भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या वर्ष 2001 में प्रबन्धकीय लापरवाही से मशीनें बन्द की गई?

(4) लगभग 15 वर्षों के सेवाकाल के बावजूद स्टाफ कर्मचारियों को अग्रिम ग्रेड एवं प्रमोशन क्यों नहीं दिये जा रहे हैं? क्या राज्य सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की किस्तें व एरियर भी नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त इकाई में अनियमितता सम्बन्धी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें मिली है? उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यूनिट गंगापुर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु यूनिट की रिंग फ्रेम, कार्डिंग, सिम्पलेक्स मशीनों के स्पेयर्स

(सहकारिता मंत्री)

फण्ड्स की उपलब्धता के आधार पर बदले जा रहे हैं।

यूनिट की आवश्यकतानुसार टी.यू.एफ. योजना के तहत ऋण की कार्यवाही हेतु आल इंडिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स फैडरेशन लि. मुम्बई (एफकोस्पिन) के माध्यम से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही जारी है।

(2) जी नहीं। माह नवम्बर व दिसम्बर में यूनिट को क्रमशः 5.03 एवं 82 लाख रुपये रोकड़ लाभ हुआ। उसका सम्बन्ध क्रय विक्रय के अधिकार यूनिट स्तर पर देने से सम्बन्धित नहीं होकर मार्केट की परिस्थितियों, कच्चे माल की लागत, बाजार की व्यापारिक शक्तियों पर आधारित है।

(3) प्रशासनिक एवं वित्तीय वित्त को दृष्टिगत रखते हुए ही फैडरेशन स्तर पर समय-समय पर इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जाता है। -240 दिन पूर्ण करने वाले श्रमिकों को नियमानुसार ले-आफ का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2001 में प्रबन्धन की लापरवाही से कोई भी मशीन बन्द नहीं रही है।

(4) जी हां। फैडरेशन में चयनित वेतनमान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण कर्मचारियों को अग्रिम ग्रेड नहीं दी गई है तथा संस्था की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कर्मचारियों को प्रमोशन जनवरी, 2001 से बकाया महंगाई भत्ते की किस्त एवं जुलाई, 2000 हेतु घोषित एवं फैडरेशन कर्मचारियों को दी गई महंगाई भत्ते की किस्त के एरियर का भुगतान नहीं दिया जा सका है।

(5) इकाई में अनियमितता सम्बन्धी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है जिनमें से कुछ की जांच की जा चुकी है व शेष पर जांच करवाई जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

पंचायत समिति बीकानेर द्वारा स्वीकृत राहत कार्य

290. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बीकानेर क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कौन-कौनसे कार्य आकल राहत कार्यों के तहत सम्वत 2057 में कब-कब स्वीकृत किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्त ग्राम पंचायतों में कार्य कब-कब से प्रारम्भ हुआ? उक्त समस्त कार्यों पर कब-कब श्रमिक बढ़ाये गये एवं उक्त समस्त कार्यों पर पाक्षिक भुगतान कितना-कितना प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा किया गया? कार्य विवरणानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये अलग-अलग कार्यों पर श्रमिकों की पाक्षिक मजदूरी क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(4) ग्रेवल सड़कों तथा तालाब खुदाई पर कार्यरत श्रमिकों के भुगतान रेट में अन्तर का क्या कारण रहा ?

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा कौन-कौनसी ग्रेवल सड़क पर कितना-कितना भुगतान श्रम व सामग्री पर किया गया ?

(6) अकाल राहत कार्यों के तहत कौन-कौनसे कार्यों का श्रम व सामग्री का भुगतान बकाया रहा है ?

(7) अकाल राहत कार्यों के तहत कौन-कौन से कार्य अधूरे रह गये ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बीकानेर के पंचायतवार स्वीकृत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) स्वीकृत कार्य कब-कब प्रारम्भ हुए का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम 5 में, बढ़ाये गये श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम सं6 से 9 में तथा पाक्षिक भुगतान सम्बन्धी सूचना कालम 10 से 20 में अंकितानुसार है।

(3) ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों की पाक्षिक भुगतान सूचना परिशिष्ट-1 के कालम 10 से 20 तक अंकितानुसार है।

(4) ग्रेवल सड़कों तथा तलाई खुदाई के भुगतान दरें काफी समान रही है। कई जगह सड़क निर्माण कार्य पर भी श्रम दर कम रही। श्रमिकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य नहीं करना, कार्य में रुचि नहीं लेना आदि के कारण दरों में असमानता रही है।

(5) ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित कार्यों पर तकनीकी प्रमाण-पत्रों के आधार पर श्रम सामग्री का भुगतान परिशिष्ट-1 के कालम 21 व 22 में अंकितानुसार किया गया है।

(6) पंचायत समिति बीकानेर में अकाल राहत कार्यों के तहत कोई श्रम व सामग्री का भुगतान बकाया नहीं है।

(7) पंचायत समिति बीकानेर में अकाल राहत के तहत अधूरे रहे कार्य परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 2 में अंकितानुसार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालयों में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र सांचौर के अपूर्ण राहत कार्य

291. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्वत् 2057 के दौरान जिला जालौर में अकाल राहत के तहत करवाये जाने वाले कार्यों में से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में कितने अपूर्ण कार्य रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें ? उक्त कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण है ?

(2) उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यवार कुल कितनी राशि की आवश्यकता रहेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु सरकार क्या व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभाव सम्वत् 2057 में जालौर जिले में करवाये गये राहत कार्यों में से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में अभाव स्थिति समाप्त होने के कारण 67 कार्य अपूर्ण रहे थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) अपूर्ण रहे 67 कार्यों में से 20 कार्य लोक जुम्बिश बजट विधायक कोटे तथा ई.ए.एस. योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराये गये, तथा एक कार्य काश्तकारों के आपसी मतभेद के कारण निरस्त किया गया तथा वर्तमान में 7 कार्य लोक जुम्बिश बजट तथा आई.आर.डी.एफ. के तहत चालू है तथा कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार 39 कार्य वर्तमान में अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक राशि का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-II)

(3) अपूर्ण रहे कार्यों को अभाव स्थिति घोषित होने के उपरान्त चालू कराये जाने वाले राहत कार्यों के अन्तर्गत प्राथमिकता से कराये जाने पर विचार किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला नागौर में कस्टोडियन भूमि

292. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूडंवा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कस्टोडियन की भूमि व मकान कितने हैं?

(2) उक्त भूमि व मकान किन-किन के कब्जे में है?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि व मकानों को कब्जाशुदा व्यक्तियों के नाम करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में कस्टोडियन भूमि/मकान/दुकान व खानों का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	नाम तहसील	कृषि भूमि	मकान	दुकाने	खाने
1.	नागौर	1078.02	77	2	—
2.	जायल	734.07	6	—	—
3.	डीडवाना	4043.09	—	—	—
4.	डेगाना	—	13	—	—
5.	लाडनूं	294.15	—	—	—
6.	नावां	197.07	21	3	—
7.	परबतसर	—	3	—	—
8.	मकराना	—	67	3	12
9.	मेड़ता	—	18	—	—
	योग :—	**6347.10**	**205**	**8**	**12**

(सहायता मंत्री)

(2) उक्त कस्टोडियन भूमि व मकानों पर कब्जा धारियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(3) मकान व प्लाट्स (सम्पत्तियों) के निस्तारण के लिये "राजस्थान अधिशेष नियम निष्क्रान्त सम्पत्ति व्ययन नियम-1975 "प्रचलित हैं जो परिशिष्ट "स" पर संलग्न हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के राहत कार्य

293. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 में चारा डिपो कहां-कहां खोले गये? उक्त चारा डिपो को किस-किस दर से कितना-कितना चारा कब-कब उपलब्ध करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कौन-कौन से अकाल राहत कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? उक्त में कौन-कौन सा कार्य अपूर्ण रहा? क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को वर्ष 2002 में पूर्ण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2002 में उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है? सरकार उक्त गांवों में कौन-कौन से अकाल राहत कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 की अवधि में चारा डिपो स्वीकृत नहीं किये गये।

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में स्वीकृत राहत कार्य तथा अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-I व II)। अपूर्ण कार्यों को अभाव स्थिति की घोषणा के उपरान्त ही पूर्ण कराये जाने बाबत कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जिला कलक्टर बून्दी से प्राप्त फसल गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उन्होंने किसी प्रकार का फसल नुकसान नहीं होने बाबत सूचना भेजी है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कच्चा बांध पुराना आमेर रोड जयपुर में स्थापित इकाई द्वारा प्रदूषण

294. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आवासीय कालोनियों में वातावरण को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों/तेल मिल/कारखाने इत्यादि संचालित किया जाना कानूनन सही है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

(2) क्या कच्चा बंधा/पुराना आमेर रोड, जयपुर पर ऐसी वातावरण को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियां/तेल मिल/ कारखानें संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां तो सूची मय फर्म के नाम, मालिक का नाम, सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कारखानों/तेल मिलों ने पर्यावरण विभाग से कारखाना चलाने का अनुज्ञा-पत्र ले रखा है? यदि हां, तो कब से? अनुज्ञा-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों/तेल मिलों को आबादी/ आवासीय कालोनियों से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवासीय कालोनी में वातावरण को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों तेल मिल/कारखानें इत्यादि को संचालित करने बाबत निषेद्ध नहीं किया गया है। जल एवं वायु अधिनियम सम्पूर्ण राज्य में समान रूप से लागू हैं।

नगर निगम जयपुर में इस बाबत उप नियम बने हुये हैं। इनके तहत आवासीय क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के लिये लाईसेन्स दिये जाने का प्रावधान है।

(2) कच्चा बन्धा पुराना आमेर रोड पर निम्न फैक्ट्रियां हैं :—(1) त्रिपति बालाजी एण्ड कम्पनी के नाम से तेल मील संचालित की, जिसके मालिक श्री लाल चन्द हैं, जो वर्तमान में 7-8 माह से बन्द हैं। (2) श्री प्रेम आयल मिल जिसके मालिक श्री प्रेम चन्द थे। उक्त उद्योग 1980 से बन्द है। (3) चौहान तेल घाणी दुकान नम्बर 268 में स्थापित है जिसके मालिक बाबूखों पुत्र दीन मोहम्मद है।

उक्त उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है जिसमें जल एवं वायु प्रदूषण होने की सम्भावना नहीं है।

(3) जी, नहीं। प्रश्न के भाग दो के उत्तर में दर्शाई गई तीन उद्योगों में से दो उद्योग बंद है तथा चौटान तेल धाणी कुटीर उद्योग है जिसमें जल एवं वायु प्रदूषण होने का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनुज्ञा पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी, नहीं। प्रश्न के भाग तीन में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजातियों का रिक्त बैकलाग

295. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विभाग में सभी संवर्गों के कितने-कितने पद सृजित हैं और उक्त पदों पर अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के कितने

(श्री नाथूराम अहारी)

व्यक्ति कार्यरत हैं? संवर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विभाग में सभी संवर्गों में सृजित पदों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं?

(3) क्या विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सभी पदों पर उक्त जातियों के व्यक्ति नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो कितना बैकलाग कब से चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विभाग में नियुक्तियों एवं पदोन्नति में बैकलॉग को पूरा करने के लिए कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये हैं और उसके क्या परिणाम रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग में आरक्षित पदों पर उक्त जातियों के व्यक्तियों के अलावा सामान्य वर्ग से नियुक्तियां की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग में सृजित संवर्गवार पदों का विवरण एवं कार्यरत अ.ज/ज. जा. के वर्ग के व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैं :—

सवर्ग	सृजित पद	कार्यरत	
		अ. जा.	ज. जा.
1. राजपत्रित सेवा	66	9	5
2. अधीनस्थ सेवा	179	21	7
3. मंत्रालयिक सेवा	168	20	7
4. च. श्रे. क. सेवा	157	43	14

(2) राज्य सरकार के नियमानुसार सृजित पदों में अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत पद आरक्षित है।

(3) विभाग में संवर्गवार चल रहे बैंकलाग का विवरण निम्नानुसार है :—

सवर्ग	अनु. जाति	अज. जाति	वर्ष
1. राजपत्रित सेवा	2	2	1998-99
2. अधीनस्थ सेवा	8	8	1998-99
3. मंत्रालयिक सेवा	7	10	1998-99
4. च. श्रे. क. सेवा	—	—	1998-99

(राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क)

(4) नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है। पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने बाबत स्वीकृति हेतु मंत्री मण्डलीय उप समिति को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। स्वीकृति मिलने पर करवाई की जा सकेगी।

(5) जी नहीं।

निलम्बित कर्मियों की बहाली

296. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में अनुसूचित जन जाति के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को राज्य सेवा से बरखास्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को न्यायालय के आदेशों से राज्य सेवा में बहाल किया गया था? यदि हां, तो दुबारा सेवा से बरखास्त क्यों किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को राज्य सेवा में पुनः बहाल करने के लिए विधि विभाग एवं विधि सचिव की राय ली गई थी? यदि हां, तो राय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सजा पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया था? यदि हां, तो सेवा से बरखास्त किन कारणों से किया गया।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी हां। न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने के कारण राज्य सेवा से हटाया गया है।

(2) उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के दण्ड आदेश को स्थगित करने के कारण राज्य सेवा में बहाल किया गया। यह सही है कि बहाल किया गया लेकिन दण्डादेश स्थगित होने पर सेवा में बहाल करने के बारे में नियमों में स्पष्ट निर्देश न होने के कारण दुबारा सेवा से हटाया गया।

(3) जी हां। कार्यालय टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। च. श्रे. क. को बरखास्त नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा दोष मुक्त नहीं करने के कारण उन्हें सेवा से हटाया गया।

(5) प्रकरण विचाराधीन है।

(कार्यालय टिप्पणी की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निगम द्वारा नवीन बसों की खरीद

297. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी, किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी लागत की बसें क्रय की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। गत तीन वर्षों में निगम को कितनी आय हुई व कितना व्यय करना

(श्री सांवरलाल)

पड़ा? आमदनी एवं कितना खर्चा किया गया है?

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने विगत 5 वर्षों में कितनी बसों को डिस्पोज किया गया? डिस्पोज किस आधार पर की जाती है?

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र की बसों की दयनीय हालत को दृष्टिगत रखते हुये उनकी दशा सुधारने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बसें क्रय नहीं की जाती, अपितु चैसिस क्रय किये जाते हैं। विगत तीन वर्षों (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002) फरवरी, 2002 तक) में क्रय किये गये चैसिस का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "1" पर उपलब्ध है।

गत तीन वर्षों में निगम के हुई आय का विवरण निम्न प्रकार है :

(राशि लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
1999-2000	53063	60442
2000-2001	58807	67368
2001-2002	56232	61705
(फरवरी, 2002 तक)		

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विगत पांच वर्षों (1997-98 से 2001-2002 फरवरी 2002 तक) में 2432 बसों को नकारा किया गया। बसों को निगम की निर्धारित नीति अनुसार 7 वर्ष या 6 लाख कि.मी. साथ ही भौतिक स्थिति एवं नोन वायबलिटी के आधार पर नकारा किया जाता है।

(3) जी हां।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

परिवहन निरीक्षक महुवा (दौसा) द्वारा अनियमितताएं

298. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निरीक्षक महुवा (दौसा) द्वारा वाहन चैंकिग के दौरान आर. जे.-29 टी0111 को उपयोग में ले रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या परिवहन विभाग द्वारा उक्त जीप को किराये पर ले रखा है? यदि हां, तो निविदा के बाद उक्त जीप के मालिक को दिये गये कार्य आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्राइवेट जीप पर नीली बत्ती लगी हुई है तथा उस पर उड़न दस्ता परिवहन विभाग भी लिखा हुआ है? यदि हां, तो निजी वाहन मालिक ने उक्त सब अवैध कार्यवाही किस हैसियत से तथा किसके निर्देश से कर रखी है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जीप का मालिक व्यक्ति विशेष के लोगों को परेशान करने, परिवहन निरीक्षक के साथ अवैध वसूली करता है? क्या उक्त सम्बन्ध में

(डा. किरोड़ी लाल)

शिकायत बार-बार की गई फिर भी उक्त वाहनधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

(5) उक्त जीप से परिवहन निरीक्षक महुवा द्वारा दिनांक 4-12-2001 को कौन-कौन से वाहन किस-किस कारण से कहां-कहां जप्त किए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जीप मालिक जो सांठ-गांठ कर रंजिश से जनता से अवैध वसूली करा रहे हैं उनके विरुद्ध विभाग कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। परिवहन निरीक्षक, महुवा (दौसा) द्वारा इस वाहन की वाहन चैंकिग के लिए दिनांक 17.7.2001 से उपयोग में लिया जा रहा है।

(2) जी हां। उक्त जीप अनुबन्ध के आधार पर किराये पर ली गई है। यह अनुबन्ध प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा एवं अनुबन्धकर्ता के बीच है। अनुबन्धकर्ता द्वारा यह वाहन उपलब्ध कराया गया है। अनुबन्ध की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। इस वाहन पर नीली बत्ती लगी हुई है तथा वाहन पर विभागीय उड़न दस्ते का नम्बर व विभाग का नाम भी लिखा गया है। चूंकि जीप अनुबंध के आधार पर वाहन चैंकिंग कार्य हेतु उड़नदस्तों द्वारा उपयोग में ली जा रही है, जो राजकीय आदेशों के अनुरूप है।

(4) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है।

(5) दिनांक 4.12.2001 को उक्त जीप से परिवहन निरीक्षक महुवा द्वारा वाहन संख्या आर.एन.सी. 1338 का चालान कर जप्त किया गया, जो महुवा थाने में जप्त है, जिन अपराधों के कारण इस वाहन को जप्त किया गया, वह निम्नानुसार है :—

1. वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र न होना।
2. वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र न होना।
3. परमिट न होना।
4. बीमा न होना।
5. टोकन एवं कर जमा न होना।
6. चालक लाइसेन्स न होना।
7. पोल्यूशन अण्डर कन्ट्रौल सर्टिफिकेट न होना।

(6) इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(अनुबन्ध की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में निगम बस सेवा

299. डा. कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राज्य पथ परिवहन निगम की बस संचालन के लिए कुल कितने प्रार्थना-पत्र, शिकायती पत्र एवं जन

(डा. कन्हैया लाल)

प्रतिनिधियों के पत्र सरकार को प्राप्त हुए? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर से ठीकरिया गूजरान वाया चाकसू रुट पर 6 बसें चलाने बाबत एवं जयपुर से लालगढ़ तहसील बस्सी के लिए गत 20 वर्षों से चलाई जा रही रात्रि बस सेवा जो वर्तमान में बन्द है को पुनः चलाने के लिए सरकार को लिखित पत्र मिले हैं? क्या सरकार उक्त मार्गों पर बस सेवा उक्तानुसार प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस अवधि में 4 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। तत्सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 1,2,3,4)

(2) इन प्रार्थना पत्रों पर निगम स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "5" पर संलग्न है।

(3) जयपुर से ठीकरिया गूजरान वाया चाकसू के लिये कोई लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुये तथा जयपुर से लालगढ़ तहसील बस्सी के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है।

जयपुर से ठीकरिया गुजरान वाया चाकसू मार्ग पर एक रात्रि विश्राम संचालित बस सेवा को परिवर्तनशील लागत से कम आय प्राप्त होने के कारण दिनांक 26.8.2000 से संचालन बन्द किया गया है। उक्त बस सेवा को कम यात्रीभार एवं परिवर्तनशील लागत से कम आय प्राप्त होने के कारण संचालित करने का कोई विचार नहीं है।

जयपुर से लालगढ़ तहसील बस्सी रात्रि विश्राम करने वाली बस को कोठी, माधोगढ़ व गढ़ आदि गांवों के यात्रियों की सुविधार्थ 10 कि.मी. तूंगा तक वृद्धिकृत कर संचालित किया जा रहा है। यह सेवा लालगढ़ के यात्रियों के लिये पूर्व समयानुसार ही उपलब्ध है। इस बस सेवा को वर्ष 2000-2001 की अवधि में 6.61 रु. आय प्रति कि.मी. एवं 39 प्रतिशत यात्रीभार ही प्राप्त हो रहा था। तूंगा तक वृद्धिकरण किये जाने से 2001-2002 की अवधि में इस सेवा की आय प्रति कि.मी. 8.96 रु. व 54 प्रतिशत यात्रीभार प्राप्त हो रहा है। अतः इस सेवा को लालगढ़ तक ही संचालित करने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ब्यावर नगर क्षेत्र में मिनी बसों का संचालन

300. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ब्यावर नगर व उसके आस-पास के क्षेत्रों में सरकार मिनी बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या योजना है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कोई भी आवेदक अगर ब्यावर नगर पालिका क्षेत्र में मिनी बस संचालन करने हेतु स्टेज कैरिज अनुज्ञा-पत्र का आवेदन करता है तो उसे नियमों के प्रावधानानुसार अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकता है। जहां तक ब्यावर नगरपालिका के बाहरी क्षेत्र में सिटी बसें चलाने का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय मार्गों पर अनुज्ञा-पत्र, मार्गों के राष्ट्रीयकरण की स्कीम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकता है तथा अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत होने पर वाहनों का संचालन किया जा सकता है। वर्तमान में ब्यावर नगर एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में मिनी बसों के अनुज्ञा-पत्र का कोई भी आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है।

केकड़ी-अजमेर-जयपुर बसों का डिग्गी में ठहराव

301. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वैशाली नगर आगार जयपुर की समस्त बसें वाया डिग्गी होती हुई केकड़ी-अजमेर जाती है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी-कितनी बसें उनका क्या-क्या समय निर्धारित है? किराये की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त रुट की बसें वाया डिग्गी न होते हुये सीधे ही केकड़ी-अजमेर के लिये प्रस्थान कर रही है? यदि हां, तो क्यों किसके आदेशों से? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार धार्मिक स्थल श्री कल्याणजी डिग्गी को दृष्टिगत रखते हुये पुनः उक्त रुटों की बसों को वाया डिग्गी, टोंक हेतु भिजवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बसों को वाया डिग्गी बन्द करने से धार्मिक यात्रियों एवं रोज आने वाले यात्रियों को भी काफी असुविधा हो रही है? यदि हां, तो उक्त का समाधान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जयपुर से केकड़ी अजमेर वाया डिग्गी कोई बस सेवा संचालित नहीं है। अतः डिग्गी न होते हुये सीधे ही केकड़ी अजमेर के लिये प्रस्थान का कोई प्रश्न नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। धार्मिक स्थल श्री कल्याण जी डिग्गी के लिये जयपुर से केकड़ी व टौंक से मालपुरा वाया डिग्गी पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-1 में उपलब्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

परिवहन निगम में मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पद

302. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक के कितने पद रिक्त है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक के 61 व आशुलिपिक के 9 पद रिक्त हैं।

(2) नियुक्तियों पर पाबन्दी है।

जयपुर बीदासर बस सेवा के किराये की राशि

303. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से बीदासर जाने वाली बस का किराया कम किया गया है? यदि हां, तो पूर्व में किराया कितना था और अब कितना है?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर से रौडु जाने आने वाली बस का किराया कम करने की जनता की मांग के बावजूद किराया कम नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों, जबकि कई अन्य बसों का किराया कम किया गया है?

(3) क्या उक्त बस का किराया अब कम किया जायेगा, यदि हां, तो कब से कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर से बीदासर मार्ग पर संचालित बस का किराया पूर्व में 103.50 रु. था। अब यह किराया 86.00 रु. है।

(2) जी नहीं। निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार किराया कम करने की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में संचालित सेमी डीलक्स सेवा जयपुर से रौडु को पर्याप्त यात्रीभार एवं आय प्राप्त हो रही है, जिसको देखते हुए किराया कम किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

बाटडानाऊ (सीकर) हेतु बस सेवा

304. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर के गांव बाटडानाऊ में जाने हेतु यातायात का कोई साधन नहीं है? क्या सरकार लक्ष्मगढ़-जाजोद से बाटडानाऊ तक राज्य पथ परिवहन निगम की बस लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि बाटडानाऊ, लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर दूर होने से ग्रामवासियों को भारी परेशानियों का सामना

(श्री यशवंत सिंह (रामू))

करना पड़ता है? क्या सरकार ग्रामवासियों की उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुये बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सीकर से बाटडानाऊ जाने का सीधा साधन नहीं है। लक्ष्मणगढ़ से जाजोद बाटडानाऊ सी श्रेणी का कच्चा मार्ग है, अतः राज्य पथ परिवहन निगम की बस लगाने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। बाटडानाऊ ग्रामवासियों को नवलगढ़ मालसी मार्ग की बसें लक्ष्मणगढ़ से बाटडानाऊ पर परिवहन सेवा उपलब्ध करा रही है। बस सेवा निरन्तर चालू है।

मण्डी समितियों के स्वीकृत निर्माण कार्य

305. श्री उदयसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2001-2002 में मण्डी समितियों से निर्माण के कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मण्डी समिति से प्राप्त हुए निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त के स्वीकृत नहीं करने हेतु कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में वित्तीय मण्डी समितियों से प्राप्त निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" के अनुसार है।

(2) उक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृत/अस्वीकृति, अस्वीकृति के कारण एवं राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्तावों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" के कालम संख्या 7,9 एवं 10 के अनुसार है।

(3) स्वीकृति से शेष रहे प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मण्डी समिति की भूमि का उपयोग

306. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में भूमि उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि के उपयोग की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी हां। उपलब्ध भूमि के उपयोग सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 5 के अनुसार है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मण्डी समिति की दुकानों में विद्युत कनेक्शन

307. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में आबंटियों को विद्युत कनेक्शन मण्डी समितियों द्वारा दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त से वसूली किस प्रकार से की जाती है? क्या सभी मण्डी प्रांगणों में एक जैसी व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त व्यवस्था के तहत क्या नियमित वसूली हो रही है? यदि नहीं, तो बकाया का विवरण मण्डीवार सदन की मेज पर रखें।

(4) अब बकाया वसूली कब तक कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) कुछ मण्डी प्रांगणों में विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा दिये गये है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) वसूली किये जाने के तरीके का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 4 के अनुसार है। निदेशालय द्वारा ऐसी मण्डियों में सब मीटर से ही विद्युत कनेक्शन दिये जाने के निर्देश है। किन्तु स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगतः रखते हुये व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा प्रभावी की जाती है, ऐसी स्थिति में एक सी व्यवस्था प्रभावी नहीं है।

(3) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 6 के अनुसार है।

(4) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 7 के अनुसार है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

मण्डी समितियों द्वारा निर्मित कियोस्कों का आबंटन

308. श्री कालूलाल (गंगरार) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किन-किन कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में कियोस्क निर्मित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्मित कियोस्क का क्या उपयोग होता है? उक्त के आबंटन की क्या प्रक्रिया है? उक्त में पात्र होने के लिए क्या मानदण्ड हैं?

(3) अब तक कितने कियोस्क आबंटन किये जा चुके हैं एवं कितनों का आबंटन शेष है, जो आबंटन शेष हैं उनका अब तक आवंटन नहीं किये जाने के कारण है?

(4) समय पर आबंटन नहीं किये जाने से क्या मण्डियों को किराये की राशि से वंचित रहना पड़ा है? यदि हां, तो अब आबंटन कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार

(2) कियोस्क का निर्माण मण्डी प्रांगणों में जलपान आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से कराया जाता है। इनका आबंटन निश्चित अवधि के लिए ठेके से किया जाता है। इस ठेके की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है।

(3) 182 कियोस्क आबंटित किये जा चुके हैं। 82 कियोस्क का आबंटन किया जाना शेष है। आबंटन से शेष रहे कियोस्कों का आबंटन नहीं होने के कारण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 8 के अनुसार है।

(4) जी हां। शेष रहे कियोस्कों का आबंटन किये जाने सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 9 के अनुसार है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मण्डी समितियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति

309. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत तीन वर्षों में कृषि विपणन निदेशालय द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों की मण्डी शुल्क से आय के लक्ष्य निर्धारित किए गये? यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक प्राप्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन मण्डी सचिवों ने मण्डी शुल्क के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये उन्हें आरोप-पत्र जारी किए गये थे? यदि हां, तो किन-किन को एवं उक्त पर क्या निर्णय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की विभिन्न मण्डी समितियों के गत 3 वर्षों के मण्डी शुल्क की आय के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक प्राप्ति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी हां। जिन मण्डी सचिवों ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये, उन्हें जारी आरोप पत्र एवं उस पर किये गये निर्णय की जानकारी का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रतापगढ़ में कार्यरत एक परिवहन निरीक्षक द्वारा वाहनों से अवैध वसूली करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से पुष्कर में मुख्य मंत्री रोजगार योजना में कियोस्क बनाने के लिए भूखण्ड आबंटन में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री अमराराम (धोद), सदस्य की ओर से रबी की फसल का समर्थन मूल्य घोषित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा कस्बे में पुलिस व प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से तहसील अटरू के आंचोली एनीकट की मरम्मत का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगापुर की घटना पर यहां पर गृह मंत्रीजी ने बयान भी दिया था और उसके बाद

(12.03 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कार्यवाही भी हुई। आज स्थिति यह है कि गंगापुर में पिछले दो दिनों में तीन मस्जिदों के अन्दर तोड़-फोड़ की गई है। मार्बल का शोरूम जला दिया गया। तोड़-फोड़ की। टायरों की दुकान जला दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए-विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज वहां पर जो लोग गये, जाकर भड़का कर आये कि तीन आदमियों की हत्या हो गई और आप लोग शांत बैठे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य, विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : कुछ ऐसा करना चाहिए था ताकि राजस्थान के अन्दर आग लग जाती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उस संवेदनशील इलाके के अन्दर स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है, लोगों की स्थिति बहुत खराब है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो धर्मसिंह जी सागर से इरा प्रकार की जांच करने के...(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिए, मैं गंगापुर का एम.एल.ए. हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री सोहन नायक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से गागरोन-झालावाड़ में मध्य आहू नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम वियोका गोलीया की शिक्षाकर्मी स्कूल को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा की तहसील पीपल्दा की सड़कों की मरम्मत नहीं करने से नागरिकों को आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से पचपदरा साल्ट नमक उत्पादन क्षेत्र का सेलाइन एरिया 32.34 वर्ग मील का आरक्षण यथावत रखने के सम्बन्ध में।

(5) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची के कतिपय गांवो को फुलाद बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री यशवन्त सिंह (रामू) सदस्य की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति बयाना के कतिपय कर्मचारियों द्वारा अनियमितता करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से जालौर के जनरल अस्पताल में जूनियर स्पेशलिस्ट चिकित्सक का पद समाप्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से अलवर-भरतपुर जिलों में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में।

(9) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से जयपुर स्थित पुराना घाट की गूणी में मच्छी दरवाजे की मरम्मत कर उसे यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से देसूरी (पाली) के सहायक कलक्टर कार्यालय को उपखण्ड कार्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमारजी।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : 295 पढ़े हुए मान लिये जाए? (व्यवधान) पढ़े हुए मान ले क्या? 295 पढ़े हुए मान लिये जाए। (व्यवधान)

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री संजीव कुमार : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए आप, बैठिये।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप विराजिए। आप विराजिए न।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए न। आप जो कह रहे हो वह अंकित नहीं हो रहा है, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री अशोक बैरवा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। श्री राजेन्द्रजी।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज। माननीय विराजिए।

श्री अशोक बैरवा : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : × × ×

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठोगे जब बोलूंगा न, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। व्यवस्था करेगी, सरकार व्यवस्था करेगी, ऐसे थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

(श्री नन्दलाल बंशीवाल, माननीय सदस्य, द्वारा वैल में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री संजीव कुमार : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री सुरेन्द्र गोयल : × × ×

श्री अशोक बैरवा : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

(श्री नन्दलाल बंशीवाल, माननीय सदस्य का धरना समाप्त)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप बिराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी भी सुनें। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बोलोगे, वो बालेंगे? आप बैठें तो सही। आप तो बैठें। आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री सुरेन्द्र गोयल : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री संजीव कुमार : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री नाथूलाल गुर्जर : × × ×

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये। वह बोलेंगे। (व्यवधान) आप बैठें (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री सुरेन्द्र गोयल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य। आप बैठो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें प्लीज। जगत सिंह जी आप कह चुके न यह बात। आप यह बात कह चुके, बिराजिये प्लीज़। (व्यवधान) आप तो आप ही आप बोले जा रहे हैं, दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते तो कैसे इसका जवाब दिलायें?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके बिराजिये।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बिराजिये न।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजिये।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप एक मिनट बिराजिये।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। आर्डर, आर्डर।

माननीय सदस्य, आप सब को मालूम है कि गंगापुर का प्रश्न एट लैंथ यहां पर डिस्कस हो चुका, गृह मंत्रीजी का स्टैटमेंट आ गया। (व्यवधान) आप सुनिये। आप ही आप बोलोगे क्या इस हाउस में ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोलोगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हां तो भेजा है। तो मुझे भी भेजा है, आपको अकेले को नहीं भेजा है। बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। गंगापुर का प्रश्न एट लैंथ यहां पर डिस्कस होकर...(व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर। एट लैंथ जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वह यहां पर डिसीजन कन्वे कर चुकी है। गवर्नमेंट उस पर जो एक्शन लेना है, ले चुकी। उसके बाद कोई नया डवलपमेंट, जैसा आप कह रहे हैं, हुआ है, प्लीज, एक मिनट बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये तो सही।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बिराजिये।

कोई नये डवलपमेंट्स हुए हैं और उस पर यदि गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री नन्दवाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो ही नहीं पूरी बात, आप तो अपनी ही अपनी बोलते हो। वह कहना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है अदरवाइज मैं इसको डिस्कशन में अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)...आर्डर प्लीज।

(आसन द्वारा अंकित नहीं करने के लिए संकेत)

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : लाम्बिया का एडजोर्नमेंट मोशन 26 तारीख को आया। सरकार के पास जवाब के लिए गया है। जवाब आने पर उस पर समय दिया जायेगा। आप बिराजिये।

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न आपको, लाम्बिया का एडजोर्नमेंट मोशन 26 तारीख को लगा था, सरकार से जवाब आयेगा उसके बाद आपको अवसर देंगे। बिराजें।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बिराजें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गंगापुर की घटना का सवाल है, मैंने सदन में विस्तार से अपनी बात कही है और जुडीशियल इन्क्वायरी की भी घोषणा की है और उसकी जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का सरकार ने मानस बनाया है। उसकी मैं सूचना दे चुका हूं इसलिए इस घटना के सम्बन्ध में तो मैं कोई, यह सही है कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ मस्जिदों को नुकसान हुआ, कुछ दुकानों को भी नुकसान हुआ। (व्यवधान) हुआ कह रहा हूं। तो मैं कोई ना कह रहा हूं क्या?

सरकार इन सारे तथ्यों की जानकारी कर रही है और इसके पीछे जो भी तत्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी ही तो बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक बात का आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में कोई भी साम्प्रदायिक शक्तियां हों, चाहे वह बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिन्दु परिषद् हो और चाहे शिव सेना हो, राजस्थान को गुजरात नहीं बनने दिया जाएगा। हर कीमत पर साम्प्रदायिक सौहार्द को कायम रखा जायेगा। (व्यवधान) हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष सरकार है, हर व्यक्ति को धर्म...(व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धर्म के मामले में किसी ने रुकावट पैदा की तो सरकार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी, निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठो तो सही, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में साम्प्रदायिक ताकतों को बिगाड़ने वाली ताकतों से सख्ती से निपटा जायेगा और

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

राजस्थान के साम्प्रदायिक सौहार्द को कायम रखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बात खतम हो गयी।

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री केसाराम चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गयी न बात, अब क्या है? माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कोई सुन ही नहीं रहा जो कुछ आप बोल रहे हो...(व्यवधान) कोई सुनता ही नहीं, बैठता ही नहीं, किस को समय देऊं? आप रुको तो सही, कैसे समय देऊं?

(आसन द्वारा अंकित नहीं करने के लिए संकेत)

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी, प्लीज।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्रीजी से कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, मैं डिबेट अलाऊ नहीं करुंगा इस पर। आप मंत्रीजी ने जो कहा है उस पर कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सारी बाते मंत्रीजी ने कह दीं। आपको मंत्रीजी से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, यह मैं अलाऊ नहीं करुंगा।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री केसाराम चौधरी : × × ×

श्री सुरेन्द्र गोयल : × × ×

(आसन द्वारा अंकित नहीं करने के लिए संकेत)

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

श्री नन्दलाल पूनिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दुर्गा प्रसाद : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हालात बताये हैं....

श्री सांवर लाल : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ...गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में कहा गया है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी ताकि किसी तरह की घटना नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री सांवर लाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बिराजिए।

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री सुरेन्द्र गोयल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं? किस पर बोल रहे हैं आप?

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल काहे पर रहे हो? आप बिराजो। प्लीज अब बिराजिए एक मिनट। आप बिराजिए तो सही। लाम्बिया का एडजोर्नमेंट मोशन 26 तारीख को लगा। (व्यवधान) आप सुनिए तो सही पूरी बात। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो?

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या हुआ? आप सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूं। आप तो जोश में इतने बोल रहे हैं कि जैसे सारी बात आप ही करेंगे, दूसरा कोई करेगा ही नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लाम्बिया का एडजोर्नमेंट मोशन 26 तारीख को लगा। 26 तारीख को सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा। विपक्ष के नेता महोदय ने आज अभी इस प्रश्न को उठाया था। जवाब आ जाए, जानकारी आ जाए सरकार से उसके बाद माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री सांवरलाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : व्हाट इज दि इश्यु नाउ? आप बिराजिए। माननीय राजेन्द्र सिंह जी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

स्कूलों में अस्वास्थ्यकर घूघरी वितरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान एक संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी, 2001 को सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत सरकार की जनहित याचिका में एक निर्णय देकर देश की सभी सरकारों को निर्देशित किया कि एक वर्ष में दो सौ ।८न प्राइमरी शिक्षा तक जो विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको पौष्टिक आहार के रूप में मिड-डे-मील

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वितरित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि मिड-डे-मील के लिए खाद्यान्न का प्रबन्ध भारत सरकार एफ.सी.आई. के माध्यम से करेगी। उसको तैयार कराने के लिए, उसको पकाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार उसका व्यर्थ वहन करेगी और इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो खाद्यान्न मिड-डे-मील के रूप में देश के प्राथमिक विद्यालयों में वितरित होगा वह गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक हो, उसके लिए एक समिति का भी निर्देश दिया कि एफ.सी.आई. और जिला प्रशासन मिली हुई समिति/संयुक्त दल खाद्यान्न की जांच करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर यह योजना दो चरणों में प्रारम्भ होना तय हुआ। इसका पहला चरण 28 फरवरी, 2002 को प्रारम्भ हुआ। इसमें 16 जिले थे और 16 जिलों के 25266 विद्यालय और 25266 विद्यालयों में 25 लाख विद्यार्थियों को इस तरह पौष्टिक आहार वितरित किया जाना था। उपाध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी, 2002 से जब यह पौष्टिक आहार के रूप में राजस्थान के 16 जिलों के अन्दर घूघरी वितरित की जाने लगी तो जिस तरह के सब स्टैण्डर्ड और अस्वास्थ्यकर और बेकार खाद्यान्न से बनी हुई घूघरी विद्यालयों में वितरित की गयी। उसका नतीजा यह निकला कि लाडुपुरा पंचायत समिति के भीमपुर गांव में हनुमान लश्करी नामक एक बालक जिसके मां-बाप ने उसको इसलिए भेजा था कि विद्यालय में जाकर अध्ययन करेगा। विद्यालय गया, उसने विद्यालय में मिड-डे-मील के रूप में जो घूघरी वितरित की गयी, उसका सेवन किया और थोड़ी देर पश्चात् उसके उल्टी दस्त प्रारम्भ हो गये। समीपस्थ चिकित्सालय में उसको भर्ती किया गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गये। उपाध्यक्ष महोदय, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी मिड-डे-मील के रूप में जिस घूघरी को सरकार ने वितरित किया, जिस भावना से किया उसके अनुसार उसकी भावना तो यह थी कि बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, भावना यह थी कि बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित होंगे, बच्चे हृष्ट पुष्ट होंगे परन्तु राजस्थान के अन्दर कोटा, बारां, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर व अन्य कई जिलों में एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी चिकित्सालय में भर्ती हुए और उस मिड-डे-मील के नाम से अभिभावकों ने विद्यार्थियों को और छोटे-छोटे बच्चों को विद्यालयों में भेजना बंद कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सारी चीज समाचार पत्रों में सुर्खियों में आयी तो 12 मार्च को मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक की और बैठक में यह कहा कि दो सीनियर आफिसर पूरे प्रभावित जिलों में जाकर दौरा करेंगे और जांच करके आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जांच के पश्चात् जो नतीजा सामने आया वह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्ध आर.वी. सिसोदिया ने एक पत्र लिखा है राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी एजूकेशन, सेक्रेटरी पंचायत राज को, मैं उसकी तीन लाइनें पढ़कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुनाता हूं। और मंत्री महोदय यह चाहूंगा कि जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं उसको आप भी सुनें और सरकार का मंतव्य क्या है उसके बारे में स्पष्ट करें।"However during the meeting called by the Additional Chief Secretary at Rajasamand....." 16 तारीख को पूरा दौरा करने के पश्चात् एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस प्रकरण में राजसमन्द में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलायी।

"....Our two senior officers, who were also present in the meeting, explained about the quality of wheat which is fit for human consumption, is only being issued under M.D.M. Scheme. (copy of two reports enclosed). The school teachers, who attended the meeting also confirmed the receipt of good quality of wheat under M.D.M. Scheme from F.C.I. Depot. The teachers also told that the quality of gur and oil which is supplied in the preparation of ghughary is of a very poor quality. Some teachers also told that due to the inadequate fuel they are unable to boil/cook the wheat for the required level. Owing to serving of uncooked prepared ghughary indigestion and stomach problems were observed among the children who consumed the same."

उपाध्यक्ष महोदय, इस घूघरी को बनाने के लिए राजस्थान की सरकार ने जो गुड़ आबंटित किया, जो तेल दिया वह तेल इतना घटिया था कि इस पूरी जांच के बाद यह तय हुआ कि घटिया तेल और घटिया गुड़ और उसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे ज्यादा अनदेखी इस बात की हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह कहा कि जिस खाद्यान्न को इसके लिए उपयोग में लिया जाएगा, एक जोइंट टीम जिसके अन्दर एफ.सी.आई. के आफिसर भी होंगे, जिला प्रशासन के आफिसर भी होंगे, वह जाकर देखेंगे कि गुणवत्ता वाला यह खाद्यान्न है या नहीं। इन सब चीजों को अनदेखा करने के साथ-साथ घटिया गुड़, घटिया तेल और कम ईंधन के कारण यह इस तरह की घूघरी बना-बना कर विद्यालयों में वितरित की गयी, सैकड़ों की संख्या में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं मंत्री महोदय, आपको ध्यान है इसमें एक दो मिनट होते तो समझ में आता, आपने 25,266 विद्यालयों के अन्दर प्रथम चरण के अन्दर इस योजना को लागू किया है। पच्चीस लाख बच्चों को आप इस योजना से जोड़ना चाहते हैं।

इस योजना का जो मंतव्य था वह मंतव्य बहुत दूर चला गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज क्या हो रहा है कि पिछले 16 मार्च के पश्चात् इन विद्यालयों के अन्दर इन्होंने मिड-डे-मील बांटना बंद कर दिया। जगह जगह जो विद्यार्थी छोड़कर भाग गये थे, अभिभावकों ने बच्चों को जाने के लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए बंद कर दिया कि बच्चे जाएंगे और अपौष्टिक और रद्दी घूघरी खाकर हास्पिटल में जायेंगे। इस कारण से अभिभावकों ने बच्चों को विद्यालय में भेजना बंद कर दिया। आज हालत क्या है, जिस चीज को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूरे देश में लागू की गयी है, आज, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस योजना का ऐसा बंटाधार हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि इस घूघरी के कारण जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसको तो आप मुआवजा दें ही और इसके साथ-साथ इस बात की जांच करवाएं जब एवरेज क्वालिटी का खाद्यान्न जाना चाहिए था इनके लिए, वह खाद्यान्न रद्ध क्यों गया? इसके अन्दर तेल और जिस तरह का गुड़ दिया गया वह गुड़ इस तरह का सब स्टैण्डर्ड क्वालिटी का क्यों दिया गया? आपने इस योजना को हाल फिलहाल स्थगित क्यों किया है क्या कारण है?

इसलिए मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह 16 जिलों का मामला, पच्चीस लाख बच्चों से जुड़ा हुआ मामला और जिसमें एक बच्चे की जान चली गयी, सरकार को इस बारे में वक्तव्य देकर सारी चीज को स्पष्ट करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं मंत्री महोदय बिराज रहे हैं। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी लिख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्योंकि यह मामला इस तरह का संवेदनशील है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करूं राजस्थान के अन्दर कई तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। इस घूघरी के कारण बच्चे की मृत्यु हुई है, घूघरी के कारण हजारों बच्चे चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, डाक्टरों के जरिये इलाज उन्होंने लिया है, आपको स्पष्ट करना चाहिए सरकार का मंतव्य क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोडी लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जिन नामांकन को बढ़ाने के लिए योजना बना रहे हो, आप जिस विद्यालय में ठहराव की बात कर रहे हो, वह सारी योजना आपकी धरी रह जाएगी।

मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय किस तरह का है, इस विषय के अन्दर निश्चित तौर पर सरकार का मंतव्य जनता के पास पहुंचना चाहिए। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, पर मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस पूरे घूघरी के मामले को लेकर समाचार पत्रों में सुर्खियों में समाचार छपे हैं और इस मामले में इस तरह का अस्वास्थ्य खाद्यान्न वितरित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया गया है, बच्चे हास्पिटल में गये हैं। अब आज की तारीख में इसके कारण से बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे, अभिभावक बच्चों को भेज नहीं रहे। आपको कहना चाहिए कि आपने क्या व्यवस्था की है ताकि सारी जो भ्रांतियां हैं वह दूर हों। इसलिए मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा इस बारे में आप कुछ न कुछ कहें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री सी.पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है उसके बारे में राजस्थान की जनता को स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन के बाद में यह मंशा है कि बच्चों को 200 दिन, 200 कैलोरी उसको मिड-डे-मील की व्यवस्था की जाए जिससे बच्चे पढ़ने का जो अपना एनरोलमैंट है उसको रिटेन कर सकें। इस योजना के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन के बाद राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए जो तैयारी करनी थी उस तैयारी के आधार पर हमने यह कोशिश की, क्योंकि उन्होंने डेड लाइन फिक्स कर दी थी और हमें प्रारम्भ करना था इसलिए हमने उचित समझा कि राजस्थान में वर्षों से घूघरी बनाने की प्रक्रिया रही है और गांव में बच्चे घूघरी पहले से ही हमारे यहां ट्रेडीशन घूघरी का उपयोग होता रहा है। इसलिए हमने उचित समझा कि जब तक अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर लें तब तक हम घूघरी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लागू करे। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कीम को लागू करने में जिस तरह की 16 जिलों की बात 26,000 से ज्यादा स्कूल, पच्चीस लाख बच्चे और व्यवस्था को करने के सन्दर्भ में कोई एवरेशन की बात हम करें तो यह एवरेशन की बात मैं मना नहीं करता क्योंकि खाद्यान्न सप्लाई होना था एफ.सी.आई. से और जो गेहूं सप्लाई होना था उसकी क्वालिटी के सम्बन्ध में हरदम कहीं न कहीं यह समस्या रही है कि जब क्वालिटी आफ फूड वहां पर नहीं पहुंच जाए तो घूघरी की जो क्वालिटी है वह भी ठीक ढंग की नहीं होती है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ जगह पर इस घटना के सन्दर्भ में जो बातें आयी हैं उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने एप्रोप्रियेट एक्शन लिया।

एडिशनल कमिश्नर जो डवलपमेंट कमिश्नर हैं वह फूड कमिश्नर दोनों को कोटा, बारां, राजसमन्द और सवाईमाधोपुर तीन जिलों में जहां पर जानकारी आयी कि घटना हो रही है, वहां पर हमने कमिश्नर लेवल के अधिकारी को भेजा। उन्होंने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, अध्यापक उन सबसे भी इंटरेक्शन किया।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात को कोट किया उन्होंने एक पार्ट को कोट किया कि राजसमंद में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में टीचर ने क्या कहा, वह बातें

(श्री सी. पी. जोशी)

उन्होंने कोट की लेकिन दूसरी बात उन्होंने कोट नहीं की। एफ.सी.आई. के जो क्वालिटी आफ व्हीट है, वह ठीक नहीं आने से भी यह समस्या खड़ी हुई है। राजस्थान सरकार कहीं पर भी गुड़ और यह सप्लाई नहीं कर रही है। यह गुड़ और सप्लाई करने का काम लोकल लेवल पर ही है। तो यह बात हम स्पष्ट कर लें कि सरकार ने कोई घटिया क्वालिटी का गुड़ किया, सरकार ने घटिया लेवल का तेल सप्लाई किया, सरकार ने यह किया, मैं समझता हूं कि हम जानकारी के अभाव में यह बात कह रहे हैं यह लोकल लेवल पर ही यह व्यवस्था करने का था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोकल लेवल पर आपके अध्यापक ही कर रहे हैं ना?

श्री सी. पी. जोशी : बात तो पूरी सुन लें माननीय सदस्य। हमारा कमिटमेंट पंचायत राज में हैं ही नहीं, लोकल क्या होता है, 73 अमैंडमेंट के बाद यह सब व्यवस्थाएं पंचायत राज के माध्यम से ही करनी है। इसलिए हमने पंचायत राज के माध्यम से ही यह व्यवस्था कराने का काम हाथ में लिया है। पंचायत के चुने हुए संरपच हैं, बी.जे.पी. के संरपच भी हैं, कांग्रेस के संरपच भी हैं, कम्युनिष्ठ पार्टी के संरपच भी हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से यह काम करवाना है और करवाने के सम्बन्ध में स्कूल के अध्यापकों को इसके साथ इन्वाल्व किया है। एक कमेटी बनायी है जिसमें पंचायत के संरपच भी सम्मिलित हैं, स्कूल के अध्यापक भी सम्मिलित हैं।

यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, और आप स्वयं जानते हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह बात कहूंगा तो मेरे विपक्ष के साथी नाराज होंगे। किस तरह का गेहूं प्रोक्योरमेंट किया, पंजाब के इलेक्शन के सन्दर्भ में कैसे क्वालिटी को कम्प्रोमाइज किया, कैसे क्वालिटी जो थी उसको लोअर डाउन करके उन्होंने यह गेहूं प्रोक्योर किया। उस सम्बन्ध में भी भारत सरकार का हमने ध्यान आकर्षित किया है। भारत सरकार को गेहूं प्रोवाइड करना था, क्वालिटी आफ गेहूं का कम्प्रोमाइज उन्होंने ही किया है। वह घटिया गेहूं यहां पर उपलब्ध हो और उसके कारण घूघरी की समस्या पैदा हो, यह समस्या भविष्य में उपलब्ध नहीं हो इसलिए हमने सरकार से इसका ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय, पर मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर मिड-डे-मील स्कीम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का मिड-डे-मील किस तरह से मिल सके घूघरी के अलावा भी। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने कुछ नियम और कानून में परिवर्तन किया है। शीघ्र ही नियम और कानून में परिवर्तत करने के बाद हम नेशनल लेवल के टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का बच्चों को मिड-डे-मील मिले यह सबकी भावना हैं। मैं समझता हूं इस भावना को जो विपक्ष में बैठे हैं, चाहे पक्ष में है, हम सबकी यह भावना है। इस सम्बन्ध में अखबार में जो कुछ भी बातें आयी हैं, मैं

(श्री सी. पी. जोशी)

समझता हूं कि इस सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं वह एबरेशन हो सकता है, राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की कोई मंशा ऐसी नहीं होगी कि लोअर क्वालिटी के गेहूं को सप्लाई करके हम इस तरह से मिड-डे-मील स्कीम के साथ कम्प्रोमाइज करें। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सारे राजस्थान के मां-बाप अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिड-डे-मील स्कीम में कोई भी क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करेगी और क्वालिटी को एश्योर करने के लिये जो कुछ भी निर्देश देने हैं, सरकार निर्देश देकर उसको सही ढंग से लागू करने की जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है उसको पूरा करेगी। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

मैं सदन से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के एबरेशन को जनरलाइज नहीं करें जिससे बच्चों में पेनिकी पैदा हो, अभिभावकों में पेनिकी पैदा हो। इस बात को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, कुछ ही एबरेशन को आधार बना करके यह बातें करेंगे तो हम बच्चों और अभिभावकों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिये माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भावना के अनुरूप राजस्थान सरकार इसमें निर्देश देगी। इसकी क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करेगी और मिड-डे-मील स्कीम को कैसे प्रभावशाली ढंग से लागू करे इसका पूरे से पूरा प्रयत्न करेगी जिससे राजस्थान में बच्चों का इनवाल्वमेंट बढ़े और सुप्रीम कोर्ट ने जो लक्ष्य तय किया है उसको हम प्राप्त कर सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री...(व्यवधान) प्लीज अब बिराजें। बहुत हो गया। नहीं प्लीज। माननीय श्री किरोड़ी लालजी।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कतिपय गांवों में बिजली का अभाव

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, सी.पी. जोशी जी ने जवाब दिया है, बैठे हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं इनको। लेकिन मैं एक ऐसे प्रकरण को उठा रहा हूं जिसमें गृह मंत्रीजी भी लपेटे में आने वाले हैं और ऊर्जा मंत्री चन्द्रभानजी भी, दोनों के दोनों गायब हैं, अब यह शांति धारीवालजी गर्दन हिला रहे हैं और यह जवाब दे दें तो बहुत अच्छा है....

मोहम्मद माहिर आजाद : मदन दिलावरजी के सवाल का जवाब देते हैं यह।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक डेढ़ महीने से यह बहुत शिकायत गांवों से आ रही हैं कि इस सरकार ने जब किसान की फसल तैयार हो गयी तो वहां की लाइनें हटा ली, ट्रांसफार्मर हटा दिये और उसके कारण स्थिति यह बनी है कि किसान की जो फसल है वह पकने की स्टेज पर आयी, ऐसे समय पर राजस्थान की सरकार ने यह कुछ गांवों की बिजली काट कर किसान को बरबाद करने का एक कार्यक्रम अब अपने हाथ में लिया है।

(डा. किरोड़ी लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, खंडार अकेले गांव में 13 गांव की बिजली, गंगापुर के 10 गांव में, करौली के 5 गांव में, बौली के 14 गांव में और लालसोट के 2 गांव की बिजली को काट दिया जिससे गांव अंधेरे में है। वहां के लोग पानी नहीं पी सकते। पेयजल स्कीम ठप्प हैं। चक्की नहीं चल रही, वहां आटा नहीं मिल रहा। गांव में तीन साल से अकाल पड़ रहा है तो गांव के लोग वैसे ही पलायन कर रहे हैं।

सरकार ने बिजली के मामले में दोहरा मापदण्ड अपना रखा है और दोहरा मापदण्ड यह है मैं आपको कहूंगा तो आश्चर्य होगा कि यह सरकार धन्ना सेठों और उद्योगपतियों...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप किसको कह रहे हैं? ऊर्जा मंत्रीजी तो हैं नहीं यहां।

मोहम्मद माहिर आजाद : बुलाओ उनको।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी आ जाये तो ठीक है। करोड़ों अरबों का मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में तो कम से कम मंत्रीगणों को रहना चाहिये ना?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो आप प्रश्न उठा रहे हो उसकी सूचना तो है नहीं उनको।

डा. किरोड़ी लाल : सूचना है ना। पर्ची दे दी ना।

श्री उपाध्यक्ष : न कोई ऐसा प्रश्न है...(व्यवधान) नहीं पर्ची दी। पर्ची से सूचना...(व्यवधान) पर्ची की सूचना मंत्रीजी के पास नहीं जाती।

श्री मदन दिलावर : देनी चाहिये सूचना उनको आपको...(व्यवधान) मंत्रीगणों को शून्यकाल में रहना चाहिये चाहे उनको सूचना हो या नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तब हालात क्या समझ पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो। आज का समाचार...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, केवल मंत्री धारीवालजी और कल्ला साहब दो बिराजे हैं, बाकी सब ट्रेजरी बैंच के अलग अलग...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या हाउस में बैठने की जिम्मेदारी नहीं है उनकी? क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। प्लीज आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन चलता है तो जिम्मेदारी है हाउस में बैठने की...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कंटीन्यू कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन चलता है तो हर मंत्री की जिम्मेदारी है हाउस में बैठने की। सदन चलता है उस समय सबकी जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठे हैं ना मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहां बैठे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : यह बैठे हैं ना एक, दो, तीन, चार...(व्यवधान) आप देखिये ना।

मोहम्मद माहिर आजाद : चालीस में से चार...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां तो दो, चार...(व्यवधान) सवाल ऊर्जा मंत्रीजी का है। आप क्या धन धन कर दोंगे। बात तो ऊर्जा मंत्रीजी की हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप क्या कर दोगे? बात तो ऊर्जा मंत्री की है, क्या करोगे आप...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को एक बीमारी लग गयी। सरकार का रोना है खजाना खाली हो गया। रोज यही कह रही है खजाना खाली हो गया...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तीन साल से कह रही है, रो रही है।

डा. किरोड़ी लाल : तीन साल से कह रही है। अभी प्रद्युम्न सिंह जी ने तो कीर्तिमान स्थापित किया है घाटे का बजट पेश करके...

मोहम्मद माहिर आजाद : ऊर्जा मंत्रीजी आ गये हैं।

डा. किरोड़ी लाल : ऊर्जा मंत्रीजी आ गये। धन्ना सेठों और उद्योगपतियों पर जो निगम का पैसा बकाया है उसके सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह अपना अलवर है। वहां के एक उद्योगपति को उपकृत करने के लिये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. कहते हैं अलवर में मोदी एलक्लीजन एण्ड केमिकल नाम की एक फैक्टरी है जो कास्टिक सोड़ा और क्लोरीन बनाती है और यह पूरा संयंत्र बिजली पर आधारित है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अकेली मोदी एलक्लीज पर मई, 2000 तक 41.50 करोड़ रुपये निगम के बकाया हैं। एक अकेली कम्पनी पर 41.50 करोड़ रुपये...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : यह सब आपके शासनकाल के हैं। हमारे समय में एक, दो करोड़ रुपये देकर इनको दे दिया। जब दो करोड़ की राशि पूरी हुई उसके बाद फिर कनेक्शन काट दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मोदी एलक्लीज इस पर 40 करोड़ बकाया है और जिसमें से... (व्यवधान) एक सैकण्ड, आप सुनिये ना... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप बिराजो...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी...

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा यह 40 करोड़ रुपये लेट पेमेंट सरचार्ज पेनल्टी का है। प्रिंसीपल अमाउंट नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद इसका कनेक्शन काटा गया और इसको कनेक्शन नहीं दिया गया। आपकी सरकार में इसके कनेक्शन कटे हैं और फिर दिये जाते थे बकाया होते हुये। हमने इसको दुबारा कनेक्शन नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर आर्डर....

डा. किरोड़ी लाल : अभी आपकी सब तालियां बंद हो जायेगी। सुन लो। माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह अमाउंट तो वसूल करनी चाहिये थी आपको 40 करोड़....

डा. चन्द्रभान : ऐसा है कि इंडस्ट्री में इंस्टालमेंट, आप जानती हैं, इंस्टालमेंट लिये जाते हैं अभी भी बकाया में, करेंट पेमेंट पूरा लेते हैं। पुराने के इंस्टालमेंट करते हैं। मोदी एलक्लीज के मामले में पुराने की इंस्टालमेंट की गयी वह इंस्टालमेंट भी ली गयी, करेंट भी लिया गया। और जब करेंट उसने जमा नहीं कराया, विदिन सेवन डेज उसका कनेक्शन काट दिया। और उसके बाद में हमारी सरकार के कार्यकाल में पिछले, दो, ढाई साल में उसका री-कनेक्शन नहीं हुआ और यह जो पैसा है यह पुराना पैसा है। वह पुराना पैसा उसी का लेट पेमेंट और सरचार्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो प्लीज। **अब बिराजो प्लीज।**

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि पहले के समय में कितनी दफा मोदी एलक्लीज का कनेक्शन काटा गया और कितनी दफा बिना भुगतान के वापस किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह 40 करोड़ रुपये मंत्रीजी कब तक वसूल कर लेंगे। ऐसे आदमी नहीं है जिनकी सुविधा के लिये फैक्टरी लगायी है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठो।

श्री अमराराम (धोद) : 40 करोड़ रुपया राजस्थान विद्युत निगम की कम्पनी का है। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की है, राजस्थान की विद्युत कम्पनी का 40 करोड़ मंत्रीजी कब तक वसूल कर लोगे आप? बात तो यही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं सरकार के आने के पहले कितनी दफा उस कम्पनी का कनेक्शन काटा गया बिल भुगतान के लिये और कितनी दफा बिना भुगतान के कनेक्शन जोड़ा गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं इनको सुन रहा था। मैं इनको पहले ही जानकारी देना चाहूंगा कि रबी की फसल के दौरान **अक्टूबर से** लेकर अभी मार्च तक जिस किसान का भी बकाया है, उसका कोई कनेक्शन नहीं काटा गया है और जिनमें पुराने बकाया हैं उनके कनेक्शन काटे गये....

डा. किरोड़ी लाल : असत्य। एक, दो नहीं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी, आपकी जानकारी में नहीं है कितने किसानों के कनेक्शन काटे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। माननीय सदस्य....

डा. चन्द्रभान : अब जिन लोगों के 5-5 साल के बकाया हैं 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार बकाया हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही होगी, करेंगे ही....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इनको पूरा समाप्त कर लेने दीजिये और आप बीच बीच में इंट्रप्ट करेंगे तो यह समाप्त ही नहीं होगा फिर आपको जो कुछ कहना है, बाद में कह दीजिये।

(13.00 बजे)

डा. किरोड़ी लाल : मैं यही बात कह रहा था। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं दो-दो लाख, तीन-तीन लाख जिन पर बकाया हैं उनके कनेक्शन कटेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। पी. डी. आर. की कार्यवाही भी करेंगे। उसके खिलाफ तो सारी कार्यवाही करेंगे, जो देश को अन्न पैदा करके देता है। देश की भुखमरी को दूर करता है। लेकिन आपने इन फैक्टरी वालों पर किस बात को लेकर मेहरबानी कर रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस बात को कहकर पल्ला छुड़वाना चाहते हैं कि यह आपके समय के बकाया हैं। बिजली का जो इस मोदी अल्कलीज फैक्टरी पर बकाया है। वहां डी.जी.सैट्स लगा रखे हैं और जब यह सैट्स लगाये तो उसमें कुछ शर्तें थीं और उनकी पालना वह कम्पनी आज तक नहीं कर रही है। कम्पनी जब शर्तों की पालना नहीं कर रही है तो मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कम्पनी ने जो अंडरटेकिंग लिखकर दी थी, उसके बिन्दु संख्या 16 में लिखा था, "We shall not run these generating sets in case our supply has been disconnected on any violation of the general conditions of supply or breach of agreement or non-payment of the duse."तो आप मेरे को यह बता दें कि अब तो आपकी उपस्थिति में ही जनरेटिंग सैट्स चल रहे हैं। किस कारण से आप उन जनरेटिंग सैट्स को नहीं हटा पा रहे हैं। जब यह अंडरटेकिंग हो गयी थी तो उसका वह वायलेशन कर रहे हैं और उन्होंने करार को तोड़ दिया। आपने एक मार्च को उनकी बिजली काटकर इतिश्री कर ली। क्या इसी से उनका इलाज हो गया? वह जनरेटिंग सैट चला रहे हैं और इसी क्रम में 6.10.2001 को डी.ज़ी.सैट्स की अनुमति वापस ले ली निगम ने, एडीशनल चीफ इंजीनियर ने 6.10.2001 को पत्र लिखा, फिर एक्सइएन. अलवर ने 17.11.2001 को पत्र लिखा और स्पष्ट निर्देश दिये कि आप जो जनरेटिंग सैट्स चला रहे हैं उनको तुरन्त प्रभाव से बंद कर दो। उपाध्यक्ष महोदय, फिर 8.11.2001 को प्रबंधन पत्र लिखता है कि हमारे यहां क्लोरीन और कास्टिक सोडे का प्रोडक्शन होता है। अतः बिजली बंद नहीं की जा सकती। जनरेटिंग सैट्स को बंद नहीं कर सकते। विद्युत निगम की बकाया राशि चार सप्ताह में जमा करा दी जायेगी। मंत्री महोदय, लिखकर दिया था लेकिन 2001 निकल जाने के बाद भी, चार

(डा. किरोड़ी लाल)

सप्ताह पूरे हुए और आपके पैसे अब तक जमा नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि 6.11.2001 को विद्युत निगम के एइएन. वहां पर जाते हैं, फैक्टरी पर पहुंचते हैं किन्तु प्रबंधन ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। मंत्रीजी सुन लो, आप चाहो तो मैं पत्र पढ़कर सुना देता हूं आपके एइएन. का, जो वहां मौके पर पहुंचा था। वह एइएन. लिखते हैं, "स्पष्ट किया कि आपके द्वारा जो ज़नरेटिंग सैट्स चलाकर बिजली का स्थानीय उत्पादन किया जा रहा है वह इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1945 की धारा 44 के अन्तर्गत अनधिकृत व गैर कानूनी है, अतः विद्युत का स्थानीय उत्पादन तुरंत बंद करें व भविष्य के लिए पाबंद रहें।" श्री शर्मा ने इस बात से सहमति की कि मैसर्स मोदी अल्कलीज बिजली का स्थानीय उत्पादन कर रहा है। श्री शर्मा ने उत्पादन को बंद करने से स्पष्ट इंकार कर दिया और साथ ही जनरेटर के निरीक्षण की अनुमति भी नहीं दी और वाहन को भी अंदर नहीं जाने दिया। मंत्री जी, एइएन. के वाहन को अंदर नहीं जाने दिया। अतः हमारी कार्यवाही सिक्योरिटी आफिसर के चैम्बर तक ही सीमित रही। मोदी अल्कलीज के किसी भी प्रतिनिधि या सिक्योरिटी गार्ड ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, जो एइएन. वहां पर नोटिस देने जाये, रिकवरी की बात करे उसको अंदर नहीं घुसने दें। सिक्योरिटी आफिसर के दफ्तर से उनको विदा कर दिया। यह हालत वहां के एइएन. की हो रही है और वहां स्थिति क्या है कि करार एवं अनुमति के विपरीत दो गुनी क्षमता वाले पांच एमबी.ए के दो डी.ज़ी. सैट लगा रखे हैं और बिजली का उत्पादन किया जा रहा है जो विद्युत वितरण अधिनियम 1948 की धारा 44-2(ए) के अनुसार 25 हजार किलोवाट से अधिक बिजली उत्पादन नहीं कर सकते। आप भी परमीशन नहीं दे सकते हैं। किन्तु मोदी अल्कलीज वाला 10 गुना बिजली उत्पादन करके, डी.ज़ी. सैट्स काम में ला रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे उपभोक्ता के खिलाफ इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 की धारा 42(ई) के तहत जुर्माना किये जाने का प्रावधान है। लेकिन सरकार ने उस एक्ट के तहत भी कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये एक डिमाण्ड भेजा गया एइएन. द्वारा जो ई.यू.डी.आर. अधिनियम 1960 की धारा 6(2) के अन्तर्गत भेजा जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 41 करोड़ 49 लाख और 51 हजार समथिंग पैसा इस कम्पनी पर बकाया है और उस कम्पनी ने अभी तक यह पैसा जमा नहीं कराया है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यह पूरा मैंने वहां का हिसाब-किताब देखा है, अलवर में भिवाड़ी में 144 यूनिट्स पर 54 करोड़ अलवर सिटी-डिवीजन में 60 यूनिट्स पर 43 करोड़, खेड़लीगंज पर 84 लाख, लक्ष्मणगढ़ की यूनिट्स पर 3 लाख, मालाखेड़ा पर 39 हजार, राजगढ़ में एक लाख, रामगढ़ में 3 लाख, बहरोड़ में 31 यूनिट्स पर 2 करोड़ 37 लाख, किशनगढ़ में 5 यूनिट्स पर 5 लाख, शाहजहांपुर में 9 यूनिट्स पर 98 लाख, इस प्रकार अकेले अलवर जिले में एक अरब 20 करोड़ रुपये

(डा. किरोड़ीलाल)

निगम का बकाया है और इन्होंने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। आज तक इन्होंने न तो पैनल्टी की डी.जी. सैट्स इल्लीगल चल रहे हैं, बड़े अधिकारी यहां से, जयपुर से कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। निगम का कोई बड़ा अधिकारी गया हो, सी.एम.डी. गया हो या चीफ इंजीनियर गया हो, ऐसी तकलीफ नहीं की और केवल एइएन. को दौड़ाते हैं, लेकिन उसकी कितनी सी दम होती है। एइएन. मौके पर गया तो मैनेजमेंट ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया और कभी भी बड़े अधिकारी ने कोई प्रभावी कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की है। उसका एक कारण है, वह इसलिये नहीं हो पा रही है कि यह मंत्री जी जो कांग्रेस के हैं, इनकी इससे सांठ-गांठ है मोदी अल्कलीज वालों से, वहां जाते हैं और कहकर आते हैं कि चिंता मत करो, किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वहां पर 29.1.2002 को राजस्थान के गृह मंत्री इस फैक्टरी में जाकर एक घंटा बैठकर आये, तो जब राजस्थान का गृह मंत्री इस फैक्टरी में जाकर एक घंटा रुककर आये तो एइएन. की क्या हिम्मत कि वह रिकवरी कर ले।

मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों की तो लाइन उतार दी। सारे ट्रांसफार्मर को उतार डाला। किसानों की फसल सूख गयी। किसानों की फसल बरबाद हो गयी। किसानों पर तो आप ऐसे डण्डा घुमा रहे हो कि उनकी खाल में से आप पैसे निकालना चाहते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसान के बेटे हो, आप मानवता का दृष्टिकोण रखें। आपको किसान प्यारा होना चाहिए। आपको किसान तो प्यारा नहीं है। किसान के तो ट्रांसफार्मर हटा डाले, गांवों को अंधेरे में डुबो डाला। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 41 करोड़ 50 लाख अकेले जो फर्म पर बकाया हैं आपने किसकी मेहरबानी से उन पर छोड़ रखा है और मैंने पूरे अलवर का जो एक अरब बीस करोड़ का हिसाब आपको बताया है, आपने अब तक क्या कार्यवाही की? उनका बकाया क्यों नहीं लिया? आप उद्योगपतियों से मिले हो, आपने सांठ-गांठ कर रखी है। आपकी सरकार का गृह मंत्री वहां जाकर उस कम्पनी और फर्म में एक घंटे तक बैठा रहे जिस पर साढ़े 41 करोड़ का बकाया हो तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती, इसलिए आपको विधान सभा में इस बात के लिए आश्वासन देना पड़ेगा कि आप इस बकाया को, आपने यह तो जवाब दे दिया कि आपके समय का बकाया है, आपने डिसकनेक्ट नहीं किया पर आप अब क्या कर रहे हैं। आप क्या सदन को आश्वस्त करेंगे कि जो बकाया है और यह मंत्री वहां जाकर के चाय पी आते हैं, कानाफूसी कर आते हैं जिससे छोटे अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनसे जाकर के रिकवरी कर लें। आप उनकी नीलामी क्यों नहीं करते। आपने यह जो अधिनियम बना रखा है, आपने जो रिकवरी अंडर ई.यू.डी.आर. एक्ट 1960 यह आपने अधिनियम बना रखा है और उसमें पहले जो कलक्टर का अधिकार था, आपने गवर्नर से परमीशन लेकर एइएन. और एक्सइएन. को आपने अधिकार दिला दिये तो अब मैं आपसे

(डा. किरोड़ी लाल)

पूछना चाहता हूं कि आप इसमें क्या कोई पुख्ता कार्यवाही करेंगे? यह प्रद्युम्न सिंह जी ने लम्बा पूरा बजट का घाटा दे दिया, मुख्य मंत्री जी जहां भी जाते हैं एक ही + + + कि खजाना खाली है, मुख्य मंत्री जी, खजाना खाली नहीं है। इस सरकार का + + + खाली हो चुका है। यह पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहती। मैंने आपको बताया है आप एक अरब 20 करोड़ रुपयों को इकट्ठा करें और मोदी अल्कलीज वालों पर मेहरबानी करके सख्त कार्यवाही करें, रिकवरी करें। इनकी जो फैक्टरी है उसको नीलाम करें।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने राज्य में जो विद्युत की राशि बकाया है, उसकी वसूली करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव भी दिये और चिंता भी प्रकट की। जहां तक बकाया राशि का सवाल है, कोई इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या कम्पनी हो, उसके 45 दिन तक की रेवेन्यु बकाया रहती है उसको अच्छा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और कम्पनी माना जाता है। और राजस्थान में हमारा रेवेन्यु 5000 करोड़ रुपए है सालभर का। एक महीने का आन एंड एवरेज हमारा जो रेवेन्यु है वह 425 करोड़ रुपए है और हमारा बकाया है वह 650 करोड़ रुपए है, करीब 40 दिन का ही बकाया है साल के।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा असेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है और जहां तक रिअलाइजेशन का सवाल है, आज राज्य में हमारा रिअलाइजेशन 98 प्रतिशत से लेकर 105 प्रतिशत तक है। हम पुरानी रिकवरी भी कर रहे हैं। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, जो 650 करोड़ रुपए हैं यदि इनका भी हिसाब लगाये तो हमारी सरकार बनी उस समय करीब 600 करोड़ रुपए बकाया था, यह 50 करोड़ भी बढ़ा है वह पुराने बकाया के लेट पेमेंट, सरचार्ज और ब्याज के ही हैं। हमारी सरकार आने के बाद, हमारी सरकार ने बकाया को बढ़ने ही नहीं दिया है बल्कि कम किया है। मैं ये फिगर्स आपको दे दूंगा।

आपने जिस मोदी अल्कलीज की बात की है, यह क्रोनिक डिफाल्टर है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है और यह जो 40 करोड़ रुपए है, इसमें प्रिंसीपल अमाउंट भी 18 से 20 करोड़ रुपए के आसपास है और इसका जब बिजली का कनेक्शन कटता है, यह थोड़ा पैसा जमा कराकर कनेक्शन लेता रहा है। आपको हमारी कम से कम यह तो सराहना करनी चाहिए कि इसके बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, एक बार कनेक्शन 1999 में हुआ और उसमें भी माननीय सिसोदिया साहब उस समय चेयरमैन थे। उस समय पुरानी इंस्टालमेंट 24 की गयीं और इसके अलावा जो करंट ड्यूज हैं वह पूरा जमा करायेगा, पुराने इंस्टालमेंट के बदले में 2 करोड़ रुपए हमने वसूले, करंट बिल वीकली किया, हमने महीने, पन्द्रह दिन पर भी इसका यकीन नहीं किया। पुराने बिल के भी 2 करोड़ रुपए ले लिये। करंट बिल इसने करीब

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. चन्द्रभान)

एक-डेढ़ महीने चुकाया, ज्यों ही इसने करंट बिल 7 दिन का भी नही चुकाया, हमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया। तब से लेकर आज तक आज डिसकनेक्ट है। इसने खूब कोशिश कर ली, हमने दुबारा इसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया।

जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि डी.ज़ी. सैट लगाकर, मोदी अल्कलीज या जो भी कहिये, अपनी कम्पनी को चलाता है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्य सही कहते हैं और इसमें जहां तक डी.ज़ी. सैट से बिजली जनरेट करने का सवाल है, कैप्टिव पावर प्लांट पोलिसी जो राज्य की है उसमें रिलेक्सेशन दिया गया है। आप जो पुराने एक्ट की बात कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्था में यह था कि दो मेगावाट से ज्यादा का डी.ज़ी. सैट से जनरेट नहीं कर सकते थे लेकिन जो नयी कैप्टिव पावर प्लांट पोलिसी है उसमें 25 मेगावाट तक की इजाजत है और यह दो साल पुरानी पोलिसी है। यह इसलिए किया गया था कि राज्य में बिजली की कमी है इसलिए इण्डस्ट्रीज हमारी बिजली नहीं लेकर के खुद अपना उत्पादन करके चलाये और उसी पोलिसी का लाभ उसको भी मिल गया और उसी के अंतर्गत उसने अपना डी.ज़ी. सैट लगाकर स्वयं चलाता है और हमारी बिजली का उपभोग नहीं करता है।

अब सवाल यह है कि ई.यू.डी.आर. एक्ट की बात आपने की। यह एक्ट निश्चित रूप से बना हुआ है और बिजली की बकाया के लिए कुर्की करने का पूरा अधिकार है, जिला कलक्टर को अधिकार है, एक्स.इएन. तक को भी पावर दिए गये हैं, आपके कार्यालय में ही दिये गये थे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसको व्यवहार में लागू करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी दिक्कत है। हमको कंज्यूमर का भी सहयोग चाहिये, राजनीतिक दलों का भी सहयोग चाहिये, पोलिटिकल विल भी चाहिये और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग चाहिये, जो प्रयास तो करते हैं लेकिन नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं और इसके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही करके, मैंने तो क्या, वह तो स्वत: ही निर्देश है लेकिन कुछ मामलों में कुर्की की कार्यवाही होती है लेकिन व्यवहार में लागू नहीं कर पाते हैं और हमारे अधिकारी लोग भी कनेक्शन काट कर इतिश्री मान लेते हैं और हम कुर्की की कार्यवाही करेंगे चाहे इण्डस्ट्रियलिस्ट हो, बड़ा कंज्यूमर हो, चाहे किसी भी तरह का कंज्यूमर हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी, सीट पर आइये।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा और इस हाउस में भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो धारणा बना रखी है कि केवल एग्रीकल्चर में ही पैसा बकाया है, ऐसा नहीं है। जो 650 करोड़ रुपए बकाया है, इसका ब्रेकअप मैं आपको दे रहा हूं, कुल मिलाकर 650 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर के ऊपर जो बकाया है, वह करीब 90 करोड़ के आसपास है, डोमेस्टिक में जो बकाया है वह करीब 175 करोड़ रुपए है, नोन डोमेस्टिक का बकाया है वह भी करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास है। इण्डस्ट्रीज, मीडियम, स्माल, लार्ज, कुल

(डा. चन्द्रभान)

मिलाकर करीब 200 करोड़ रुपए बकाया है। यह सभी श्रेणी के कंज्यूमर्स पर बकाया है। यह बकाया नहीं रहना चाहिए, इनकी वसूली के लिये सरकार की ओर से सख्त से सख्त कदम उठाये जा सकते हैं, वह निश्चित रूप से उठाये जायेंगे। मोदी अल्कलीज के खिलाफ भी कुर्की की कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको यकीन दिला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक नयी व्यवस्था रोज-रोज पैदा हो रही है, पर्ची के माध्यम से मंत्रीजी से उम्मीद करें कि वह जवाब दें और पर्ची के माध्यम से किसी भी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप मंत्री के खिलाफ यहां लगे, बिना नोटिस दिये, यह बात ठीक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी गृह मंत्रीजी पर आरोप लगाये हैं....

श्री अमराराम (धोद) : आरोप क्या लगाये हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह बकाया बहुत पुरानी है।

श्री अमराराम (धोद) : यह आरोप है क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं-नहीं, उससे एक मैसेज जाएगा। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाया गया है..(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आरोप यह लगाया गया है कि गृह मंत्रीजी वहां जाकर आये हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आरोप कुछ है ही नहीं। यह कहा है कि वे वहां फैक्टरी में गये थे, इसमें आरोप की बात कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री जुगल काबरा : इन्होंने कहा कि मोदी अल्कलीज के साथ सांठगांठ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय भी बकाया था तब भी इनकी सांठगांठ थी क्या, तब इन्होंने कनेक्शन नहीं काटा था। उनकी भी मोदी अल्कलीज के साथ सांठगांठ थी क्या, जिसकी वजह से इन्होंने कनेक्शन नहीं काटा था, कृपया यह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। श्री अमरारामजी। बैठिये प्लीज। माननीय राजेन्द्रजी विराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतकजी को क्या दिक्कत हो गयी? उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो आज बड़ी मजबूती से सदन को आश्वासन दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा पर एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब डी.जी. सैट की परमीशन आपकी इस कम्पनी ने मांगी तब क्या उसमें बकाया राशि थी, उसकी बकाया होते हुए आप डी.जी. सैट की परमीशन दे सकते हैं कानूनन?

डा. चन्द्रभान : आपने जो जानकारी दी है, नयी कैप्टिव पावर प्लांट पोलिसी में इसकी अनुमति की जरूरत नहीं थी और फिर भी इसने कोई अनुमति मांगी है, मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और यदि कहीं भी हमारे विभाग में, किसी भी स्तर पर चाहे एक्स.इएन. स्तर पर, ए.इएन. स्तर पर, यदि कम्पनी के साथ कोई मिलीभगत पायी गयी, उसको लाभ देने की दृष्टि से कोई कार्यवाही की गयी है तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही भी करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

अकाल राहत कार्यों का बकाया पैसा दिलवाने विषयक

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले तीन साल से राजस्थान की जनता अकाल का सामना कर रही है, इस साल 8000 से ज्यादा गांव अकाल अभाव की स्थिति में है, अकाल से ग्रस्त है। चौथे साल में भी, सरकार जहां बार-बार यह कहते नहीं थकती कि हमने अकाल को विकास में बदल दिया है, उसको विकास में किस तरह बदला है उसका एक नमूना मैं देना चाहूंगा।

सीकर जिले की उन तमाम ग्राम पंचायतों में जिनमें 2057 में अकाल राहत कार्यक्रम चलाये गये और डोवटेल करके अकाल राहत और सामग्री और मजदूरी मद में जो दिया गया है, उसमें विशेष तौर से सीकर जिले की तमाम ग्राम पंचायतों को टी.एफ.सी. का जो पैसा था, शायद राजस्थान के 31 जिलों में तो उसको रिलीज नहीं किया गया लेकिन सीकर जिले में टी.एफ.सी के पैसे को अकाल राहत के साथ डोवटेल करके जो स्वीकृतियां निकाली गयी, ग्राम पंचायतों के स्वीकृतियां निकालने के बाद तमाम वे जो कार्य कच्चे और पक्के की स्वीकृति दी गयी थी, वे तमाम कार्य सम्पूर्ण करके उनकी यू.सी. और सी.सी. जारी होने के बाद, 9 महीने के बाद आज एक पैसा सामग्री का, जो पूरे जिले में पांच करोड़ से ज्यादा पैसा तमाम उन ग्राम पंचायतों का बकाया है और जो पिछले 9 महीने से लगातार वहां राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर के सामने तमाम पंचायतों के संरपचों ने मिलकर उनका घेराव किया और उनके यहां लगातार 20 दिन तक धरना दिया। राज्य सरकार की ओर से उनको जिला कलक्टर ने यह विश्वास दिलाया कि सात दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर सात दिन के बाद तमाम पंचायतों के प्रतिनिधि वापस गये। सात दिन के बाद जिला कलक्टर ने कहा कि मैंने सरकार के बिहाफ पर सात दिन में पेमेंट करने का वायदा आपको किया था। अब राज्य सरकार की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं है इसलिए मैं कोई भी आपको आश्वासन देने में असक्षम हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख तक, 10 महीने से, उन ग्राम पंचायतों के संरपचों जिनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, दलित हैं, जिनकी क्षमता नहीं है कि खुद व्यक्तिगत पेमेंट कर दे, उनकी क्षमता नहीं है और उन लोगों के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा का बकाया सामग्री मद का, आज तक,

(श्री अमराराम)

10 महीने से एक नया पैसा उन ग्राम पंचायतों को पेमेंट नहीं हुआ है। बार-बार लगातार धरने के बाद सरकार और मंत्रालय की ओर से, जहां से पहले यह गया कि वित्त विभाग से वित्त मंत्रीजी की ओर से उस पर पाबंदी लगायी हुई है कि इस पैसे को कोई विड्रा नहीं करे। अभी मार्च में जब उन्होंने धरने दिये तो वित्त विभाग और ग्रामीण विकास की ओर से यह परिपत्र उनके पास गया कि इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। एक तरफ वित्त विभाग पाबंदी की बात करता है, ग्रामीण विकास विभाग इस बात का परिपत्र भेजता है कि किसी प्रकार की पांबदी राज्य सरकार के विकास विभाग की तरफ से नहीं है, विड्रा कर ली जाए, लेकिन ये सब पत्र मार्च में मिलने के बाद आज एक अप्रैल तक एक नया पैसा भी उन ग्राम पंचायतों को भुगतान नहीं किया गया है और जहां से भी सामग्री उन ग्राम पंचायतों ने लेकर उन निर्माण कार्यों को कराया है, ग्राम के उन लोगों को अकाल राहत में मजदूरी दी है उनको आज तक तमाम के तमाम लोग उस पैसे को वसूलने के लिए उन तमाम ग्राम पंचायतों को, संरपचों को अपनी पंचायत और घर छोड़ना पड़ रहा है। लगातार राज्य सरकार के मंत्री से भी, राज्य सरकार के मुख्य मंत्री से भी बार-बार सीकर जिले के प्रतिनिधि मण्डल स्थानीय विधायकों के माध्यम से, खुद के माध्यम से राज्य सरकार से बार-बार अपील करने के बाद भी राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद जो काम कराये हैं उनका भुगतान आज तक नहीं होना मैं समझता हूं इससे बड़ी सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है। सरकार के लिए तो शर्म की बात हो सकती है, लेकिन 200 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के संरपच, जिन्होंने अकाल राहत में सरकार के बिहाफ पर काम कराये, उनका जो बकाया है वह जब तक नहीं चुकेगा वे अपने घर और गांव में नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, क्योंकि इससे परेशान होकर वे तमाम सरपंचगण राजस्थान की विधान सभा पर कल आपके सामने आने वाले हैं। इसलिए आप मंत्रीजी यह स्पष्ट करें कि वह पैसा जो सरकार के आदेश से सरकार की भावनाओं के अनुसार उन्होंने काम करवाया, पूरी यू.सी.सी.सी. जारी हो गयी, अब ऊपर से उनको भयभीत करने के लिए राज्य सरकार पेमेंट करने की बजाय उनकी दुबारा चैकिंग करेगी। एक नहीं 10 दफे चैकिंग कराएं, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन चैकिंग के नाम से वे पैसा नहीं मांगे, भयभीत करने की राज्य सरकार की ओर से बार-बार कोशिश की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार इसमें तुरन्त एक्शन लेकर जो साढ़े पांच करोड़ रुपया जो सामग्री मद का ई.एफ.सी. का पैसा बकाया है उसका पेमेंट कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

फसल बरबादी पर मुआवजा दिये जाने विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार किसानों ने बड़ी मुश्किल से अपनी फसल को पैदा किया था,

(श्री मदन दिलावर)

क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं बिजली के भाव, बिजली का नहीं मिलना और बड़ी कठिनाइयों के बाद कर्जा लेकर भी अपनी फसल को बचाया था। अच्छी फसल हमारे इलाके में इस बार हुई। धनिया की फसल बहुत अच्छी थी। पिछली 22 तारीख को जो फसल खेतों में कटी हुई थी अकस्मात तेज अंधड़ आने से लगभग दो दर्जन से भी अधिक गांवों की धनिया की फसल उड़ गई। उसके कारण से दूर-दूर तक कई किलोमीटर तक धनिये की फसल उड़कर चली गई। एक भी दाना किसान के हाथ नहीं लगा। इसके कारण से किसानों का करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया है। मुख्यतः अटरू तहसील का कचरा, काचरी, अंतारा, आटौन, बम्बोरी, सहरोत, नरसिंहपुरा, सांगौद तहसील के गेहूंखेड़ी, भूलाहेड़ी, भूलाहेड़ा, कम्बोलर, दिलीपुरा ऐसे अनेक गांव हैं और जिनकी फसल उड़ गई सरकार से मेरा यह निवेदन है कि जिन किसानों की फसल उड़ गई है और जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है उनको निश्चित रूप से सहायता देनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा तो यह किया कि जो केन्द्र सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की थी और राज्य सरकार को निर्देश दिये थे कि फसल बीमा योजना लागू करे ताकि किसी भी किसान को प्राकृतिक विपदा में नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसको लागू नहीं करने के कारण आज मेरे इलाके के हजारों परिवार बरबाद हो गये हैं और खाने के लिए एक भी पैसा और अनाज का एक भी दाना उनके पास नहीं बचा है। इसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि प्राकृति विपदा फण्ड से उन लोगों को राहत पंहुचाए ताकि वे अपने परिवार को चला सकें, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 55 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स - डिवी / 2002-143 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12) एफ.डी. / टैक्स - डिवी / 2001-12 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-144 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं को कर से दिनांक 31.3.2002 तक छूट प्रदान की गई है।

3. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-145 दिनांक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

22.3.2002 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य में माल विनिर्माण के लिए नई इकाई स्थापित की है, राज्य के भीतर विक्रीत ऐसे माल के उसके पण्यावर्त के सम्बन्ध में उसके द्वारा संदेय कर से छूट का दावा करने के लिए ऐसी सीमा तक कतिपय शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

4. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-146 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य में माल विनिर्माण के लिए नई इकाई स्थापित की है, राज्य के भीतर विक्रीत ऐसे माल के उसके पण्यावर्त के सम्बन्ध में उसके द्वारा संदेय कर से छूट का दावा करने के लिए ऐसी सीमा तक कतिपय शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

5. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-147 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा सूती धागों के विनिर्माण करने वाले किसी व्यवहारी को काटन के क्रय-विक्रय पर राज्य में संदत्त कर में कतिपय शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

6. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-148 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा सूती धागों के विनिर्माण करने वाले किसी व्यवहारी को काटन के क्रय-विक्रय पर राज्य मे संदत्त कर में कतिपय शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

7. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-149 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी को कच्ची सामग्री के क्रय में अलौह धातु के विनिर्माण व विक्रीत माल के उसके पण्यावर्त के सम्बन्ध में उसके द्वारा संदेय कर से कतिपय शर्तों के अन्दर छूट प्रदान की गई है।

8. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-150 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी को कच्ची सामग्री के क्रय में अलौह धातु के विनिर्माण व विक्रीत माल के उसके पण्यावर्त के सम्बन्ध में उसके द्वारा संदेय कर से कतिपय शर्तों के अन्दर छूट प्रदान की गई है।

9. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-151 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12) एफ.डी. /टैक्स-डिवी/2001-20 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-152 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12)एफ.डी/टैक्स-डिवी/2001-26 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-153 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12)एफ.डी/टैक्स-डिवी/

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

2001-22 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-154 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(74) एफ.डी./टैक्स-डिवी/96-380 दिनांक 22.3.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-155 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(4) एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-249 दिनांक 13.11.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-156 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा बाध्यकारी रजिस्ट्रीकरण के लिए एक सौ रुपये उसके द्वारा फीस के रुप में अधिसूचित किये गये हैं।

15. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-157 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अस्थाई रजिस्ट्रीकरण हेतु फीस एक सौ रुपये अधिसूचित की गई है।

16. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-158 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण हेतु फीस एक सौ रुपये अधिसूचित की गई है।

17. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-159 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001- 29 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

18. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-160 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-30 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

19. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-161 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-220 दिनांक 30.4.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया।

20. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-162 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(7)एफ.डी./टैक्स-डिवी/98 दिनांक 2.5.2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-163 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(4) एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-221 दिनांक 30.4.1999

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-164 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4.(25) एफ.डी./टैक्स-डिवी/94-334 दिनांक 3.4.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-165 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-42 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

24. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-166 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-277 दिनांक 7.5.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

25. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-167 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-48 दिनांक 29.3.2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-168 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-106 दिनांक 12.11.2001 में संशोधन किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-169 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-289 दिनांक 30.3.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

28. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-170 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-290 दिनांक 30.3.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-171 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(1) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000- 291 दिनांक 31.3.2000 में संशोधन किया गया है।

30. अधिसूचना संख्या एफ4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002-172 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-292 दिनांक 30.3.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

31. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-173 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(11) एफ.डी./ग्रुप-IV/95-50 दिनांक 27.3.1995 (समय समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

32. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-174 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा किसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को कतिपय शर्तों के साथ प्राधिकृत अधिकारी से लिये जाने वाले प्रमाण-पत्र अधिसूचित करते हुए कर में छूट दी गई है।

33. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-175 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा विभिन्न राज्यों के राज्य पथ परिवहन निगमों को किये गये कमानी पत्तों और कमानी के खुले पत्तों के विक्रय के संबंध में संदेय कर कतिपय शर्तों के अधीन 4 प्रतिशत की दर से संगणित की गई है।

34. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-176 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-28 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-177 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्यिक के अनुक्रम में कारोबार के किसी भी ऐसे स्थान से उसके द्वारा राज्य में विनिर्मित ढलवा लोहा-सांचों के विक्रय के सम्बन्ध में कर दर संगणित की गई है।

36. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-178 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(18) एफ.डी./टैक्स-डिवी/97 पार्ट-III 92 दिनांक 27.9.2001 में संशोधन किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-179 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा चाय में सम्मिश्रण की प्रक्रिया का विनिर्माण क्रिया-कलाप नहीं माना गया है।

38. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-180 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा सम्मिश्रण चाय के विक्रय या क्रय को दिनांक 21.3.2002 तक कतिपय शर्तों के अधीन कर से छूट दी गई है।

39. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-181 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-146 दिनांक 26.3.1999 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

40. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-182 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा राज्य में आटा, मैदा व सूजी का व्यापार करने वाले व्यवहारियों को कतिपय शर्तों व रीतियों के माध्यम से संदेय कर में छूट दी गई है।

41. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-183 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा गलीचों के क्रयों को कतिपय शर्तों के अंतर्गत छूट दी गई है।

42. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-184 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा माल के विनिर्माण में ईंधन के रूप में या कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन के लिए हाई और लाइट स्पीड डीजल आयल के क्रय या विक्रय पर संदेय कर की दर सशर्त 3 प्रतिशत की गई है।

43. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-185 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा दूरसंचार के लिए माइक्रोवेव ट्रांसमीशन टावर्स के विक्रयों को उस सीमा तक की दर 4 प्रतिशत से अधिक हो, को संदेय कर से छूट प्रदान की गई है।

44. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-186 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा राज्य में खाद्य तेल का निर्माण करने वाले व्यवहारियों को विक्रीत खाद्य तेल पर संदेय कर में से उस सीमा तक जिस तक की दर 1 प्रतिशत से अधिक हो, की छूट का दावा करने हेतु शर्तें तय की गई है।

45. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-187 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-261 दिनांक 20.1.2000 (समय समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

46. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-188 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-265 दिनांक 20.1.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

47. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-189 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-246 दिनांक 15.10.1999 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-190 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं को राजस्थान विक्रय कर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन अधिसूचित दर पर कर संदत्त कर दिया गया है।

49. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-191 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा आटा, मैदा और सूजी के प्रवेश पर कर को कतिपय शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

50. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-192 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा खेल के विक्रयों के सम्बन्ध में संदेय कर 2 प्रतिशत की दर पर संगणित किया गया है।

51. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-193 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-14 दिनांक 29.3.2001 में संशोधित किया गया है।

52. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-194 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा गोबर गौमूत्र से निर्मित उत्पादों के क्रय-विक्रय को कर से छूट दी गई है।

53. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002-195 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1995 को दिनांक 1.4.2000 से संशोधित किया गया है।

54. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (30) एफ. डी./टैक्स-डिवी/2002 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(30)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2002- 143 से 195 का राजपत्र में हिन्दी अनुवाद किया गया है।

55. अधिसूचना संख्या एस.ओ.-390 दिनांक 22.3.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(30) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-12 दिनांक 29.3.2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. चन्द्रभान जी। (व्यवधान) इंदौरा जी आ गये हैं।

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 22 वां प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

श्री हीरालाल इंदौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में उल्लिखित निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :—

गांव खरदेवला पंचायत समिति बड़ी सादड़ी में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण

1. गांव खरदेवला पंचायत समिति बड़ी सादड़ी में पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण

2. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

उप स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बावली पंचायत समिति बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ के अधूरे निर्माण कार्य

3. उप स्वास्थ्य केन्द्र, अम्बावली पंचायत समिति बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

प्राथमिक विद्यालय सुथारखेड़ा, पंचायत समिति बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ के अधूरे निर्माण कार्य

4. प्राथमिक विद्यालय सुथारखेड़ा, पंचायत समिति बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरेन्द्र मिर्धा।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान सड़क विकास अध्यादेश, 2002 को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002-2003 का जो बजट राजस्थान का इस सदन में पेश किया मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के विकास का अगर कोई बैरोमीटर है, इस राज्य का अगले वर्ष का किस प्रकार का विकास होगा वह उसके बजट में रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस बजट को पूर्णतः देखने के बाद ऐसा लगता है न तो यह कोई दिशा दे पाएगा और न कोई दशा दे पाएगा। यह एक तरह से पूरा कर्जे में डूबा हुआ, विकास को बिलकुल अवरुद्ध करने वाला यहां तक कि एक तरह से आंकड़ों के जाल में राजस्थान के भविष्य को डुबोने वाला मैं कह सकता हूं।

(13.28)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

जिस प्रकार के इसमें आंकड़े हैं अगर उनका विश्लेषण करेंगे तो वित्त मंत्रीजी, आपको मन से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यह एक ऐसा पुलिंदा आपने पेश किया है कि जिसका कोई धरातल ही नहीं है। आपके पास उस बजट को पूरा करने के लिए कोई साधन ही उपलब्ध नहीं है। आपने जिस प्रकार का, मैं तो आगे एक-एक के बारे में स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, आपने शुद्ध घाटा जो पिछली बार 283 करोड़ रुपये छोड़ा था उस समय भी वही लैंग्वेज लिखी थी कि हम अपने खर्चे को बचाएंगे, हम अपने कलेक्शन को बढ़ाएंगे और हम 283 करोड़ के घाटे को पूरा कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले साल का जो 283 करोड़ का घाटा छोड़ा था वह अंत में जाकर आपके इसी बजट में आया कि वह 900 करोड़ रुपया पहुंच गया। ठीक उसी प्रकार से आपने अब की बार 1,334 करोड़ रुपया का घाटा छोड़ा और केवल जनता को गुमराह करके, केवल यह एक तरह से वाहवाही लूटने के लिए कि हम केवल 50 करोड़ का टैक्स लगाएंगे और बाकी यह जो बचा हुआ पैसा है यह अपने मैनजमेंट को सुधारकर प्राप्त कर लेंगे। इससे ज्यादा अपनी आत्मा को धोखा देने वाला और कोई दूसरा बजट नहीं हो सकता है। कम से कम इस बारे में आपकी कुछ न कुछ स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है जब आपकी सरकार 153 के बहुमत में आयी तब अभियान में बिलकुल चूर थी, उस समय उन्हें किसी भी बात का अहसास नहीं था और आपने यह उस समय एक राजस्थान सरकार की अर्थ व्यवस्था, वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया था। अब यह श्वेत पत्र क्या था कभी आपने इस श्वेत पत्र को वापस पढ़ने की कोशिश की कि केवल बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया, राजस्थान को बरबाद कर दिया। अब अगर इसी श्वेत पत्र के आंकड़ों में अगर आपके आंकड़े मिला दिये जायं, चार साल के तो मैं सोचता हूं हमने तो शायद उसे डुबोया नहीं, आपने तो सर्वनाश और सत्यानाश की ओर अग्रसर किया है, इन सारे के सारे आंकड़ों के आधार पर। इन बातों के बारे में कभी आपने विचार किया, आखिर हम यह बजट पेश करते हैं और बजट पेश करने के बाद बजट में जो भी हमारी प्रमाणिकता है, उसका भी हमने ध्यान नहीं रखा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना पेश हुई थी वह तीन हजार करोड़ की थी और तीन हजार करोड़ की जब उसकी पूर्ति हुई तो 3106 करोड़ रुपये उस पूरी की पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना में खर्च हुए, जो भी उसका निर्धारण था उसका 104 प्रतिशत खर्चा हुआ। कम से कम प्लान तो पूरा हुआ। और उसके बाद जब आठवीं पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने बनायी थी तो आप लोगों ने उसके खिलाफ बहुत बंवडर किया था और कहा था कि तीन हजार की स्कीम को साढ़े 11 हजार की यह शेखचिल्ली की योजना क्या पेश हो गयी लेकिन आपको यह सुनकर संतोष होगा कि वह आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 11500 करोड़ की जो स्वीकृत हुई थी वह अन्त में जब पूरी हुई तो 12500 करोड़ रुपये उस पर खर्च हुए अर्थात् 114 प्रतिशत जो योजना का आकार था उस योजना के आकार को बढ़ाया और आपको जब नवीं पंचवर्षीय योजना सुपुर्द की थी 27650 करोड़ की। उस 27650 करोड़ की जो आपने भिष्ट मिलायी है जो उसकी दुर्गति की है और जिस तरह से आपने उसका मखौल उड़ाकर राजस्थान को, जिस राजस्थान के बारे में कहावत है यह पिछड़ा राज्य है, यह बीमारू राज्य है, हम जहां कहीं भी किसी भी मीटिंग में जायं, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, चाहे प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, चाहे हमारी इण्डस्ट्रीज की दृष्टि से, जिस बारे में भी हम लें, हम हिन्दुस्तान के उन 17 राज्यों में सबसे अंतिम श्रेणी में खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। हम किसी में पन्द्रहवें स्थान पर, किसी में सोलहवें स्थान पर, किसी में सत्रहवें स्थान पर। हमारी यही एक तरह से हायरार्की लगी रहती है और उसके कारण से राजस्थान को बीमारू राज्य के रूप में पुकारा जाता है। हम लोगों ने प्रयास करके सातवीं पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना 416 प्रतिशत का उसको बढ़ावा दिया और इस बीमारू राज्य को निकालने का प्रयास किया, उसको तो आपने यह श्वेत पत्र जारी करके हम दिवालिया हो गये, हम दिवालिया हो गये, यह कह कर आपने सारे देश और दुनिया में एक ढिंढोरा पीट दिया जैसे कोई राजस्थान तो बिलकुल दिवालिया हो गया तो उस दिवालिया की मदद करने के लिए बाद में आगे कोई आएगा कौन आएगा, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि यह जो तीन हजार करोड़ की थी इसमें तो 416 प्रतिशत बढ़ा 12500 करोड़ रुपये खर्च हुए। लेकिन जो आपने नवीं पंचवर्षीय योजना बनायी इस नवीं पंचवर्षीय योजना में जो आपने सालाना बजट रखे, इन सालाना बजट में टोटल आपने 21461 करोड़ रुपये का ब्रेक अप दिया था, इन पांच वर्षों का कि पहले साल में आपका 3504 करोड़ होगा, दूसरे साल में 4300, तीसरे साल में, 5002 चौथे साल में 4146 और पांचवें साल में 4515, यह सब मिलाकर आपने 21461 करोड़ की टोटल, यह पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना बनायी जिसके फिगर मिलाकर 21461 करोड़ रुपये, अब आप यह बताइये कि आपको यह केवल फिगर देने का ही अगर शौक पड़ गया है और अगर आपको बजट की जो कुछ गम्भीरता है उस गम्भीरता को भी समाप्त करने का आपने मन बना लिया हो। यह इसलिए आंकड़ों से प्रमाणित है कि आपने हर प्लान जो बनाया उसको आपने पूरा नहीं किया। उसमें भी और वास्तव में जो हमने पूरे पांच सालों का जो खर्चा जोड़ा वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

19814 करोड़ रुपये आपने कुल खर्च किया। मतलब पहले तो आपने बनायी थी 27650 करोड़ की, फिर आपने उन बजट को काटते-काटते उसको सारा रखा 21461, और वास्तव में जो खर्च हुए हैं वह 19814 करोड़ रुपये। अर्थात् केवल आपने योजना का 88 परसेंट, 88 परसेंट कौन सा, जो आपने प्लान हर साल जो बजट पेश किया उसका। तो कुल आपने 88 परसेंट खर्च किया। और अगर वास्तव में प्लान के हिसाब से देखें तो केवल आपने 71 परसेंट यह पूरी की पूरी नवीं पंचवर्षीय योजना आपने लाकर दिखा दी, 71 परसेंट खर्चा। तो यह आपको विकास की ओर बढ़ा रहे हैं या विनाश की ओर बढ़ा रहे हैं। ये सारे के सारे आंकड़ें हैं वह इस बात को प्रमाणित करते हैं, मुझे तो बहुत अफसोस इस बात का है कि शायद आपको भी यह फुर्सत नहीं और आपके किसी डिपार्टमेंट वाले को भी यह फुर्सत नहीं है कि कभी इन आंकड़ों को मिलाकर अपने दिमाग पर वजन डाले कि हम जा कहां रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं?

मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कृषि की जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने अनुमानित खर्चा जो उस समय आंका था वह 1953 करोड़ रुपये कृषि पर हम खर्च करेंगे। अगर इन पांचों सालों के बजट के टोटल निकालें तो 1405 करोड़ रुपये इस पर टोटल आपका बजट आया और एक्चुअल में आपने खर्च कितना किया तो 1074 करोड़ रुपये खर्च किया। अर्थात् आपने 331 करोड़ रुपये जो आपने अपने हिसाब से इन पांचों सालों के बजट में जो कृषि के लिए पैसा रखा था उसमें से भी आपने 331 करोड़ रुपये खर्च नहीं किया और दुहाई देते हैं किसान की, दुहाई देते हैं उसकी बातों की लेकिन स्थिति यहां तक है केवल खर्चा कितना किया आपने, जितना आपने बजट पेश किया था वह 1400 करोड़ रुपये का, उसका 54 प्रतिशत आपने कृषि पर खर्च किया है। वित्त मंत्रीजी, इन आंकड़ों की तरफ निगाह डालने की कोशिश करिये तो यह स्पष्ट करेंगे कि हम राजस्थान को किस रसातल में डालना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है। क्योंकि कृषि हमारा आधार है। उस कृषि के आधार को हमने जिस तरह से इन पांच सालों में डुबोने का प्रयास किया और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम किसानों के हिमायती हैं, ये आंकड़ें तो यह प्रदर्शित नहीं करते कि आप किसानों के हिमायती हैं। ये आंकड़े तो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि आपने जितना दुर्लक्ष्य किया है दो स्रोत पर एक तो उद्योग और खनिज और एक इन दोनों पर, जो दोनों रोजगार के सबसे बड़े साधन हैं, उन सबसे बड़े साधनों को आपने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।

यह ग्रामीण विकास पर जो योजना थी वह योजना सारी की सारी मिलाकर 1967 करोड़ की थी नवीं पंचवर्षीय योजना। आपने अपने बजट में जो प्रावधान किया उसके अगेंस्ट में जो खर्च किया वह 1694 करोड़ रुपये आपने कुल खर्च किया। और 1694 करोड़ जो किया है, आपके अपने बजट में टोटल करूं पांच साल का जो आपने पेश किया और ग्रामीण पर आपको खर्च करना था वह 1694 करोड़ खर्च करना था। उसकी दृष्टि से आपने 45 करोड़ रुपये अधिक खर्च किया। लेकिन जो प्लान था उसको आपने कम किया और इसमें भी आपने क्या किया, इसमें सबसे ज्यादा पैसा तो केन्द्र सरकार का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विभिन्न स्कीमों में आया हुआ हैं, आपके अपने घर का क्या है? आपने इस दृष्टि से क्या मिलाया है? इन बातों को आप स्पष्ट करिये।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि सहकारिता के क्षेत्र में आपने पूरी पंचवर्षीय योजना में 32 करोड़ रुपये कम खर्च किये, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर जो आपको 3027 करोड़ रुपये खर्च करने थे उसकी जगह तो आपने बजट में पूरा प्रावधान ही 2599 करोड़ का रखा और खर्च किया केवल 2267 करोड़ रुपये अर्थात् 332 करोड़ रुपये आपने उसमें कम किये। यह जो ऊर्जा के क्षेत्र में आप यह फुदक रहे हैं न कि हमने यह कर दिया, हमने यह कर दिया, कभी आपने अपनी पंचवर्षीय योजना पर रखे हुए प्रावधान को भी देखा कि पिछली सरकार ने भी इसको सबसे प्रथम प्राथमिकता देकर ऊर्जा पर जो उस समय नवीं पंचवर्षीय योजना में पैसा रखा था वह 6528 करोड़ रुपये रखा था। उसके अगेंस्ट में आपकी पूरी पांच साल की टोटल जो आपने बजट में पेश की वह 4870 करोड़ रुपये है। अब उसमें आपने 5319 करोड़ रुपये खर्च किये जितना आपने बजट में रखा है उससे 449 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया जो आपके पांच साल के बजट के जो फिगर थे उनके। लेकिन एक्चुअल में इस बात को हमने नवीं पंचवर्षीय योजना में जिसको महत्व दिया था उस महत्व के आधार पर भी आपने उसकी पूर्ति नहीं की।

उद्योग और खनिजों की तो जो आपने दुर्गति की है कि उसके बारे में वित्त मंत्रीजी, थोड़ा सा आप इस फिगर को अपने अधिकारियों से बैठकर समझने की कोशिश करिये कि राजस्थान तरक्की कर रहा है कि राजस्थान रसातल की ओर जा रहा है? ये सारे के सारे आंकड़े इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। और मैं यह बातें केवल यों ही भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सत्य के साथ इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि हम रसातल की ओर जा रहे हैं, हम कितनी ही यहां थपथपी कर लें और कितनी ही वाहवाही लूट लें और कितना ही लोगों को मूर्ख बना लें, लेकिन हकीकत को अगर देखेंगे तो यह हकीकत बिलकुल इसके विपरीत जा रही है। इसी तरह से, आपने खनिज और उद्योग में 2152 करोड़ रुपये कुल रखे थे, एक्चुअल में जो आपने बजट में प्रावधान रखा, जब नवीं पंचवर्षीय योजना में 2152 करोड़, आपकी पांच...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, यह अधिकारीगण आज उनका बायकाट है या कोई असहयोग आन्दोलन है उनका, क्या है? बजट डिबेट शुरू है लेकिन आपका कोई अधिकारी तो है ही नहीं।

श्री सभापति : माननीय स्टेट मिनिस्टर, फाइनेंस मौजूद हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी को बिजनस एडवाइजरी.........

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन साहब, यह पहली बार है कि अधिकारी गैलेरी खाली है। कौन जवाब देगा, कौन इसे समझेगा? दुर्भाग्य है यह राजस्थान का।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अधिकारियों ने बायकाट किया है क्या?

श्री सभापति : वित्त मंत्री जवाब देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या देंगे, मेरी गारंटी है अगर वे बिना इन अधिकारियों की मदद से मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं आपके सामने इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि यह राजस्थान का वित्त मंत्री क्या सोच रहा है।

श्री सभापति : आप जवाब देंगे। माननीय सदस्य, सदन की कुछ परम्पराएं हैं और माननीय वित्त मंत्रीजी आपके हर बिन्दु का जवाब देंगे। इस वक्त उनको बिजनस एडवाइजरी कमेटी में जाना था। आसन की इजाजत से वे जा रहे हैं और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं आपके जवाब के लिए। चिंता मत कीजिये, हर बिन्दु का जवाब पूरा दिया जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जाने दीजिये। माननीय सभापति महोदय, आपने अनुमति दे दी कि अधिकारी कोई नहीं रहे यहां पर?

श्री सभापति : अधिकारी न आसन से इजाजत लेते हैं न अधिकार है.......

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए?

श्री सभापति : रहना चाहिए, रहेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लगाओ डांट इनको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ क्योंकि यह राजस्थान के बजट पर जिस प्रकार से चर्चा प्रारम्भ हुई, मेरा यह विश्वास है, आप अगर मुझे दिलवा देंगे तो मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूं। दुर्भाग्य यह होता है कि जब बोलते हैं तो 2-4 इधर की ठोकते हैं और पास करा करके भाग जाते हैं। अगर टू द पाइंट जवाब दें तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं राजस्थान के भले के लिए हम सब लोगों को इस पर निगाह डालनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम बोलते क्या हैं, घोषणा क्या करते हैं और वास्तव में उसकी परिणति क्या आती है।

श्री सभापति : आपको तो हर बिन्दु का जवाब दिया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप देखिये, परिवहन पर पूरी नवीं पंचवर्षीय योजना में 2689 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, आपने उसको घटा करके अपने पांच साल की योजना में 2363 करोड़ रुपये उस प्रावधान में रखा जो बजट आप हमको देते हैं उसमें जो घोषणा करते हो इसमें आपने इतना रखा लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना किया आपने? एक्चुअल खर्चा किया केवल 1960 करोड़ रुपया, अर्थात 403 करोड़ रुपया जो आपने बजट में हमको दिया जो प्रावधान आपने पांचों साल में किया वह भी आप खर्च नहीं कर पाये और केवल वाहवाही लूटने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि यह जो वैज्ञानिक अनुसंधान का जो 38 करोड़ का प्रावधान था, आपके बजट में 19 और एक्चुअल में खर्चा हुआ 10 करोड़, 19 करोड़ रुपये आपने जो प्रावधान रखा उसमें से कम किया।

सामाजिक और सामुदायिक विकास की जितनी योजनाएं हैं इसमें 7519 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। आपने अपने बजट के पांचों साल में 6844 का रखा, उसमें से खर्च किया 6408, अर्थात माइनस 436 करोड़ रुपया, अर्थात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कुल जितना प्रावधान रखा उसका 85 प्रतिशत आप अपने बजट में काम ले पाये। यह बाकी पैसा आपने बचाया।

इसी तरह से आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आर्थिक सेवा में जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 769 करोड़ का प्रावधान था उसके अगेंस्ट में आपने अपने बजट में यह आर्थिक सेवाओं का मतलब, यह जो कृषि है, बाकी आपके उद्योग हैं, खनिज हैं, यह सारी इण्डस्ट्री है, इस पर यह आपका पैसा जाता है तो 769 करोड़ के अगेंस्ट में आपने केवल 284 करोड़ का तो प्रावधान किया और खर्च कितना किया? शर्म आनी चाहिए, 107 करोड़ रुपये आपने मात्र इस आर्थिक योजना पर खर्च करके टोटल जितना बजट है उसका 13 प्रतिशत खर्च किया। 107 करोड़ रुपये केवल आपने खर्च किया। यह आपकी स्थिति लगती है कि नौजवान को काम कहां मिलेगा, रोजगार कहां मिलेगा, कहां आपकी दिशा है, कहां दशा है? इसके बारे में कोई किसी ने बैठ करके सोचा भी है? सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को इस बारे में देखने की चिंता नहीं है कि हमारा जो कुछ भी राजस्थान का विकास होगा, इस बजट के माध्यम से, हमारे इन कामों के माध्यम से राजस्थान आगे बढ़ेगा। जिस राजस्थान को बीमारू राज्य से निकालने की कोशिश की उसको आपने फिर से गर्त में डालने का काम इन पांच सालों के बजट में किया है।

इसी तरह से यह जो सामान्य सेवा है इसमें भी 201 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ है। 372 के अगेंस्ट में 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ और इस तरह से 27650 करोड़ की जगह 21461 के अगेंस्ट में केवल 19814 करोड़ रुपया मात्र खर्च किया जो पूरी प्लान का केवल मात्र 71 प्रतिशत है।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय सदस्य, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, यह नवीं पंचवर्षीय योजना के ढाई साल बी.जे.पी. के राज के थे। अच्छा यह होता कि आप जो कम्पेयर कर रहे हैं वह ढाई साल में आपका एनुअल प्लान का जो एक्सपेंडिचर है उसको कम्पेयर करके करते तब यह जो 19 हजार का फिगर दे रहे हैं उसको ठीक कर सकते। जो आंकड़े हैं, आंकड़े उपलब्ध हैं वह दो साल आपके शासन में भी एनुअल एक्सपेंडिचर 3600-3700 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 3600 करोड़ रुपये का पांच साल का लगा लें तो 15 हजार करोड़ रुपये होता है। हमने तो 19 हजार करोड़ रुपये किया है। ढाई साल में हमारे एक्सपेंडिचर हर सैक्टर में आपसे ज्यादा हैं। मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता क्योंकि आप पांच साल का कम्पेयर कर रहे हैं तो पांच साल में कम्पेयर में ढाई साल का बी.जे.पी. के राज का जो पांच साल का प्लान है उसको भी कम्पेयर कर लेते तो बैटर पोजिशन सामने आती।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं वह ही साथ में लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि आप यह सवाल खड़ा करेंगे और इसलिए मैं एक-एक फिगर, एक-एक चीज का निकालकर के लाया हूं। हमारा जो.......

श्री सी. पी. जोशी : सारी, मैं एक ही बार इंटरवीन करूंगा। आप जो पहले साल, दूसरे साल, तीसरा साल तो ढाई साल हमारा आ

(श्री सी. पी. जोशी)

गया, उन दोनों साल में जब आपने प्लान बनाया 27 हजार करोड़ रुपये का, आपका एक्सपेंडिचर है वह 3700 करोड़ रुपया है एवरेज, 3700 करोड़ रुपये से पांच साल में मल्टीप्लाई कर लें हम, यही आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, इसलिए आपने ढाई साल में जो दिशा दी, जो मार्गदर्शन दिया, जो हर सैक्टर में खर्च किया उससे आज के ढाई साल में हर सैक्टर में हमारा ज्यादा परफार्मेंस है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इस बात को अपने पूरे तथ्यों से प्रमाणित कर रहा हूं कि नवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष 1997-1998 है और 1997-1998 में जो हमने प्लान बनायी थी वह 3504 करोड़ की बनाई थी, उसके अगेंस्ट में हमने 3987 करोड़ रुपया खर्च किया था अर्थात् योजना से भी हमने 483 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किया। पहला उत्तर तो ठीक है? दूसरा साल जो 1998-1999 है जिसमें आधा समय नवम्बर तक का हमारा रहा उसके बाद 1998-1999 का जो मार्च एण्ड होता है उसमें आपकी सरकार आ गयी। उसमें जो बजट है 1998-1999 का वह 4300 करोड़ का हमने पेश किया था और 4300 का जब बजट पेश किया उसके बाद आप आ गये और यह श्वेत पत्र लेकर के आ गये और इस श्वेत पत्र में आपने कहा दिवालिया हो गये, हम कर्जदार हो गये, हमको डुबो दिया और उसके आधार पर आपका मन-मस्तिष्क ही नहीं था कि 4300 करोड़ का जो बजट हमने पेश किया उस बजट की पूरी पालना मार्च तक आपको करनी चाहिए थी वह आपने नहीं करके इस 4300 का जो हमने बजट पेश किया उसको आपने 3832 करोड़ पर एण्ड किया। यह एण्ड करने का जो भी पाप है वह हमारे खाते में नहीं है, वह आपके खाते में है।

श्री सी. पी. जोशी : 1996-1997 का भी बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 1996-1997 नहीं, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, यह पांच सालों की नवीं पंचवर्षीय योजना है। मैंने उसी का ब्रेक-अप इसमें से निकाला है और उसी के आधार पर मैं बिलकुल तथ्यों और अगर आप चाहें तो आपको किसमें किस तरह घटाया है वह पूरा चार्ट बनाकर लाया हूं कि एग्रीकल्चर में आपने टोटल कौन-कौन से साल में कितना कम खर्चा किया। एक भी साल ऐसा नहीं है जिसका इसमें आंकड़ा नहीं है। हर मदवाइज हमने किस प्रकार से खर्चे को कम करते हुए घटाया और उसकी सारी टोटल निकाल करके मैंने फिगर को जोड़ करके बताये हैं। मैं चाहता हूं कि आप और आपके वित्त मंत्रीजी मेरे इन सवालों का बिलकुल आंकड़ों के सहित इस बात को डिनाई करें और इसलिए मेरा चार्ज है। इस सरकार पर कि इस सरकार ने राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर होने वाले विकास को जिस गर्त में डाला है उसका अगर कोई दोषी है तो वह यह सरकार है जो भले ही 153 के आधार पर कितने ही जोश में भाषण दे दें लेकिन हकीकत से यह कोसों दूर है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से आपके इस भाषण में, यह जो श्वेत पत्र था इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी, बढ़िया-बढ़िया बातें कहीं थीं कि राजस्व घाटा बढ़ना नहीं चाहिए इससे यों हो जाएगा, दिवालियापन हो जाएगा, वह हो जाएगा। अब आप अपने इस राजस्व के मद के आंकड़े हैं इनको आप टटोलिये। मेरा बोलना है, मैं बोल लूंगा लेकिन न तो किसी अधिकारी के माथे पर इसका वजन है, मेरी गारंटी है कि इन सवालों का जवाब जब रिप्लाई देगा तब कोई नहीं देगा, ये अनुत्तर ही चली जाएगी और मुझे इस बात का बड़ा दुःख होगा कि दुर्भाग्य से हम सब लोग जिस जनता के प्रतिनिधि आते हैं, उसके प्रति न्याय करने का हमारा मन नहीं है। हम केवल राजनैतिक खेमाबंदी करके आपके तर्क मैं काटूंगा और मेरे तर्क आप काटना, बस यही धंधे करके अपना समय पूरा कर लेंगे लेकिन प्रदेश को कुछ नहीं देंगे। अब आप इसमें देखिये, राजस्व प्राप्तियां जो 1997 से ले करके 2002-2003 का पूरा ब्रेक-अप निकाला है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय और उसका राजस्व घाटा है, 1997 में है 866 करोड़, 1997-98 में यह 582 करोड़, फिर उसके बाद 1998-99 में हुआ 2996, फिर 1999-2000 में हुआ 3640 करोड़ और उसके बाद 2000-2001 में 2633, 2001-2002 में 3510 करोड़ रुपये। और इस बार आपने राजस्व घाटे में कीर्तिमान, 3901 करोड़ रुपये, मतलब यह 400 करोड़ रुपये अधिक है। और आपकी आमदनी है, राजस्व का जो व्यय है 18000 करोड़ रुपये और उसके अगेंस्ट में आपका घाटा कितना है, 4000 करोड़ रुपये। और आपने श्वेत पत्र में भाषण में लिखा था कि अगर राजस्व घाटा इतना प्रतिशत हो जायेगा तो प्रांत दिवालियापन की ओर चला जायेगा। और यह आपके सारे के सारे श्वेत पत्र में जो आंकड़े हैं ना कि 10वें वित्त आयोग ने ऐसे राज्यों को हाई फिस्कल स्ट्रेस की श्रेणी में वर्गीकृत किया है जिनके ब्याज के चुकारे पर होने वाला व्यय कुल राजस्व व्यय का 17 प्रतिशत भाग से ज्यादा होता है। दुर्भाग्य से यह जो आपका आया है इस बार का जो आप ब्याज चुका रहे हैं ना इस साल, वह ब्याज चुकेगा 4372 करोड़ रुपये और यह जो आपका राजस्व का व्यय है 18214 करोड़ रुपये है, उसका अगर प्रतिशत निकालें तो यह 14 प्रतिशत है। 14 प्रतिशत का मतलब आप दिवालिया हो गये। 17 प्रतिशत पर ही दिवालिया मानते हैं और 17 प्रतिशत से बढ़ते-बढ़ते आप तो 24 प्रतिशत पर आ गये हैं। अब आप किस तरह से जनता को कैसे-कैसे गुमराह करोगे, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी।

इसी तरह से आपने देखा होगा, आपने जो ओवरड्राफ्ट लिया है ना, उसके फिगर्स देखें क्योंकि किसी को कोई फुर्सत नहीं है। हम सब लोग आते हैं, जनता के प्रति कितना न्याय करते हैं, यह तो हमें अपनी आत्मा से ही पूछना चाहिए किसी दूसरे से पूछने की बनिस्बत। दुर्भाग्य से हमने जो ओवरड्राफ्ट लिया है, वह मैं आपको हर महीने के हिसाब से बता रहा हूं। यह जो 219 दिन का ओवरड्राफ्ट था 1998-1999 में, उसके बाद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

1999-2000 में 349 दिन ओवरड्राफ्ट लिया 365 दिन में से, 365 दिन में से 349 दिन ओवरड्राफ्ट लिया है। इसी तरह से 2000-2001 में भी लगभग 349 दिन का ओवरड्राफ्ट लिया है। यह क्या दिखाता है? यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हम उधार लेकर आराम से हलवा घोटे जा रहे हैं। किसी ने इसको देखने की कोशिश नहीं की कि इसके कारण से राज्य के ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसकी बातें करने से काम नहीं चलेगा और यह जो आपने ओवरड्राफ्ट लिया है ना, इस ओवरड्राफ्ट का ब्याज चुकाया है, वह ओवरड्राफ्ट का ब्याज है ना, वह 1998-1999 में चार करोड़ रुपये था, वह 1999-2000 में 27 करोड़ रुपये ब्याज देना पड़ा, इसी तरह से 2000-2001 में भी 27 करोड़ रुपये केवल ओवरड्राफ्ट पर आपको ब्याज देना पड़ा। यही नहीं, आपको यह जो जितना बकाया ऋण है ना, हमारे लिए तो श्वेत पत्र जारी किया गया था, सबने बहुत तालियां पीटी थी, जैसे हमने 23000 करोड़ रुपये जो हमारे टाइम में कर्जा हो गया था जब आप पधारे थे तब, उस समय मात्र 12000 करोड़ रुपये हमारे खाते का थे, उस 12000 करोड़ का इतना दुष्प्रचार किया कि जैसे हमने कोई राजस्थान को बेच खाया होगा और अब आपके विकास की तो मैंने दशा बता दी थी कि आपने प्लान की जो दुर्गति की और उसके साथ ही अगर इसको आप देखेंगे तो यह जो बकाया ऋण था, यह जो हमारा साल एण्ड हुआ 1998-1999, उस समय 24170 करोड़ रुपये का हमारे ऊपर कर्जा था, 1999-2000 में आपका 30011 करोड़ हो गया, 2000-2001 में 33874 करोड़ हो गया, 2001-2002 में जो मार्च में एण्ड हुआ है, लगभग है, क्योंकि यह एग्जेक्ट फिगर्स नहीं है और यह 39000 करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है और अगले साल मार्च तक आप 45000 करोड़ से भी अधिक राजस्थान को कर्जदार बनाकर छोड़ेंगे। अब आप श्वेत पत्र को लगाओ और पूजो इसको, खुश हो जाओ इससे कि हमने यह कर दिया था तो यह हो गया, वह हो गया। यह जो हमारी दशा है, हमने प्लान भी पूरी नहीं की और सारे के सारे राजस्थान को कर्जे में ढुलाया है। इसी तरह से अपने अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या दी, उसमें भी जो पूरी नहीं हुई जिसमें हमारा पैसा लगा, वह 407 थी 1998-1999 में, फिर 510, 1999-2000 में, फिर 423, यह हुई 2000-2001 में, इन अपूर्ण योजनाओं पर हमारा जो पैसा फंसा, जिसका हमको रिटर्न नहीं मिला, वह अब आप देखिये तो 2662 करोड़ रुपये यह हमारा इन अधूरी योजनाओं में फंसा रहा। उसके बाद 1999-2000 में 3632 करोड़ रुपये फंसा रहा, जिसका जनता को कोई उपयोग नहीं मिला और इस बार 2000-2001 तक के फिगर्स हैं मेरे पास, 2670 करोड़ रुपये की योजनाएं जो अधूरी पड़ी रही, उसमें हमारा पैसा फंसा हुआ था।

यह जो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय और कुल बजटीय घाटा है, इसके ऊपर भी दृष्टिपात करने का प्रयास करें थोड़ा सा कि हम कहां हैं और कहां नहीं हैं। 1997-1998 में जब हमने बजट दिया था, 42

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़ रुपये का घाटा छोड़ा था, उसके बाद 1998-1999 के अंत के दिनों में आप थे तो 258 करोड़ रुपये और उसके बाद 1999-2000 में 766 करोड़ रुपये और उसके बाद 2000-2001 तक यह फिगर्स हैं, यह मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, 179 करोड़ निकल रहे हैं, लेकिन यह होना चाहिए 779 करोड़ रुपये, 2000-2001 में जो आपने 283 करोड़ का पिछले बजट में घाटा छोड़कर यह कहा था कि इसकी भी हम पूर्ति करेंगे, वह आपके टैक्स कलेक्शन में कमी के कारण से और केन्द्र से जो आपको टैक्स के अगेंस्ट में पैसा मिलना था, उन दोनों में कमी के कारण से यह घाटा 900.83 करोड़ रुपये हो गया और अब की बार जो आपने घाटा छोड़ा है, वह 1334 करोड़ रुपये का घाटा छोड़ा है और इसकी पूर्ति के लिए कहीं भी कोई आपने दृष्टिपात भी नहीं किया कि यह पैसा आयेगा कहां से? आपने जनता से यह वादा कर दिया कि यहां यूनिवर्सिटी खोलेंगे, यहां फलां करेंगे, यहां फलां करेंगे। बजाओ ताली लेकिन इसको देखो कि हम किस तरह से बजट के साथ मखौल कर रहे हैं कि हम 50 करोड़ का तो कुल टैक्स लगा रहे हैं इसलिए कि चुनाव छाती पर दिख रहे हैं, हमारे दिमाग में जीत का भूत चढ़ा हुआ है चाहे भाड़ में जाये प्रदेश, हमें तो जीत करके आना है और जनता को मूर्ख बनाकर कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, इसके लिए आप 1334 करोड़ रुपये का तो शुद्ध घाटा छोड़ते हैं और कहते हैं कि हम टैक्स से वसूली करेंगे 50 करोड़ रुपये और बजाओ ताली, इसी में सब खुश हैं। यह दुर्भाग्य है राजस्थान का, यह राजस्थान की जनता को अगर इस तरह से मूर्ख बनाने का धंधा करोगे ना तो राजस्थान की जनता कभी आपको बख्शेगी नहीं। कभी आपने इन फिगर्स को भी टटोलकर दिखाया है क्या? हमारे टाइम में तो बहुत आपने इसका प्रचार किया था कि आप इस श्रेणी में इतने पर पहुंच गये हैं और यह हो गया। अब आपने कौनसा काम कर लिया? यह जो साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है ना 61 प्रतिशत, यह सारा बढ़ने के बाद भी, हिन्दुस्तान में प्रथम आने के बाद भी अभी भी हम बाकी स्टेट्स की तुलना में, जो पहले अपन 16वें स्थान पर थे, अब मात्र 14वें स्थान पर ही आये हैं, कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान नहीं कर दिया है। मन में ऐसा कोई संतोष और कोई घमण्ड नहीं हो जाये कि हमने कोई बहुत बड़ा एचीवमेंट कर दिया है, ऐसा नहीं है। यह फिगर्स आज भी इस बात को शो करते हैं कि हिन्दुस्तान के 17 राज्यों में जो हायरार्की बनी हुई है, हम कैसे कहां स्टैण्ड करते हैं, उस दृष्टि से आज भी हम कई दृष्टि से बहुत नीचे हैं। साक्षरता की दृष्टि से 16वें स्थान पर थे, अब 14वें स्थान पर आ गये। यह जो खाद का उपयोग हम करते हैं, उसमें हम हिन्दुस्तान के 15 राज्यों के स्थान पर आते हैं, सबसे नीचे से 1-2 ऊपर। इसी तरह से आपका यह प्लान का बजट हमारा था, पहले 9वीं पंचवर्षीय योजना बनाई थी 27650 करोड़ रुपये की उसके आधार पर हम हिन्दुस्तान के पांचवें नम्बर पर आ गये थे अपने प्लान के खर्चे के आधार पर और आपने इसमें जो घटा दिया उस घटाने के आधार पर, उसमें भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फिंगर्स तो आपके 22526 करोड़ लिखे हैं पर यह नहीं है, मैंने अभी तुलना करके बताया कि केवल आप 19000 करोड़ रुपये पर ही हैं और उसके कारण से यह जो सातवां स्थान है, यह भी सातवां नहीं होगा, इस फिगर्स के हिसाब से निकालोगे तो और नीचे आयेगा और हम फिफ्थ ईयर प्लान की दृष्टि से भी बहुत नीचे हैं।

प्रति व्यक्ति जो हमारा बैंक का जमा है, उसकी दृष्टि से राजस्थान 13वें नम्बर पर है। इसी तरह से प्रति व्यक्ति बैंक का ऋण है, उसमें हम 12वें स्थान पर हैं। इसी तरह से प्रति व्यक्ति कर राजस्व है, उसमें हम 10वें स्थान पर हैं मतलब जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में आता है पर दुर्भाग्य है कि हमारा यह बजटीय तरीका या काम करने का तरीका ठीक नहीं होने के कारण से हम जिस राजस्थान को बीमारू राज्यों से निकालना चाहते हैं, वह बीमारू राज्यों से निकला लेकिन वापस रसातल की ओर अग्रसर हो गया है। बिना बहस इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो शायद राजस्थान के हित में रहेगा। यह जो कर प्रस्ताव इन्होंने पेश किये हैं, मतलब जो कुछ भी आप पेश करते हैं, वह एचीव होते हैं कि नहीं होते हैं इसको कभी कोई दृष्टिपात करने की कोशिश करते हैं? और फिर हवाई पुलाव बना देते हैं कि यह जो आपने कर प्रस्ताव किये हैं, इस राजस्थान में इस वर्ष अपने राजस्थान के कम से हम 1240 करोड़ रुपये की आय बढ़ायेंगे। यह तो आपने गलती से लिखा है फिगर 1240 करोड़, इसको 5040 कर देते तो ज्यादा ठीक रहता कि सारा बजट इसी में पूर्ति हो जाता। मतलब कोई इस बात को देखने के लिए तैयार नहीं है कि 1240 करोड़ रुपये की रेवेन्यु कहां से बढ़ाओगे? हमने पहले कितनी रेवेन्यु बढ़ाई? उसकी तुलना करके तो बढ़ाते। केवल हवाई पुलाव बनाने से नहीं बढ़ती है और यह जो 1240 करोड़ रुपये का

(14.00 बजे)

बनाया, आपने 2000-2001 में सारा जो टैक्स, हमारे स्टेट का जो कलेक्शन था वह 5299 करोड़ का था। वह 2000-2001 में बनाया तो था आपने ज्यादा, वह जो आपने बनाया था वह 6163 करोड़ का आपने ब्रेक-अप दिया था कि इतना हमारा रेवेन्यु कलेक्शन होगा लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना, हुआ केवल 5759 करोड़ का ही राजस्थान का टैक्स कलेक्शन हुआ है। हरेक में आपका टैक्स कलेक्शन जो आपने अनुमानित माना था उससे भी 404 करोड़ रुपये का कम वसूल हुआ। जब आपकी कुल बढ़ोतरी है 460 करोड़ की, पिछले साल में 5200 हुआ, अब की बार 5700 हुआ, तो 460 करोड़ का कलेक्शन बढ़ा, लेकिन अब की बार आपने 1268 करोड़ बढ़ा देंगे हम, टैक्स नहीं लगायेंगे, जादू है बिलकुल, बिना टैक्स लगाये भी आप 1268 करोड़ रुपया अपने कलेक्शन कर देंगे और सब के माथे मढ़ दिया कि तुमको इतना करना है, तुमको इतना करना है। अगर यह कागज भेजने से ही हर डिपार्टमेंट को, इतना कलेक्शन आ जायेगा तो यह आपने भूल इतनी लेट क्यों की, यह तो जब आप आये उसी समय ऐसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कागज निकालना शुरू करते ताकि आपका टैक्स अपने आप बढ़ता जाता। आप देखिये, इसमें क्या आश्चर्यजनक आंकड़ें हैं जिन आंकड़ों को देखने से लगता है, यह मुद्रण और पंजीयन में पिछले साल 2000-2001 में 436 करोड़ का कलेक्शन हुआ। पिछले साल आपने 520 करोड़ का अनुमानित माना था कि इतना आयेगा, एक्चुअल आपका 500 करोड़ वसूल हुआ, बीस करोड़ उसमें कम उपलब्धि रही और इस साल सीधा ही सौ करोड़, बड़ा मतलब मेथेमेटिक केलकुलेशन, जीरो में चलो ताकि एकदम बिलकुल फिगर सही बैठेगा। यह सौ करोड़ का आंकड़ा कहां से निकाला, किन आधारों से निकाला, कोई आधार भी है जिन आधारों के आधार पर आपने इस बात को किया? लेकिन नहीं, कोई आधार करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आंकड़े बिठाते जाओ, चिड़िया बिठाओ, चिड़िया से काम हो जायेगा। इसी तरह से आबकारी का जो पिछले साल का कलेक्शन था 2000-2001 का, वह 1118 करोड़ का था। पिछली बार आपने बढ़ाकर इसको 2001-2002 में 1125 करोड़ का आपने अनुमानित माना था उसके अगेंस्ट में आपका हुआ 1075 करोड़ रुपये अर्थात् माइनस पचास करोड़ रुपये, मतलब हरेक में माइनस है, प्लस तो आप कहीं हुए नहीं। इसी तरह से जो बिक्री कर है इस बिक्री कर में आपने अब की बार सीधा चार हजार का फिगर, वह मैंने कहा न, आज दिन तक तो मैंने इतने बजट देखने की कोशिश की, ऐसे बढ़िया राउंड फिगर कोई नहीं एडजस्ट कर सका जैसे प्रद्युम्न सिंहजी हमारे वित्त मंत्रीजी ने किए हैं। यह किस गणित से किया, किस आदमी ने इनको यह सजेस्ट किया कि राउंड फिगर बहुत अच्छा रहेगा, याद रखने में भी झंझट नहीं होगा और वसूल करने में भी झंझट नहीं होगा इसलिए राउंड फिगर में ठोका। बिक्री कर जो आपका था वह 2000-2001 में 2821 करोड़ की वसूली हुई। अगले साल 2001-2002 जो आपने प्रोवीजन रखा उसमें 3525 करोड़ का आपने अनुमानित, सीधे सात सौ करोड़ की बढ़ोतरी आपने मानी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में 3150 करोड़ रुपये ही बिक्री कर के वसूल हुए अर्थात् जिस तरह आपने अनुमानित सोचा था उसमें भी 375 करोड़ रुपये माइनस में रहा था। 375 करोड़ रुपये माइनस में रहा। वाहनों में भी यही, 511 करोड़ था, आपने सीधा 562 करोड़ माना, लेकिन आये 550 करोड़, 12 करोड़ का उसमें भी घाटा हुआ। और अव की बार आपने बिक्री कर में बढ़ोतरी कितनी मानी है, 850 करोड़ ज्यादा आयेगा। यह पता नहीं क्या सोच है, भगवान जाने। 850 करोड़ बिक्री कर में आप कहां से बढ़ा देंगे, कोई जादू है? इसी तरह से आपने वाहनों में भी अब की बार लगा, सौ करोड़ इसमें बढ़ा देंगे। बढ़ेगा कहां से, जहां मान रहे हैं उससे भी कम हो रहा है। बिजली शुल्क में जरूर आपका पिछली बार, क्योंकि आपने खूब ठोका है जनता को और इसके कारण से यह एक फिगर ऐसा ही आया है कि जिसमें आपने 261 माने थे उस 261 के अगेंस्ट में 264 करोड़ रुपये आपकी आय हुई, प्लस चार करोड़ रुपये, और आपने इसको सीधा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़ाकर और 290 करोड़ रुपये किया। इसका मतलब 24 करोड़ रुपये के जूते राजस्थान की जनता को और बिजली के टैक्स में से लगने वाले हैं, इस फिगर से लगता है और अन्य करों में भी इसी प्रकार से आपने फिगर मिलाने का काम किया है तो यह फिगर मिलाने के काम से मैं सोचता हूं कि राजस्थान को हम नहीं सुधारेंगे। लेकिन आप जो हमेशा एक बात की गाली देते हैं, और आपने इस बार सीधा ही 1772 करोड़ की बढ़ोतरी कर दी, टोटल मिलाकर राजस्थान की टैक्स रेवेन्यु कितनी बढ़ेगी, 1772 करोड़ रुपये बढ़ेगी, और अभी आपका था 5759 करोड़, इसमें आप सीधा इतनी 1700 करोड़ की बढ़ोतरी करके 7027 करोड़ कर लेंगे। अब यह कहां से करोगे और यह आप अगर नहीं कर पाओगे तो यह तो सब्जबाग आपने दिखाये हैं न इस पोथी में, यह सब के सब धरे रह जायेंगे। यह जनता को गुमराह और धोखा देने के धन्धे के अलावा मुझे इस बजट में और कुछ दिखाई नहीं देता, जो इसमें से है।

यह तो ठीक है कि आपने, केन्द्र सरकार ने हमारा यह पैसा काट लिया, यह कर लिया, वह कर लिया, उसके बाद भी यह जो केन्द्रीय करों का जो अंश है वह केन्द्रीय करों का अंश आपका निरंतर बढ़ रहा है। केन्द्रीय करों के अंश में जब 1998-99 में आपका 1964 करोड़ था, उसके बाद 1999-2000 में 2184 करोड़ हुआ, 2000-2001 में 2836 करोड़ रुपये हुआ, पिछले साल 2001-2002 में 2882 करोड़ रुपये हुआ और इस बार जो आपने अनुमानित माना है वह 3342 करोड़ रुपये है, तो जो केन्द्रीय सरकार से हमको ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल रहा है उसके बारे में तो रोज उसको गालियां देना और यह कहना कि यह तो हमारे अधिकार का है, जो कुछ भी हमको मिल रहा है। अब मैं आपको आगे बताउंगा कि आपके कौन से अधिकार के हैं और कौन से आपको दान-दक्षिणा में वह देते हैं और दान-दक्षिणा लेने के बाद भी नुगरा होकर के जो आदमी बात करता है, दुर्भाग्य से वह किसी भी सरकार की सिम्पैथी गेन नहीं कर सकता है। अगर हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहें, यह जो करभिन्न राजस्व है, इस करभिन्न राजस्व में भी 1999-2000 में जो 1688 करोड़ रुपये थे उसमें भी घटा है और 2001-2002 में केवल 1566 करोड़ रह गये। इसको अब की बार आपने 1709 करोड़ मान लिया। यह जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं इसमें भी और कुल प्राप्तियों में भी जो आपने 25085 करोड़ रुपये जो माना है, एक्चुअल में यह चीज आपको प्राप्त होने वाली नहीं है और जब यह प्राप्त नहीं होगी तो आप अपने बजट की पूर्ति कैसे करेंगे, मेरी तो कम से कम समझ में नहीं आता है। सभापति महोदय, मुझे......

श्री सभापति : थोड़ा समय का ध्यान रखिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नो प्रोब्लम। बोलने दीज़िये।

श्री सभापति : मैं इंकार नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बजट स्टडी है, इसके पेज 32 को आप थोड़ा देखने की कोशिश करें। कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलापों की क्या दुर्गति हमने बनाई है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह कहते हैं न कि हम सब लोग किसान के हिमायती हैं और किसान के लिए बैठते हैं। इसके प्रोवीजन को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हरेक में हमने पैसा घटाया है यानि जो अमाउंट आपका 1998-99 में कृषि कार्यों के ऊपर था 15272 करोड़ जो आपका व्यय था, यह पिछले साल आपका आकर के केवल 14940 करोड़ रुपये रह गया है, यह माइनस में गया है और अब आपने फिगर सीधा उठा करके वैसे ही आंकड़े फिट करने का काम किया है, इसके बाद अगर आप चाहें तो मैं डिटेल बोल सकता हूं, हरेक में आपने, एग्रीकल्चर का जो 1998-99 में था वह 15272 था, 1999-2000 में आपका केवल 12500 रह गया, उसके बाद 2000-2001 में 13900 रह गया, उसके बाद 2001-2002 में 14940 रहा, यह सब घटता ही गया और उसके बाद इस साल आपने आंकड़ों में बिठाया कि हम 18253 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। यह कहां से लाओगे, कहां से करोगे? इसी तरह से आपने......

श्री मानिक चन्द सुराना : यह फिगर लाखों में है, आप जो बोल रहे हैं न, लाखों में हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मतलब इसके पाइंट आगे लगाना है। मतलब यह जो दो के पीछे 182 करोड़, 149 करोड़, 139, 125, एक सौ, यह लाख के हैं। इसी तरह से यह जो डेयरी विकास के लिए, अब आप देखो न, किसान के संबंधित जो चीज है उसको किस तरह से इग्नोर करते हैं इस बजट में, इस डेयरी पर आपका 1998-99 में मात्र 2.5 लाख रुपये कुल था, 2.5 लाख 1998-99 का और उसके बाद केवल आपने बिलकुल खाली डेस-डेस, या तो डेयरी की किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल एक हजार इसलिए रखा कि कहीं यह मद बंद नहीं हो जाये, यह हैड बंद नहीं हो जाये, इस हैड को चालू रखने के लिए मात्र एक हजार पिछले साल और एक हजार इस साल आपने रखा है। इसी से आप यह देखोगे कि किसान के प्रति कितनी आपकी हमदर्दी है, यह आपको लगेगा। खाद्य भण्डारण और भण्डार गृह, इसके ऊपर निगाह डालें थोड़ी सी, क्योंकि किसान को आखिर अपने सामान को प्रिक्योर करने के लिए कोई जगह मिलेगी तब तो रख करके राइट टाइम पर वह अपनी वस्तु को बेच कर सही दाम उसे मिलेगा लेकिन उस पर हमारी सरकार का सोच कितना है वह आप थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें कि जो आपका 1998-99 में एक करोड़ 66 लाख था वह 1999-2000 में 1.44 हो गया, उसके बाद मात्र 60 लाख हो गया, उसके बाद 2000-2001 में केवल आपने हैड चालू रहे इसलिए एक हजार रखा और इस साल भी आपने एक हजार इस हैड में रखा अर्थात किसान के इस माल को या फसल को......

श्री सी. पी. जोशी : यह एक हजार टोकन नहीं रखा है, टेन्थ प्लान में प्लानिंग कमीशन की जो गाइड लाइंस है उसमें प्लान एक्सपेंडीचर को नान प्लान में कन्वर्ट करना और उसकी जो व्यवस्था करना, उसके कारण यह स्थिति बनी है। इसलिए आप जो फिगर दे रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में उसको देखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप उसको अपने हिसाब से स्पष्ट कर दें मेरे पास तो जो आपकी बजट स्टडी है उसी से.....

श्री सी. पी. जोशी : इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया कि वो प्रोस्पेक्टिव यह है कि प्लान के एक्सपेंडीचर को नान प्लान में ट्रांसफर करना है और प्लान को अलग करना है। यह जो टेन्थ प्लान की गाइड लाइंस हैं उसके अन्तर्गत यह टोकन जो बताया गया है, उसके अन्तर्गत बताया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है। इसी तरह से आपने सारा मिला करके एक एग्रीकल्चर को आपने इसी तरह नजरअंदाज किया। इसके आगे आप देखें उद्योग पर राजस्व व्यय, इस उद्योग पर जो राजस्व व्यय है आपका यह तो और भी आश्चर्यजनक काम है कि आपने इसमें औद्योगिक उत्पादन में जो 52 करोड़ रुपये था 1998-99 में, ये बाद में अगले साल 21 हो गया फिर उसके बाद 2000-2001 में मात्र 5 करोड़ रह गया। उसके बाद 2001-2002 में 5 करोड़ 34 लाख रुपये रह गया और इस बार भी जो आप 52 करोड़ तक पहुंचे थे वह आप घटते-घटते पांच करोड़ तक आ गये तो यह हमारा जो औद्योगिक विकास के बारे में और इसी तरीके से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के बारे में जो आपने इसके आंकड़े दिये हैं जनजाति के लिए तो कोई उद्योग की आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो कोई डवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए आपने 1999-2000 में मात्र 87 लाख रुपये रखे फिर 2000-2001 में 42 लाख कर दिया, फिर उसके बाद 2001-2002 में फिर 42 लाख और इस बार 49 लाख कुल रखा है। इससे वहां का इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पूरा हो जाएगा। इसी तरह से यह उपभोक्ता उद्योग जो है, नमक है, इसमें सोडियम है, राजकीय ऊन मिलें हैं, चमड़ा व्यापार है, इस सारे के फिगर को अगर आप देखें तो मैं सोचता हूं कि आप जहां एम्प्लायमेंट की बात कह रहे हैं वह एम्प्लायमेंट कहां से मिलेगा। हमारा जहां एम्प्लायमेंट मिल सकता है उनके बारे में उनको बढ़ाने की दृष्टि से हमारी सोच ही नहीं है कि हम उसको किसी तरह से बढ़ा सकते हैं या उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टि से हम अपने बजट को देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक फिगर चूंकि हम सब जनप्रतिनिधि ग्रामीण और शहरी परिप्रेक्ष्य से आते हैं, मैं जलदाय मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं और सारे सदन से भी बहुत ही नम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि ये हमारा पानी के ऊपर जो व्यय होता है इसमें शहरी और ग्रामीण का जो अनुपात है इस अनुपात को देखने की कोशिश करें। शहर में भी इन्सान रहता है और गांव में भी इन्सान ही रहता है। राजस्थान का वाशिन्दा ही रहता है। शहर के लिए हम सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर सकते हैं पर ग्रामीण आदमी को शुद्ध पानी मिल जाए इसके लिए 50 वर्ष की राजनीति में और 50 वर्ष देश की आजादी के बाद भी अभी हमारा दिल-दिमाग नहीं बना है, उनके लिए भी कोई आवश्यक चीज होगी। यह आपके बजट के जो आंकड़े हैं यह इस बात को प्रमाणित करते

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं कि हमारा इस ओर जो दुर्लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी स्वच्छ पानी मिले ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। यह जो शहरी जलापूर्ति है उसमें 1998-99 में 319 करोड़ खर्च हुए अर्थात बजट का 63% उसी साल जो ग्रामीण जनता के लिए है वह 190 करोड़ रुपये खर्च हुए मात्र 37%। जहां आबादी रहती है 23% वहां खर्च होता है 63% और जहां आबादी रहती है आपकी 68% उस 68% में उसका कम हो जाता है, 77% सारी। इसी तरह से हर साल ऐसा ही है। 1999-2000 में भी 344 उसके अगेंस्ट में 205, फिर 391, 224 केवल 36% फिर उसके बाद 404 करोड़ है 2001-2002 में और घट कर आ गये आप 230 केवल 36% इस 2002-2003 में ये जो अभी अपन ने प्रपोज किया है उसमें 407 करोड़ तो आप शहरी जल योजना के लिए खर्च करेंगे और ग्रामीण योजना के लिए केवल मात्र 226 करोड़ अर्थात 35% तो खर्च करेंगे आप गांव वालों के लिए और 65% आप शहर वालों के लिए खर्च करेंगे। कभी इसमें दिल-दिमाग बदलने की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी कि ग्रामीण जनता को भी कम से कम पीने के पानी की सुविधाएं, जब राज्य अपने बजट का इतना पैसा खर्च करता है तो फिर उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है ?

इसी तरह से आपने देखा यह हर एक में हमारा इस व्हाइट पेपर को अगर मिलान करके पढ़ें न तो आपकी मजाक आपके आंकड़े ही करेंगे मैं नहीं कर रहा हूं आपके आंकड़े ही आपकी मजाक कर रहे हैं। हमारे जिन आंकड़ों के ले ले करके आपने खूब तालियां पीटी थीं और पेश किया था कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था और आप बहुत भला करने जा रहे हो और ये जो आपकी सामाजिक सेवाओं का प्रतिशत है न बजट का जो खर्चा है वह सामाजिक सेवा का 1998-99 में 42% होता था अब इस साल के बजट में कितना होगा 39%, 3% सामाजिक सेवा में आपके टोटल बजट का खर्चा कम हो रहा है। मैं सारे फिगर नहीं दे रहा हूं क्योंकि समय लगेगा लेकिन ये ट्रेण्ड इस बात को दिखा रहा है और आपने हमारी इसमें इस बात से आलोचना की थी कि आप इसमें तो पैसा घटा रहे हैं और जो सामान्य सेवाएं हैं उसमें आप खर्चा बढ़ा रहे हैं। जबकि वस्तुस्थिति वैसी की वैसी है। उसमें भी और गिरावट आयी है जो 42% बजट खर्चा होता था सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक सेवाओं पर, वह घट रहा है। इसी तरह से आर्थिक सेवाएं जिनसे थोड़ा बहुत ही कुछ रोजगार जुड़ाव होगा उसमें भी आपका प्रतिशत 1998-99 में तो 17% था बजट का, वह घट करके आपका पिछले साल तो रहा 14% और इस बार घट करके मात्र 15% आया है। यह इस बात को दिखाता है कि नौजवानों को किस तरह से आप आशा की किरण दे पाएंगे यह आपको इसके बारे में विचार करना होगा। यह जो आपका राज्य का घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है स्थिर कीमत पर आपने इसको प्रचलित कीमतों पर देकर के आपने वाहवाही लूटने की कोशिश की कि 9.6% बढ़ा दिया इसकी स्थिर कीमतों पर आंकने की कोशिश करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : दोनों मेंशन की है। दोनों ही मेंशन की है स्पीच में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दोनों हैं इसमें। दोनों हैं लेकिन वस्तुस्थिति तो यह है कि जब 1993-94 को आधार वर्ष मान करके स्थिर कीमत के आधार पर प्रति व्यक्ति की जो आय है उसका आप आकलन करोगे तो प्रति व्यक्ति आय हमारी 1997-98 में 85.82 रुपये थी वह घट करके पिछले साल आ गयी थी 7932 रुपये। यह स्थिर कीमत पर बता रहा हूं और हर साल हमारी प्रति व्यक्ति आय में कमी आयी है। यह प्रति व्यक्ति आय की कमी विकास की ओर बताता है या विनाश की ओर बताता है इसका फैसला तो आप स्वयं करना अपने आंकड़ों से। यह शुद्ध राशि घरेलू उत्पाद की जो है जो 1997-98 में 44,905 थी वह घट करके 44,335 रह गयी। यह इस फिगर को प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से हम नीचे जा रहे हैं, हम बढ़े नहीं। इस बार जो आपने पेश किया उसमें आंकड़े बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन वस्तुतः धरातल पर ये नहीं बढ़ सकेगा इसको आप देखने की कोशिश करें।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है इसको आप देखें तो राजस्थान की औद्योगिक तरक्की हो रही है या राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से डूब रहा है। ये जो आपका विनिर्माण है इसके जो आंकड़े 1998 में 259 पाइंट था अपन ने 1970 को 100 पाइंट माना था उस 100 पाइंट की तुलना में जब हमने इसको माना तो 259 है वह आपका इस साल केवल 246 रहेगा। इसी तरह से खनन में जो 996 था वह घट करके भी केवल 971 पाइंट पर आ रहा है और विद्युत में जिसकी आप बड़ी वाहवाही कर रहे हो आंकड़ों के हिसाब से अगर उसका केलकुलेशन करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं है। आपने देखा 1999 में 2526 पाइंट पर था जो इस बार केवल 2438 पाइंट पर टिकेगा अर्थात उससे नीचे जाएगा तो यह फिगर इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि आप इस दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहे हैं फिर यह विकास का जो हम यूज कर रहे हैं गैर विकास पर और विकास पर इसका प्रतिशत भी घट रहा है और इस प्रतिशत में आपको लगेगा कि 1998-99 में ये जो विकास व्यय था यह 6988 था जो मात्र 60% था उसके बाद 1999-2000 में 7728 था जो 57% था उसके बाद 2000-2001 में 4840 था जो 56% रह गया उसके बाद 2001-2002 में 8770 है वह 54% रह गया इस बार 9974 फिगर आप दे रहे हैं लेकिन आपका यह जो प्रतिशत है यह मात्र 54% रहेगा। यह सब इस बात को इंगित कर रहा है कि हम वास्तव में बजट के आधार पर राजस्थान को विकास की ओर ले जा नहीं पा रहे हैं राजस्थान अपने विकास की गति को अवरुद्ध करके लौट रहा है। अगर वहीं खड़ा रहता तो तब भी होता लेकिन हम निरन्तर उससे नीचे आते जा रहे हैं। अब आप हमेशा एक बात की गालियां देते हैं केन्द्र सरकार को। केन्द्र सरकार कुछ नहीं करती है। अब मैं कुछ फिगर ही इकट्ठे कर पाया हूं सारे फिगर आपके पास नहीं हैं लेकिन सच तो यह है कि वित्त मंत्रीजी आपका यह सारा बजट और सारा काम जो 5535 करोड़ रुपये का आपने पेश किया है यह सब उधारु माल से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चल रहा है। गांठ की पूंजी फूटी कौड़ी भी नहीं है। गांठ की पूंजी से तो हम अपने रेगूलर खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे हैं अगर इन आंकड़ों को आप देंखेगे तो केन्द्र सरकार का बजट आपकी मदद करता है, जो भी आपको मिलनी चाहिए। अन्य देशों से जो कुछ भी आप मदद ले रहे हो वह आपकी मदद कर रहा है। आन्तरिक और बाह्य ऋण ले रहे हो वह आपकी मदद कर रहा है। एशियन डवलपमेंट बैंक आपकी मदद कर रहा है, वर्ल्ड बैंक आपकी मदद कर रहा है। आपकी गांठ की पूंजी क्या है और जब गांठ की पूंजी किसी स्टेट की नहीं तैयार होगी तो वह स्टेट डूबेगा। आज नहीं डूबेगा 10 साल बाद डूबेगा। उसको डूबने की ओर जाना ही है। अब मैं आपको इसमें ये जो हमारा पैसा आता है और पैसा जाता है इसके जो फिगर आपने दिये हैं इसमें ये जो रुपया आता है इसमें, रुपये में से 51 पैसा तो यह आन्तरिक और उधार है, सार्वजनिक ऋण है, केन्द्रीय ऋण है, सहायता और अनुदान है। यह 51 पैसे तो रुपये में से इसमें से आता है और उसके बाद जो खर्चा जा रहा है ब्याज में और ऋण चुकाने में, यह 38 पैसा तो आपका इसमें ही जा रहा है। यह फिगर इस बात को बताते हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से अपने प्रदेश को सही स्थिति में ला नहीं पाये, चाहे हमने कितनी ही घोषणाएं की हो और कितनी ही बातें कर दी हो लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको पैसा कहां से मिल रहा है, एशियन बैंक से सम्भागीय मुख्यालयों का आधारभूत विकास करने के लिये 50 करोड़ रुपया, यूरोपियन बैंक से अलबर्ट हाल का ढाई करोड़ रुपया आया, इसी तरह से सम्भागीय मुख्यालयों को विकसित करने के लिये एशियन बैंक से 1529 करोड़ का आपने लोन लिया। इसी तरह से 11वें वित्त आयोग का 19.88 करोड़ रुपया, समाज कल्याण में जर्मन सरकार के सहयोग से आदिवासी बच्चों के जो छात्रावास बन रहे हैं उसमें 13.50 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से आपको 59.42 करोड़ रुपया, आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने के लिये भी आपके पास पैसे नहीं थे। 25 पर्सेंट पैसा आपको मिलाना पड़ता है, 75 पर्सेंट केन्द्र सरकार देती है उसमें भी यह सरकार इतनी दिवालिया है कि समय पर उस पैसे की मैचिंग ग्रांट नहीं देने के कारण वह भवन खड़े नहीं होते और अब आप हमको चिट्ठी लिखते हो कि आप इसमें कुछ करो। उसमें 75 : 25 के अनुपात में वह मिलता है। जनजाति क्षेत्र में भी आपने आवासीय विद्यालय बनाये उसका भी आपके पास में लोन है। सिंचाई सुविधा के लिये विश्व बैंक की सहायता से कुशलतम उपयोग की 734 करोड़ की जो योजना बनी उसमें से 590 करोड़ रुपया आपको वहां से प्राप्त हो रहा है। नाबार्ड से सिंचाई के लिये 92 करोड़ प्राप्त हो रहा है। वन विभाग के लिये जापान के सहयोग से 164 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा है। बनास घाटी योजना के लिये 9.50 करोड़ रुपया आपको यहां से मिल रहा है। ग्रामीण विकास के लिये जो पैसा मिलता है उसमें भी आपको 342 करोड़ रुपया तो केन्द्र सरकार से मिलता है। यह सारा का सारा पैसा जवाहर योजना, आश्वासित रोजगार योजना, आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपना घर का कुछ नहीं है। शिक्षा का है तो चाहे लोक जुम्बिश हो, चाहे डी.पी.ई.पी. हो, उनका उधार का पैसा है, हम अपने घर की पूंजी से किसी भी प्रकार से प्रदेश का कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं। यह जो केन्द्रीय सड़क नीति है उस सड़क नीति से 150 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 140 करोड़ रुपया, 1560 करोड़ राज्य सड़क योजना विश्व बैंक की सहायता से, बी.ओ.टी. से 150 करोड़ रुपया, नाबार्ड से 600 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्र सरकार की मदद से, 1000 और 500 की आबादी को जोड़ने का पैसा वहां से, हमारी घर की पूंजी क्या है? हम यह जितनी बातें कर रहे हैं यह कम किसी न किसी के सहयोग से कर रहे हैं। अल्प बचत में अब तक जितना लोन लेते थे, 80 पर्सेंट ले सकते थे अब केन्द्र सरकार ने नियम बदल दिया, अब जितना अल्प बचत में पैसा आएगा उसका 100 पर्सेंट आपको मिल सकता है। यह सब सुविधाएं भी आपको है। इसी तरह से राजस्व घाटा अगर 5 प्रतिशत आप घटाओगे तो आपको उसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। पिछली बार भी जो आपको 171 करोड़ रुपया मिला, उसी के तहत मिला। इस बार भी बजट में आपने 92.80 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया वह भी उसी में मिलेगा। मेरा यह कहना है कि हम अपने सोर्सेज को कभी डवलप करने के लिये सोचेंगे या केवल अपनी वोट की गणित के आधार पर ही चलने का प्रयास करेंगे, यह कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमें कुछ न कुछ सोच जरूर निकालनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब, सुराना साहब बहुत तैयारी करके बैठे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनकी भी तैयारी कम नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने देखा होगा जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड आई वह सप्लीमेंटरी डिमाण्ड टोटल बजट की 43 पर्सेंट। मतलब किस सीमा तक हमारा दिवाला निकला है कि इसकी कोई कल्पना भी करेगा कि नहीं करेगा। अगर टोटल बजट का 43 पर्सेंट सप्लीमेंटरी बजट में आना पड़े तो इससे ज्यादा क्या होगा। इसी तरह से यह 26.55 करोड़ रुपया यह तो आपने ऐसे खर्च किया है जिसका कोई एलोकेशन ही नहीं था, वह आपने अपनी मनमर्जी से खर्च कर दिया। ऐसे ही सारा का सारा समीक्षा में इस तरह से आया है।

यह जो प्रवासी राजस्थानियों को प्रभावित करने का काम किया है कि शायद इससे कुछ अपने को मदद मिलेगी, प्रयास के लिये तो धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जो कमेंट्स हैं उनको आप पढ़िए। उससे हमारी स्थिति उजागर हो जाएगी कि हम कहां खड़े हैं और हमारे बारे में आने वाला व्यक्ति क्या सोचता है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उन शब्दों से आपको और हमको सबको लज्जा आती है। यह सवाल केवल आपका या हमारा नहीं है, सारे प्रदेश का सवाल है और उसके कारण से हमें निश्चित रूप से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गम्भीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिये। उनका कहना है कि हमारा समय खराब मत करिए। सांस्कृतिक मेल मिलाप से कुछ नहीं होता। अगर वास्तविक रूप से निवेश चाहते हो तो तथ्यों के साथ कुछ ठोस परियोजनाएं हमारे सामने रखें। इस तरह का आधारभूत ढांचा बनाइए जिससे लोगों को निवेश करने में कुछ आर्थिक लाभ पहुंचे। मारीशस के एक व्यावसायी ने...

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : मैं उस मीटिंग में था इस किस्म की भाषा या ऐसा कोई उनका मन्तव्य नहीं था। यह जो अखबारों में आया है मुझे ऐसा आभास होता है कि अखबार वालों ने गलत सूचना के आधार पर इसको छापा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको कंट्राडिक्ट करना चाहिये था।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप क्लीयर करते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको इसका खण्डन करना चाहिये था। कोई जरूरी नहीं कि भाषण के लिये आपने सब लोगों को बुलाया हो। जो व्यावसायी आये उनसे पत्रकार व्यक्तिगत भी मिलकर उनसे अपनी राय पूछ सकते हैं और वह अपनी राय जो उनके मन में आती है वह बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मंच पर आप सारे लोगों को बुलाएं और सारे लोग भाषण दें और अपने विचार मंच पर रखें। जब वह आये हैं तो उनकी मन की पीड़ा को समझकर उनकी समस्या का हल करने के बारे में सोचना चाहिये। इसको ढांकने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इसमें अगर अपमान हुआ तो एक तरह से सारे प्रदेश का ही हुआ, इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं है। प्रदेश की सरकार और वर्किंग के बारे में जो उनकी धारणा बनी वह हम सबको इस बात के लिये इंगित करती है कि हम इस बारे में सोचे। मारीशस का कोई तेल व्यावसायी है, कोई अग्रवाल है, उन्होंने पत्रकार को बताया, यह पत्रकारों द्वारा ही आया है, सरकार को अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिये। सांस्कृतिक मेल मिलाप ही चाहती है या निवेश चाहती है। अगर निवेश चाहती है तो उसे अपना आधारभूत ढांचा सुधारना होगा और पूरी प्रक्रिया में ही बदलाव लाना होगा। राहुल बजाज का कहना था निवेश सिर्फ यह कह देने से नहीं होगा, "आइए हमारे यहां उद्योग लगा दीजिए," निवेश इस बात से होगा कि निवेश के लिये ठोस तथ्य क्या है। उन्होंने कहा कि भारत में पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने निवेश के लिये लोगों को आकर्षित करने का ढांचा तैयार किया और उसमें राजस्थान नहीं है। आगे लिखते हैं, नौकरशाही समेत समूची प्रणाली कुछ इस तरह की है जिससे यहां निवेश सम्भव ही नहीं है। काम इतना धीरे होता है कि उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। काम में तेजी नहीं लाने से या तो हमें तकनीक मार देती है या हम उनको मार देते हैं। यह जिस प्रकार के कमेंट्स हैं यह इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है जिस कमी को हम सुधार नहीं पाते हैं।

दिवालिया तो आप वैसे ही कर रहे हो फिर दिवालियेपन में आपने यह लाटरी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चलाकर गरीब को दिवालिया करने का सपना कहां से देखा। बड़ी मुश्किल से लोगों की मांग पर गरीब आदमी को इससे बचाना, बच्चों को इससे बचाना और इसमें से निकालने के लिये कई प्रयास करने के बाद जिस भी सरकार ने बंद किया, मन से राजी नहीं थे लेकिन जनता के प्रेशर के कारण से, सब लोगों के आग्रह के कारण से इस बुराई को मिटाने का प्रयास किया, आपने इस बुराई को फिर से लाने का प्रयास किया है। इतने दिवालिया में केवल इस थोड़े से पैसे से अपन बच नहीं जाएंगे। कृपा करके इस दुर्गुण को फिर से लाने का प्रयास नहीं करें और मैंने जो कुछ सवाल आपके सामने खड़े किये हैं इस पर आप सोचें। राजस्थान के भू-गर्भ में बहुत खनिज हैं। हमारे यहां अकूत तेल सम्पदा है। आज नहीं तो कभी न कभी हमें प्रयास तो करना ही होगा। हमें कोई न कोई ऐसे सोर्स ढूंढ़ने होंगे जिन सोर्सों से हमारी आय बढ़ेगी और हम राजस्थान का विकास कर पाएंगे। यह कर्जा लेकर विकास करना अच्छा जरूर लगता है लेकिन इसके परिणाम प्रदेश के लिये ठीक नहीं आएंगे। यह आपका भी सोचना है, हमारा भी सोचना है फिर हम जाकर उस कुएं में क्यों पड़ते हैं जिससे हमको नुकसान होने वाला है। आपने जब इतने कठोर कदम उठाये हैं, कलेक्शन जरूर करना चाहिये लेकिन गरीब आदमी को जिसकी जेब में पैसा नहीं हो उसको आप पूर्णतः छोड़िए और जिसकी जेब में पैसा रहता है उससे वसूल करने का प्रयास कीजिए। ऐसी बात थोड़े ही है राजस्थान में ऐसे 10-20 पर्सेंट लोग नहीं है जो आपको कुछ पैसे और साधन दे सकते हैं, पर क्यों, क्योंकि वह आप और हमारे सबके इर्द-गिर्द घूमते हैं इसलिए उन लोगों पर कहीं वज्रपात नहीं हो जाये इसलिए हम गरीब आदमी की जेब काटने का मानस बनाते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रणाली को बदलिए। 10-20 पर्सेंट लोगों की जेबों में जितना ज्यादा पैसा है उस पैसे को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसे निकालें और जिसकी जेब खाली है उसको फटे बदन और फटे कपड़े करने का प्रयास मत कीजिए। टैक्स लगाना चाहिये, आमदनी बढ़नी चाहिये इसका विरोध कोई भी समझदार आदमी नहीं कर सकता है लेकिन कहां लगाना चाहिये और कहां नहीं लगाना चाहिये इसका विवेक तो सरकार को जरूर रखना होगा। यह रखकर हम प्रयास करेंगे तब तो हम निश्चित रूप से राजस्थान को तरक्की पर ले जा सकेंगे। आपके इन सब आंकड़ों और सब किताबों ने हमें निराश किया। यह राजस्थान का बजट ढकोसला है, केवल आंकड़ों का जाल है। आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और लोगों को तालियां पिटवाने के लिये कि हम यह यह करेंगे, एक भी कार्यक्रम को आप नहीं कर सकेंगे और करेंगे तो सारा कर्जा लेकर हलवा घोटने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, 22.3.2002 को राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया उसके संबंध में मैं अपने को सम्मिलित करते हुए निवेदन

(श्री आर. पी. शर्मा)

करना चाहता हूं कि बजट बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें न केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा, आय-व्यय का लेखा-जोखा होता है बल्कि इस बात के लिए इंगित करता है कि सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम, किन क्षेत्रों में विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं सरकार अपने हाथों में लेकर आती है, उसमें कितना पैसा व्यय किया जाएगा। किन तरीकों से सरकार विकास की गति को प्राप्त करना चाहती है। जैसा कि अभी प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने स्वीकार किया कि बजट के पीछे मुख्य मकसद सरकार की विकास की नीतियों की घोषणा होती है।

मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी अच्छा बजट वह होता है जिस बजट में बचत और निवेश को बढ़ावा मिले। जिस बजट में लोक कल्याणकारी साहबे कार्यों पर व्यय हो। जिस बजट में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए मौका दिया जाए तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता पैदा हो। मुझे कहने में बड़ी खुशी है कि जो बजट हमारे वित्त मंत्रीजी ने रखा है, उस बजट में बजट की इन सभी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं अपनी बात कहने से पहले यह कहना चाहता हूं कि यह बजट एक अच्छा बजट है और विकासोन्मुखी बजट की संज्ञा देते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने प्रदेश की माली हालत के बारे में सोचने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि हम केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कुप्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। केन्द्र सरकार की आर्थिक नीति, जहां आज हमारे देश की उदारीकरण और मन्दी के दौर की अर्थव्यवस्था की वजह से 5 लाख मीडियम और स्माल इण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हो, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो, हमारे भारत के महत्वपूर्ण उद्योग धन्धे जिसमें बी.एस.एन.एल., एच.पी.सी.एल., बाल्को जैसे और इण्डियन होटल्स के बड़े-बड़े होटल्स को बेचने के लिए सरकार मजबूर हो रही है उसके पीछे एक सीधी सच्ची बात है कि आज केन्द्र सरकार की आर्थिक नीति इतनी कमजोर है कि वह खुद आज अपने लिए अपने संसाधनों से अपना खर्चा निकालने में परेशान हो रही है, तो राज्य की सहायता कहां से कर देगी।

आपने बजट में पढ़ा होगा कि जहां सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने सैन्ट्रल टैक्सेज में 18 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा था वह मात्र 5 प्रतिशत पर ही सिमट कर रह गया और उससे 29,556 करोड़ रुपये की कम आमदनी हुई, जिसका हमारी राजस्थान सरकार को भी सीधा 500 करोड़ का घाटा हुआ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने जहां आर्थिक विकास की दर 8 प्रतिशत का प्रस्ताव रखा था, योजना रखी थी वह केवल 4 प्रतिशत पर ही सिमटकर रह गई। मैं कह सकता हूं कि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियां और उसकी क्रूर नीतियों के आर्थिक प्रभाव से हमारे स्टेट को भी भारी नुकसान हुआ है।

मैं इस बात का भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति की अगर हम स्टडी करें तो यह बिलकुल सच है कि हमारा

(श्री आर. पी. शर्मा)

बजट घाटा 2001-2002 का 900 करोड़ रुपए है वह 1434 करोड़ रुपए के घाटे पर पहुंचा है। यह भी सच है कि हमारा कर्जा जो 2001 में 30,000 करोड़ का था वह आज 35741 करोड़ पर पहुंचेगा। यह भी सच है कि हमारा राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं नेट बोरोइंग, वह भी 5753 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003 में 7007 करोड़ पर पहुंचेगी और यह भी सच है कि ऋण लेने से हमारी सरकार पर जहां 2001-2002 में 10.7 करोड़ दैनिक ब्याज का खर्चा आता है वह आने वाले समय में 12 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ी इसके पीछे क्या कारण है, हमें उनकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। राज्य की आर्थिक स्थिति के पीछे मेन कारण है हमारा कमिटमेंट एक्सपेंडीचर, कमिटमेंट एक्सपेंडीचर जिसमें सैलेरी, पेंशन, ग्रेच्युटी और इंटरेस्ट ऑन लोन की जो लाइबिलिटी है वह हमारी बढ़ी है, वह क्यों बढ़ी है, मैं इन बातों में कहूं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। पूर्व की राज्य सरकारें जिन्होंने बड़े-बड़े प्लान बनाए, योजनाएं बनाई। आप जानते हैं योजनाओं के बनाने से, मात्र योजनाएं बनाने से काम नहीं चलता था। योजना बनाने के बाद मात्र 30 प्रतिशत की आर्थिक सहायता सैन्ट्रल गवर्नमेंट देती है, 70 प्रतिशत पैसा हमें या तो कर्ज के रूप में या अपने संसाधनों से जुटाना पड़ता है। पूर्व की सरकारों ने बड़े-बड़े प्लान बनाए और उन प्लान के एग्जीक्यूशन में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी खामियां रही, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर हम इस बात को स्पष्ट रूप से कहें, आप सब जानते हैं कि पूर्वी सरकारों ने बड़ी-बड़ी योजनाएं, हमारे यहां कहते हैं "कट योअर कोट अकार्डिंग टू योअर क्लाथ", हमारी जितनी हैसियत है हमें उतना काम करना चाहिए। अगर हमारी हैसियत नहीं है तो वह काम करने में हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाकर जो हमारे प्रदेश पर लादी गई, जो कर्ज का बोझ शुरू हुआ, शुरूआत कहां से होती है। जब 23600 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार ने भार सम्भाला था, उस पर कर्जा था, उसका ब्याज उसके रिपेमेंट की बात जो मैंने कही, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके साथ ही साथ मैंने कहा कमिटेड जो हमारी लाइबिलिटी है, कमिटेड एक्सपेंडीचर हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमको समझनी पड़ेगी।

1976 की सरकार ने लीव एनकेशमेंट का एक फैसला किया। हमारी लीव एनकेशमेंट के पीछे अगर हम देखें तो 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का भार हमारे प्रदेश पर आज भी पड़ रहा है। इसके साथ 1988 में सरकार ने केन्द्र के बराबर पे का फैसला किया। पांचवें वेतन के लागू होने से 1300 करोड़ रुपए आर्थिक भार पड़ा। 1992 में 9-18-27 की पदोन्नति का फैसला किया, उससे भी हमारी सरकार पर लगभग 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का भार पड़ा है।

इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने कमिटेड एक्सपेंडीचर, इसके साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय आई. के. गुजराल साहब ने भी फिटमेंट पालिसी के

(श्री आर. पी. शर्मा)

तहत 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत बढ़ाकर जो समझौता किया उसके तहत भी केन्द्र के बराबर वेतन मिलेगा, उसका लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश की सरकार को एक कमिटेड एक्सपेंडीचर के रूप में देना पड़ रहा है। उसकी वजह से हमारी माली हालत, आर्थिक स्थिति खराब हुई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर खर्चा करें। केन्द्र सरकार के उदारीकरण और मन्दी के दौर की वजह से हमारे राज्य की टैक्स की आमदनी है वह कम हुई है। कटारिया साहब ने जैसा कहा मैं सहमत हूं इस बात से कि जहां हमारे प्लान हुए हैं वह छोटे हुए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो खर्चा हमको करना चाहिए वह खर्चा हम नहीं कर पाए। लेकिन मैंने कहा इसके पीछे मेन कारण है हमारी आर्थिक तंगी, उसकी वजह से फिर भी आज के इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अशोक गहलोतजी कि एक जुझारू और ऊर्जावान मुख्य मंत्री है इन्होंने इस प्रदेश की आर्थिक उन्नति का सुधार करने के लिए राजस्थान फाउण्डेशन की स्थापना की, इकोनोमिक डवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलमेंट बोर्ड की स्थापना की। इसके साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर, हमारे कारपोरेट सैक्टर हैं उनमें किस तरह से सरकार इनके बारे में फैसला करे। राष्ट्रीय निर्माण समिति की स्थापना करने के बाद हम फैसला करेंगे कि इनके बारे में क्या किया जाए। हम यह तो कह सकते हैं कि सरकार इस बात से चिन्तित है कि हम किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें, किस तरह से प्रदेश की माली हालत को सुधारें।

इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश की इतनी कमजोरी होते हुए भी माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो दसवीं योजना का आकार रखा है 31831 करोड़ रुपए, उस आकार को रखने से पहले माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकारी दल है उनकी सबकी राय लेकर कि किस तरह से कहां कितनी-कितनी जरूरत की आवश्यकता है, उस पर खर्चा करने के लिए हमारे वित्तमंत्री जी ने जो प्रपोजल रखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण प्रपोजल है। हमारी 31831 करोड़ रुपये की जो योजना है वह पिछली 9वीं योजना 20159 करोड़ रुपये के मुकाबले ड्योढ़ी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सोशल कमिटमेंट, सोशल सर्विसेज विभिन्न क्षेत्रों में 86 प्रतिशत का जो मेजर सैक्टर है जो विकास से संबंध रखता है उन पर व्यय करना इन पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तावित है।

मैंने कहा कि जो कार्यकारी दलों के सहयोग से राज्य सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश के विकास के लिए कौन-कौनसे कार्य हाथ में लें, जिससे कि प्रदेश का विकास हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आज हमारे सामने इन्फ्रास्ट्रक्चर का सवाल आता है। सड़कों के क्षेत्र में हमारे प्रदेश की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 24,000 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए जो योजना हाथ में ली गयी है, जिसमें 600 करोड़ रुपया व्यय होना प्रस्तावित है। मैं कहता हूं राजस्थान की सड़कों के विकास में

(श्री आर. पी. शर्मा)

अपने आप में यह बहुत बड़ी योजना है। इसके साथ-साथ सेण्ट्रल रोड फण्ड से, जैसा कि अभी माननीय कटारिया साहब भी कह रहे थे 2500 किलोमीटर सड़क, 95 राज्य राजकीय मार्गों पर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पर जो खर्चा किया जाएगा, यह भी एक बहुत इस पर 150 करोड़ रुपया, मैं कहता हूं, चाहे भारत सरकार का पैसा हो, चाहे राज्य सरकार का पैसा हो, राज्य सरकार भी भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है और जो हमारा सरचार्ज लगता है उसके मुआवजे में ही सेण्ट्रल रोड फण्ड का पैसा मिलता है।

मैं कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा सोच हमारी सरकार ने जो दिया है धार्मिक स्थलों पर जहां करोड़ों लोग धार्मिक स्थानों पर पूजा अर्चना के लिये जाते हैं उन सड़कों के जीर्णोद्धार के लिये, यह योजना जो इस बजट में ली गयी है, मैं कह सकता हूं आम जनता के बहुत बड़े भले की योजना है। मैं नाम गिनाऊं, जिसमें सिकन्दरा-नादौती-महावीरजी, जोधपुर-रामदेवरा, रींगस-खाटूश्यामजी, सोयला-डिग्गी, जयपुर-डिग्गी, राजाखेड़ा-कैलादेवी, बीकानेर-लाडनूं, अजमेर-पुष्कर, भीलवाड़ा-नाथद्वारा और केलवाड़ा-चारभुजा। इस मौके पर मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा गोवर्द्धन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, भरतपुर से गोवर्द्धन की रोड जिसमें मैं कहना चाहूंगा प्रतिवर्ष एक करोड़ व्यक्ति वहां दर्शनों के लिये जाते हैं, वह सड़क इस योजना में रह गयी है। कृपया इस सड़क को भी, भरतपुर-गोवर्द्धन सड़क को भी इसी योजना में जोड़ने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ सड़कों के सन्दर्भ में पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को जो सरकार ने एक योजना हाथ में रखी है वह भी अपने आपमें एक बहुत बड़ी योजना है। इसमें जैसे कि भरतपुर-बयाना, हिण्डौन-महावीरजी, टोंक-सवाईमाधोपुर, जोधपुर-जैसलमेर और जयपुर-सामोद, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, अलवर, झालावाड़-झालरापाटन, सिरोही-बांसवाड़ा इत्यादि जो सड़कें ली गयी हैं इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1991 में जिन गांवों की आबादी एक हजार से ऊपर है उन गांवों को जोड़ने के लिये भी एक महत्ती योजना 535 गांवों को जोड़ने के लिये 2 हजार किलोमीटर की हाथ में ली गयी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आगे आने वाले समय में सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान की माली व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और सड़कों के विकास से हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम एक होगा। आपको शायद आज ही वोट के तहत, बिल्ट आपरेट लीज एण्ड ट्रांसपोर्ट के तहत सड़कें बनाने के लिये सड़क और पुल बनाने के लिए आज एक विधेयक आपके सामने रखा गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत है, सरकार की मंशा है कि हम चाहे आर्थिक स्थिति से कमजोर हो लेकिन हम उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जिससे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो और राज्य की तरक्की के, राज्य के विकास के रास्ते खुलें।

(श्री आर. पी. शर्मा)

इसी के तहत मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम इस सरकार ने हाथ में लिया है वह ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में लिया है। आपको याद होगा जब 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी उस वक्त केवल इस राज्य में 3356 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होता था। लेकिन राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि जब हमारे प्रतिवर्ष ढाई सौ से तीन सौ मेगावाट की मांग होती है उसकी आपूर्ति कैसे पूरी होगी, उसके लिये राज्य सरकार ने फैसला लिया कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल में 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे. और मुझे कहते हुए आज खुशी है कि केवल सवाल तीन साल, साढ़े तीन साल के इस कार्यकाल में इस सरकार ने 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन तो कर दिया है। बाकी हमारी योजनाएं हाथ में हैं। मैं कह सकता हूं कि अपने कार्यकाल में 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन यह सरकार करके रहेगी। आप जानते हैं बिजली भी आज हमारे विकास की बहुत बड़ी धुरी है। जिस तरह से हम पहले कहा करते थे, रोटी, कपड़ा और मकान! किसी व्यक्ति को क्या आवश्यकता होगी रोटी की, कपड़े की, या मकान की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजों की ओर हम देखें तो केवल बिजली ही एक ऐसी चीज है जिससे गेहूं उत्पन्न होगा तो बिजली के सहारे उत्पन्न होगा। कपड़ा बनेगा तो बिजली से बनेगा और मकान के जो साधन हैं वे बिजली से पैदा होंगे। तो आज हमारी प्राइमरी आवश्यकता बिजली की है। और मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन प्रदेशों में बिजली का उत्पादन है, जिन प्रदेशों में बिजली की अच्छी खपत है, वह प्रदेश ही आज आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिये विभिन्न योजनाएं, जो हमारे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में ली गयी हैं, सरकार की जो महत्ती योजनाएं हैं और इस प्लान की राशि में से अकेले 1414 करोड़ रुपये, हमारी जो 5535 करोड़ की जो दसवीं योजना है, जो फर्स्ट ईयर का प्लान है उसमें से बिजली पर जो खर्च करने का हमारा इरादा है, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की यह हमारी सरकार, यह किसी दिखावे वाली बात नहीं, हम उन चीजों में विश्वास करते हैं जिनके करने से इस प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी, किसान की उन्नति होगी, गरीब की उन्नति होगी। इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको शायद याद होगा बिजली के क्षेत्र में, ट्रांसमीशन के क्षेत्र में इस सरकार ने जितना बड़ा काम किया है, जहां 400 के. वी. ए. के दिसम्बर, 1998 तक केवल एक ही जी. एस. एस. था 2003 तक 5 जी. एस. एस. बनाने की हमारी योजना है। इसके साथ-साथ 200 के. वी. ए. के जो कि 29 जी. एस. एस. थे, दिसम्बर, 03 तक 53 जी. एस. एस. हमारे बन जाएंगे। 132 के. वी. ए. के जो 148 थे वह हमारे 244 तक पहुंचे जाएंगे और 33 के. वी. ए. के जो हमारे 176 जी. एस. एस. जो दिसम्बर 1998 में थे वह 2054 बन जाएंगे।

ट्रांसमिशन के क्षेत्र में विद्युत की बचत, हम कहां करते हैं। Money saved is

(श्री आर. पी. शर्मा)

money earned. इसलिये अगर हम पावर सेव करते हैं तो पावर भी अर्न करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है कि हम केवल उत्पादन की ओर ध्यान दें उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हम बिजली की बचत करने से भी बिजली का उत्पादन बढ़ाते हैं। इसलिये बिजली के क्षेत्र में जो मैंने कहा है कि सरकार ने अपने प्लान में बहुत बड़ी महत्त्वपूर्ण योजनाएं हाथ में ली हैं, मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में आप जानते हैं उद्योग धन्धे खोलने के लिये भी, चाहे किसी भी काम के लिये जब तक किसी प्रदेश में बिजली की आपूर्ति नहीं है कोई भी उद्योग, कोई भी व्यावसायी उद्योग खोलना पसन्द नहीं करेगा। इसलिये मान्यवर, मैंने जैसा कहा कि बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया गया है। उसी तरह से मैं बिलकुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस प्रदेश की सरकार ने उन प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया है जिसका सीधा सम्बन्ध किसान की तरक्की से है, जिसका सीधा सम्बन्ध औद्योगिक विकास से है। इन दोनों का डवलपमैंट होने के बाद ही हम रोजगार के साधन मुहैय्या करा सकते हैं।

तीसरा जो महत्त्वपूर्ण काम इस सरकार ने हाथ में लिया है वह है सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना। हमसे और आपसे छिपा हुआ नहीं है कि किसान के लिये क्या चाहिये। किसान चाहते हैं कि उसको सिंचाई की व्यवस्था पूरी मिले, उनको बिजली मिले, उत्तम खाद मिले और बीज मिले। निश्चित रूप से हम उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये इस सरकार ने हमारी 2002-2003 की सिंचाई योजनाओं के लिये 357 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें माही योजना, जिसमें 24 करोड़ रुपये, बीसलपुर योजना पर 20 करोड़ 90 लाख, सिद्धमुख वितरिका पर 8 करोड़, गंगनहर पर 445 करोड़ की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, गंगनहर के विकास के लिये ली है जिस पर 50 करोड़ इस वर्ष व्यय होगा। इसके साथ-साथ प्रदेश की अन्य योजनाएं जो कि कम्पलीट नहीं है जो अधूरी पड़ी हैं उनको विश्व बैंक की सहायता से 734 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है जिससे पूरे प्रदेश में जो भी हमारी सिंचाई से सम्बन्धित योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अगर हम... और इन्दिरा गांधी नहर योजना पर हम खर्च करेंगे 115 करोड़ रुपये। सिंचित विकास क्षेत्र पर खर्च करने का 52 करोड़ का एक प्लान है। इसके साथ-साथ चम्बल पर भी 6 करोड़ रुपये, मैं इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। चम्बल के पानी के सम्बन्ध में, भरतपुर, जैसा कि आपको मालूम है हमारे भरतपुर के सिंचाई के क्षेत्र में हमारी 3 नदियां महत्त्वपूर्ण हैं, बाणगंगा, रूपारेल और गम्भीरी नदी। गम्भीरी नदी पर पांचना बांध हमारा बना हुआ है। बाण गंगा पर एनीकट्स बने हुए हैं और रूपारेल नदी भी हमारी रुकी हुई है। हम चम्बल से, चम्बल में और बनास जो रामेश्वर गांव है सवाईमाधोपुर में, इस गांव में हम ग्रेविटी के थ्रू, अगर आप इसमें एक

(श्री आर. पी. शर्मा)

योजना में प्रस्तावित कर दें निश्चित रूप से भरतपुर में भी सिंचाई के साधनों की हम वृद्धि कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं आज इन्फोर्मेशन और टेक्नोलाजी का युग है। आज वह प्रदेश आगे रहेगा जो आई.टी. के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इन्फोर्मेशन टेक्नालाजी क्षेत्र में सरकार ने 18 करोड़ 98 लाख रुपये खर्च करने का जो इस बजट में प्रावधान किया है वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने ई-गवर्नेंस के थ्रू हमारे ग्राम प्रशासन में भी एक पायलट योजना हाथ में ली है। यह भी अपने आप में एक महत्ती योजना है।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम बेरोजगारों को रोजगार दें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उद्योग धन्धों को बढ़ायें। इसके लिये राज्य सरकार ने उद्योग धन्धों के विकास के लिए एक बहुत बड़ी महत्त्वपूर्ण योजना जो हमारे उद्योग धन्धों के विकास के लिये, मैंने कहा राजस्थान फाउण्डेशन के माध्यम से चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट बोर्ड, इकोनोमी डवलपमेंट बोर्ड, इनके माध्यम से हमारे राजस्थान में उद्योग धन्धे लगे। इसके साथ-साथ इस साल उद्योग धन्धों पर 53 करोड़ 44 लाख रुपये का जो खर्च करने का प्रावधान किया है वह अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 1075 ऐसे उद्योग धन्धे हैं जिन पर आर.एफ.सी. और रीको ने रुग्ण उद्योग होने की वजह से जिनको प्रजेशन में ले रखा है, राज्य सरकार ने ऐसे रुग्ण उद्योगों के विकास के लिये, ऐसे रुग्ण उद्योगों को चलाने के लिये घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति ऐसे उद्योगों को खरीदेगा उनकी ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके साथ-साथ कोई भी व्यक्ति रुग्ण उद्योगों को चलाना चाहता है तो बिजली के और सैल टैक्स के पैसे या तो माफ किये जाएंगे या उन पर छूट दी जाएगी।

इसके साथ-साथ जो पैसा रुग्ण इकाइयों के उद्योगों की बिक्री पर प्राप्त होगा, उसका 70 परसेंट पैसा वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा और 30 परसेंट पैसा प्रपोर्शनेटली जो भी सैल टैक्स और जो भी हमारा बिजली विभाग है, या उद्योग विभाग है उनको पेमेंट में होगा। इसलिये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसे उद्योग धंधे जो बंद पड़े हैं, लम्बे अरसे से उनको कुछ व्यावसायी खरीद कर चलाने में निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमारे यहां उद्योग धंधों का भी डवलपमेंट होगा।

उसी के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योग विकास के लिये भी 9 करोड़ 5 लाख का प्रावधान किया है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हस्तकला की बिक्री के लिये काटेज छोटे-छोटे, हस्तकला जो हमारे ग्रामीण दस्तकार हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिये बड़े शहरों में हाटों का प्रावधान है, एक हाट बाजार स्थापित किया जाएगा। और उसके ऊपर तीन करोड़ रुपये इस वर्ष खर्च करने का प्रावधान है। हमारे प्रदेश में माइन्स का बहुत बड़ा हमारा भण्डार है। इन भण्डारों का सही रूप से उपयोग हो। हमारे स्टोन्स का सही दोहन हो, इसके लिये राज्य सरकार इस वर्ष

(श्री आर. पी. शर्मा)

इंडिया स्टोन मार्ट 2003 प्रदर्शनी और कांफ्रेंस का आयोजन करने जा रही है। निश्चित रूप से इससे भी हमारे स्टोन वगैरह के व्यावसाय आगे बढ़ेंगे।

इसके साथ-साथ मैं निवदेन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। राज्य सरकार ने उन छोटे-छोटे व्यावसायियों के लिये, उन छोटे-छोटे दुकानदारों के लिये जिनकी आर्थिक स्थिति की वजह से वे कोई काम नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से हम किसान क्रेडिट कार्डों के लिये, उनको किसान कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं उसी तरह से राज्य सरकार ने छोटे-छोटे दुकानदारों के लिये सुगम क्रेडिट कार्ड योजना उपलब्ध कराने के लिये एक स्कीम बनाई है, जिसके तहत हर व्यक्ति को पचास हजार रुपये तक का ऋण मिल सकेगा और वह अपने हिसाब से उस पैसे को काम में ले सकेगा। यह एक बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार ने अपने माध्यम से उठाया है। मैं चूंकि, कृषि के क्षेत्र में सोचें तो कृषि के क्षेत्र में 411 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया है। यह भी महत्वपूर्ण है। हमारी योजना है कि नैक्स्ट, आगामी साल में 127 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हमारा बढ़कर हो और 40 लाख तिलहन का उत्पादन हो। इसके लिये भी हमने एक योजना सरकार ने अपने हाथ में ली है जिसमें प्रभावी ढंग से सरकार काम करना चाहती है।

इसी के साथ-साथ पशुपालन एक महत्वपूर्ण है, एक सैकण्ड सब्सिडिअरी, एक तरह से सैकण्ड लाइन आफ, हमारे किसानों की आय का स्रोत है। उसको बढ़ावा देने के लिये 200 नये पशु सबसेंटर्स खोलने के लिये सरकार ने योजना बनाई है और पशुपालन विभाग पर 116 करोड़ 23 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

वनों के क्षेत्र में सरकार ने, फोरेस्ट के सम्बन्ध में 175 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो कि अपने आप में हमारे पिछली साल के बजट का ड्योढ़ा है। इसके साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार ने एक योजना बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की एक योजना बनाई है।

शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कि हमारे काफी मिडल स्कूलों को, 200 मिडल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा और सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाएगा। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा इन सबके साथ-साथ।

पर्यटन विभाग जो कि आज एक तरह से उद्योग हो गया है, किसी भी प्रदेश के लिए, उसके विकास के लिए, उसके बढ़ावे के लिए भी 19 करोड़ 50 लाख रुपये इस साल प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट की तुलना में दुगना है।

चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किये हैं। मैं इन सब बातों को सुनाने के बजाए, क्योंकि समय ज्यादा है, पेयजल के क्षेत्र में भी, हमारा पेयजल आपूर्ति के हिसाब से 1477 करोड़ रुपये की योजना हाथ में ली गई है। जिसमें ग्रामीण और

(श्री आर. पी. शर्मा)

शहरी क्षेत्रों में, राजीव गांधी मिशन की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेकर सरकार चाहती है कि सबको पीने का पानी मिले, शुद्ध पीने का पानी मिले। इसके अतिरिक्त स्थाई निकाय, हमारे समाज कल्याण, महिला बाल विकास, जनजाति क्षेत्रीय विकास, विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम करने के कदम अपने हाथ में उठाये हैं।

मैं चूंकि करों के सम्बन्ध में अगर अपना विचार रखूं, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जिस तरह से चाणक्य ने कहा है, अपने चाणक्य ने लिखा है कि राज्य सरकार को कर इस तरह से लगाना चाहिए जिस तरह से मधुमक्खी फूल में से रस तो ले लेती है लेकिन मधुमक्खी फूल को कष्ट नहीं देती, उसी तरह से राज्य सरकार ने कितनी भी आर्थिक तंगी, कितनी भी आर्थिक कमजोरी होने के बाद भी जिस तरह से टैक्स जो सरकार ने व्यावसायियों पर लगाने की कोशिश की है, उनसे थोड़ा-थोड़ा टैक्स लेकर जिससे व्यावसायियों को तकलीफ नहीं हो और सरकार का भी काम चले, मात्र 50 करोड़ रुपये जो हमारे कर प्रस्तावित किये हैं, यह मैं कहता हूं कि इस सरकार का बहुत बड़ा काम है।

इसके साथ-साथ जो छूटें इस राज्य सरकार ने दी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो राज्य सरकार ने किया है, राज्य सरकार की योजना है, राज्य सरकार चाहती है कि हमारे यहां से व्यापार का पलायन नहीं हो, रोजगार के साधन बढ़े, स्थानीय उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिले और करदाताओं की व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण हो, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, उद्योगों के सम्बन्ध में, जो नये उद्योग धंधे इस राज्य में लगाएंगे, उन पर रा-मटीरियल पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे बड़ा फैसला मैं कह सकता हूं कि नये उद्योगों के लिए एक तरह से प्रोत्साहन का कोई नहीं हो सकता है।

इसके साथ-साथ ही हमारे जो खाद्य तेल है, रुग्ण इकाई हैं, मैंने कहा रुग्ण इकाइयां बंद हैं, उनके बारे में भी बताया कि उनको भी रिलीफ दी है। इसके साथ-साथ बहुत महत्वपूर्ण काम राजस्थान जो खास तौर से राजस्थान खाद्य तेलों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और खाद्य तेलों की मदद के लिए, खाद्य तेल के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने परचेज पर जो टैक्स दो परसेंट से घटा कर एक परसेंट किया है, मैं कहता हूं कि इस राज्य सरकार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है लेकिन खल पर, माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि खल पर आपने जो एक परसेंट कर से दो परसेंट किया है, वह मेरे हिसाब से अव्यावहारिक है। हमको जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि उत्तर प्रदेश में खल पर बिलकुल टैक्स नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में कोई टैक्स नहीं है तो उत्तर प्रदेश का माल राजस्थान में आएगा, निश्चित रूप से हमारा जो एक परसेंट का बेनिफिट दिया है, तेल मिलों के लिए, इधर हमने खल पर दो परसेंट टैक्स लगा दिया है, इससे निश्चित रूप से चोरी बढ़ेगी और हमारी राज्य सरकार

(श्री आर. पी. शर्मा)

को हानि होगी इसलिए खल पर भी जो हमारा एक परसेंट पहले था, यथावत रखने की कृपा करें जिससे हमारी मंशा, जो राज्य सरकार की तेल मिलों को बढ़ावा देने की है, वह पूरी हो। इसके साथ-साथ हमारे कपास के उत्पादन में, राज्य सरकार ने कपास के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए जो मिलें, सूती मिलें, कपास खरीदेगी उनको 50 परसेंट की रिलीफ की घोषणा की है। डी.एम.टी., एमई.ब्री. जो कि सिंथेटिक यार्न बनाने का रा-मटीरियल होता है, उस पर भी दो परसेंट टैक्स से 0.75 परसेंट किया है। यह भी हमारे सिंथेटिक यार्न जो बनाने के कारखानें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने की योजना है। सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। इसके साथ-साथ राजस्थान में जो सलैण्डर बनाती हैं फैक्ट्रियां, उन पर पहले कर का बोझ 12 परसेंट था, उसको चार परसेंट करने से भी हमारे सलैण्डर निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है।

इसके साथ-साथ गलीचा उद्योग, जो छोटे-छोटे कारीगर हैं, जो कि अपने घर पर, गांवों में गलीचा बनाते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो ऐसे लोग हैं जो गलीचा बनाकर बेचेंगे, उन पर भी कोई कर नहीं लगेगा। उसी तरह से चाय पर जो टैक्स लगता था, डबल, उसको केवल एक बार ही चाय पर टैक्स लगाने के लिए, आम कंजूमरों को जो रिलीफ दी है।

इसके साथ-साथ व्यावसायियों की व्यावसाय कर में प्रक्रिया को सरल करने के लिए योजना बनाई जा रही है जिससे हमारे सेल टैक्स के फार्म थे, 18(ए) और 18(सी), उनके सरलीकरण के लिए योजना घोषित की है। उसी के साथ-साथ ही वाणिज्य कर से सम्बन्धित जो हमारे लम्बित मामले थे, डिस्प्यूट थे उनको जल्दी निपटारा करने के लिए गवर्नमेंट ने सैटलमैंट बोर्ड, सेल टैक्स सैटलमैंट बोर्ड की स्थापना की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि, माननीय कटारियाजी यह कह रहे थे कि यह घाटा आएगा कहां से, यह घाटा जिस दिन सैटलमैंट बोर्ड की स्थापना हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो व्यावसायी जो वाकई में टैक्स देना चाहते हैं, वे अपना टैक्स जमा कराएंगे और सरकार की लायबिलिटी है वह कम होगी और सरकार की आमदनी बढ़ेगी और व्यावसायियों को रिलीफ मिलेगी। सैटलमैंट बोर्ड का फैसला राज्य सरकार की आमदनी के साथ-साथ व्यावसायियों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।

इसके साथ-साथ राज्य सरकार जो ब्याज, राज्य सरकार देती है, वह लेती है उसको 18 परसेंट किया है और जो हम देंगे उसको 8 परसेंट किया है, यह भी व्यावसायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला है। इसके साथ-साथ हम उन सभी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केवल मैंने कहा कि 50 करोड़ रुपये प्राप्त करना, मैं कहता हूं कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं इन्हीं के साथ, चूंकि अब (व्यवधान)...

श्री सभापति : अब समाप्त करिये।

श्री आर. पी. शर्मा : राज्य सरकार, जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी आमदनी

(श्री आर. पी. शर्मा)

बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो विकास का घड़ा है, उनको भरने के लिए हमारी सबकी चिन्ता है। हम सब चाहते हैं कि विकास के लिए महत्वपूर्ण काम करें। विकास के लिए, इस प्रदेश की जनता की गरीबी दूर करने के लिए, इस प्रदेश के नागरिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और इस प्रदेश में अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिए इस सरकार के कार्यक्रम हाथ में लिये हैं उनको हम आगे बढ़ाएं लेकिन मुझे कहने में इस मौके पर कोई संकोच नहीं है, विकास का घड़ा चाहे कितना भी हम इसमें भरते आये अगर इस घड़े में कोई छेद हो जाएगा तो यह घड़ा कभी खाली नहीं होगा। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि आज हम विकास के घड़े को भरना चाहते हैं तो हमें इस प्रदेश से जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, हमारे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, उसको खतम करना होगा। निश्चित रूप से कहता हूं कि करों की आमदनी बढ़ेगी, हमारे जो खर्चे हैं वह कम होंगे और इस प्रदेश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : मौका ही नहीं, पूरा मौका दिया है। डा. के. सी. चौधरी।

(15.00 बजे)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में वर्ष 2002-2003 के बजट पर चर्चा हो रही है आम जनता हर साल बजट में तीन चीजें साथ-साथ देखना चाहती है उसका नेता, सरकार की नीति और सरकार की नीयत। मैं, मान्यवर, सबसे पहले तो हमारे नेता राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत को बहुत-बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व में उन्होंने राजस्थान को एक असाधारण रूप से सुदृढ़ संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार दी है, जो उनके समस्त मंत्रिमण्डल के सदस्यों के साथ सफलतापूर्वक राजस्थान में सरकार चला रही है।

मान्यवर, जब मैंने नेता की बात की तो जनता यह समझना चाहती है कि नेता के दिमाग में उस राज्य के विकास की परिकल्पना क्या है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अशोकजी गहलोत के बारे में, यह चौथा साल है, मैं खुद देखकर आ रहा हूं, राजस्थान की जनता भी समझ रही है कि इन्होंने अत्यन्त ही शालीनता से और गम्भीरता से राज्य के विकास के नये आयाम दिये हैं। विकास की परिकल्पना को इन्होंने परसीव किया है। परिकल्पना को परसीव करने के बाद में उस कल्पना को अपने गले उतारा है, उसे कंसीव किया है। कल्पना परसीव की गयी। कल्पना कंसीव की गयी। फिर कल्पना पर बिलीव किया गया कि विकास की दिशा क्या होगी। अब आप सोचे कि जब परसीव कर लिया, किसी भी आइडिया को कंसीव कर लिया, उस पर बिलीव कर लिया,

(डा. के. सी. चौधरी)

अशोकजी गहलोत राजस्थान में वह मुख्य मंत्री बने जिन्होंने उसको अचीव करके बता दिया। यह बहुत बड़ी बात है।

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रिमण्डल में शामिल होना है क्या? माननीय चौधरीजी, इतनी तारीफ कर रहे हो, मंत्रिमण्डल में शामिल होना है क्या?

डा. के. सी. चौधरी : माननीय हीरासिंहजी, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिये। जो सच्चाई है उस पर मैं अभी आ रहा हूं। आप लोग ही रोज बोलते हो कि तीन साल बेमिसाल। हमारी किताबें तो आप ही लिये घूमते हो। इस सरकार ने जो बेमिसाल काम किये हैं, वह तो आपको भी पता है। यह एक सच्चाई है। जैसा कि माननीय कटारिया साहब बता रहे थे कि सरकार की दिशा और दशा दोनों ही बताती है और आपको यह बताऊं कि दोनों ही बातें हमारी बड़ी स्वस्थ है, हैल्थी है और अच्छी है।

राजनैतिक रूप से देखें, पूरे राजस्थान भर में यह प्रतिक्रिया आई है कि वर्तमान परिस्थितियों में वित्त मंत्री इससे अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। यह आम जनता की प्रतिक्रिया आयी है और राजनैतिक दशा अब आपको पता है कि माननीय भैरोंसिंहजी ने वहां क्या कहा था कि अजमेर पश्चिम का यह उप चुनाव राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो राजनीति की दिशा तो तय हो गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : यह चुनाव आप लोग कैसे जीते हो, यह आप लोगों को भी मालूम है।

डा. के. सी. चौधरी : राजनीति की दशा तो तय हो गयी। अब आपको तय करना है जिस आत्महत्या के रास्ते पर बी.जे.पी. चल पड़ी हो, वह कहां तक जाएगा। हमारी दिशा तो तय हो चुकी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी परफोर्मेंस का नहीं, उन्होंने तो यह कहा था। आपके मुख्य मंत्रीजी ने तो यह कहा था कि अजमेर के चुनाव के नतीजे हमारी परफोर्मेंस के कोई मापदण्ड नहीं होंगे। यह कहा था।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, उन्होंने सही कहा था कि एक उप चुनाव से सरकार की परफोर्मेंस की बात नहीं आएगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी टोंक में पिट गये थे (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मैं माननीय भैरोंसिंहजी की बात बता रहा हूं कि रोजाना अखबार में यह छपता था कि अजमेर उप चुनाव का नतीजा राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करेगा तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वह दिशा तो तय हो गयी न, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा। वह दिशा तो तय हो चुकी।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपके सामने ही बैठे हैं, देख लो।

डा. के. सी. चौधरी : आपके सामने सारी चीज आ गयी है। माननीय सभापतिजी, अब मैं सरकार के मानवीय पहलू की तरफ आपका

(डा. के. सी. चौधरी)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में राज्य में दस हजार पोलियो करेक्शन केसेज आपरेट करने का लक्ष्य तय किया और सात करोड़ रुपये का इसके लिये प्रावधान किया। यह मानवीय पहलू है सरकार का कि पोलियो के लोग आपरेशन के बाद अक्षमता के दायरे से सक्षमता के दायरे में आएंगे। इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। बात कुछ भी नहीं है, कटारिया साहब कह रहे थे तो यह सारे काम आपके टाइम पर भी हो सकते थे। कटारिया साहब ने बहुत अच्छी बात उस रोज बतायी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अब आपको बताऊं कि उस वक्त भी सामूहिक विवाह प्रचलित थे, लेकिन सामूहिक विवाहों की महत्ता को, उसकी आवश्यकता को हमारी सरकार ने समझा और इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिये एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मान्यवर, अब हर समाज में सामूहिक विवाह की आवश्यकता समझी जा रही है।

एक और मानवीय पहलू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। "प्रशासन गांवों के संग" और "प्रशासन शहरों के संग" सरकार का अभियान चला। एक लाख लोगों को जिनको पेंशन पाने के योग्य समझा गया था, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन सभी लोगों के पेंशन के आदेश सरकार ने प्रसारित कर दिये हैं या जो थोड़े-बहुत बचे हैं, वह प्रक्रिया में हैं, आलरेडी हैं। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार ने राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन की स्थापना की। यह सरकार की मंशा बताती है। मानवीय पहलू पर आप देखें कि राजस्थान देश के उन प्रदेशों में आया है जो महिला बाल विकास के मामले में, पोषाहार कार्यक्रमों के काम में देश में अग्रणी प्रान्त बने हैं। मान्यवर, राजस्थान उन प्रान्तों में से है जिनमें महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से 28 लाख से अधिक बच्चों को और सात लाख से अधिक गर्भवती एवं धात्री माताओं को, किशोर बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है और इसके लिये 54 करोड़ 13 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इसी प्रकार तीन वर्ष की आयु के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिये 59 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान इस सरकार ने किया है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय चौधरीजी, प्रावधान किया, आंकड़े भी अच्छे हैं, सारा सही है लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर महिला एवं बाल पोषाहार में क्या गांवों में जो लाभान्वित होने चाहिये थे, वहां तक यह सामग्री पहुंच रही है क्या? उन लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, क्या ठीक ढंग से व्यवस्था की जा रही है। केवल तारीफ के पुल मत बांधो। गांवों में रहते हैं, गांवों में जाते हैं, वहां किस-किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दो तो हम भी बड़े सन्तुष्ट होंगे आपकी बातों से।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय, इसमें दो बातें हैं। एक वह काम है जो घूघरी वाला

(डा. के. सी. चौधरी)

किस्सा आया था सदन में और दूसरा वह काम है जो न्यूट्रीशन फूड प्रोग्राम के तहत करा जा रहा है। मैं बता रहा हूं सर, दो अलग-अलग चीजें हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिला विकास का तो सारा पैसा पिछली साल का लैप्स हुआ है, आप बात क्या कर रहे हो ?

डा. के. सी. चौधरी : हम अभी इस बजट की बात कर रहे हैं कि इस बजट में क्या प्रस्ताव हैं। अपने इस बजट के प्रस्तावों की बात कर रहे हैं अभी। आप यह देख लें कि न्यूट्रीशन प्रोग्राम में राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में है। अब वह जो घूघरी खराब आयी, घूघरी तो उस गेहूं की बनी है जो केन्द्र सरकार ने भेजा। उसमें तो राजस्थान का कुछ काम ही नहीं था। घूघरी की बात कर रहे हो न ? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : घूघरी नहीं, वह (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : घूघरी की बात, दलिये की अलग है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : घूघरी नहीं, पहले वाली बात कहो न। आप सत्तू के बारे में कहो न, सत्तू के बारे में। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : केन्द्र सरकार ने गेहूं खराब दिया तो आपने उठाया ही क्यों ?

डा. के. सी. चौधरी : माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब ने सदन को कुछ बातें बतायी थीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान की जनता को राजस्थान की प्रगति के बारे में बड़ी निराशाजनक पिक्चर दी। हकीकत यह है कि इकोनोमिक सर्वे आफ इण्डिया 2001-02, कटारिया साहब अभी यहां हैं नहीं, नोट कर लीजिये, उनसे इस बारे में मैं बाद में बात कर लूंगा। आपके प्लानिंग कमीशन के मैम्बर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यह सब बताती है कि राजस्थान ने सन् 1980 के दशक में हिन्दुस्तान के अग्रणी प्रान्तों में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है और ग्रोथ रेट 6.9 प्रतिशत रही जो कि पहले छह प्रान्तों में आती थी। 1990 के दशक में यह ग्रोथ थोड़ी कम हुई है और अभी जो इन्टरनेशनल मंदी का दौर है, वह आपके सामने है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 1980 के दशक में क्या था, आप आंकड़ा दीजिये, उसके बाद 1990-91 में, 1991-92 में गिर गयी प्रति व्यक्ति आय, इसका आंकड़ा दीजिये। कोई तथ्यात्मक बात करिये।

डा. के. सी. चौधरी : मैं अभी दे देता हूं। अभी दे देता हूं, 1980 से 1990 के बीच में इकोनोमिक ग्रोथ की रेट थी 6.9 प्रतिशत और 1990 से 2000 के बीच में इकोनोमिक ग्रोथ की रेट आई है 6 प्रतिशत, दशमलव 9 प्रतिशत गिरी है। Per capita income; Rajasthan has increased @ 3.96% per annum in 1980s and 1990s which is one of the highest in the country, doubling in less than 20 years. इसी पीरियड में Rajasthan per capita income doubled in less than 20 years whereas the capital doubled in 30 years.

(डा. के. सी. चौधरी)

दूसरे प्रांतों की। Rajasthan used to be 14th rank in 1980-81 और आज यह राजस्थान नौवीं रैंक आया है, अबव आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। मान्यवर, मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि बीमारू राज्यों से राजस्थान बाहर निकल रहा है और जब बीमारू राज्यों की कैटेगरी से राजस्थान बाहर निकल रहा है—

मोहम्मद माहिर आजाद : कितने राज्यों से ऊपर बता रहे हो, कितने राज्यों से कम है, वह भी बता दो।

डा. के. सी. चौधरी : हां, वह भी बता रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई तर्क थोड़े ही हुआ कि मेरा बेटा तीन सब्जैक्ट में फेल हुआ, आपका चार सब्जैक्ट में फेल हुआ। यह क्या तर्क हुआ?

डा. के. सी. चौधरी : कुछ तो आप अपने बताने के लिए भी रखो, सब हम ही थोड़ी बता देंगे। कुछ तो आप भी बैठ कर बताओगे वहां से।

मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की परफोरमेंस की रिपोर्ट जो माननीय कटारिया साहब ने दी है वह सम्पूर्णतया निराशाजनक है। असलियत यह है कि हमारी ग्रोथ रेट है, कहीं तो हमें आशावादी बनना पड़ेगा और खुश भी होना पड़ेगा और सरकार की अच्छी परफोरमेंस के लिए सरकार की तारीफ भी करनी पड़ेगी।

बीमारू राज्यों की कैटेगरी से राजस्थान के बाहर आने के जो आंकड़े थे, जो विश्व बैंक के मानदण्ड थे उसमें साक्षरता पहला काम था, हैल्थ सेंटर दूसरा काम था, उसमें सोशियल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, यह तीन मोटे-मोटे क्राइटेरिया थे।

मैं एजुकेशन के फील्ड से चालू करता हूं। माननीय कटारिया साहब भी अब आ गये। एजुकेशन का एक मात्र क्राइटेरिया ऐसा रहा जिसमें हमारी साक्षरता दर 61 प्रतिशत रही, जो कि देश में हाइएस्ट थी और इसी के कारण से भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को दशाब्दी साक्षरता पुरस्कार और महिला दशाब्दी साक्षरता पुरस्कार दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह एक साल में ही कर दिया? एक साल में ही हो गया?

डा. के. सी. चौधरी : हमने यह नहीं कहा है। (व्यवधान) ऐसा जो कुछ हुआ है, श्रेय तो हमारे टाइम का ही है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान को बीमारू मत रखो, बीमारू से बाहर निकालना है और बाहर निकालने के लिए साक्षरता दर अच्छी रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आल इंडिया एवरेज से अभी भी कम है राजस्थान।

डा. के. सी. चौधरी : आप लीजिये, हमने राजस्थान में राजीव गांधी पाठशालाएं खोली। विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों ने खूब हल्ला मचाया, यह क्या होगा, यह तमाशा होगा, यह तबेले हो जाएंगे, यह मोहल्ले बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। उसी पैटर्न पर भारत सरकार ने एजुकेशन गारंटी स्कीम लागू की है जिस पैटर्न पर हमने राजस्थान में राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं। अब आप बताइये, पूरा हिन्दुस्तान तो हम

(डा. के. सी. चौधरी)

को फालो कर रहा है क्योंकि लिट्रेसी रेट को बढ़ाने में अब राजस्थान हिन्दुस्तान में काफी आगे हो चुका हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो शिक्षाकर्मी योजना आज से आठ साल पहले इसी पैटर्न पर चली है जो स्वीडिश गवर्नमेंट की सहायता से चली। वह संख्या में कम थी।

श्री हीरालाल विश्नोई : 1988 से 1990 में कांग्रेस की सरकार थी जब 6000 स्कूलें खुली थीं, आपने बंद की थीं। 1990 में जब आप आये थे तब बंद की थीं आपने। हां, जब ही तो फिर यह हालात हुई आपकी।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय कटारियाजी ने अभी मान लिया...(व्यवधान)

अब आप देखें कि राजस्थान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के नामांकन से हम जोड़ रहे हैं। कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? अगर राजस्थान में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं और निरक्षरता से राजस्थान को साक्षरता की तरफ ले जा रहे हैं तो सरकार कोई गलत काम कर रही है क्या? अगर अच्छा काम है तो उसकी कभी-कभार तो आप तारीफ कर दिया करें कि यह काम तो अच्छा हुआ राजस्थान में। यह तो आंकड़े बोल रहे हैं कि शिक्षा का प्रतिशत हमारे टाइम में बढ़ा है। बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने की हमने घोषणा करी, इस बजट में भी...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : शिक्षा पर जब डिमाण्ड आये तब बोल लेना, इतने पढ़े-लिखे आदमी हो बजट पर बात करो। कुछ बोलना हो तो बजट पर बोलो।

डा. के. सी. चौधरी : मैं उस जगह आ रहा हूं। Education was an important factor.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 15 तारीख को एजुकेशन की डिमाण्ड है, खूब जोर से भाषण कर देना उस समय।

डा. के. सी. चौधरी : बजट में जो राजस्थान को विकास की दिशा दी है उसके लिए मैं दो-तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। केन्द्र की भाजपा सरकार से राज्य को जो भी पैसा मिलना था वह करीबन-करीबन 680 करोड़ रुपये कम मिलेंगे राजस्थान उन राज्यों में से है जिसकी टैक्स रिकवरी रेट, अभी राजस्थान की टैक्स रिकवरी रेट देश की हाइएस्ट टैक्स रिकवरी रेट में से है। मान्यवर, मध्य प्रदेश की एक परसेंट है, गुजरात की दो परसेंट है और राजस्थान की टैक्स रिकवरी रेट दस परसेंट आयी है। तो यह राजस्थान का एक अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लेन, अच्छे वित्तीय अनुशासन के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

राजस्थान के प्रति जो केन्द्र का रवैया है उसके बारे में आपने बहुत कुछ बातें बता दीं। मैं आपसे दो-तीन बातें पूछना चाहूंगा। राजस्थान में ही जैसलमेर नाम की एक जगह स्थित है और जैसलमेर में हिन्दुस्तान का स्टील ग्रेड लाइम स्टोन नम्बर वन क्वालिटी का निकलता है मगर केन्द्र सरकार की गलत नीतियों से, दुबई से आयातित जो लाइम

(डा. के. सी. चौधरी)

स्टोन है वह तो सस्ता पड़ रहा है और चूंकि वे रेल किराये भाड़े में रियायत नहीं दे पा रहे हैं जैसलमेर से तो हमारे जो खनिज भण्डार हैं उनका खनन किस प्रकार होगा? तो मैं माननीय कटारिया साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र वालों को यह तो समझा दें कि अगर आप जोधपुर में यह काम करा पाये कि जोधपुर में खाली रेलवे भाड़े के अन्दर कोई सब्सिडी दिलवाएं तो यहां का स्टील ग्रेड लाइम स्टोन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकता है।

श्री सभापति : कटारियाजी को तो पीड़ा यह है कि आप ही नहीं समझ रहे हो तो दिल्ली वाले कैसे समझेंगे इनसे। यह पीड़ा है इनको तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : सिर्फ इन्दिरा मायारामजी समझ रही हैं और कोई नहीं समझ रहा है।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय कटारिया साहब ने एक बात और कही कि राजस्थान में पैट्रो केमिकल उद्योग नाम के उद्योग का विकास अभी हुआ ही नहीं है। मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में तेल के भण्डार हैं, तेल के कुएं निकले हैं, गैस की पाइप लाइन आसपास से गुजर रही है। इन सब का एक्सप्लोरेशन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर केन्द्र सरकार पर दबाव डाले और राजस्थान में खाली नैचुरल गैस ही अवेलेबल करा दें तो आपको पता है कि आपके सारी पावर क्राइसेज, जिसकी अपन सदन में रोज बैठ कर बात करते हैं, वह अगले एक-दो साल में पूरी हो सकती है। इसमें चाहिए केन्द्र सरकार पर प्रेशर और वह दबाव डालने में आप लोगों का कितना सहयोग है, यह तो आप जानते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : चिट्ठी लिखो आप तो।

डा. के. सी. चौधरी : बहुत चिट्ठियां लिख दी हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : चिट्ठी लिख दी...(व्यवधान)... प्रधानमंत्री ने क्या कहा चार दिन पहले पेपर में कि हमारी गलत नीतियों की वजह से हम हारे हैं।

डा. के. सी. चौधरी : केन्द्र सरकार से क्या-क्या काम कराने हैं, उसकी किताब लिख दी गयी है।

श्री हीरालाल विश्नोई : अब इनसे और कौनसी किताब लिखवाओगे आप?

डा. के. सी. चौधरी : आप लोग क्या कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक को बेचा, हिन्दुस्तान कोपर को बेचा मगर यहां राजस्थान में विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों की तरफ से यह आवाज ही नहीं आ रही है कि वहां के कर्मचारियों का, वहां के साधनों का, वहां के संसाधनों का इस सब बेचान के साथ कहीं तो जुड़ाव है।

श्री हफीज मोहम्मद : कोड़ियों के भाव बेचा है।

डा. के. सी. चौधरी : कोड़ियों के भाव बेचा है। आप के खुद के एरिया में हिन्दुस्तान जिंक को, आप जानते हैं उदयपुर में कितना बड़ा एक्सपाटन उन्होंने उदयपुर के विकास में हिन्दुस्तान जिंक का बड़ा कांट्रिब्यूशन है।

श्री हीरालाल विश्नोई : कोड़ियों के भाव बेचा है तो उनकी दलाली मिल रही है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह कोड़ियों के भाव का आप कह रहे हो तो काम्पिटिशन में आप भी जाते। वहां तो खुला, ओपन काम्पिटिशन था न। कोई इस प्रकार के सौदे हो, मनचाही बात बोल जाते हो। कोई इंडिया लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई कोड़ियों के भाव में कोई इंस्टीट्यूशन बेचती है क्या? (व्यवधान) एक आपकी जबान हो गयी कि कोड़ियों के भाव बेचा है, कोड़ियों के भाव बेचा है।

श्री हफीज मोहम्मद : सरकार ने कहा कि हम 500 करोड़ में ऊपर दे देंगे, कहां माना उसको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वार्तालाप न करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार को भी बोलना चाहिए। यह सरकार क्यों नहीं बोली? आप इनके भरोसे ही रहते हो?

श्री सभापति : हां, बोलेंगे, बोलेंगे, सरकार बोलेगी।

डा. के. सी. चौधरी : सरकार तो बराबर बोल रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिम्मेदारी आपकी है।

डा. के. सी. चौधरी : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने लिखित में दे रखा है भारत सरकार को। यह राजस्थान सरकार की तरफ से जो लिखित में गया है वह बता रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो लिखित में देने में ही अपना विश्वास रखते हो। बस चिट्ठी लिख देते हैं और काफी है, पर्याप्त है।

डा. के. सी. चौधरी : सबऊ बड़ी है सो बक्या और एक लिख्या। अगर लिख दिया तो कम बात थोड़ी है। लिख कर दिया हुआ है हमारा।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं, व्यवधान नहीं। बोलने दीजिये माननीय सदस्य को।

डा. के. सी. चौधरी : स्टील ग्रेड लाइम स्टोन की बात आयी। राजस्थान में एक मात्र उद्योग, जिसकी वजह से अभी राजस्थान थोड़ा बहुत खनिज के मामले में जाना जाता है, वह क्या है? मार्बल है। अब केन्द्र सरकार की गलत नीतियों को देखिये कि कैमिकली मार्बल और डोलोमाइट नाम के पत्थर को इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दी। अब वह पत्थर हिन्दुस्तान भर में बिकेगा तो राजस्थान के मार्बल उद्योग का क्या होगा? आप अंदाजा लगाइये। यह बहुत गम्भीर मसला है। कटारिया साहब कह रहे थे कि राजस्थान के विकास में हम आम सहमति बनाएं तो इन मुद्दों पर आपकी सहमति बननी चाहिए कि जैसलमेर के स्टील ग्रेड लाइम स्टोन को आप एक्सप्लोर कराएं, उसको कामर्शियली वाइबल बनायें। मार्बल उद्योग को आप प्रोटैक्ट करें। गैस आधारित जो कोई एक्टिविटी हो तो आयल रिफाइनरी राजस्थान में लगे, नहीं तो गुजरात में जो गैस का ग्रिड स्टेशन बन रहा है वहां से राजस्थान को गैस की सप्लाई करायी जाये, तभी जा करके आपका राजस्थान का इंडस्ट्रियल डवलमेंट होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : चिट्ठी लिख दो।

डा. के. सी. चौधरी : मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमारे मुख्य मंत्री ने राजस्थान के विकास की एक बड़ी अच्छी जन कल्याणकारी, जनता के हित में कल्पना की है और उसी कल्पना के आधार पर उन्होंने यह महसूस किया कि राजस्थान के सुदृढ़ विकास हेतु एक अच्छा, मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार किया जाये। और आधारभूत ढांचा तैयार करने की प्राथमिकताएं माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण में साफ तौर से रिफलेक्ट हो रही हैं। सड़कों का क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है। ऊर्जा का क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है, सिंचाई, पेयजल, जैसाकि माननीय सदस्य श्री आर. पी. शर्मा साहब बता रहे थे कि राज्य में इन दो वर्षों में 24 हजार किलोमीटर सड़कों का एक नया जाल, जिस विधान सभा क्षेत्र में देखोगे उसमें 125-150 किलोमीटर नयी सड़कें बनी हुई आपको मिलेंगी।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह तो इनको भी मिलेंगी।

डा. के. सी. चौधरी : दो सौ विधान सभा क्षेत्रों में मिल रही हैं, साहब।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अभी तो एक भी किलोमीटर सड़क नहीं बनी है फिर बनी हुई कहां मिलेगी ?

डा. के. सी. चौधरी : मैं रमजान भाई की बात नहीं मान सकता क्योंकि ब्यावर में आपको पता है कि देलवाड़ा रोड बन चुकी। आप छावनी रोड ले लो, बन चुकी। आपके वहां चांदचिता रोड ले लो, बन चुकी। तो ब्यावर में चार-पांच सड़कें बन चुकी है। (व्यवधान) जो पी. डब्ल्यू. डी. से बननी थी वह तो बन गयी। कृषि उपज मण्डी की मार्फत बननी थी...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप इलाके में घूमते नहीं हो इसलिए पता नहीं चलता है।

श्री रमजान खान : हां, तो ये छांट-छांटकर बना रहे हैं। हमारे यहां तो एक भी किलोमीटर नहीं बनी है।

डा. के. सी. चौधरी : आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर के मैंने नाम गिनाये हैं आपको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरे खयाल से आपस में बातचीत नहीं हो। आप अपने हिसाब से कहिए। ये तो पूछते रहेंगे, आप कहां तक जवाब देओगे इनको ?

डा. के. सी. चौधरी : जहां तक पूछेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं-नहीं। आप अपनी बात कहिए।

डा. के. सी. चौधरी : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार वक्त की आवश्यकताओं को समझते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को मजबूत करने के लिए यह सड़क विकास अध्यादेश, 2002 ला रही है। इसके पीछे मंशा यह है कि इस एक्टिविटी में प्राइवेट फील्ड का पार्टिसिपेशन हो और राज्य की जनता का कम्युनिकेशन फास्ट हो और सुगम हो। यह इस उद्देश्य से जो बी.ओ.टी. के मार्फत काम करवाये जाएंगे और निजी क्षेत्र

(डा. के. सी. चौधरी)

का पार्टिसिपेशन स्वागत योग्य है। मैं ऊर्जा के क्षेत्र में (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको भी तो बोलना है।

डा. के. सी. चौधरी : ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में हुए उत्पादन की चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है। मैं तो ऊर्जा मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि तमाम आलोचनाओं को सहते हुए सब तरफ से, सदन में भी और सदन के बाहर भी पूरे क्रिटिसिज्म को सहते हुए भी इन्होंने जिस डिवोशन से और जिस क्लियरिटी के साथ में राजस्थान में विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन किया है, ट्रांसमिट किया, उसको ट्रांसमीशन किया उत्पादन के क्षेत्र में 1750 मेगावाट, इन पांच सालों में अपने आप बड़ी उपलब्धि होगी। (व्यवधान) मान्यवर, मुझे यह बतायें कि 2145 किलोमीटर लम्बी लाइनें आपके यहां ट्रांसमीशन सिस्टम के लिए बनेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया गया है। अब इकोनामिक वायबिलिटी एनर्जी सैक्टर के क्या हैं इस पर सदन कई बार चर्चा कर चुका है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उद्योग विभाग इनसे लेकर आपको दिया जा रहा है।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं चाहिए? तो वह रामस्वरूपजी को दे दो।

डा. के. सी. चौधरी : हां, रामस्वरूपजी फिट हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिए। बिराजिए।

डा. के. सी. चौधरी : माहिर आजाद साहब, आप तो उस वक्त प्रजेन्ट थे जब माननीय भैरोंसिंहजी, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में ऊर्जा पर चर्चा में भाग लेते हुए यह कहा था कि राजस्थान में कोयले की खानें नहीं हैं, राजस्थान में इतना पानी उपलब्ध नहीं है कि वहां से नयी ऊर्जा पैदा की जाए। जितना है उसका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान में गैस के भण्डार नहीं हैं तो गैस आधारित पावर हाउस यहां नहीं लग सकते, थर्मल पावर हाउस, अब तो कोयले के पावर हाउस वाले हैं, वो लोग तो पिट पर लगा रहे हैं। पिट हैड्स पर पावर हाउस लगा रहे हैं, तो राजस्थान में तीनों चीजें नहीं है इसके बावजूद इस सरकार ने गहलोत सरकार ने अगर 1750 मेगावाट का एक्स्ट्रा जनरेशन पांच सालों में किया है तो कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या हो गया तो?

डा. के. सी. चौधरी : 1750 मेगावाट इन पांच साल के प्लान में है न? अच्छा, तीन साल में एक हजार मेगावाट कर लिया और चार हजार करोड़ रुपये का इस जनरेशन वाले एक सैक्टर में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो यह भी कम बात है क्या। पिछली सरकार का बता दें? पिछली सरकार में क्या हुआ? मैं आपको बता दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आप तीन साल में एक हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की बात कह रहे हैं। उसका बता दो कि कब कौनसे साल में कितनी-कितनी की है?

श्री रमजान खान : उसमें से पांच सौ मेगावाट तो भैरोंसिंहजी के राज में पैदा हुई है जिसको आप जोड़ रहे हैं।

डा. के. सी. चौधरी : मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आपके टाइम में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई : भैरोंसिंहजी प्राइवेटाइजेशन के लिए खोखले वायदे करते थे। 1993 से लेकर 1998 में कइयों से एग्रीमेंट किये थे प्राइवेट सैक्टर में। एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सदस्य, एक हजार मेगावाट नहीं, आज की तारीख में उत्पादन क्षमता में 1200 मेगावाट की वृद्धि हुई है। अलग-अलग आंकड़े दूंगा चौथी यूनिट के बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, 1200 मेगावाट में सूरतगढ़ का पूरा का पूरा आप अपने खाते में जोड़ रहे हो।

डा. चन्द्रभान : नो-नो। सूरतगढ़ का 750 ही है उसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और कोटा वाला भी आपके खाते में ही हैं?

डा. चन्द्रभान : यस। हमारा हिस्सा है उसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कमाल की बात करते हो।

डा. चन्द्रभान : क्या बात करते हो? सूरतगढ़ केवल 750 है।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय राठौड़ साहब, आपके टाइम पर क्या हुआ, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब। माननीय सदस्य।

डा. के. सी. चौधरी : मुझे मेरी बात बता लेने दो। नहीं तो गम्भीरता खतम हो जाएगी।

श्री मदन दिलावर : सत्य ही बोलना है तो काहे का संकोच करना, साहब। तीन हजार मेगावाट बताओ न आप तो।

श्री सभापति : विराजिए। माननीय सदस्य, आप इनसे क्या पूछना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : इसको शामिल करके बताया है तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, सभापति महोदय?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय चौधरी साहब, आप अपनी डिबेट को अपने हिसाब से चलाइये। आप इनसे बार-बार, "पूछना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं", यह प्रक्रिया बन्द कीजिए। अपनी बात कहिए आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए।

डा. के. सी. चौधरी : मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ यह बात लाना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सूरतगढ़ का..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आर.ए.पी.पी. में आपका हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है पर आपका योगदान क्या है? भारत सरकार का उपक्रम है।

डा. चन्द्रभान : मैंने "उत्पादन क्षमता" वर्ड बोला है। आपको एक बार ऊर्जा मंत्री बनना पड़ेगा और इसमें 20 प्रतिशत हमारा हिस्सा

(डा. चन्द्रभान)

है। हमने दोनों यूनिट को हमारे लिए डेडिकेट करा दिया है पांच साल के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह अलग बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसका मतलब आप यह कह रहे हैं कि इनकी सरकार आ रही है? ऊर्जा मंत्री तो तब ही बनेंगे जब इनकी सरकार आएगी। आप कह रहे हैं कि आपको ऊर्जा मंत्री बनना पड़ेगा। इसका मतलब इनकी सरकार आ रही है। यह क्या कह रहे हैं आप? यह बात कह दी आपने। कुछ तो सोचो आप; यह कह रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल सरकार आ रही है। सरकार तो आनी है। दीवार पर लिखा हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या कह गये आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दीवार पर लिखा हुआ है।

डा. चन्द्रभान : मैंने यह नहीं कहा है कि इनकी सरकार आ रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने सही कहा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? इन्होंने बिलकुल सही कहा है। दीवार पर लिखा हुआ है कि सरकार आ रही है।

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी। माननीय राठौड़ साहब।

डा. चन्द्रभान : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने यह थोड़े ही कहा है कि ये बी.जे.पी. की सरकार के ऊर्जा मंत्री बनेंगे। मैंने यह नहीं कहा है। ये इधर आकर भी ऊर्जा मंत्री बन सकते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह नहीं हो सकता है।

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय विद्युत मंत्रीजी, आपने कोई गुप्त निमंत्रण इनको भेज रखा है क्या?

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, ये कुछ भी कहते रहेंगे, मेरे खयाल से बीच-बीच में ऐसा नहीं हो और माननीय सदस्य, आप अपनी बात सीधे कहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : सीधा कहना आता नहीं है।

डा. के. सी. चौधरी : जी हां।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आप जैसा विद्वान आदमी आसन पर विराजमान हो और इस सदन के अन्दर माननीय मंत्रीजी बेबुनियाद बात कह दें। आर.ए.पी.पी. के अन्दर अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, आर.ए.पी.पी. आ गयी। इसमें इनका क्या योगदान है? निवेश भारत सरकार का है। हमारा हिस्सा हो सकता है। डेडिकेट इन्होंने करा लिया।

श्री सभापति : आपको बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार को।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, आपको बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय राठौड़ साहब ने मेरे से एक बात पूछी है उसका तो मैं जवाब देना चाहूंगा ही साहब।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य, रोचकता लाने के लिए थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन बराबर ही ऐसा करना ठीक नहीं है।

डा. के. सी. चौधरी : ठीक बात है। मान्यवर, आप समझिये बी.जे.पी. के टाइम में सूरतगढ़ का पावर प्रोजेक्ट इन्होंने कंसीव किया यह सही है मगर इन लोगों की अक्षमता से, इनकी फाइनेंशल टाई-अप नहीं होने की वजह से 1300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट 2300 करोड़ में पूरा हुआ। एक हजार करोड़ रुपये का हर्जाना कौन भुगतेगा? यह बड़े शर्म की बात थी इनके सरकार के टाइम पर।

श्री हीरालाल विश्नोई : जनता ने भुगता दिया।

श्री सभापति : हां, बोलिए।

डा. के. सी. चौधरी : सिर्फ इसलिए कि फाइनेंशल टाई-अप ये नहीं कर सके थे। इनमें क्षमता नहीं था फाइनेंशल टाई-अप करने की। आर.ए.पी.जी. की आपने बात की। आर.ए.पी.जी. को डेडिकेट किसने कराया, हमने कराया है। उसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा है वह सही है पर आर.ए.पी.पी, हमारी परफारमैंस के मुकाबले में आप कहीं खड़े नहीं हो पाते हो।

श्री सभापति : यह मुकाबला नहीं है। अपनी बात कहो।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को पुनः धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय मंदी के मद्देनजर रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में जो राजस्थान के उद्योगों ने और व्यापारियों ने सरकार से जैसी उम्मीद चाही थी उस पर आप सौ टका खरे उतरे हैं। इसके लिए आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

डा. के. सी. चौधरी : राजस्थान में ज्यादातर आपने देखा होगा मान्यवर कि छोटे-छोटे सिक यूनिट्स वाले जब बेचान करने जाते थे तो उनको पन्द्रह जगह अलग-अलग जाना पड़ता था, कभी आर.एफ.सी. के पास और कभी रीको के पास और कभी बिजली बोर्ड के पास, कभी पानी वालों के पास, कभी पोल्यूशन वालों के पास, कभी लेबर डिपार्टमैंट में, कभी सेल टैक्स डिपार्टमैंट में, पहली बार हमारे वित्त मंत्रीजी ने यह काम किया है कि सिक यूनिट्स का बेचान एक जगह होगा और आप आर.एफ.सी. में पैसे दे दें और बाकी जिम्मेदारी आर.एफ.सी. की है कि सत्तर परसेंट अपने को रिटेन करके बाकी विभागों को उनका बकाया चुका दें। इस काम से उद्योग से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ज्यादातर लोग इसी बात से परेशान होते थे स्माल स्केल इंडस्ट्री वाले कि हमें इतनी जगह चक्कर लगाने पड़ेंगे।

(डा. के. सी. चौधरी)

दूसरा, आपने स्माल स्केल इण्डस्ट्री वालों को बहुत बड़ा लाभ इस बात का दिया है कि जिसकी जो इण्डस्ट्री होती थी उसको डाइवर्शन के लिए जो भी सैल्स टैक्स के बेनीफिट मिलने चाहिए थे, स्टाम्प ड्यूटी के बेनीफिट मिलने चाहिए थे वह अब तक नहीं मिला करते थे। प्रोडक्ट मिक्सिंग और प्रोडक्ट के डाइवर्शन के लिए, तो पहली बार आपने सिक यूनिट्स को जिंदा करने के लिए, मैं कहूंगा, एक बढ़िया आक्सीजन दे दी, एक बढ़िया कोरामिन दे दी, माइकोरन दे दी, अच्छी दवाइयां आपने दी हैं कि सिक यूनिट रिवाइवल के लिए आगे जाएगी।

इस प्रकार इस मंदी के दौर में आर.एफ.सी. अपना दौ सौ करोड़ रुपये का लोनिंग का टार्गेट पूरा कर ले, यह अपने आप में बड़ी बात है। सुगम क्रेडिट कार्ड की सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक इकोनोमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। वहां भी छोटी-छोटी ट्रेड इण्डस्ट्रियल एक्टिविटी प्रमोट होगीं।

राजस्थान में जो सबसे प्रबल सम्भावनाएं खनिज, एग्रीकल्चर के अगर कहीं हैं तो मैं समझता हूं टूरिज्म की इण्डस्ट्री में है और इसकी सही जगह, सही समय पर इस सरकार ने इसे चिन्हित करके एक जन उद्योग का दर्जा टूरिज्म को दिया है और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए राजीव गांधी टूरिज्म मिशन की स्थापना की गयी है।

इसी प्रकार मान्यवर, ग्रामीण विकास की योजनाओं में.....

श्री मदन दिलावर : कौनसी योजना ?

श्री सभापति : बिराजिये आप, माननीय सदस्य।

डा. के. सी. चौधरी : राज्य में 553 करोड़ 61 लाख रुपये की तुलना में 628 करोड़ 03 लाख रुपया खर्च करने का यह सरकार इरादा रखती है। केन्द्र से जो पैसा मिलेगा और राजस्थान का मिलाकर, दोनों का मिलाकर 113 परसेंट खर्चा होने जा रहा है। तो यह अवधारणा जो विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य अक्सर उठाते हैं कि यह सारा पैसा केन्द्र का है वह बात खतम हो जानी चाहिए, यह गलतफहमी खतम हो जानी चाहिए कि राजस्थान इसमें 113 परसेंट खर्च करने जा रहा है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने उद्योग को बहुत जगह राहत दी है, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी तो राजस्थान का विकास होगा। चूंकि कहावत तो यह सुनी थी Good politics makes bed economics. लेकिन आपने यह कर दिया है Good politics will make good economic also.

मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में, मान्यवर एक बात पर मैं ध्यान चाहूंगा सदन का, मिनरल ग्राइंडिंग का जो उद्योग है जिसमें राजस्थान में खास तौर से तीन खनिज पाये जाते हैं फैल्सपार, क्वार्टज, डोलोमाइट, इसमें हिन्दुस्तान में राजस्थान अग्रणी प्रांत था और अभी भी है। इसमें मान्यवर, चोट क्या हो रही है मिनरल ग्राइंडिंग जो पत्थर निकलता है

(डा. के. सी. चौधरी)

खान से, उसको ग्राइडिंग करके लोग अलग-अलग नम्बर का, अलग-अलग मेक का रा-मटीरियल के रूप में बेचते हैं कांच की इण्डस्ट्री में, सिरेनेमिक की इण्डस्ट्री में, स्टील इण्डस्ट्री में, रबर इण्डस्ट्री में। राजस्थान सरकार द्वारा सैल्स टैक्स का इंसेन्टिव इस उद्योग को 23.3.1999 तक दिया जा रहा था, 23.3.1999 के बाद अब सरकार यह कह रही है कि यह मिनरल ग्राइडिंग उद्योग नहीं है। उद्योग विभाग में रजिस्टर्ड है उद्योग, सैल्स टैक्स वाले उसको उद्योग नहीं मानते तो जो सैल्स टैक्स इंसेन्टिव इस उद्योग को मिलना चाहिए था उससे यह उद्योग वचिंत है जबकि सेम अगर इसका प्रोसेसिंग देखें तो लाल मिर्च तक, मिर्च का अपन पाउडर बनाते हैं उसको सरकार ने उद्योग मान लिया, गेहूं को पीसकर पाउडर बनाते हैं उसको उद्योग मान लिया, मैदा बनाते हैं उसको उद्योग मान लिया, नमक का सेम पैटर्न कर उद्योग मान लिया। इस मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग को राजस्थान में प्रमोट करने के लिए आवश्यक है, माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको जो उद्योग का दर्जा था वह ही दिया जाए ताकि अभी जो मंदी का दौर है उसमें अगर थोड़ा सा सैल्स टैक्स इंसेन्टिव भी इन लोगों को मिला तो यह शायद खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पर।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान में एसी. पाइप, सीमेंट एस्बेस्टोस के पाइप बनाने में हिन्दुस्तान में अग्रणी प्रान्त राजस्थान था और आज वह नब्बे परसेंट यूनिट मर चुकी हैं। क्यों मर चुकी है कि एसी. पाइप, जिसका रा-मटीरियल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है उसमें सैल्स टैक्स है 12 परसेंट और सरचार्ज लगाकर पड़ जाता है साढ़े तेरह परसेंट और इसका काम्पीटिशन जिनसे है प्लास्टिक पाइप से उसमें सैल्स टैक्स है चार परसेंट, दोनों की सब्सिडी में चार गुना फर्क है। तो हम हमारे स्थानीय उद्योगों को प्रमोट करें। या तो प्लास्टिक पाइप का सैल्स टैक्स 12 परसेंट कर दें या जिसका 12 परसेंट है उसको चार परसेंट कर दें। कहीं न कहीं इस चीज को हमें रेशनलाइज करनी होगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कृषि, उद्योग, खनिज इन सबके बाद जो एम्पलायमेंट जनरेशन का, राजस्थान की सारी कमियों को मध्य नजर रखते हुए जिस मामले में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एम्पलायमेंट जनरेशन का, वह है रेडीमेड गारमेंट के फील्ड में। इसमें ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित चाहिए और रेडीमेड गारमेंट के फील्ड में आप जानते हैं, राजस्थान का बाड़मेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट देश भर में फेमस है और आज हमारी ही किसी न किसी कमी से यह बगरू प्रिंट, यह सांगानेरी प्रिंट या बाड़मेरी प्रिंट दिल्ली में बन रही है और पंजाब में भी बन रही है और राजस्थान इससे महरूम हो रहा है तो राजस्थान के रेडीमेड गारमेंट को प्रमोट करने के लिए, खास तौर पर कुटीर उद्योग के रूप

(डा. के. सी. चौधरी)

में प्रमोट करने के लिए जिसमें अनस्किल्ड महिलाओं को और अनस्किल्ड लेबर को अच्छा सा एम्पलायमेंट मिल सकता है, इसमें दौ सौ रुपये तक के गारमेंट को जो बिलकुल साधारण लोगों के पहनने के काम आता है उसको अगर अपन करमुक्त कर दें तो एक बहुत बड़ा रिलीफ एक ऐसे सैक्टर को देंगे जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि कितनी सारी लेबर इसमें इंवाल्वड है।

मान्यवर, राजस्थान के विकास की जब बात हो रही थी तो आप इस पर निगाह डालें कि राजस्थान का सी.डी. रेश्यो बाकी प्रान्तों के मुकाबले में क्या है। मैं अजमेर जिले का आपको बताना चाहता हूं। भीलवाड़ा का जो क्रेडिट बर्सेज डिपाजिट रेश्यो है वह है नब्बे परसेंट और अजमेर जिले का 24 परसेंट। तो हमें इस सी.डी. रेश्यो को बढ़ाने के लिए नये क्षेत्रों में बैंकों की लोनिंग करना जरूरी है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह पशु-पालन का हो, चाहे मुर्गीपालन का हो, चाहे बागवानी का हो, चाहे वह शिक्षा का हो। बैंक वालों की राजस्थान में लोनिंग अभी भी उस फ्यूडलिज्म के जमाने से चल रही है कि यह वापस देगा या नहीं देगा।

तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार सी.डी. रेश्यो बढ़ाने के लिए बैंक वालों पर प्रेशर डाले।

माननीय शर्मा साहब ने एक बात कही थी ई-गवर्नेंस की। यह एक ऐसा सब्जैक्ट है जिस पर अभी तक शायद इस सदन में अच्छी तरह चर्चा नहीं हुई है। हम हमेशा वर्षों से एक ही बात से ग्रसित हैं लालफीताशाही, अफसरशाही और सरकारी कर्मचारी अपने विवेक से, विवेक का इंटरप्रिटेशन कैसे करता है इन सब चीजों ने हर सरकारी फैसले को डिले दी है तो इस डिले को हम रोकें। इस डिले को रोकें इसके लिए अगर स्पीड बनाएं, डिस्क्रिशन और कांफिडेंशियल मैटर की जगह ट्रांसपेरेंसी खड़ी करें। कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। यह सब मान्यवर, तब ही होगी जब ई-गवर्नेंस के कंसैप्ट को राज्य सरकार समझ ले और मुझे कहते हुए खुशी है कि राज्य सरकार ने समझा है और मैं राज्य सरकार की इस मामले में बहुत तारीफ करूंगा कि एक पायलट झालावाड़ जिले में बनाया भी है। सारे जिला मुख्यालय वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ भी रहे हैं, इंटरनेट से जुड भी रहे हैं, मगर ई-गवर्नेंस के फील्ड में अभी राजस्थान को काफी कुछ करना है।

मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले दो जरूरी बातें आपसे करनी हैं। एक तो देश भर में यह साबित हो चुका है कि छोटे-छोटे राज्य होंगे, गवर्नेंस अच्छी होगी। छोटे-छोटे जिले होंगे, गवर्नेंस अच्छी होगी।

मान्यवर, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं कई वर्षों से उसमें हर मुख्य मंत्री ने एक ही बात कही है कि ब्यावर को जिला बना दिया जायेगा....

श्री हीरासिंह चौहान : हम भी तारीफ करते हैं, जरूर बनाओ। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ब्यावर को जिला बनाने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर में करीब-करीब हर साधन उपलब्ध हैं, थोड़ी सी स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है कि बोले यह तो कर दिया गया है। आर.टी.ओ. आफिस है, सी.एम.एच.ओ. आफिस है, ए.डी.जे कोर्ट है, ट्रेजरी है, रोजगार कार्यालय है, काफी सारे कार्यालय हैं। जिले के कार्यालय ब्यावर में काफी उपलब्ध हैं। आई.एस.आई. तो आफिस हमेशा से, बीसेक साल से होंगे...

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का मामला इन्होंने उठाया, रमजान भाई अपने पुष्कर को मिलायेंगे इसमें ? हम कहते हैं कि हम रायपुर मिलायेंगे जब ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। आप समर्थन ही कहां से मांग रहे हैं। जिला बनाना तो हमारा काम है। रायपुर वगैरह को मिलाओ तब जाकर जिला बनेगा।

डा. के.सी. चौधरी : रायपुर भी मिलेगा, भीम तहसील का हिस्सा भी मिलेगा, जैतारण का भी हिस्सा मिलेगा, आसीन्द का भी हिस्सा मिलेगा, यह तो पुनर्गठन में सब चीज आ जायेंगी।

श्री सभापति : जिला बनाना माननीय चौधरी साहब के हाथ में नहीं है, इनकी तो एक मांग है। इनकी तो एक मांग है सिर्फ।

श्री रमजान खान : ब्यावर को जिला बनाने के लिये सब कुछ कटौती करने के लिये तैयार हैं मगर ब्यावर जिला बनना चाहिये। वित्त मंत्रीजी, इस बार हिम्मत कीजिये कि माननीय सदस्य की इस मांग को आप पूरी करें। अगर राजस्थान को सबसे ज्यादा जरूरत है तो ब्यावर शहर को जिला बनाने की जरूरत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापतिजी, ऐसा है विषय छिड़ गया, राजस्थान में इतनी बड़ी आबादी का कोई एक भी शहर छूटा हुआ नहीं जो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर नहीं है।

श्री सभापति : बिलकुल ठीक बात कह रहे हो आप।

श्री हीरासिंह चौहान : आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं और इसको किसी भी कीमत पर आप, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिला बना दिया जाये।

श्री सभापति : ठीक-ठीक।

श्री रमजान खान : हमारी पार्टी का एम.एल.ए. वहां से जीतता था, इस बार तो आपका कांग्रेस का एम.एल.ए. जीता है। अगर आपने जिला बना दिया तो हमेशा यह जीतकर आयेंगे। (व्यवधान) यह तो कीजिये आप।

श्री मदन दिलावर : हमारा समर्थन है इस बात पर। ब्यावर जिला बनना चाहिये। वहां के लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है।

श्री सभापति : नहीं, कोटडा...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह स्टेंडर्ड है। ऊन की सबसे बड़ी मण्डी है, कपास की सबसे बड़ी मण्डी है और हमारे मगरा एरिया की तो

(श्री हीरासिंह चौहान)

यह सेंटर, हृदयस्थली है। इसको किसी भी हालत में बनाया जाये।

श्री रमजान खान : राजस्थान में सबसे बड़ी तहसील है। ब्यावर तहसील राजस्थान की सबसे बड़ी तहसीलों में से एक है।

श्री सभापति : कांग्रेस के माननीय सदस्यों का आप समर्थन कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है। आप बोलिये।

श्री मदन दिलावर : ब्यावर को जिला बनाने की बात...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मान्यवर, आप ब्यावर को जिला बनाने की मांग को, इसकी महत्ता को समझ रहे हैं कि जब कांग्रेस के सदस्य को विपक्षी सदस्य समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब है माननीय वित्त मंत्रीजी को इस बात को...

श्री सभापति : सोचना चाहिये।

डा. के. सी. चौधरी : अब यह तो वित्त मंत्रीजी बैठे-बैठे मुस्करा रहे हैं, जान रहे हैं अच्छी तरह कि कुछ करना है।

श्री सभापति : ठीक है। दूसरी बात।

डा. के. सी. चौधरी : मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके रिप्लाई में...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो आपका माइनस पाइंट है।

डा. के. सी. चौधरी : यह आ जाये कि ब्यावर को जिला बनाना ही है तो अभी इसी साल बना दिया जाये, क्यों इंतजार किया जाये।

श्री सभापति : अब दूसरी बात कहिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो माइनस पाइंट हो गया आपका। यह सिफारिश कर रहे हैं, यह तो आपके लिये माइनस पाइंट हो गया।

डा. के.सी. चौधरी : नहीं, प्लस पाइंट ही है। चूंकि यह तो नहीं कर पाये, करेंगे तो हम ही। माननीय भैरोंसिंहजी तो यह कह कर आये थे कि मैं ब्यावर को जिला नहीं बनाऊंगा तब तक ब्यावर ही नहीं आऊंगा, इसलिये प्लस पाइंट तो हमारे साथ ही है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह सारे जिले बनाये हैं, भैरोंसिंहजी के शासन में बने हैं, आपके समय में एक भी जिला नहीं बना है। एक बार हिम्मत...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : इसी प्रकार ब्यावर के चहुंमुखी विकास के लिये, ब्यावर में सन् 1973 तक नगर सुधार न्यास नाम की संस्था कार्यरत थी। मुझे नहीं पता किन कारणों से वह संस्था 1973 के बाद वर्किंग में नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ब्यावर में आने वाले समय की आवश्यकताओं को देखते हुये नगर सुधार न्यास की स्थापना की जाये।

दो लाइन में अब आपके लिये कहूंगा, आप लोग जो कर रहे हो उसके लिये। एक घर बनाया है तो उसमें क्या हालत हुई तो गुजरात से भी किसी ने बताया वह एक लाइन मैं मान्यवर, बताना चाहूंगा। " लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वह तरस खाते हैं बस्तियां जलाने में।" धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, पजल गेम में तो मैं नहीं पडूंगा, यह आंकड़ों का जाल है और ना मेरा इससे वास्ता है। लेकिन इस बजट की जो

(15.45 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

रूपरेखा इस सदन के सामने माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पेश की है मैं उसके संबंध में कुछ निवेदन जरूर करना चाहूंगा।

किसी भी देश या प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है उसके कुछ न कुछ आधार होते हैं और राजस्थान प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है उसका मुख्य आधार कृषि है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल है और इस कृषि प्रदेश के अन्दर हमें थोड़ा सा पीछे झांक कर देखना पड़ेगा कि जब देशी रियासतों का एकीकरण करके इस राजस्थान प्रदेश की रचना की गयी उस वक्त कितना भू-भाग कृषि के लिये उपयोग हो रहा था और फिर उसके बाद में इस क्षेत्र का किस तरीके से विस्तार किया गया।

मान्यवर, कुछ अरसा पहले तक राजस्थान का यह खेती का धंधा केवल बरसात के ऊपर निर्भर करता था और अगर कोई मानवीयकृत योजना इस कृषि को सहयोग देने के लिये बनी तो वह राजस्थान की बीकानेर रियासत के भूतपूर्व महाराजा गंगासिंहजी ने गंग नहर का निर्माण करके इसमें योगदान दिया था जिसको हम लोग अपनी लाइफ लाइन कहते हैं और 1927-28 में उस नहर का निर्माण हुआ था। बड़ा योगदान है उस नहर का राजस्थान प्रदेश के इस आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में। राजस्थान प्रदेश की जनता का पेट भरने के लिये अन्न उत्पादन करके और उसके अन्दर हमारे परिवार के लोग काश्तकार उन्होंने जो अकूत मेहनत की है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके बाद दो, तीन बड़ी नदी घाटी योजनाएं इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिये इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री और भविष्यदृष्टा पण्डित जवाहरलाल ने उनका आगाज किया और उनका लाभ इस राजस्थान प्रदेश को मिला है। तो मेरा निवेदन है कि कृषि क्षेत्र को हमने बहुत एक्सपांड किया है। उसका अच्छा विस्तार किया है और उसमें जो पैसा इस राजस्थान के खजाने से खर्च हुआ उसका काश्तकारों ने सदुपयोग करके सरकार को सहयोग किया। लेकिन आज प्रकृति इस तरह से अपना रूप बदल रही है कि जिस पोंग बांध से, गुरु गोविंद सिंह सागर से राजस्थान क्षेत्र की तपती धरती की प्यास बुझाने और इस कृषि क्षेत्र के विकसित स्वरूप को मजबूत करने के लिए नहरें निकाली गयीं, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना या भाखड़ा क्षेत्र की नहरें। सीजनल बैल्ट चेंज होने से डैम्स के अंदर पानी में कमी आ गयी। आपके इस विकसित कृषि क्षेत्र को अगर आज हम पानी नहीं दे पाये तो, मान्यवर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कैसे ही लुभावने बजट पेश करते जायें, निश्चित तौर से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। उत्पादन का आधार कृषि है और इस मामले में मैं

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

राजस्थान सरकार का और माननीय वित्त मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इन विकट परिस्थितियों को समझते हुए इस भूगर्भीय जल का दोहन करने के लिए पावर जनरेशन की इतनी महत्ता को समझा है और आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है कि हम उज्ज्वल भविष्य की ओर देख रहे हैं कि अगर बरसात या प्राकृतिक क्रूरता इसी तरीके से हमारे सामने आती रही तो हम अपने इस कृषि व्यवसाय को जिन्दा रख सकेंगे, इस प्रदेश के उत्पादन को हम गिरने नहीं देंगे। इसके लिये जो भी प्रयास इस सरकार ने बजट प्रोविजन्स के माध्यम से किये हैं वह काबिले तारीफ हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाये उतनी कम है और मैं बड़े फख्र से कह रहा हूं कि जिस गति से विद्युत उत्पादन बढ़ाया गया है वह काबिले तारीफ है। संकीर्णता से हमको उठकर, केवल आलोचना के आधार पर इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना मैं भी करूंगा, जहां करने वाली बात है वहां जरूर करेंगे लेकिन हमारा केवल राजनीतिक दृष्टिकोण संकुचित नहीं होना चाहिये। इस राजस्थान की बहबूदी के लिए जहां आलोचना की आवश्यकता है, आलोचना भी की जाएगी। अगर रास्ता बताने की जरूरत है तो रास्ता बताया जायेगा। लेकिन महज एक अंधेरे कूप की ओर जाएं वह अच्छी बात नहीं है।

अन्न उत्पादन बढ़े, यह नेशनल आउट पुट बढ़ाने का अच्छा स्रोत है, उसके लिए पावर जनरेशन बढ़े। लेकिन पावर जनरेशन में भी भयंकर छीजत होती थी। बहुत विशाल प्रदेश है इसमें ट्रांसमीशन करने की जो व्यवस्था थी उसमें जो हमारा नुकसान हो रहा था उसका सुदृढ़ीकरण करके जिस तरीके से इस तंत्र को मजबूत किया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। उसमें आप राजस्थान का जो आधारभूत ढांचा खड़ा करना चाहते हैं, आपके मन में जो परिकल्पना है वह काबिले तारीफ है। मेहरबान, उसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्पादन कृषि जगत का आपने अपनी तरफ से बढ़ाने की पूरी व्यवस्था कर दी कि भूगर्भीय जल का दोहन किया जाये और कृषि विस्तार ना रुके। इसका उत्पादन ना गिरे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप इस ओर भी ध्यान दीजिये कि आज हम इस कांपीटिशन के युग में जी रहे हैं। अगर आपने काश्तकार को अच्छा बीज नहीं दिया, बढ़िया खाद नहीं दी, अच्छा पेस्टिसाइड्स नहीं दिया तो आप उत्पादन को नहीं बढ़ा पायेंगे। अच्छे बीज का जहां तक सवाल है, कृषि विभाग के अधिकारियों से और इस प्रशासन की मशीनरी से मेरा गिला-शिक्वा है कि भ्रष्टाचार के कारण अच्छे बीज के नाम पर जो खेल इस पूरे कृषि उद्योग के साथ किया जा रहा है यह राजस्थान को ले बैठेगा। अगर आपने वक्त रहते इस पर काबू नहीं किया, उस पीड़ा को हम नहीं छुपा पायेंगे कि यही कारण था कि गंदी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके पिछले वर्ष हमारी क़ाटन क्रोप तबाह हो गयी। मिलावटी पेस्टिसाइड्स और बढ़िया बीज के नाम पर किसान की लूट और उसमें हमारी सरकारी एजेंसिया नेशनल सीड्स

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

कारपोरेशन, स्टेट सीड्स कारपोरेशन, यह फर्जी लेबल लगा-लगाकर किसान को लूटते हैं तो आपका आर्थिक ढांचा गिरेगा।

मंत्री महोदय, अकेले बजट पेश करने से नहीं, आप ऐसी जो कमजोरियां शासन तंत्र के अंदर हैं उनकी लगाम कसिये और कृषि विभाग का इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा हैं वह करते क्या हैं। मिलावटी खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड्स, उनके नमूने भरे नहीं जाते और अगर खुदा ना खास्ता नमूना भर लिया तो उन ऐसी फर्जकारी करने वालों के खिलाफ प्रोसिक्युशन की सेंक्शन नहीं मिलती है। मेहरबान, आप इस व्यवस्था को मजबूत करिये, ताकि आपका जो आकलन है, आपका जो एस्टिमेंट है, आपका जो बजट है वह कहीं गड़बड़ा नहीं जाये। सारा तंत्र, जब हम प्रोडक्शन की तरफ ध्यान रखते हैं, आप उद्योगों की बात करेंगे, किसी न किसी रूप में उद्योग आगे कृषि की एक शाखा के रूप में हमें दिखेगा।

सड़क का आवागमन का साधन आप डवलप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है। आप कर पायेंगे। बजट में आपने प्रोविजन कर दिया बहुत अच्छी बात है और बजट में तो यह प्रोविजन होते आये हैं। राजस्थान में सड़कें दिख रही हैं लेकिन मान्यवर वित्त मंत्री जी, मैं राजस्थान की उन सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इन्सान की लालसा रहती है विकास की गति को ध्यान में रखकर कि वे कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते पर आएं। इस बजट के माध्यम से पक्के रास्ते बनें लेकिन इधर से वह रास्ते बनते गये दूसरी तरफ उन रास्तों की हालत कहीं नहीं जा सकती है कि लोगों को मजबूर होकर पक्के रास्ते छोड़कर कच्चे रास्तों की तरफ जाना पड़ा। क्या वह बजट प्रोविजन का दोष है?

(16.00 बजे)

क्या वह बजट बनाने वाले आदमी का दोष है। हम यहां आलोचना करते हैं, हमें विजिलेंट होना पड़ेगा, हमको सावचेत होना पड़ेगा, हमारी मशीनरी की तरफ आंख रखने के लिए। आप जिस चीज के लिए पैसा प्रस्तावित करते हैं, बजट प्रोविजन क्रियेट करते हैं, अगर आप इसकी गुणवत्ता को नहीं बनायेंगे, वह गुणवत्ता अगर नहीं रही तो नकारा है आपकी सारी सोच, नकारा है आपके बजट प्रोविजन्स। आज हम खुश होकर आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए। बहुत अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिये। अगर कोई आलोचना करता है तो वह जाने, उसका काम जाने। लेकिन हकीकत में एक अच्छा प्रयास है। लेकिन 600 करोड़ रुपये के काम जो आप करवाने जा रहे हैं अगर दो साल में इनकी धज्जियां उड़ गयीं तो जिस बेसिक स्ट्रक्चर की बात आप करते हैं माननीय वित्त मंत्रीजी, वह राजस्थान प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। हमें वास्तविक आधार पर आकर सोचना पड़ेगा। मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने नजरे इनायत फरमायी है, गंगानगर-हनुमानगढ़, हनुमानगढ़-पल्लू, पल्लू सरदारशहर और सरदारशहर-रतनगढ़, इन सड़कों को आपने

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

हाथ में लिया है, बजट में प्रोविज़न्स किए हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाये, कम है। हकीकत है, वित्त मंत्रीजी, आप कभी मेरे ख्याल से इस सड़क रास्ते से गये नहीं हैं, रोना आता है। इसलिए कि नौ साल तक आप सरकार में विराजे रहे और उस सड़क के अंदर खड्डे पड़े हुए हैं, कोई आदमी चल नहीं सकता, उसकी यह गत कर दी और आज हम आलोचना के नाम पर तरह-तरह की बातें करते हैं। पूरे पश्चिमी राजस्थान को, आपकी आदत है....

श्री मदन दिलावर (अटरू) : साढ़े तीन साल तक आपकी सरकार को सांप सूंघ गया तो हमारी जो बनायी सड़कें थीं, उनमें इतने खड्डे हो गये कि हमको सड़क छोड़कर खेत से जाना पड़ता है। वह सड़क की मरम्मत करवाने के नाम पर वाह-वाही लूटना चाहते हैं? हम हर साल मरम्मत करवाते थे सारी सड़कों की। अब एम.एल.ए. को यह कहकर कि सात किलोमीटर की सड़क की मरम्मत करवा लो, 240 किलोमीटर शेष बच गयी न, उसकी जनता लट्ठ दे तो लट्ठ खावे एम. एल. ए.? एम.एल.ए. को पिटवाने का काम आप करवाना चाहते हैं? क्या सड़क की मरम्मत करवा रहे हो? साढ़े तीन साल तक इस सरकार को सांप सूंघ गया था क्या?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप बिराजो।

श्री सभापति : बिराजो, मदनजी, बिराजो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : अब ये अपनी अंदर की कमजोरी छिपाने के लिए कह रहे हैं। आप मेहरबान अगर इस बात को देखते, जब आप राज में विराजे थे, उस वक्त अगर आपकी आंख खुली होती तो, उस वक्त इन सड़कों की तरफ आपकी आंख घूमनी चाहिये थी और देखना चाहिए था कि सड़कों का क्या हाल है इनका। पश्चिमी राजस्थान के सात जिलों को राजधानी से जोड़ने वाली उस सड़क की क्या गत है। यह आज एक दिन में नहीं हुआ। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी, आपकी नजरें उधर गयी और इन सड़कों की हालत अब सुधरेगी। हमें आपको बधाई देनी चाहिये, इस बिन्दु के लिये। अच्छा काम करेंगे तो हम बधाई देंगे आपको।

इसी तरीके से आपने सिंचाई योजनाओं का जो काम हाथ में लिया, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी सरकार की यह भावना परिलक्षित होती है कि राजस्थान के विकास में आपकी नीयत बहुत साफ है। भाखरा एक सेण्डी जोन में से गुजरती है और उसका जितना भी खुला हुआ क्षेत्र है, वह सारा रेगिस्तान का हिस्सा है लेकिन उसकी प्रोजेक्ट की इंटेंसिटी 80 प्रतिशत है लेकिन कच्ची नहर होने के कारण उसकी इंटेंसिटी में और भी गिरावट आयी है। यह पहला मौका है कि इस सरकार ने यह तय किया है कि उन नहरों को पक्का करके साढ़े आठ प्रतिशत जो सिंचाई के पानी में छीजत हो रही थी उसको बचाकर उस क्षेत्र के विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाये। बहुत बड़ा आपका सराहनीय कदम है। लेकिन नहरें पक्की हों, यह दोहरी तलवार भी है। वित्त मंत्रीजी, आप निगाह भी रखिये। इंदिरा गांधी नहर का जब निर्माण हो रहा था और उसमें त्रुटिया

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

मटीरियल लगा, सीमेंट चोरी हुई और छीजत ने आज यह स्थिति पैदा कर दी है कि हमारे यहां कृषि का एक बहुत भू-भाग सीपेज के कारण खेती से महरूम हो गया है। राजस्थान प्रदेश को इतना बड़ा घाटा हुआ है जिसकी हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते।

उत्पादन हमारा गिरा है। अगर इसी तरीके से उसमें छीजत हुई और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हम नयी समस्या को जन्म देने जा रहे हैं। अच्छे काम की तारीफ, लेकिन चौकसी बेहद जरूरी है। गुणवत्ता के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो राजस्थान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप खड़ा नहीं कर पायेंगे। मेरा बार-बार हर बिन्दु पर यह निवेदन है।

अब ये सड़कों की बात कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर से सूरतगढ़, नेशनल हाईवे नम्बर 15 पर हमने बी.एम. करवाया था और सड़क बहुत बढ़िया थी लेकिन उसके सुदृढ़ीकरण के लिए हमने काफी पैसा एक्सचेकर से खर्च किया और वित्त मंत्री महोदय, उसकी गुणवत्ता की मैं आपको निवेदन करूं कि जब बी.एम. होने लगा तब सड़क की क्वालिटी सुधरनी चाहिये, बहुत अच्छी, बढ़िया सड़क बननी चाहिए थी लेकिन हकीकत में उस सड़क पर चलना दूभर हो गया। पूरा प्रशासन तंत्र उस सड़क से जाता है, किसी की आंखें नहीं गयी। मैंने उसको विरोध किया और उसकी वजह यह थी कि क्या वह सड़क खराब हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की मशीनरी से लगातार इस बात के लिए संघर्ष करता रहा कि जब बिटुमन को मिक्स किया जाता है ग्रिट के साथ, उसका एक सर्टेन टेम्प्रेचर होता है और उस टेम्प्रेचर को देखने के लिए और मिक्सिग के लिए इंजीनियर का वहां होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे अधिकारियों को यह फुर्सत नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। कानून-व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं और विशाल तंत्र मशीनरी का खड़ा कर देते हैं, उसमें हम छीजत के स्रोत पैदा कर रहे हैं। जब मैंने शिकायत की तब तो वहां एसई. और एक्सईएन. दोनों आ गये और आज उस सड़क को दुबारा पैसा खर्च करके फिर सही कराना पड़ा है। लेकिन उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोलतार की मिक्सिग सही नहीं हुई और सड़क के अंदर मटीरियल उठ गया और उसके बीच में खड्डे पड़ गये। दैट वाज टैक्नीकल डिफैक्ट, जो केवल अधिकारियों और मशीनरी के जिम्मे जाता है, इस तारीके की जब तक हम व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। अब उद्योग जगत की बात कर रहे हैं, इण्डस्ट्रीज, जिनको आज आप रुग्ण कह रहे हैं, रुग्ण क्यों हुई, उसका रूट काज तो ढूंढ़िये। उसके रुग्ण होने के कारण हैं। उसमें कहीं बजट प्रोविजंस आड़े नहीं आये। पैसा खर्च किया है। राजस्थान के एक्सचैकर से पैसा गया है और उत्पादन भी उस यूनिट ने शुरू किया था, लेकिन उसको चलाने वाली नजरें प्रशासनिक मशीनरी, वो उसके लिए बेहद जिम्मेदार है। उसने उसकी निगाह नहीं रखी और आज हम इस बात से खुश हो जाएं कि रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, हम उस मशीनरी के गलत फैसलों का समर्थन कर रहे हैं। जब तक आप ऐसा कर्म करने

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

वाले प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे और हुए नुकसान की भरपाई उनसे वसूल करने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो माननीय वित्त मंत्री जी, राजस्थान प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट होना चाहिये, इस बात से कोई इंकार नहीं करता, क्योंकि जब तक इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं होगा तो इन हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री सभापति : यह तो वार्निंग बैल है, आप बोले ना। ओवर कर दे, यदि थक गये हो तो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : थका तो नहीं हूं ,थकने वाली हालत नहीं है जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की परिकल्पना इस राजस्थान प्रदेश की है, मान्यवर, उसके साथ हमको एहतियाती कदम उठाने भी बड़े जरूरी हैं। अब जो इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है इस बात को भी हम कबूल कर रहे हैं ,लेकिन फिर उसकी स्थिति इतनी खराब क्यों हो रही है? उसकी वजह क्या हैं? मैं इसके साथ निवेदन करना चाहूंगा, सहकारी विभाग का उदाहरण देना चाहूंगा कि आम लोगों ने सहकारिता के माध्यम से कुछ छोटी यूनिट्स लगायीं और वे बड़ी अच्छी यूनिट्स थी। लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन इस सरकारी तंत्र ने उस सहकारी अधिनियम के अंदर एक प्रशासक लगाने की प्रवृत्ति और प्रोविजन किया हुआ था और जहां सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया नहीं और उस फलते-फूलते सहकारी विभाग की औद्योगिक इकाइयों का सत्यानाश करके धर दिया और हजारों ऐसे उदाहरण हैं। (व्यवधान) तिलम संघ की यह पीछे बात आ रही है, बोल रहे हैं उस तिलम संघ के लिए, जो एक फला-फूला उद्योग था, उसकी हालत क्या हुई, किसने की। उसकी हत्या करने में आप लोगों का पूरा सहयोग रहा है और आप ही लोगों की नाक के नीचे मीठालाल मेहता ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राजस्थान के काश्तकारों का, जो तिलहन पैदा करते थे उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है और राजस्थान की जनता कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगी और आप लोगों को हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे से भी अगर ये गलतियां हुई तो यह हमको भी हिसाब चुकता करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि आपको निगाह रखनी होगी।

आज हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और हमारा पशुधन उससे जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है इस प्रदेश का। उस पशुधन की बहुत अच्छी-अच्छी नस्लें हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर राठी गाय की एक नस्ल, प्रजाति जो बहुत बढ़िया किस्म की है और आज लगातार पड़ते अकाल की वजह से चारे की कमी के कारण उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती है और उसमें बीमारियां बढ़ती हैं। आपने इस बात को समझकर अच्छा प्रयास किया और पशु चिकित्सालय के 200 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बजट तो कम कर दिया आपने, औषधालय खोलने से क्या हुआ।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : + + + मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मैं आंकड़ों के इस मकड़जाल में नहीं पड़ना चाहता। यह आप उनसे बात करिए। मैं सीधा-सादा एक काश्तकार परिवार से आया हुआ हूं और मेरी सीधी बातें कहना चाहता हूं और उसमें मैं कहीं उलझन में नहीं आऊंगा। आपके बजट प्रोविजन क्या हैं, आंकड़े क्या हैं, यह आप लोगों के लिए है, आप इसका निस्तारण करवाते रहिए। मुझे तो अपनी बात कहने दीजिए। मैं तो वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं और हमें इसमें जो बताया गया है और मैं इस सरकार की नीयत पर एक रत्ती भर शक नहीं करता। जो इन्होंने कहा है वह करके दिखाएंगे। यह क्षमता है हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको कुछ कहा था, आपके साथ वादा किया था मंत्रिमण्डल वाला, वह तो पूरा नहीं किया।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मेरे साथ कोई वादा नहीं हुआ है, यह धोखा आपके साथ हुआ होगा कभी। आप अपनी निपटिए और आपको यह गलतफहमी क्या हो रही है। आप हरेक आदमी के साथ इस तरीके की बात करते हैं। निश्चित तौर से आप कहीं धोखा खाये हुए हैं। आप अपना कष्ट हमारे पर मत निकालिए और आप अपने मन की बात अपने तक ही रखिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था.....

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये तो पांच साल मंत्री रह चुके हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इनकी आकांक्षा कुछ और थी। (व्यवधान) वित्त मंत्री महोदय, एक सबसे बड़ी बात वन विभाग, जिसका मल्टीपरपज योगदान मानव जीवन के अंदर है जहां वातावरण को सुधारने, रेनफाल्स को बढ़ाने, सोइल एरोजन को रोकने, इनकी बाबत वन विभाग का जो योगदान इस मानवीय जीवन में है उसके साथ-साथ वन का और भी बहुत ज्यादा महत्व है। वह हमें लकड़ी देता है, अनेकों प्रकार की दवाइयां देता है, बहुत अच्छी बात है आप उसमें प्रोविजन करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पर्यावरण को शुद्ध करता है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : शुद्ध करता है, सारी बातें हैं और आय का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि तीनों नहरों के किनारों और मेड़ों पर जो पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों ने अपनी उम्र पूरी कर ली और उनका अंदाजा था कि 500 करोड़ रुपये का टिम्बर राजस्थान के एक्सचैकर में नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत होगा। जब उसका वास्तविक आकलन किया गया तो वो 1100-1150 करोड़ रुपये से ज्यादा का टिम्बर मिला। लेकिन मुझे अफसोस है कि वह सोना, जो बिखरा पड़ा है, जब उसको इकट्ठा करने की योजना बनी तो इस वन विभाग के अधिकारियों ने, आपने एक ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है जो सिवाय भ्रष्टाचार

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

के अलावा दूसरा कोई अच्छा काम नहीं करते हैं और हकीकत है, मेरे पास उदाहरण है, मैंने बहुत संघर्ष किया है इसके लिए। अगर आप जांच करवाना चाहे तो मैं निवेदन करूंगा। जहां एक आदमी ने, राजीव गुप्ता, रेंजर हनुमानगढ़ में पोस्टेड था और उसने ईमानदारी से जलाऊ लकड़ी तीन गुना बढ़ाई, इमारती लकड़ी का उत्पादन तीन गुना बढ़ाया। और उसने राज कोष के अन्दर साढ़े तीन गुना रेवेन्यु इंक्रीज करके दिया। उस आदमी की ए.सी.आर. खराब कर दी इन अधिकारियों ने और जब मैंने कारण पूछा, उन्होंने कहा कि यह हमारी परव्यू से बाहर जा रहा है, आमदनी बढ़ा रहा है इसलिए, लकड़ी का उत्पादन बढ़ा रहा है इसलिए, लेकिन जब हम उनका कम्पेरीजन करते हैं, मैंने सवाल पूछा उनसे, मान्यवर, राजस्थान के अन्दर उसके मुकाबले में कोई राजकोष की मदद करने वाला दूसरा कर्मचारी वन विभाग के अन्दर पैदा नहीं हुआ और वह आदमी अपनी नौकरी इस तरीके से इन जलील लोगों के हाथों में खराब करे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, आपको कैसे पता लगा कि ए.सी.आर. खराब कर दी, ए.सी.आर. का पता कैसे लगा आपको?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं बता रहा हूं। (व्यवधान) अभी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा हूं लेकिन जिन तथ्यों का मुझे पता लगा है, मेरे पास हैं, आधार हैं और जब मुझे पता लगा तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे अच्छे कर्मचारी को प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए कि जो राज्य हित में काम करते हैं और जो नाकारा हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और अगर इसी तरीके से कौन सा काम, जब हम पारदर्शी सरकार की बात करते हैं तो कोई बात छिपी हुई है ही नहीं, काहे को हम छिपाये रखें?

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : माननीय सदस्य, आपने अभी स्वयं ने बोला था कि वन विभाग के सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं और आप स्वयं ही एक आदमी की बड़ाई कर रहे हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हां।

श्रीमती कमला बृजलाल : आपने सभी को भ्रष्ट माना है, आपने सभी अधिकारियों को भ्रष्ट माना है और एक पर्टीकूलर, एक व्यक्ति विशेष को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं यहीं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हां, जी।

श्रीमती कमला बृजलाल : मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हां, मैं बताऊंगा। सभी का मतलब बहुतायत से होता है जिनके अन्दर मेजोरिटी है।

श्रीमती कमला बृजलाल : हां, तो मेजोरिटी बोलिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हां, तो मेजोरिटी का ही है अर्थ, भावना समझिये आप। आपको कहीं गलतफहमी हो गयी कि अगर जिस दिन यह स्थिति पैदा हो जाएगी उस दिन तो अनार्की होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके कहने का मतलब यह है कि एसी.आर. एम.एल.एज. लिखा करें? यही मतलब है न कि एसी.आर. एम.एल.ए. लिखा करें?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : नहीं, हमें नहीं लिखनी, यह जब कभी ऐसी विशेष व्यवस्था आपको हाथ लगे तो आप लिखना, मैं तो नहीं लिखूंगा, न कोई दूसरी मेरी मंशा है, मैं तो वह बात कह रहा हूं जिस बात से मेरी बात को बल मिले और प्रशासन हमारा अच्छा हो, यह हमारी सब की कामना है, अच्छे नेक आदमी का हम साथ दें और उनका संरक्षण किया जाय, बुरे हैं राज कोष के लिए जो खतरा बने हुए हैं, जो छीजत करते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तो बजट प्रोविजनों का कोई आधार नहीं रह जाएगा, हम कितना ही कोई काम करते जायं, जिस जनता के लिए हम कर रहे हैं, उस जनता को सुख नहीं मिलेगा, राजस्थान के विकास में हम अगर कोई योगदान देना चाहते हैं, असैट्स बनाना चाहते हैं वह असेट्स अगर हमारी खराब हुई तो फिर वह विकास आधारहीन हो जाएगा।

श्री सभापति : अब और नहीं, सिद्धू साहब। You have completed 40 minutes. Please conclude your speech.

श्री हरचन्दसिंह सिद्धू : ठीक है, सर। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जहां विषमता समाज में हो उस विषमता को दूर करने के लिए अगर सरकार बजट प्रोविजन करती है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए और उस नीयत को भी बहुत नेक दिली से देखना चाहिए और संकुचित होकर आलोचना ही नहीं की जानी चाहिए।

समाज कल्याण विभाग जो हमारे नीचे के तबके के लोगों की बहबूदी की देखभाल करता है, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाये गये छात्रावासों में जब हम लड़कों का चयन करते हैं प्रवेश देने के लिए तो मुझे खुशी होती है कि 74 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थी भी उन छात्रावासों में प्रवेश नहीं पा सके, उससे ज्यादा अंक लाने वाले लोग ही केवल वहां दाखिला पा सके हैं। इसलिए आप ऐसे प्रावधान कीजिए, ऐसी विभूतियां, ऐसे हमारे होनहार छात्र, जो इतनी लगन से पढ़ते हैं और वे एक अपना बढ़िया जीवन बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रावधान कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में, इस विकास को गति देने वाले इस राजस्थान प्रदेश में एक ऐसा खुशहाल वातावरण पैदा करने के लिए, अच्छे राजस्थान की परिसम्पतियों की संरचना करने वाले इस गतिशील बजट का समर्थन करता हुआ वित्त मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री को हार्दिक धन्यवाद अदा करता हुआ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं और माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे साथ जो सहयोग किया उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय धर्मपालजी चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, आज बजट पर बहस हो रही है। यह इस सरकार का पहला बजट नहीं है, चौथा बजट पेश कर रहे हैं जो इस सर्वोच्च सदन में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। बजट वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकार की नीयत और नीति व कार्यक्रम के वर्ष भर की घोषणा सरकार करती है। सभापति महोदय, इस सरकार ने जो-जो पूर्व के तीन बजट पेश किये उसमें जो घोषणाओं का अम्बार लगाया उसमें कोई कमी नहीं रखी, दुःख इस बात का है कि बजट में घोषणाएं करने के बाद सरकार सो जाती है, कभी भी सरकार में बैठे लोगों ने इस चीज का मूल्यांकन नहीं किया कि उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वह पूरी करें। असत्य बोलना, थोथे नारे देना, थोथी घोषणाएं करना इस सरकार की आदत में है क्योंकि इस सरकार की बुनियाद ही झूठे घोषणा पत्र से शुरू हुई थी इसलिए यह बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल है, छलावा है, धोखा है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि आपने चुनाव लड़ते समय घोषणा-पत्र के माध्यम से...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : पण्डित जी, क्या एतराज है?

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको क्या एतराज है, पण्डित जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सुनिये, मेरी बात, किसी भी क्रिया के बाद उसका अनुमान लगाने पर बाद में धोखा शब्द उपयोग करना चाहिए। यह मेरी आपत्ति है।

श्री धर्मपाल चौधरी : तीन-तीन जो पहले बजट पेश किये हैं।

श्री के. सी. चौधरी : धोखा किसके साथ, उन्हीं के साथ हुआ है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपने धोखा शब्द का उपयोग किया है, धोखा वह होता है कि जो काम पूरा हो जाये और वह जो....

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, पण्डित जी, जो पहले तीन बजट पेश हुए उनको आप देखिये, पूरे राजस्थान की गरीब जनता से धोखा किया है, हमने ही नहीं खाया, पूरे राजस्थान की गरीब जनता ने धोखा खाया है।

श्री के. सी. चौधरी : वह तो जनता ने भी आपको अजमेर में बता दिया, दिल्ली में बता दिया, राज्य सभा के चुनावों में बता दिया, आप बताइये किस जगह जनता आपके साथ थी, दिल्ली के चुनाव में देख लिया न आपने क्या हुआ? जनता के धोखे की बात है न तो दिल्ली में हो गया न?

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप थोड़ा आराम से सुनो।

श्री सभापति : बैठो, पण्डित जी, बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : चुनाव घोषणा-पत्र में आपने, सबसे पहले जब हमने किसान के

(श्री धर्मपाल चौधरी)

लिए चार पैसा, तीन पैसा यूनिट बिजली के रेट बढ़ाये थे। तब माननीय वित्त मंत्रीजी जो पूर्व में थे, वे भी दीवार कूद कर गये थे और बड़ा हल्ला किया था कि इतना रेट बढ़ा दिया, किसान को मार दिया। जब आपने जो 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का वायदा किया था उसका क्या किया? आज किसान को 94 पैसा प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। (व्यवधान) हमने यह नहीं कहा था चुनाव में कि हम 37 पैसे देंगे। आपने फोटो छपवाकर जिसमें सोनिया जी का फोटो, अशोक गहलोत जी का फोटो, अध्यक्ष जी का फोटो छपवा करके यह राजस्थान की जनता से वायदा किया, किसान से वायदा किया कि हम आपको 52 पैसा नहीं, 37 पैसा प्रति यूनिट बिजली देंगे। लेकिन आपने किया क्या है? आज किसानों को 94 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। (व्यवधान) 8 घंटे बिजली देने की बात की और कहते हो हमने बिजली जनरेट कर दी, बिजली को बढ़ा दिया। कहां गयी वह बिजली आपकी? किसान को 6 घंटे बिजली नहीं मिलती है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पैट्रोल की, डीजल की किसने बढ़ाई, बिजली उत्पादन तो इन्हीं से होता है न।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने चुनाव घोषणा-पत्र में किसान की बीमा योजना के लिए कहा था कि हम किसान की बीमा योजना लागू करेंगे। किसान जो फसल पैदा करता है उसका उचित मूल्य हम दिलायेंगे। लेकिन आज तक सवा तीन साल में आपने किसी बात पर गौर नहीं किया। सेवानिवृत्ति होने के बाद में जो नौकरियां निकलेंगी तो आपने उस समय घोषणा-पत्र में कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देकर इस राजस्थान के बेरोजगारों को खुशहाल कर देंगे लेकिन आज सवा तीन साल बाद आपने 80 हजार पद जो रिक्त हुए, उनको सब को समाप्त किया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दिल्ली में क्या हो रहा है?

श्री धर्मपाल चौधरी : राज्य में कानून व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए कहा कि बी.जे.पी. के राज में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, हम कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे और रामराज्य की स्थापना कर देंगे। आज क्या हो रहा है? सरकार स्वयं सदन में यह स्वीकार कर चुकी है कि उन्होंने दो बार विद्युत की दरों को 35-35 फीसदी वृद्धि करके उपभोक्ताओं से 1600 करोड़ रुपये वसूले हैं। आपने वायदा किया था, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है उसके कारण से रोज बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में आपने उनको जगह नहीं दी जिसके कारण से आज बेरोजगारों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दुबारा पढ़ दिया।

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई बात नहीं दो बार पढ़ दिया तो आपको क्या दिक्कत हो गयी? अभी नया-नया हूं, आप कई बार आ गये, आपकी तरह जब तीन-चार बार आ जाएंगे तो बिना पढ़े भी बोल देंगे।

श्री सभापति : सचेतक जी, सहयोग कीजिये। पढ़ नहीं रहे हैं, केवल फैक्ट्स देख रहे हैं कभी-कभी। पढ़ थोड़े ही रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : कानून-व्यवस्था की बात में आपके राज में आने के बाद सवा तीन साल में 72 जगह दंगे हुए, आपस में भाईचारा, सद्भाव खराब हुआ।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह तो आपने करवाया तब हुए नहीं तो होते नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हमने 8 साल राज किया हमारी पार्टी थी तब कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा कराने वाली पार्टी आपकी है।

श्री हीरालाल विश्नोई : .... आपने करवाना शुरू कर दिया। गुजरात में आप करवा रहे हो इसलिए हो रहा है। यह गुजरात में कौन करवा रहा है?

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है कि गुजरात में कैसा हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है, आपकी तो आत्मा मर चुकी है, आज कश्मीर में कोई हिन्दू करता है तो आप बोलते नहीं है। गुजरात में जब हिन्दुओं के ट्रेन में आग लगायी तब आप नहीं बोले और आप थोड़ी-बहुत भी...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : हिन्दू मुसलमान की बात नहीं है, यह दंगों की बात कर रहे हैं। आप दंगे की बात कर रहे हो हिन्दू-मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : ...आपको किसी के मरने पर कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) बैठ जाओ, बैठ जाओ। विश्नोई की जगह और कुछ लगा लो।

श्री सभापति : विश्नोई जी, बिराजो। यह सब्जैक्ट नहीं है अभी यहां।

श्री धर्मपाल चौधरी : प्रतिदिन अखबारों में रोज आता है कि मंत्रिमण्डल के जो सदस्य हैं...

श्री हीरालाल विश्नोई : बजट में दंगे का क्या लेना-देना।

श्री धर्मपाल चौधरी : क्यों नहीं है। आप सब कह रहे थे कि हमारी सरकार में अशोक गहलोत जी ने यह कर दिया। आगे बजट पर भी आ जाएंगे, पहले आपकी कारगुजारियां बताने लग रहे हैं। आये दिन अखबारों में छपता है, मंत्रियों पर घोटालों का आरोप छपते हैं, कई मंत्रियों के विरुद्ध लोकायुक्त में जो परिवाद चल रहे हैं उनमें जांच आरम्भ कर रखी है लोकायुक्त ने, रोज भूमि घोटालों की अखबारों में छपती है...(व्यवधान) वित्त मंत्री जी, आपने बजट भाषण के पृष्ठ 10 में राज्य की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के बारे में कहा है। पिछले तीन बजट में...

श्री हीरालाल विश्नोई : अच्छा नहीं लगा?

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी होगा न तब अच्छा होगा। हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन है नहीं न। पिछले तीन बजट में लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और आज तीन साल हो गये आपको राज करते हुए, गांवों की सड़कों के अन्दर एक किलोमीटर तीन साल में सड़क नहीं बनाई। एक चम्मच डामर नहीं डाली है। जो बरसात के बाद सड़कें रिपेयर करवाते थे, आपने तीन साल में एक जगह नहीं करवाई। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : आप क्षेत्र में जाकर आओ, वहां जाकर देखकर के आओ।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम क्षेत्र में ही रहते हैं। आपके बगल में ही खैरथल में रहता हूं, आप तो रहते भी नहीं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : जयपुर आपके जमाने में क्या था और इस जमाने में जयपुर क्या है, आपको फर्क नजर नहीं आ रहा है क्या? बड़ा चश्मा लगवाओ ताकि अच्छी तरह दिखे।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम तो गांवों में रहते हैं। हमको इन पुलों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। के. सी. चौधरी जी, आप रहते होंगे शहर में। आपको पुल पर चढ़ने की जरूरत पड़ती है, आपको दिक्कत हो जाती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय चौधरी जी, आप तो अपना स्पीच आन रखिये। हर बार इनका जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। को-आपरेट प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : 24 हजार किलोमीटर सड़कों को ठीक कराने की बात कही जो आज तक नहीं हुई और दर्जनों बार मुख्य मंत्रीजी जहां भी जाते हैं वहां भाषण देते हैं कि हम 600 करोड़ रुपया नाबार्ड से लेकर गांवों की सड़कों को ठीक करवायेंगे। आज तक आपने सभी विधायकों को 60-60 किलोमीटर एक साल में सड़कों के लिए लिखवाया, एक साल हो गया लेकिन अभी तक भी उन सड़कों का काम शुरू नहीं हुआ है। आज तक जितने भी बजट में आपने घोषणाएं की हैं तीन साल में उतना पैसा होता तो 4 हजार करोड़ रुपये इन सड़कों पर बनता है।

श्री मोहन लाल राठौड़ : झालावाड़ जिले में चालू हो गया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : झालावाड़ में हो गया होगा, हमारे तो हुआ नहीं।

श्री मोहन लाल राठौड़ : भगवान के नाम पर सच बोलो। (व्यवधान) चश्मा उतर गया हो तो नया चश्मा लगाओ। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : चश्मा तो आपके लग जाएगा थोड़े दिन में। चिन्ता मत करो, अभी डेढ़ साल है चश्मा लगने में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या गरिमा है? यह कोई सब्जी मण्डी है? सदन की गरिमा है इसलिए माननीय सदस्य चाहे जहां से बोलें...(व्यवधान)

श्री सभापति : अपनी सीट से बोलिये प्लीज।

श्री मोहन लाल राठौड़ : ...जवाब नहीं दिया जाएगा क्या? हमारी सरकार में जो काम हो रहे हैं वे आपको नजर नहीं आ रहे हैं और सदन में असत्य बयान उल्टा कर रहे हो तो असत्य बात को नहीं काटा जाएगा और सही बात को यहां बयान नहीं किया जाएगा?

श्री सभापति : अभी यह व्यवधान नहीं कर रहे हैं...(व्यवधान) He has a right to speak here. कृपया व्यवधान नहीं। Please, do co-operate.

श्री मोहन लाल राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, यह व्यवधान तो नहीं कर रहे हैं पर यह सरकार काम कर रही है उसको क्यों नकार रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अच्छे काम करती है तो अपनी सीट पर आकर बोलें। कम से कम चलते हुए तो सब्जी मण्डी की तरह मत बोलो। यह तो पहली बार देखा है।

श्री मोहन लाल राठौड़ : झूठ तो चलते हुए भी नजर आयेगी तो....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह चलते-चलते बोलते हैं क्या? यह क्या तरीका है?

श्री मोहन लाल राठौड़ : वह आप कह रहे हैं वह सही है कटारिया साहब, पर अगर झूठ कहीं भी नजर आयेगी तो उसका विरोध तो किया जाएगा।

श्री सभापति : इनका आब्जैक्शन यह है कि आप अपनी सीट पर आकर बोलते और सीट से ही बोला जाता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, आप बोलें।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय वित्त मंत्रीजी, राजस्थान की जनता को क्यों धोखा दे रहे हो? आपको प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए। आप सदन में कहते हैं अशोक गहलोत महान है, ठीक है कोई आपने काम कराया ठीक है। आज सड़कों का पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना में किसने दिया? आज स्टेट हाइवे, दूसरे नेशनल हाइवे हैं उनके लिए पैसा किसने दिया?

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रधानमंत्री सड़क योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में पहले भी थी। यह तो नाम लगा दिया प्रधानमंत्री का। क्या बात करते हो?

श्री धर्मपाल चौधरी : यह किसने कह दिया? यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है। केन्द्रीय सरकार पैसा दे रही है। आप तो सिर्फ पत्र लिखना जानते हो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पहले भी देती थी।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप रोज कहते हैं कि भारत सरकार क्या देती है। प्रधानमंत्रीजी को, भारत सरकार को हमने पत्र लिख दिया, जैसे सब लैटर लिखते हैं कि हमने इतने पैसे मांगे थे और हमको पैसा नहीं दिया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में....(व्यवधान)

श्री भंवरू खान : एक रुपये की मेहरबानी नहीं है भारत सरकार की। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप भी जो काम करवा रहे हैं उसमें आपकी कोई मेहरबानी नहीं है। आप जनता से टैक्स वसूल करके और कर्ज ले करके जो काम कर रहे हैं यह आपकी भी जिम्मेदारी है।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, इन्होंने जो लव लैटर की बात कही है, क्योंकि इन्होंने बहुत लव लैटर लिखे हैं इसलिए इनको लव लैटर याद आ गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान के हित में कोई बात लिखकर देते हैं सैण्ट्रल सरकार को तो आप मेहरबानी करके इसको लव लैटर बता रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह कहना कि लव लैटर है वो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, हमारा तो मुद्दा सिर्फ आपको मंत्री बनाना है और आप ही हमें टोक रहे हैं। हम तो सारे आपके समर्थक हैं। मुख्य सचेतक जी की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वजह से आप बन नहीं पा रहे हैं। हम तो आपके समर्थक हैं सारे।

श्री रामस्वरूप : मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि यह शब्द अच्छा नहीं है थोड़ा। आप कह रहे हैं कि लव लैटर लिख रहे हैं। निवेदन है मेरा तो।

श्री सभापति : आप बैठिये। प्लीज चौधरी साहब।

श्री रामस्वरूप : अच्छा साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपकी तरह साकरवाड़ा में दीवार नहीं बनवाई आप बैठ जाइये। इस तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना में एक हजार की आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए पिछले वर्ष 1725 गांवों में 953 किलोमीटर सड़कों के लिए पैसा दिया और इस वर्ष मिलाकर तीन हजार किलोमीटर के लगभग राजस्थान में जो गांवों में सड़कें बनेंगी उसके लिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया। अगर यह पैसा गांवों में नहीं लगता तो जो आपसे घोषणाएं कर रखी हैं थोथी, उसकी वजह से तो गांव में एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनती है। थोड़ा बहुत भी काम अगर गांव में होता है तो वह प्रधानमंत्री सड़क योजना में होता है। आज 6000 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री सड़क योजना में है। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में 21 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में बन रही हैं लेकिन आपने जो 60 किलोमीटर हमसे लिखकर मांगी थी, उसमें आज तक एक भी किलोमीटर सड़क नहीं बनी है, पीछे बैठे हैं चन्द्र शेखर जी, मंत्रीजी, खैरथल और..... अगर एक भी.... (व्यवधान) आप बात सुनें। या तो आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, बैठे हैं आप यहां पर, अगर मुंडावर के अन्दर....

(16.40 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री चन्द्रशेखर : मैं आपको मेरे क्षेत्र में लेकर चलता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, मेरे क्षेत्र में ले चलो, मैं कह रहा हूं ना।

श्री चन्द्रशेखर : आप तो अपनी दुकान में बैठे रहो। अपनी दुकान में बैठो, देखने जाते नहीं हो, क्षेत्र में जाकर देखो।

श्री धर्मपाल चौधरी : क्षेत्र में ही रहता हूं मैं, आपकी तरह नहीं रहता। आप मंत्री हैं, मैं अपने क्षेत्र में ही रहता हूं। (व्यवधान) आज अगर एक भी किलोमीटर का काम नहीं चला तो फिर आप क्या करोगे (व्यवधान) आप दे दोगे क्या इस्तीफा अभी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय धर्मपाल जी।

श्री धर्मपाल चौधरी : अगर आप कोई भी काम नहीं करो तो आप दे दोगे क्या इस्तीफा ? इस पर दे दोगे क्या इस्तीफा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो, बोलो।

श्री चन्द्रशेखर : आप दे दोगे ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलो बोलो।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम भी दे देंगे। चलो चलो। आओ अभी। (व्यवधान) लिख कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : कहां जा रहे हो दोनों ? बिराजिये बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसा वाद विवाद खड़ा है। आप न्याय की कुर्सी पर बिराजमान हैं। दोनों को साथ ले जाओ और दोनों में जो सच्चा हो, उसकी तो आप बात मान लो और दूसरे का हाथों-हाथ इस्तीफा लेकर आओ। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : दोनों ही सच्चे हैं। आप चिंता नहीं करें, दोनों सच्चे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बिलकुल असत्य बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 600 करोड़ रुपये की बात सुनते-सुनते हमारे कान पक गये उपाध्यक्ष महोदय। आप तो खुद देखते हैं, पिछले दो वर्षों में लगातार इस बात का उल्लेख किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कान पक गये हैं तो डाक्टर से इलाज कराओ। बिराजिये प्लीज। मेरे पास तो इलाज नहीं है इसका। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज, बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : मेरे मुंडावर विधान सभा क्षेत्र में जो सीधी सड़क जाती है, मुंडावर तहसील हैड क्वार्टर है और जिला हैड क्वार्टर को जोड़ने के लिए जो सीधी सड़क है, वह पड़ती है 42 किलोमीटर अगर वहां से पेल होकर जाती है और आज इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। तीन साल से लगातार इसका क्वेश्चन लगाया, सरकार की तरफ से जवाब आता है कि अभी संसाधन नहीं है। वित्तीय साधन होंगे तो सड़क बनेगी, क्या कर दिया उस जनता का, 54 साल हो गये देश को आजाद हुए और आज 20 किलोमीटर सड़क....(व्यवधान) आप मंत्री हो, बैठ जाओ आप। आप बैठ जाओ, आपको नहीं सुनना है।

श्री चन्द्रशेखर : खैरथल, मुंडावर की तरफ चले जाइये, आप देखो तो सही अपनी सड़क को।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बैठो। यहां पर सारी सरकार के खिलाफ उप चुनाव में जीतकर आया हूं मैं, आप भी वहां घणे ही डोले थे, उप चुनाव में जीतकर आया हूं मैं, वहां की जनता ने जिताया है, छोड़ो आप। कौन जाता है, कौन नहीं जाता है। जो सीधी सड़क बनती है 42 कि.मी. और वहां की जनता को 42 कि.मी. की बजाय 62 कि.मी., 20 कि.मी. ज्यादा वाया खैरथल और सोडावास घूमकर जाना पड़ता है इसलिए आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं, पर सड़क का पैसा दे दें तो इस सड़क का भी आप ध्यान में रखें। आपको ध्यान होगा कि आपने 1999-2000 में 6000 नये गांवों की बस्तियों में पेयजल पहुंचाने की घोषणा की थी। 2000-01 में भरतपुर-धौलपुर के 212 गांवों को चम्बल का पानी पहुंचाने की घोषणा की थी, 2001 और 2000 में खारे पानी और फ्लोराइड से प्रभावित 3000 गांवों को राजीव गांधी पेयजल योजना में लाभान्वित करने की घोषणा की थी। क्या किया आपने इन योजनाओं का ? आज हमारे यहां कितने ही गांवों में खारा पानी है और जिनकी स्कीमें मंजूर की हुई है लेकिन एक भी गांव में

(श्री धर्मपाल चौधरी)

आपने पानी पहुचांने का कार्य नहीं किया और यहां पर थोथी घोषणाएं और वाहवाही करने के अलावा आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसे कई गांव हैं, खुद का मेरा गांव हैं, आपकी एक स्कीम चली थी कि गांव की सहभागिता होगी तो उसमें पानी की टंकी बना दी जायेगी। तीन वर्ष हो गये हमारे को पैसा जमा कराये हुए लेकिन आज तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ। आपने पिछले बजट में सिंचाई प्रबंधन के लिए भी 332 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इस वर्ष भी विश्व बैंक की सहायता से 734 करोड़ रुपये व्यय करने की बात कही है। मुझे शंका है कि आपकी यह घोषणाएं भी थोथी निकलेगी और राजस्थान की जनता को जो आप मूर्ख बना रहे हैं, वह ज्यादा समय नहीं चलेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में भी मैंने कई बार, बिटोली बांध, जिंदोली बांध और अन्य कई बांध है, क्योंकि पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जब तक ये बांध नहीं बनेंगे और पानी की रुकावट नहीं रुकेगी तो किसानों के लिए यह बहुत बुरा होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो यह इतना पैसा खर्च करने लग रहे हो तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जो बांध है, उनको बनवाने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे बजट का मुख्य आधार कर्जा, सामाजिक कुरीति के रूप में जिस लाटरी को हमने बंद किया था, पिछली सरकार ने बंद किया था, आप राजस्थान की इस गरीब जनता के साथ खिलवाड़ करके जो लाटरी चालू कर रहे हैं, कृपा करके आप इसको चालू नहीं करें जिससे गरीब जनता बच सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के राजस्थान के बजट पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने विचार उसके बारे में रख रहा हूं। राजस्थान का बजट जब बनता है तो जो स्ट्रक्चर है हमारे राजस्थान का, उस ओर हम ध्यान इंगित करें। राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, इन सबको मिलाकर हम विकास की योजनाएं बनाते हैं। विकास एक सतत् प्रक्रिया है राज्य की, बजट उसको प्रतिबिम्बित करता है परन्तु जो विशेष बातों का उल्लेख होता है कि किसी इकोनोमी को गति देने के लिए जो हम एस्कलेशन करते हैं स्पीड में तो कौनसा बजट उस राज्य के आर्थिक तंत्र को एस्कलेशन देगा, उसी बजट की सराहना करते हैं तो इस बजट को वर्तमान बजट को वर्तमान परिस्थितियों में जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो सतत् प्रक्रिया बजट की रही है तो यह बजट राजस्थान के आर्थिक तंत्र को एक एस्केलेशन देगा और राजस्थान में विकास को गतिमान करेगा।

मान्यवर, इस देश का स्ट्रक्चर एक फैडरल स्ट्रक्चर है जहां राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों देश की और राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। अभी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि राज्य की यह व्यवस्था है, केन्द्र की यह व्यवस्था है, निश्चित रूप से केन्द्र की जो भी नीति होती है, वह राज्य को प्रभावित करती है। वर्तमान में जो भी विकास के काम होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि 70 प्रतिशत ऋण केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है और राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार उसमें योगदान देकर आगे विकास की योजनाएं क्रियान्वित करती हैं। उस ऋण पर ब्याज कितना होता है, उसका अनुमान लगायें तो ब्याज के जो आंकड़े अभी प्रस्तुत किये गये माननीय सदस्यों के द्वारा तो निश्चित रूप से ब्याज में वृद्धि होती जाती है क्योंकि यदि एस्केलेशन देना है, हमें विकास करना है तो निश्चित रूप से ऋण लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। यह राज्य व्यवस्था का एक चिन्ह है। फैडरल स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, भण्डारण के बारे में उन्होंने चर्चा की। अभी हम बयान पढ़ रहे थे देश के खाद्य मंत्रीजी का, हमें तो मार्केट में जाना है, किसान को भण्डारण की आवश्यकता नहीं है। एकदम विपरीत नीति केन्द्र सरकार की रही है। हम भौंचक्के हो गये। एक तरफ तो मांग कर रहे हैं कि भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए, एक तरफ देश के खाद्य मंत्रीजी कहते हैं कि किसान के उपज की भण्डारण की आवश्यकता नहीं है। विपरीत परिस्थिति है, समझ में नहीं आती है कि कैसे करें।

इसी तरह से ऊर्जा मंत्रीजी का भी बीच में एक बयान पढ़ा कि आज राजस्थान में ऊर्जा के नाम से जो हमने बदलाव किया, तो उनकी नीति के अनुसार क्या पुनः हम एकीकरण करना चाहेंगे जो हमने कम्पनियां बनाई। यह एक विरोधाभास है राज्य और केन्द्र की नीति में क्योंकि केन्द्र से ही नीतियां बनती हैं और उस राज्य के आर्थिक तंत्र को प्रभावित करती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में नोन टैक्स रेवेन्यु के बारे में पहले हमने भी चर्चा की थी, हम चाहते थे कि हम गरीब जनता को टैक्स से नहीं दबायें और नोन टैक्स रेवेन्यु को बढ़ायें और जो भी विकास की योजनाएं आती हैं केन्द्र सरकार के माध्यम से, वह नोन टैक्स रेवेन्यु से गला घोंट दिया जाता है।

मैं इन्दिरा गांधी नहर की चर्चा करूं तो पूर्व में हम बी.ए.डी.पी. के फण्ड से सीमा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहर का काम करते, करीब 60-60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष योजना से मिलते रहे, केन्द्र सरकार ने उसे बंद कर दिया। नहर में दो वर्ष पूर्व जो हमने 200 करोड़ की योजना बनाई अभी हम 120 करोड़ तक सीमित रह गये। वह एक ऐसी योजना है इन्दिरा गांधी नहर की जिसमें 2300 करोड़ की पूरी लागत होने के बाद में हम 1700 करोड़ रुपये कृषि उत्पादन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई आर्थिक आयोजन होगा जिसमें कैपिटल इनवेस्टमेंट 2300 करोड़ करने के बाद में 1700 करोड़ का प्रति वर्ष उत्पादन कर पायें, ऐसी योजना के बारे में भी केन्द्र सरकार जब उदासीन है तो राज्य सरकार अपने साधनों से उसे पूरा नहीं कर पाती है। तो मेरा पाइंट यही है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि राजस्थान के विकास में, राज्य के विकास में इस फेडरल स्ट्रक्चर में, जो संघीय राज्य व्यवस्था हमने

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

देश में कायम की है उसमें केन्द्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि कर्जा ले करके हम किस स्थान पर पहुंच गये हैं। तुलना करिये अन्य प्रदेशों की, भारत वर्ष के अन्य प्रदेश भी हैं उनके तंत्र की आप तुलना करिये, राजस्थान की मुझे लगता है जिस तरह से गत वर्ष आर्थिक संयोजन करके राज्य व्यवस्था चलाई, कई राज्यों की ऐसी व्यवस्था थी कि वेतन देने तक के लिए उनको अपनी सम्पत्तियां गिरवी रखनी पड़ी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस परिस्थिति में सतत् अकाल, तीन वर्ष के अकाल के बाद भी 18 लाख व्यक्तियों को रोजगार देकर के वर्तमान सरकार ने जिस तरह से प्रबंधन किया अर्थ व्यवस्था का, निश्चित वह प्रशंसा के पात्र हैं। परिस्थिति देखनी चाहिए कि किन परिस्थितियों को लेकर हम यह विकास कर रहे हैं और किन परिस्थितियों को लेकर के कर्जा बढ़ा रहे हैं। निश्चित कर्जा बढ़ा है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जो आंकड़े दिये जाते हैं उसमें कोई घटाया नहीं जा सकता, जो परिस्थिति है उसको हमें मंजूर करना चाहिए। मान्यवर, जो आंकड़े दिये हैं आय और व्यय के, राजस्व घाटा निश्चित बढ़ा है, बजट घाटे में 1334 करोड़ की कमी बताई है, पश्चात् करोड़ का मात्र टैक्स लगाया है। एक तरफ हम टैक्स कहते हैं कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, नहीं बढ़ना चाहिए, टैक्स के हम और साधन जुटायें, और साधन में मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहूंगा कि नान टैक्स रेवेन्यू के लिए बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं हमारे। जैसे अभी ब्यावर से आने वाले हमारे साथी कह रहे थे कि लाइम स्टोन का बहुत बड़ा भण्डार है हमारे राजस्थान में, पैट्रो केमिकल्स, लिग्नाइट्स आदि, करीबन पांच करोड़ रुपये की रायल्टी हम पैट्रो केमिकल्स से प्रति वर्ष ले सकते हैं, इतना बड़ा साधन हमारे पास में है। जहां तक लाइम स्टोन की चर्चा वह कर रहे थे तो केन्द्र सरकार की रेलवे फ्रेट और उनकी जो रायल्टीज के आधार पर हम चाहें तो बहुत बड़ा साधन क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं, हमारी माइन्स में करीब दस करोड़ रुपये का माइन्स पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको बेचकर भी हम अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। और यदि हम चाहें, अभी जो विदेशों से इम्पोर्ट किया जा रहा है लाइम स्टोन स्टील मिल्स के लिए, यदि हम अच्छा आयोजन करें, केन्द्र सरकार हमें सहयोग करे, हमारा रेल जो स्ट्रक्चर है उसमें अभी जो यह 13 प्रतिशत का लगाते हैं वह शायद दस प्रतिशत, ग्यारह प्रतिशत पूर्व में था, यदि उस तरह से फ्रेट केटेगरी में लाया जाय तो मुझे लगता है कि काम्पीटीटिव मार्केट करके हम इन स्टील मिल्स में लाइम स्टोन भेजकर के नान टैक्स रेवेन्यू रायल्टी के माध्यम से ले सकते हैं।

मान्यवर, विकास की चर्चा की, जो आंकड़ें प्रस्तुत किये माननीय वित्त मंत्रीजी ने, हमारा विकास व्यय 54.76 प्रतिशत जो है उसमें सामाजिक सेवाओं का 39.36 प्रतिशत देकर के हमने जो सामाजिक सेवाओं के अंदर वृद्धि की है निश्चित ही वित्त मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ में हमारे और सप्लाई के सोर्सेज हैं, कृषि का काम है, सकल

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी हमने की है। नाइंथ प्लान में निश्चित जो 27650 करोड़ का था, दसवें प्लान में 31836 करोड़ का जो आयोजन किया है वस्तुतः हमारे माननीय मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में कई चर्चाएं चलीं। ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र है जो हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, निश्चित ही बजट में जैसे मैंने एस्केलेशन की बात कही, हम यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सड़कें एवं बिजली आदि, तो उद्योग आदि का भी विस्तार होगा और राजस्थान गतिमान होगा विकास में। ऊर्जा के क्षेत्र में मेरे क्षेत्र जैसलमेर में जो पवन ऊर्जा करीब दस-पन्द्रह मेगावाट के यूनिट्स लगे हैं, प्राइवेट सैक्टर आ रहा है, नया इनोवेशन हमने किया है, रामगढ़ का गैस आधारित पावर प्लांट हो या लिग्नाइट आधारित जो बाड़मेर में और पलाना में, बीकानेर में लिग्नाइट है, यदि उसका हम दोहन करके पावर प्लांट लगायें तो मुझे लगता है कि राजस्थान पावर सैक्टर में उत्पादन में स्वावलम्बी बनेगा। जब उत्पादन में स्वावलम्बी बनेगा तो निश्चित ही डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में भी हम आगे बढ़ पायेंगे और राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बनायेंगे जिसके आधार पर हमारे उद्योग आगे बढ़ पायें। मान्यवर, मैं विशेष कर सी.ए.डी. के बारे में, कमाण्ड एरिया डवलपमेंट के बारे में जो खालें बनाने की बात है, वह दो वर्ष पूर्व हमने करीब अस्सी हजार....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाय? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो ही आदमी हैं आपके बोलने वाले।

(स्वीकृत)

समय आधा घंटा और बढ़ाया गया। बोलिये माननीय सदस्य, बोलने वाले ही नहीं हैं, किस को बता रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हैं बोलने वाले।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं हैं। दो ही हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो ही आदमी हैं आपके।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जब बात आती है तो उप निवेशन क्षेत्र में हमने भूमि विक्रय के माध्यम से दो सौ करोड़ का प्रोवीजन दो वर्ष पूर्व किया था जबकि हमने उस बजट में अस्सी हजार हैक्टेयर भूमि में खालें बनाने की चर्चा की थी। गत बजट में वह घटकर 30

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हजार हैक्टेयर हो गया और अभी इस बजट में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वह 27 हजार हैक्टेयर तक ही सीमित रख दिया। यदि यह हमारे खालें अधिक बनते हैं तो भूमि की बिक्री अधिक हो जायेगी और नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ जायेगी इसलिए माननीय वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि खालें बनाने का इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में अधिक प्रोवीजन रखें जिससे कि हम नान टैक्स रेवेन्यू बना पायें। मान्यवर, उसी क्षेत्र में, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 221 नये गांव सृजित होने हैं। पहले वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो रहा था, अभी वह काम बंद हो गया है। तो मेरा निवेदन है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने के लिए उन दो सौ नये राजस्व गांवों में सारी व्यवस्था कैसे की जाये उसका प्रोवीजन किया जाये जिससे किसान बस पायें भूमि ले करके, आपका टैक्स रेवेन्यू भी उससे बढ़ पायेगा।

मान्यवर, मेडिकल और शिक्षा के बारे में, विशेष कर शिक्षा के बारे में, शिक्षा मंत्री बिराजे हुए हैं, मेरा कहना है कि मेरे क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो भी वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में आप को स्पेशल कैडर बनाना पड़ेगा, कोर्ट्स में जो भी लिमिटेशंस चल रहे हैं, जो लिमिटेशंस हैं हमारी, यदि उस क्षेत्र के लिए आप अपाइंटमेंट्स नहीं करेंगे तो हमारे यहां हमेशा वेकेन्सीज रहेंगी। आज भी जैसलमेर जिले में करीबन 470 अध्यापकों की, थर्ड ग्रेड अध्यापकों की वैकेन्सीज हैं क्योंकि अन्य जिलों से आकर के अपाइंटमेंट्स ले करके वापस चले जाते हैं। इसलिए हमारी विशेष प्रोब्लम है सीमांत क्षेत्र की, माननीय शिक्षा मंत्री यहां बिराजे हुए हैं, उस ओर ध्यान करके जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की एक विशेष कैडर बनायें जिससे कि उस क्षेत्र की जो समस्या है, ए.एन.एम. समस्या है चाहे टीचर्स की समस्या है, उससे हम निजात पा सकें। मान्यवर, सड़कों के बारे में चर्चा चली। माननीय वित्त मंत्रीजी ने गत बजट में भी कहा था, इस बजट में भी हमारा 600 करोड़ रुपये का जो प्रोवीजन है उसमें निश्चित रिपेयर्स होंगी पचास किलोमीटर पर यह प्रति विधायक देना मुझे नहीं लगता कि तर्कसंगत है। मेरे जिले में करीब दो हजार किलोमीटर सड़कें हैं बी.टी. रोड्स, यदि पचास किलोमीटर मरम्मत करें तो कब तक मेरी यह पूरी सड़कें रिपेयर होंगी। तो मेरा कहना है कि सड़कों का प्रतिशत करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जितनी सड़क है किलोमीटर, उसका प्रतिशत रिपेयर में दें तो निश्चित कुछ उसके बारे में कुछ समाधान हो पायेगा। मान्यवर, पेयजल के बारे में 1477 करोड़ रुपये का अपन ने इस बजट में प्रोवीजन्स किये हैं, वह निश्चित जो क्षेत्र हैं सुदूर हमारे सीमान्त क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर में जहां पेयजल की अधिक आवश्यकता है, पशुधन हमारा मनुष्यों से पांच गुना है, तो वहां पशु हेतु पेयजल योजनाएं बनानी चाहिए केवल मनुष्यों की पेयजल योजनाओं से उन पशुओं को पानी नहीं पिला सकते इसलिए कुछ विशेष प्रोविजन्स करने चाहिए।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

माननीय मंत्री महोदय जो पशुपालन में दो सौ पशु केन्द्र खोले हैं वास्तव में वे धन्यवाद के पात्र हैं। (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चार सौ होने चाहिए। एक सैकण्ड, अधिक नहीं कह करके माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहूंगा कि ये जो आन लाइन लाटरी शुरू की है, इस सरकार ने ही समाप्त की थी, यह आन लाइन लाटरी अच्छी नहीं लगती, तो कृपया इस पर विचार करें कि आया यह आवश्यकता है, कि हमारी इकानामी में कितना बूस्ट कर पाएगी, कितना अर्थतंत्र में मजबूती दे पाएगी। जहां तक उद्योग का प्रश्न है, रुग्ण उद्योगों को ठीक करके उसमें जो आयोजन किया है वैसे तो उसके लिए मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं परन्तु कृषि प्रधान प्रदेश जब राजस्थान बना है तो कृषि उद्योग के बारे में विशेष चिन्तन करना चाहिए और केन्द्र सरकार से विशेषकर हम आग्रह कर सकते हैं कि जो इम्पोर्ट किये जा रहे हैं आयल्स वगैरह, ऑयल सीड्स का बहुत बड़ा उत्पादन राजस्थान में है और मेरे क्षेत्र में विशेषकर सारी आयल मिल्स बंद हो चुकी हैं। यदि हम इस इम्पोर्ट नीति को बदलवाना चाहें तो केन्द्र सरकार पर दबाव डाल कर विशेष कर आयल क्षेत्र में जो इम्पोर्ट किया जा रहा है उसको बंद करें तो कृषि आधारित जो ऑयल मिल्स चल रही हैं वो बंद हो गयी हैं उनमें निजात पा सकें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल गुर्जर।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया वह बजट किसान विरोधी बजट है। न इसमें किसानों को कोई राहत दी गयी, न मजदूरों को राहत दी गयी। आज गांवों में जो बांध बने हुए हैं उनकी नहरों की सफाई के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है इससे किसानों को भारी नुकसान होगा और यह किसान विरोधी है। आज गांवों के आम रास्ते खेतों में जाते हैं वहां पर सरकार ने उन रास्तों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा, इसलिए यह भी किसान विरोधी है। मजदूर विरोधी है। आज बेरोजगारी इतनी फैली हुई है लेकिन मजदूरों के लिए कोई इसमें नहीं है। आज बूंदी जिले के अंदर केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल जिसमें किसान भी हिस्सेदार थे, उस शुगर मिल को बंद कर दिया गया। इस बजट में भी उसका कोई प्रावधान या आश्वासन नहीं दिया। आज बूंदी जिले के चारों विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली, नैनवां, केशोरायपाटन और बूंदी जिसमें आते थे, वहां के किसान गन्ना पैदा करते थे, वे शुगर मिल को देते थे लेकिन इस किसान विरोधी सरकार ने उस शुगर मिल को चलाने का कोई आश्वासन नहीं दिया। यह भी किसान विरोधी है, और जो किसानों को दवाइयों में सब्सिडी दी जाती थी वह भी इस बजट में कोई मामूली सब्सिडी दी गई, उसको बढ़ाया जाए। आज सिंचाई के लिए गांवों में तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है वहां पर सरकार ने बांधों की, नहरों की, एनीकटों की कोई घोषणा नहीं की। आज से 15 साल पहले जो बांध अधूरे पड़े हुए थे उनको भी

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

पूरा कराने के लिए आश्वासन नहीं दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र राजस्थान के पिछड़े हुए विधान सभा क्षेत्रों में है। वहां के जो मिसिंग रोड थे उनके लिए भी इस बजट में कोई आश्वासन नहीं दिया गया और आम रास्ते इतने खराब हैं कि किसानों को अपनी फसल को मण्डियों में लाने में भी परेशानी होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत विजयगढ़ के बोड़दा गांव जो दो किलोमीटर है वहां पर आम रास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत ओम में चांवडिया जो डेढ़ किलोमीटर रोड से दूर है वहां पर इतने गड्डे हैं कि आम किसान वहां पर नहीं जा सकता। बसोली रोड से जहाजपुरिया-डातुंडा दो किलोमीटर, ग्राम पंचायत बड़गांव से सुरडी तीन किलोमीटर है, ग्राम पंचायत चतरगंज से मैन रोड से नेशनल हाइ-वे रोड अकलोद दो किलोमीटर, ग्राम पंचायत सहसपुरिया से सलाउलिया दो किलोमीटर, ग्राम पंचायत मांगली में ग्राम वोरखेड़ा मांगली तीन किलोमीटर, ग्राम पंचायत ओकरदा ग्राम सियाडा दो किलोमीटर, ग्राम पंचायत गुढ़ा से ग्राम बहादुरवीरा मैन रोड बसोई दो किलोमीटर, विजयगढ़ से नडावांतलोदा तीन किलोमीटर, हिण्डौली जो मेन विधान सभा क्षेत्र पड़ता है और वहां से एक मैन रोड जो सीधा नैनवां और लाखेरी को मिलाता है, पिछली बार भी मैंने बजट में इस बात को दोहराया था कि हिण्डौली से तीन किलोमीटर उसके जुड़ने से नैनवां और केशोरायपाटन सीधा जुड़ सकता है लेकिन इस बजट में उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। चेला से अलोद तक दो किलोमीटर, गुढ़ा गोकुलपुरा से थाना देवली तीन किलोमीटर, धाभाइयों के नये गांव से दबलेड़ा तीन किलोमीटर, सदरगढ़ से बिजोलिया रोड मानतला बांध का खेड़ा सात किलोमीटर, सिलोड़ पंचायत में उलेड़ा सात किलोमीटर, वसोली में खेरा रोड सात किलोमीटर, साउटगढ़ से वासी तक दो किलोमीटर, काणा से पालनिया दो किलोमीटर, आज हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा है कि वहां पर गांवों में रोड नहीं है और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हिण्डौली पिछड़ा होने के नाते वहां पर थोड़ी राहत दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 15 साल पहले हिण्डौली पंचायत समिति में काचौला रोड का कार्य हुआ था लेकिन उस ठेकेदार द्वारा गबन करने के बावजूद आज 15 सालों में वह रोड पूरी नहीं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डावडियों का नया गांव पंचायत हैडक्वार्टर है, सरकार ने लगातार तीन साल से उसको बनाने के लिए आदेश जारी कर रखे हैं लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उस रोड का काम चालू नहीं किया जा रहा है जबकि राजस्थान सरकार की नीति है हर पंचायत हैडक्वार्टर को रोड से जोड़ा जाएगा। अकाल राहत के अंदर दो तालाबों का काम किया गया था वह तालाब अधूरे हैं, माना कि तालाब और वसोली तालाब जो अधूरे हैं, इस साल के बजट में पैसा देकर यदि उनको पूरा कराया जाता है तो वहां के किसानों को राहत मिलेगी। माननीय

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अब वहां पर सरकार की नीति के अनुसार एक सीनियर और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल दिया जाएगा तो उस क्षेत्र के लिए यह कम है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के विशेष क्षेत्र की गरीब जनता को देखते हुए वहां पर दो-दो स्कूल दी जाए तो क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पानी की समस्या है। पानी के लिए गांवों में टंकियों का निर्माण कराया जाए जिससे गांव वालों को राहत मिले और आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार इन बातों को ध्यान में रखेगी और विचार करेगी और गरीब किसानों को राहत पहुंचायेगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें कोई नयी बातों का समावेश नहीं किया है। शिक्षा की दृष्टि से जो छोटे-छोटे बच्चों के लिए आवश्यकता थी मिडल स्कूल की, इस बजट के अंदर नहीं है और मिडल स्कूलें नहीं है जहां मिडल स्कूलों के बाद में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी में तो लड़का काफी बड़ा हो जाता है लेकिन उन छोटे बच्चों का जो खयाल आये दिन यही है कि "शिक्षा आपके द्वार पर" वो द्वार पर, तो मिडल स्कूल आपके द्वार पर क्यों नहीं? यह इसमें समावेश नहीं है। इसके अलावा काफी अन्तराल के बाद में आप जो एक-एक सैकण्डरी और एक-एक हायर सैकण्डरी खोल रहे हैं और जो खास तौर से शिक्षा की दृष्टि से रेगिस्तानी क्षेत्र जो बेकवर्ड है उसमें भी आप बराबर के हिसाब से बांटेंगे तो पिछड़ा जो क्षेत्र है वह तो पिछड़ा ही रहेगा। आपने कोई इस प्रकार की योजना इस बजट में नहीं बनायी कि जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, पचास किलोमीटर के अंदर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है उसमें हम विशेष तौर से सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूलें बनायेंगे, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों 1999 से 2001 तक कृषि में जो भी बजट पेश हुए हैं उनमें कमी आती रही है। और कमी आने के कारण हमारा जो ग्रामीण विकास होना चाहिये, किसानों का जो विकास होना चाहिये उसमें कमी आई है। यह आंकड़े स्पष्ट बताते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्र में हरियाणा में जहां छोटे-छोटे जिले हैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने किसी भी बजट में एक भी नया जिला बनाया जायेगा, इस बात की घोषणा नहीं की है। आज हरियाणा का विकास क्यों हुआ, कारण यही है कि वहां छोटे-छोटे जिले हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने चार जिले बनाये हैं। बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। वहां का जो आखरी गांव है वह कलेक्टर आफिस से 217 किलोमीटर दूर है। बालोतरा वहां से 117 किलोमीटर है। ब्यावर के बारे में कह रहे थे, ब्यावर की बात सही है लेकिन एक घंटे में ब्यावर के एक किनारे से दूसरे

(श्री अमराराम चौधरी)

किनारे पर आ सकते हैं लेकिन हमें तो चार घंटे लगते हैं कलक्टर आफिस पहुंचने में। मैं आपकी बात कोई यह नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरी जी। माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : चौधरी साहब, मैं आपके लिये कोई मना नहीं करता, आपका होना चाहिये। मेरे यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मेरे यहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सैशन कोर्ट है, हमारे यहां पर सी.जे.एम. कोर्ट है, एस.डी.एम. कोर्ट है, आपके यहां तो ए.डी.जे. कोर्ट ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है आपके यहां पर। बालोतरा के लिये जो मैं कह रहा हूं कि एक तो इतना बड़ा एरिया है और कई वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी पधार गये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ब्यावर को बनाएं तो बालोतरा को जरूर महत्व दें।

श्री हीरालाल विश्नोई : अमराराम जी, आप जिले के लिये तो बी.जे.पी. में गये थे, बालोतरा को जिला बनाने के लिये तो आप बी.जे.पी. में गये थे तो भी आप नहीं बना सके, तो क्या फायदा हुआ आपको जाकर।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आप बनाओ ना, आप बनाओ, क्या होगा-क्या नहीं होगा, आप तो करो, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, आप तो करो।

श्री हीरालाल विश्नोई : हां, करेंगे।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मेरा निवेदन है कि, माननीय वित्त मंत्री जी, नाकोडा कितना बड़ा पर्यटन स्थान है। हिन्दुस्तान का कितना बड़ा और विश्व विख्यात मंदिर बना हुआ है। उसको आपने पर्यटन में शामिल नहीं किया है। बालोतरा में ब्रह्मा मंदिर है जो हिन्दुस्तान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है, उसको भी सड़कों में शामिल नहीं किया गया है। रामदेवरा जहां गुजरात और महाराष्ट्र से लोग जाते हैं वह हमारे इस स्टेट हाई-वे सिरोही से फलौदी होते हुए जाते हैं, रामजी के गौल होते हुए जाते हैं, क्या स्थिति है वहां की। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य, कल आपके सांचौर के लोग आ रहे थे, रामजी के गोल से बालोतरा तक की सड़क के क्या हाल हैं। बीमार आदमी तो उसमें बैठ ही नहीं सकता, ऐसी हालत है। उसको भी आपने स्टेट हाई-वे में शामिल नहीं किया है। ठीक है जो आपने 120 किलोमीटर सड़क दी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह कम है। जो छोटे एरिया है, हवामहल में रहने वालों को भी आप 120 किलोमीटर दे रहे हैं और हमको भी 120 किलोमीटर दे रहे हैं। 10-10 किलोमीटर दूर तो हमारे गांव है। इसलिए हम लोगों को जो 120 किलोमीटर रोड दी गई हैं उसको आप कम से कम 150 किलोमीटर करें। 150 किलोमीटर में जो कुछ गांव अधूरे रह गये हैं, पर्यटन स्थल जो अधूरे रह गये हैं वह भी इससे जुड़ेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो आपने इस बजट में बायीं नदी के लिये एक करोड़ रुपये जो रखे हैं जिससे जालौर जिले को फायदा होगा, मेरा निवेदन है कि सूखड़ी और बांडी नदी के पानी को यदि आप रोकेंगे तो आगे के जो गांव है वह पीने के पानी से भी वंचित रह जायेंगे। आज आप देख रहे हैं कि लूणी नदी, सूखड़ी नदी और बांडी नदी से बांधो तक जो नदियां जा रही है उसके दोनों

(श्री अमराराम चौधरी)

तरफ लाखों की आबादी बसी हुई है। इस नेचुरल फ्लो को रोकने के कारण जगह-जगह 10 बांध बने हैं। 10 बांध बनने का फायदा सिर्फ 10 हजार लोगों को है लेकिन दोनों किनारे पर सैकड़ों मील में जो लाखों लोग बसे हुए हैं उनके लिये आज पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार बांडी नदी पर किसी प्रकार का पानी रोकने के लिये पैसा खर्च नहीं करे। एक करोड़ रुपया आपने रखा है किसी को राजी करने के लिये, मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप और किसी कार्य में यह लगाये लेकिन इन नदियों का पानी रोकना एक अकाल को महत्व देना होगा, सारे गांव के गांव उजड़ जायेंगे। बालोतरा में भी पानी इतना नीचे चला गया है। एक तरफ वाटर पोल्यूशन की बात है और दूसरी तरफ पानी इतना नीचे चला गया है। कुओं में पानी नहीं आ रहा है, नदी हर साल आती थी वह इन बांधों के बन जाने के कारण नहीं आ रही है। करोड़ों रुपये आपने हमारी योजनाओं में दिये, तीन करोड़ की यह योजना, दो करोड़ रुपये की यह योजना, लेकिन हम करेंगे क्या, सोर्स तो एक ही है वह है हमारा बिठुजा और वह लूणी नदी के आने पर बैटरी की तरह चार्ज होता है। वह पानी नहीं आयेगा तो आपकी सारी योजनाएं और सारा पैसा बेकार जायेगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा केन्द्र सरकार ने जो पैसे दिये हैं वह आपने पूरे खर्च नहीं किये हैं। गृह विभाग को जो पैसे दिये गये, हमारे चौधरी साहब जानते हैं कि कितने रुपये दिये थे और उसमें से कितने खर्च हुए हैं, 15 करोड़ ही खर्च हुए हैं। ऊपर से जो इतने पैसे आ रहे हैं और उस पैसे का आप समय पर उपयोग नहीं कर रहे हो फिर कह रहे हो कि केन्द्र सरकार नहीं दे रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहली आवश्यकता भ्रष्टाचार को मिटाना है। आपने चाणक्य जी का नाम सुना होगा। चन्द्र गुप्त मौर्य के समय मगध प्रदेश में जो मुख्य सचिव थे वह चाणक्यजी थे। वह एक कच्ची झोंपड़ी में रहते थे। एक बार जब एक विदेशी उनसे मिलने आया तो ज्यों ही उस विदेशी ने उनकी झोंपड़ी में प्रवेश किया उन्होंने अपना दीपक बंद किया और दूसरा दीपक लगा दिया। तो विदेशी ने पूछा कि आप इस दीपक को बंद क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा अभी तक मैं अपना खुद का काम कर रहा था, अब मैं सरकार का काम कर रहा हूं। इसीलिए मैंने यह दीपक जलाया है। आपके भी जितने भी अधिकारी हैं उनको जब तक आप यह नसीहत नहीं देंगे कि इस प्रकार के बनने की कोशिश करो। कुछ दिन आपने शुरू किया है। एक ही गाड़ी, पेट्रोल पर पाबंदी लगाई लेकिन धीरे-धीरे वापस वैसा का वैसा ढर्रा चल रहा है। वह सारा का सारा यदि आप कायम रख रहे हैं तो कुछ न कुछ मितव्ययता होगी। इस प्रकार जो आपका 1334 करोड़ का जो घाटा है इससे आपकी योजनाएं थोथी है और विकास के कार्यों में आपने जो घोषणाएं की है वह भी थोथी मालूम होती है। आपने व्यवसाय कर लगाया है, वह नहीं लगाना चाहिये। इससे बेकारी बढ़ेगी।

(श्री अमराराम चौधरी)

पहले भी कई आंदोलन हुए थे, पुरानी विधान सभा के सामने सिर फूटे थे। यह फिर जो आपने नई शुरूआत की है, माननीय वित्त मंत्री जी, इस पर आप कुछ विचार करें और इसमें कुछ परिवर्तन लाये। मेरा निवेदन है कि यह आंकड़े मेरे नहीं है, आपके खुद के ही हैं। व्यय के आकलन से पता लगा है कि बजट आबंटन में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक व्यय राशि लगभग समान रही और वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के मध्य सरकार ने सभी क्षेत्रों के समग्र बजट आबंटन में 57 प्रतिशत की वृद्धि की, अर्थात् प्रावधान रुपये 3200 करोड़ से बढ़कर 5021.85 करोड़ पहुंच गया। परन्तु वर्ष 2000-2001 में बजट आबंटन में 1999-2000 की तुलना में 17.44 प्रतिशत कम किया, जो एक नकारात्मक प्रगति को ही दर्शाता है। इसका आगे का विश्लेषण करने पर यह मालूम हुआ, मेरा निवेदन है कि क्या सरकार इन कारणों का पता लगाने का प्रयास करेगी कि वर्ष 2000-2001 में जो नकारात्मक प्रगति रही है उसके क्या कारण है।

मैं निवेदन करना चाहुंगा, आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपके जो भी अधिकारी हैं उसका उपयोग, आप जो ये लक्ष्य देते हैं, नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि ट्राइसम योजना के तहत, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब योजना के तहत, अल्पसंख्यक योजना के तहत जो भी आपने टारगेट दिए थे वह आज दिन तक मैं देख रहा हूं, दो साल से एक पैसा ही नहीं दिया गया। उनकी फाइलें हैं वह आपके 22 गोदाम, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के डायरेक्टर के पास में पड़ी हैं। और उनमें जैसे किसी एक अल्पसंख्यक को जो थ्री व्हीलर रिक्शा के लिए आपने लोन के लिए कहा कि हम आपको लोन देंगे लेकिन आज तक दो साल के अन्दर वह स्वीकृति नहीं हुई है। तो यह आपके जो आंकड़े हैं वह नीचे से लोग भेजते हैं लेकिन उनके यहां पर किस कारण से नहीं हुए, पैसा था या नहीं था। वह जो आपकी योजना है वह आपके अधिकारियों के कारण से या धन के अभाव के कारण से यह जो आपकी पूरी योजनाएं हैं वह हो नहीं रही है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर ज्यादा ध्यान देवें।

मेरा निवेदन यही है कि जो बेरोजगारी है, हमारे ग्राम सेवकों को 1200 रुपये, अध्यापकों को 1200 रुपये दे रहे हैं, कम से कम रोटी का गुजारा चल सके इतना तो आप इस बजट के अन्दर कर ही दें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी कि हम तीन महीने के अन्दर यह कर देंगे। अब आप इस बजट में घोषणा करे दें ताकि उन लोगों को जो कि लगे हुए हैं वह आराम से नींद ले सकें। अभी हमारे ग्राम सेवक यहां आए थे उनके सिर भी फूटे, कइयों के हाथ भी टूटे लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है, तो आप उनके लिए जरूर हमदर्दी रखेंगे।

मेरा एक और विनम्र निवेदन यह है कि इन अध्यापकों और ग्राम सेवकों के अलावा जो स्कूल आज खाली पड़े हैं, संस्कृत के स्कूल हैं, जितनी भी संस्कृत के स्कूल हैं, आज आप विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं लेकिन आज 110 लड़के और लड़कियां संस्कृत के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहां एक टीचर है। साल भर से हम प्रयास कर रहे हैं कि अध्यापकों की नियुक्ति करो। कोई भी

(श्री अमराराम चौधरी)

शास्त्री के बिना, गांव में तो 8 वीं पास भी आप लगा देंगे लेकिन वह तो आप शास्त्री लगाते हो, संस्कृत पढ़ाने के लिए लगाते हो, तो वह स्कूलें खाली क्यों है? तो इसमें आप प्रावधान करें। आप कह रहे हैं कि थर्ड ग्रेड समाप्त कर रहे हैं। आज के अखबार में था आप थर्ड ग्रेड समाप्त कर दोगे लेकिन संस्कृत स्कूलें जो आपने खोली हैं और जो मातृभाषा है, जिसको आप बढ़ावा दे रहे हो और इस सरकार ने कहा कि हम विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि जहां भी 100 लड़के हैं वहां पर कम से कम दो टीचर की नियुक्ति करें ताकि हमारे संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं वह अध्ययन कर सकेंगे। वरना हालत बड़ी खराब हो रही है, यह आपको पता नहीं है, गांवों में जो स्थिति है, बाकी आप जितनी भी नई-नई स्कूलें खोल रहे हो, राजीव गांधी, शिक्षाकर्मी, यह जो सारे हैं, अगर खर्चा कम करना है तो क्यों ना इसका आफिस एक जगह करते हो। बार-बार क्यों कर रहे हो?

मोर एस्टेबिलिशमेंट जितना होगा उतना ज्यादा खर्चा होगा और कम एस्टेबिलिशमेंट होगा, आपने जगह-जगह डायरेक्टर के पद कर दिए। अब यहां पर डी.पी.ए.पी. में क्या है, डिप्टी डायरेक्टर है, शिक्षा आपके द्वार योजना बनाई है, क्या बनाई शिक्षा आपके द्वार पर? आजकल तो सब पढ़े-लिखें हैं। वह अपने आप लड़कियों को भेजेंगे। आप चिन्ता मत करो। जगह-जगह जो यह खर्चा हो रहा है उनके नाम पर, यह अपने लिए बहुत ही घातक होगा। इससे जो अपनी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक ढांचा है वह लड़खड़ाएगा। इसीलिए आपको यह सुनने का मौका मिल रहा है। क्यों ऐसा मौका दे रहे हो। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा मौका मत कीजिए।

हाई-स्कूल के अन्दर आप देखिए, आज तक हैडमास्टर की कमी है। हम 50 बार कह चुके कि हैडमास्टर नहीं है। हायर सैकण्डरी के अन्दर कोई भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। आपने जो यह स्कूलें खोली हैं उनमें जो पहले आप कम से कम भेजिए। ऐसी स्थिति के अन्दर आगे जाकर बच्चे क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से लोगों ने बी.एड. की हुई है। आज हमारे सड़कों लड़के दर-दर की ठोकरे खाते फिर रहे हैं, उनको कोई नौकर भी नहीं रख सकता, वह न तो घर के रहे और न ही घाट के रहे। यह असन्तोष का वातावरण पैदा हो रहा है। इस बजट से कुछ आशाएं थी। वह आस लगा रहे थे कि वित्त मंत्रीजी हमारे लिए कुछ ऐसी घोषणा, कुछ ऐसा तोहफा लाएंगे जिससे हम लोगों का कल्याण होगा। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ना शुरू किया। एक पहली पीढ़ी शुरू हुई और टांट मुंडाई और ओले पड़े। ऐसी स्थिति हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो बी.एड. पास हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, यह बेरोजगार ही बड़े खतरनाक हैं, उनको और क्या करना पड़ेगा, मजबूरी से दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। कई जगह आज चोरियां करने लग गए हैं। अब क्या करेंगे, मोटरसाइकिलें ले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने जो यह निराशाजनक बजट पेश किया है इसको आशावादी बनाएं। यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का 19 वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को मध्यान्ह पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 5 अप्रैल, 2002 से 16 अप्रैल, 2002 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्नप्रकार किया जाए :—

शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2002	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2002-2003 के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2002 रविवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2002	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2002 मंगलवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2002 बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2002 गुरुवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2002 शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2002	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2002-2003 के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2002 रविवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2002	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2002	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2002-2003 के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2002-2003 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 15 अप्रैल, 2002 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी)

मंगलवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2002	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह हैं कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

सदन की बैठक दिनांक 2 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.29 बजे 2 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-151 के अभिलेख की प्रति)

पूर्व लाटरी विभाग के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियुक्त एजेंटों की सूची

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	विक्रय हेतु स्थान	अवधि
1	मैसर्स सपना लाटरीज एजेन्सी, फरीदाबाद	हरियाणा राज्य	4.12.96 से 31.5.97
2	मैसर्स प्रेम किशन एजेन्सी, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश राज्य	17.12.96 से 19.12.96
3	मैसर्स राजस्थान एजेन्सी, फरीदाबाद	हरियाणा राज्य	1.6.97 से 8.7.97
4	मैसर्स सुरेश कुमार राजकुमार एण्ड कम्पनी, फरीदाबाद	हरियाणा राज्य	23.7.97 से 31.7.97
5	मैसर्स सपना लाटरीज एजेन्सी, फरीदाबाद	हरियाणा राज्य	1.8.97 से 13.8.97

नोट: दिनांक 9.7.97 से 22.7.97 एवं 14.8.97 से 10.7.98 (लाटरी का संचालन बंद होने तक) विभागीय स्तर पर लाटरी टिकिट की बिक्री नकद आधार पर की गई थी।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-152 का विवरण)

तहसीलवार सूचना जिला-बाड़मेर

(क) तारबन्दी के नीचे गई निजी भूमि

क्र. सं.	तहसील	गांवों की संख्या	प्रस्तावित काश्तकारों की संख्या	खसरों की संख्या	रकबा बीघा-बिस्वा	भूमि की कीमत
1.	शिव	12	396	106	77-07	86,300
2.	रामसर	8	223	56	144-04	94,687
3.	चौहटन	31	806	379	851-11	12,14,877
	योग	51	1425	541	1073-02	13,96,064

(ख) जीरो लाइन से तारबन्दी के मध्य पड़ी निजी भूमि

1.	शिव	12	405	117	3518-00	39,35,240
2.	रामसर	8	227	63	1264-00	8,38,454
3.	चौहटन	31	797	389	7772-06	1,07,22,080
	योग	51	1429	569	12554-06	1,54,95,774

ग्रामवार सूचना-तहसील-शिव

(क) तारबन्दी के नीचे गई निजी भूमि

क्र. सं.	गांव का नाम	प्रस्तावित काश्तकारों की संख्या	खसरों की संख्या	रकबा बीघा-बिस्वा	भूमि की कीमत
1	2	3	4	5	6
1.	गडरा रोड	25	8	3.01	3,660
2.	तिरमोही	43	14	11.04	13,440
3.	तामलौर	46	17	14.09	15,895
4.	मखन का पार (मूल)	34	13	10.11	11,605
5.	नवसृजित राजस्व ग्राम अमी का पार	38	9	7.04	7,920
6.	छोटी खड़ीन	4	4	2.10	3,000
7.	हमीराणी	2	2	1.09	1,740
8.	मालाणी	10	5	3.08	4080
9.	अकली	67	12	5.17	6,435
10.	मुनाबा	65	14	10.05	11,225
11.	रोहिड़ी	53	7	6.17	6.850
12.	पहुंचला	—	—	—	—
13.	सगोरालिया	9	1	0.12	600
14.	मोती की बेरी	—	—	—	—
15.	सुन्दरा	—	—	—	—
	योग	396	106	77.07	86,500

1	2	3	4	5	6
(ख)	जीरो लाइन से तारबन्दी के मध्य पड़ी निजी भूमि				
1.	गडरा रोड	27	9	169.05	2,03,100
2.	त्रिमोही	44	16	535.07	6,42,420
3.	तामलौर	49	18	659.14	7,25,670
4.	मखन का पार (मूल)	37	17	438.11	4,82,405
5.	अमी का पार नवसृजित ग्राम	38	9	338.00	3,71,800
6.	छोटी खड़ीन	4	4	119.05	1,43,100
7.	हमीराणी	2	2	72.14	87,240
8.	मलाणी	11	6	82.05	98,700
9.	अकली	67	12	273.10	3,03,050
10.	मुनाबा	64	16	503.01	5,53,355
11.	रोहिड़ी	53	7	297.14	2,97,700
12.	सगोरालिया	9	1	26.14	26.700
13.	मोती की बेरी	—	—	—	—
14.	पहुंचला	—	—	—	—
15.	सुन्दरा	—	—	—	—
	योग	405	117	3518.00	39,35,240

1	2	3	4	5	6

ग्रामवार सूचना-तहसील-रामसर

(क) तारबन्दी के नीचे गई निजी भूमि

1.	जुमा फकीर की बस्ती	4	1	6.00	2,640
2.	चान्दानियों का पार	27	6	18.00	11,880
3.	पीरे का पार	29	7	17.00	14,110
4.	बिन्दु सियानी	6	4	14.10	6,800
5.	बूठिया	48	13	25.19	19,981
6.	बने की बस्ती	41	12	33.01	21,813
7.	तालाब का पार	61	11	25.17	15,769
8.	सजन का पार	7	2	3.17	1,694
	योग	223	56	144.04	94,687

(ख) जीरो लाइन से तारबन्दी के मध्य पड़ी निजी भूमि

1.	जुमा फकीर की बस्ती	4	1	48.13	21,406
2.	बिन्दु सियाणी	23	7	128.13	60,236
3.	चान्दानियों का पार	32	6	108.03	71,379
4.	पीरे का पार	11	8	142.03	1,17,986
5.	बने की बस्ती	49	13	295.08	1,94,964
6.	तालाब का पार	38	12	244.06	1,49,023
7.	बूठिया	63	14	281.11	2,16,794
8.	सजन का पार	7	2	15.03	6,666
	योग	227	63	1264.00	8,38,454

1	2	3	4	5	6
	ग्रामवार सूचना-तहसील-चौहटन				
(क)	**तारबन्दी के नीचे गई निजी भूमि**				
1.	राठौड़ों का तला	14	8	14.06	10,315
2.	कुभरों का टिब्बा	34	31	49.09	35,852
3.	माधरी का तला	2	2	7.09	5,364
4.	भभूतै की ढाणी	22	15	28.10	22,800
5.	भीलों की ढाणी	16	5	12.04	3,660
6.	रासवानी	3	1	00.07	245
7.	हेजम का तला	17	9	19.04	15,410
8.	कल्याणपुरा	29	11	25.00	30,000
9.	उम्मेदपुरा	48	10	28.11	22,840
10.	केलनोर	27	19	43.05	34,600
11.	भीलों का तला	10	4	8.12	6,880
12.	सेम्लो का तला	25	20	54.14	45,080
13.	मीठराऊ	33	19	48.02	72,150
14.	सरूप का तला	71	32	78.14	1,18,050
15.	आमिनशाह की ढाणी	7	3	8.08	32,760
16.	सैयद मोजअली का तला	1	1	0.06	600
17.	कृष्ण का तला	35	21	46.10	69011
18.	सोमराड़	17	9	17.00	31,870
19.	वसिये का तला	5	3	10.07	17,595
20.	जानपालिया	35	10	36.17	1,18,445
21.	साराईयों का तला	9	2	6.12	11,220
22.	दीपला	61	45	80.03	1,20,425
23.	सारला	2	1	1.00	2,500
24.	सूजो का निवाण	11	3	5.06	9,540

1	2	3	4	5	6
25.	नवातला बाखासर	74	16	35.11	53,325
26.	भाड़ा	72	14	39.16	87,560
27.	एकल	22	12	21.02	50,640
28.	रामपुरा	22	11	31.17	54,705
29.	बंछवाल	28	18	25.18	38,850
30.	हायला	23	5	11.17	26,070
31.	भलगांव	31	19	54.14	66,515
	योग	806	379	851.11	12,14,877

ग्रामवार सूची-तहसील-चौहटन

(ख) जीरो लाइन से तारबन्दी के मध्य पड़ी निजी भूमि

1.	राठौड़ों का तला	12	8	93.11	77,385
2.	कुभारों का टीबा	43	36	464.18	3,25,430
3.	माधुरी का तला	2	2	40.06	27,632
4.	भभूते की ढाणी	14	15	269.01	2,15,240
5.	भीलो का तला	17	6	143.17	43,155
6.	रासबानी	3	1	4.05	2,975
7.	हेजमा का तला	18	10	248.01	2,18,175
8.	कल्याणपुरा	28	10	223.09	2,68,140
9.	उम्मेदपुरा	46	10	376.05	3,02,475
10.	केलनोर	29	18	417.12	3,35,268
11.	भीलों की तला	12	4	60.06	48,240
12.	समैलों का तला	28	23	543.02	4,34,480
13.	मीठराऊ	31	21	452.15	6,80,600
14.	सरूप का तला	54	23	695.02	10,42,650
15.	आमिनशाह की ढाणी	8	3	8.08	25,200

1	2	3	4	5	6
16.	सैयद मौजअली का तला	1	1	0.06	338
17.	कृष्ण का तला	31	20	335.00	4,99,518
18.	सोमराड़	16	8	122.08	2,22,881
19.	वसियों का तला	5	3	81.12	1,38,720
20.	जानपालिया	35	9	300.17	9,92,805
21.	सराईयों का तला	14	3	24.11	41,735
22.	दीपला	62	50	709.04	10,63,800
23.	सारला	2	1	4.12	11,500
24.	सूजो का निवाण	10	3	37.08	67,320
25.	नवातला बाखासर	74	17	331.08	4,97,100
26.	भाडा	71	14	329.05	7,24,350
27.	एकल	24	13	191.08	5,16,780
28.	रामपुरा	27	14	321.19	5,53,030
29.	हाथला	23	5	129.10	3,06,900
30.	बछवाल	25	17	220.10	3,30,750
31.	भलगांव	32	20	581.10	7,07,505
	योग	797	389	7772.06	1,07,22,080

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

जिला जैसलमेर के क्याजलार क्षेत्र में जारी अनुज्ञा पत्र

153. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के क्याजलार क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. लि. को 2345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण हेतु विभाग ने अनुज्ञा पत्र दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले का क्याजलार क्षेत्र नेशनल डेजर्ट पार्क का क्षेत्र है ?

(3) क्या यह सही है कि वन अधिकारियों ने अन्वेषण कार्य में बाधा डालने हेतु ओ.एन.जी.सी. के वाहनों को रोक दिया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जिलों का 5390 वर्ग किलोमीटर जो ओ.एन.जी.सी. को अन्वेषण हेतु दिनांक 21.8.1999 से दिया है वह उक्त कम्पनी ने आगे फिनिक्स ओवरसीज कम्पनी को सौंप दिया है ?

(5) क्या यह सही है कि पूर्व में दिनांक 1.6.1997 से 31.5.2001 तक ओ.एन.जी.सी. व फिनिक्स कम्पनी को 5390 वर्ग किलोमीटर सीमा क्षेत्र दिया गया था जहां अन्वेषण कार्य नहीं किया गया ?

(6) क्या यह भी सही है कि फिनिक्स कम्पनी कोई अन्वेषण रिपोर्ट नहीं दे रही ?

(7) क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जैसलमेर जिले के क्याजलार क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. लि. को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.6.2000 को 2900 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में पेट्रोलियम के अन्वेषण हेतु अनुज्ञा पत्र दिया गया था जिसमें से 588 वर्ग कि.मी. क्षेत्र अभ्यर्पित कर लिया गया है। वर्तमान में 2312 वर्ग कि.मी. क्षेत्र स्वीकृत है।

(2) जी हां। क्याजलार क्षेत्र का कुछ भाग डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र में है।

(3) जी नहीं। अन्वेषण कार्य में बाधा डालने हेतु ओ.एन.जी.सी. के किसी वाहन को नहीं रोका गया, तथापि बेरिसीयाला गांव के पास ओ.एन.जी.सी. के ठेकेदार द्वारा वन्य जीव संरक्षण स्थल को नष्ट करने पर तथा नियमानुसार स्वीकृति के अभाव में कार्य बन्द करवाया गया।

(4) जी हां। जैसलमेर जिले का 5390 वर्ग कि.मी. क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा ओ.एन.जी.सी. को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस पर 21.8.1999 से 4 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है। यह भी सही है कि ओ.एन.जी.सी. फिनिक्स ओवरसीज तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 30.6.1998 को उत्पादन सहभागिता करार हुआ है जिसके

(राज्य मंत्री, खनिज)

अनुसार अन्वेषण कार्य फिनिक्स ओवरसीज द्वारा किया जाना है।

(5) राज्य सरकार द्वारा प्रथमतया भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदनों के आधार पर ओ.एन.जी.सी. को 21.8.1999 से 4 वर्ष हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया गया था, परन्तु चूंकि ओ.एन.जी.सी. ने 21.8.1999 से पूर्व ही दिनांक 1.6.1997 को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फीस जमा करा दी थी, अतः राज्य सरकार ने इसी तिथि से लाइसेंस प्रभावी मानते हुए दिनांक 9.6.2000 को संशोधित आदेश जारी कर दिए। इस आदेश को ओ.एन.जी.सी. के विरोध प्रकट करने एवं भारत सरकार की अनुशंसा पर दिनांक 2.6.2001 को वापस लिया गया। इस प्रकार लाइसेंस 21.8.1999 से ही प्रभाव में है। यह सही है कि स्वीकृत क्षेत्र में कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है।

(6) यह सही है कि फिनिक्स ओवरसीज ने अभी तक कोई अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(7) दिनांक 14.2.2002 को फिनिक्स ओवरसीज कम्पनी के प्रतिनिधि के साथ विचार विमर्श किया गया था जिसमें उन्हें आगामी 3 वर्षों के अन्वेषण कार्य की रूप रेखा शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसे देखते हुए किसी जांच की आवश्यकता नहीं हैं।

परिवहन कार्यालय अलवर द्वारा जारी लाइसेंस व परमिटों की जांच

154. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के परिवहन कार्यालय में ही नकली परिवहन लाइसेंस बनाये/पकड़े गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि लाइसेंस के साथ नकली परमिट भी बनाये गये एवं पकड़े गये?

(3) उक्त कार्यालय में ऐसे कुल कितने लाइसेंस एवं परमिट बनाये गये और पकड़े गये हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त षड्यंत्र में बाहरी दलाल एवं विभाग के कर्मचारी भी लिप्त हैं? यदि हां, तो कितने व कौन-कौन?

(5) अब तक सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर चुकी है और अब क्या कार्यवाही करने जा रही है? उक्त प्रकरणों को रोकने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) 48 नकली लर्निंग लाइसेंस जानकारी में आये हैं एवं कोई नकली परमिट नहीं पकड़े गये हैं।

(4) प्राथमिक जांच में दो बाहरी व्यक्तियों श्री राजेश चौधरी एवं श्री राकेश उर्फ कालू द्वारा नकली लर्निंग लाइसेंस बनाया जाना पाया गया, जिनके विरुद्ध अरावली विहार थाना, अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवादी गई है। फिलहाल इस प्रकरण

(यातायात मंत्री)

का रेकार्ड न्यायालय में है अंत: प्रकरण में विभाग के किसी कार्मिक/अधिकारी की लिप्तता बाबत रेकार्ड की जांच के पश्चात् ही पता चल पायेगा।

(5) अनुज्ञप्ति अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी) अलवर द्वारा नकली लर्निंग लाइसेंस के आधार पर जारी अनियमित स्थाई लाइसेंसों को निरस्त किया जा चुका है व प्रकरण में अरावली विहार थाना, अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई जा चुकी है। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए प्रक्रियात्मक सुधार कर लर्निंग लाइसेंस शाखा से जारी होने की रिपोर्ट ली जाकर ही स्थाई चालक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार लर्निंग एवं स्थाई लाइसेंस की फीस एक बार में ही जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

लालकोठी जयपुर स्थित प्रताप नर्सरी में पेड़ों की अवैध कटाई

155. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजना के पत्रांक 827/73 दिनांक 20.10.1973 के द्वारा लालकोठी स्थित प्रताप नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पेड़ों की कितनी संख्या बताई थी? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यदि कोई किसान अपने खेत एवं वन अधिकारी की नियमानुसार इजाजत के बिना पेड़ काट लेता है तो उसे टीनेन्सी एक्ट की धारा 84 एवं वन अधिनियम की धारा के अन्तर्गत दंडित किया जाता है? यदि हां, तो दंड का क्या प्रावधान है?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रताप नर्सरी के हजारों/लाखों पेड़ों को वर्ष 1999 में काटने की योजना बनी थी? यदि हां, तो क्या तत्कालीन जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त ने सितम्बर, 1999 को उपायुक्त को मौके पर भेजकर कटाई रुकाई थी?

(4) प्रताप नर्सरी के तथाकथित मालिक श्री भीमसेन गर्ग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजना, जयपुर को दिनांक 17.1.2000 को एवं स्वायत्त शासन मंत्री को दिनांक 9 नवम्बर, 1999 को पत्र लिखकर बहुमूल्य पेड़ों को नहीं काटे जाने का आग्रह किया था? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त की मनाही तथाकथित मालिक की मनाही के बावजूद उक्त पेड़ों को एक अभियान चलाकर जनवरी, 2002 में किसके आदेश से काटा गया तथा किस व्यक्ति ने इन्हें कटवाया?

(6) क्या इतनी बहुमूल्य नर्सरी के इतने सारे पेड़ों को एक साथ काट देना टीनेन्सी एक्ट एवं वन अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन नहीं है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(7) क्या यह सही है कि उक्त पेड़ों की कटाई रोके जाने बाबत दिनांक 2 फरवरी,

(डा. किरोड़ी लाल)

2002 को चार माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री एवं वन मंत्री को पत्र लिखा था? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजना के पत्रांक 827/73 दिनांक 20.10.1973 के अनुसार पेड़ पोधौं की संख्या 1,71,461 थी। प्रतिलिपि संलग्न है (परिशिष्ट "अ")

(2) यदि कोई किसान अपने खेत पर खड़े पेड़ों को बिना अनुमति के काटता है तो उस पर सहायक कलक्टर द्वारा टीनेन्सी एक्ट की धारा 84-86 के तहत कार्यवाही की जाती है, जिसके लिये राजस्व विभाग के अधिकारी प्राधिकृत है। धारा 86 के अन्तर्गत बिना अनुमति के वृक्ष काटने पर 100/- रु. प्रति वृक्ष शास्ति एवं काटे वृक्ष की लकड़ी जब्त करने का प्रावधान है। खातेदारी भूमियों पर वन अधिनियम लागू नहीं होता है।

(3) पेड़ काटने की योजना किसने बनायी कब बनी इसकी जानकारी नहीं है। यह सही है कि पेड़ काटने की शिकायत 14.2.99 को प्राप्त हुई। उस पर आयुक्त, प्राधिकरण ने सहायक आयुक्त को शिकायत में वर्णित तथ्यों को देखकर कार्यवाही करने हेतु भेजा।

(4) लिखे गये पत्रों की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट "ब")

(5) आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष जनवरी, 2002 में ऐसा कोई प्रकरण प्रस्तुत करना नहीं पाया जाता है एवं न ही ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किसी प्रकार की मनाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और न ही जनवरी, 2002 में किस व्यक्ति द्वारा किसके आदेश से पेड़ काटे गये की सूचना भी प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।

(6) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 84 के अन्तर्गत खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में से घरेलू एवं कृषि कार्य के अतिरिक्त वृक्ष काटने के लिये तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करनी होती है बिना अनुज्ञा प्राप्त किये वृक्षों को काटना उक्त अधिनियम की धारा 84 का उल्लंघन है। कोई शिकायत सक्षम अधिकारी को प्राप्त नहीं होने से दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) जी हां। शिकायत माननीय वन मंत्री महोदय के पत्र क्रमांक 230 दिनांक 12.2.2002 से प्रेषित की गई थी। जिस पर उप वन संरक्षक, जयपुर (पश्चिम) के पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 14.2.2002 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। उप वन संरक्षक, जयपुर (पश्चिम) द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से अवगत कराया है कि प्रताप नर्सरी की 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि वन भूमि नहीं है और ना ही विभाग के नियन्त्रण में है। अतः उक्त भूमि पर हरे पेड़ों के कटान के सम्बन्ध में वन अधिनियम लागू नहीं होता है। (परिशिष्ट "स")

(अधिनियम की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा स्वीकृत ऋण

156. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दी बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा वर्ष 2001 व 2002 में कृषि हेतु पानी की पाइप लाइन के लिये ऋण दिया गया है? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि ज्योति योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2001 में केवल चन्द पारलू द्वारा कोई ऋण पत्रावली पाइप लाइन लगाने हेतु पेश की गई थी? यदि हां, तो क्या उसे ऋण दिया गया?

उत्तर

(1) जी हां। ऋण प्राप्त 5 काश्तकारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। श्री पारलू द्वारा पत्रावली पेश की गई थी एवं बैंक द्वारा स्वीकृत भी की गई। किन्तु मौके पर पूर्व में ही पाइप लाइन होने के कारण ऋण वितरण नहीं हुआ।

दी बाड़मेर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., बाड़मेर परिशिष्ट-1

क्र.सं.	नाम कृषक	ग्राम	सम्बद्ध शाखा	वर्ष	प्रयोजन	ऋण राशि
1	श्री सताराम/ चेतनराम जाट	चौखला	बायतू	2000-2001	कृषक ज्योति योजनान्तर्गत पाइप लाइन हेतु	69000
2	श्री धनसिंह/ भगवानसिंह	डांगरिया	गुड़ामालानी	2000-2001	"	114000
3	श्री असगर अली/ अजीज अहमद	बालोतरा	बालोतरा-II	2000-2001	"	157500
4	श्री लूम्बाराम/ बालाराम	लूम्बावास	गुड़ामालानी	2001-2002	"	310000
5	श्री शिवलाल/ पहाड़जी	सिलोर	समदड़ा	2001-2002	"	135000

लिपिक उप प्रबन्धक प्रबन्ध निदेशक

विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कृषि विपणन निदेशालय द्वारा निर्मित सड़कें

157. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि विपणन निदेशालय द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विभिन्न मंडियों की कुछ सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है ?

(2) क्या निदेशालय द्वारा जारी की गई स्वीकृति राज्य सरकार जारी करने का विचार रखती है ?

(3) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक कितनी सड़कों की स्वीकृति दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त तीन वर्षों की अवधि में विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो कितनी सड़कों का निर्माण करवाया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्माण कराई जाने वाली ग्रामीण सम्पर्क सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जाती है, कृषि विपणन निदेशालय द्वारा नहीं।

(2) निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं, राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(3) गत तीन वर्षों में पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सम्पर्क सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(4) जी हां। वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक सात सड़कों का निर्माण कराया गया है। निर्मित सड़कों की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा पीलीबंगा में वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक स्वीकृत एवं निर्मित सड़कों का विवरण

मण्डी समिति	स्वीकृति वर्ष	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष	वित्तीय स्त्रोत	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	कार्य पूर्ण होने का वर्ष
पीलीबंगा	1998-99	1999-2000	मण्डी समिति	डींगा बागसर से 2SGR	3.00	2.75	20.33	1999-2000
	1997-98	1999-2000	मण्डी समिति	मिसिंग लैन्थ जाखड़ावाली-रावतसर रोड से 9–10 SPD	4.50	4.50	32.12	1999-2000
	1999-2000	2000-2001	मण्डी समिति	मिसिंग लैन्थ 9-10 SPD	3.00	3.00	27.04	2001-2002
				मिसिंग लैन्थ 24-PBN से 28-PBN वाया 26-PBN	3.80	3.550	29.45	2001-2002
गोलूवाला	1999-2000	1999-2000	मण्डी समिति	सं. स. गोलूवाला से 33-35 LLW	4.75	4.40	38.73	2001-2002
सूरतगढ़	1998-99	1999-2000	राज्य मण्डी विकास कोष	सं.स. 2 GB हिन्दो फरीदसर (9-10 FDM)	6.00	5.90	47.96	1999-2000
	1999-2000	2001-2002	मण्डी समिति	सं.स. सूरतगढ़ अनूपगढ़ रोड से 13 SD	1.40	1.250	10.72	2000-2001

नोट : कृषि उपज मण्डी समिति पीलीबंगा की सं. स. मिसिंग लैन्थ 24-PBN से 28-PBN वाया 26-PBN की स्वीकृत लम्बाई 3.550 कि.मी. में 0.250 कि. मी. में रास्ता नहीं होने से निर्माण कार्य Withdraw किया गया।

सोजत (पाली) की गजनाई परियोजना से लाभान्वित ग्राम

158. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सोजत (पाली) की गजनाई परियोजना पर कितनी राशि स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना का फिल्टर प्लांट किस स्थान पर कब प्रारम्भ किया जायेगा?

(3) उक्त योजना से कौन-कौन से ग्राम पेयजल से लाभान्वित किये जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना को चालू करने में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) सोजत तहसील के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों व ढाणियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने हेतु रुपये 1818.23 लाख अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जुलाई, 1999 में जारी की गई थी। इस योजना के तहत जवाई हेमावास नहर से 43 गांव व 32 ढाणियों तथा गजनाई बांध से 9 ग्राम व 15 ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृत योजना में गजनाई परियोजना का भाग रुपये 531.19 लाख रुपये है। जिसका विवरण एवं वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत योजना के गजनाई भाग हेतु चंडावल नगर में फिल्टर प्लांट बनना प्रस्तावित है। उक्त फिल्टर प्लांट के निर्माण के सम्बन्ध में संदर्भित पैकेज की तकनीकी स्वीकृति अप्रैल, 2001 में सक्षम स्तर पर जारी की जा चुकी है। फिल्टर प्लांट की डिजाइन करके ड्राइंग एवं विस्तृत तखमीना तैयार कर लिये गये हैं जो सक्षम स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृति के पश्चात् नियमानुसार निविदाएं प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है।

(3) उक्त योजना (गजनाई भाग) द्वारा 9 गांव एवं 15 ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) उक्त योजना के सम्पादन में देरी नहीं हुई है। योजना स्वीकृत होते ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। रा-वाटर राइजिंगमेन 15 किलोमीटर डाल दी गई। योजना में फिल्टर प्लांट पर पूर्ण अध्ययन कर डिजाइन एवं ड्राइंग बनाई गई है जिसमें समय लगा है। इसके अतिरिक्त रा-वाटर के आरक्षण में भी कुछ समय लगा है। परिशिष्ट "अ" में प्रगति दी हुई है। इससे स्पष्ट है कि योजना के सम्पादन में गति ला दी गई। योजना पर 531.19 लाख रुपये लागत के संदर्भ में 104.77 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। योजना को पूरा करने का समय स्वीकृति से 4 वर्ष है तथा योजना को समय पर पूरा करवाना लक्षित है।

परिशिष्ट "अ"

गजनेई परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रावधान	स्वीकृत राशि (लाख रू.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	रा-वाटर रिर्वेशन		105.59	रा-वाटर 36 एम.सी.एफ.टी. का आरक्षण हो चुका है
2	रा-वाटर इनटेक मय पम्प हाउस	1	25.00	निविदा आमंत्रित की गई हैं दिनांक 10.4.2002 को प्राप्त होगी
3	रा-वाटर राइजिंग मैन 300 एम.एम. 250 एम.एम. 200 एम.एम.	 5000 मी. 17000 मी. 1850 मी.	151.20	कार्य प्रगति पर 300 एम.एम.-4500 मी. 250 एम.एम.-9000 मी. 200 एम.एम.-1500 मी. बिछा दी है
4	ब्रेक प्रेशर टेंक देवली हुसां (360 के.एल.)	1	5.40	कार्य पूर्ण
5	चंडावल पर स्लो सेण्ड फिल्टर प्लांट क्षमता 1.55 एम. एल. डी.	1	37.58	ड्राइंग डिजाइन अनुमोदन की प्रक्रिया में, पश्चात् कार्यवाही की जायेगी
6	चंडावल पर रा-वाटर डिगी 5.64 एम.एल.	1	6.64	निविदा आमंत्रित की गई हैं दिनांक 10.5.2002 को प्राप्त होगी
7	पाइप लाइन 200 एम.एम. 150 एम.एम. 125 एम.एम. 100 एम.एम. 80 एम.एम. 75 एम.एम. 63 एम.एम.	21600 मी. 2775 मी. 900 मी. 1350 मी. 8000 मी. 1300 मी. 10450 मी.	77.13	सामान्य आपूर्ति प्रक्रिया में

1	2	3	4	5
8	पम्प मशीनरी	13	16.21	7 पम्प सैट प्राप्त हेतु कार्यवाही प्रगति में
9	स्वच्छ जलाशय	2	5.25	एक प्रगति पर तथा 1 की निविदा दिनांक 10.5.2002 को प्राप्त होगी
10	पम्प हाउस	3	5.60 मी.	एक की निविदा प्राप्ति तथा दो की फिल्टर प्लांट के पश्चात् निविदा आमंत्रित की जायेगी
11	भू तल जलाशय	13	7.33	8 पूर्ण शेष की निविदा पाइप लाइन पश्चात् आमंत्रित की जायेगी
12	विद्युत कनेक्शन	3	38.11	दो का आवेदन कर दिया है
13	सिविल कार्य क्वाटर इत्यादि		4.57	—
14	क्लोरिनेशन सिस्टम	1	2.50	फिल्टर प्लांट के पश्चात् निविदा आमंत्रित की जायेगी
15	रिपेयरिंग कार्य (जलाशय क्वाटर इत्यादि)		3.03	पूर्ण
16	कंटींजेंसी		24.55	
		योग	515.69	

कॉमन पेकेज (जवाई एवं गजनेई सैक्शन हेतु (लागत गजनेई सैक्शन हेतु)

1	टेली कम्युनिकेशन एवं बल्क मीटर	5.48	—
2	सर्वे एवं मृदा अनुसंधान	6.19	कार्य प्रगति पर
3	सूचना, प्रशिक्षण एवं संचार	3.09	—
4	कंटींजेंसी	0.74	—
		15.50	
	कुल योग	531.19	

परिशिष्ट "ब"

गजनेई परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों/ढाणियों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम/ढाणी का नाम	मुख्य ग्राम/ढाणी	कोड नं.	तहसील	जनसंख्या 1991
1.	रूंदिया	मुख्य	74	सोजत	515
2.	रूंदिया भट्टा	अन्य	74	सोजत	502
3.	अटपडा	मुख्य	75	सोजत	4940
4.	छितरियां	मुख्य	76	सोजत	947
5.	बोयल	मुख्य	77	सोजत	906
6.	बासना	मुख्य	78	सोजत	1471
7.	राइकों की ढाणी	अन्य	78	सोजत	174
8.	चौकीदारों की ढाणी	अन्य	78	सोजत	150
9.	नाथलकुण्डी	मुख्य	79	सोजत	121
10.	नाथल कुण्डी की ढाणी	अन्य	79	सोजत	113
11.	चौकीदारों की ढाणी	अन्य	79	सोजत	115
12.	सांडिया	मुख्य	80	सोजत	2140
13.	नई कोलोनी	अन्य	80	सोजत	104
14.	चौधरियों की ढाणी	अन्य	80	सोजत	112
15.	राइकों की ढाणी	अन्य	80	सोजत	117
16.	खारचियां ढाणी	अन्य	80	सोजत	41
17.	बावरियों की ढाणी	अन्य	80	सोजत	325
18.	बेरा उचियाडा	अन्य	80	सोजत	180
19.	मालियों का रेलियां	अन्य	80	सोजत	175
20.	पैट्रोल पम्प की ढाणी	अन्य	80	सोजत	125
21.	चंडावल	मुख्य	02	सोजत	4960
22.	मालियों की ढाणी	अन्य	82	सोजत	203
23.	राइकों की ढाणी	अन्य	82	सोजत	318
24.	चंडावल स्टेशन	मुख्य	84	सोजत	42

जिला चित्तौड़गढ़ में गरीबी की रेखा से नीचे चयनित परिवारों को राशन कार्डों का वितरण

159. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कितने परिवारों को एक जनवरी, 2002 से पूर्व चयनित कर राशन कार्ड वितरित कर दिये हैं? उक्त जिले के चयनित परिवारों की संख्या सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उपखण्ड प्रतापगढ़ की किस-किस ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों में किस परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवाया है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राशन कार्डधारी उक्त परिवारों के नाम से अन्य परिवार अनाज उठा रहे हैं? यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 1,39,657 परिवारों का चयन 1 जनवरी, 2002 से पूर्व किया गया था। इन चयनित परिवारों के राशन कार्डों पर लक्षित परिवार की विशेष मुहर भी लगा दी गई थी। नये गुलाबी रंग के राशनकार्ड वितरण किये जाने की प्रक्रिया जारी है। चयनित परिवारों की संख्या सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों हेतु अब नये गुलाबी रंग के कार्ड छपवाये गये हैं तथा प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर नये कार्ड जारी किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी नहीं। राशनकार्डधारी उक्त परिवारों के नाम से अन्य परिवारों द्वारा अनाज उठाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न के भाग 1 की सूची

पंचायत समिति प्रतापगढ़ (बी.पी.एल. परिवारों की संख्या पंचायतवाइज)

क्र.सं.	नाम पंचायत	संख्या	क्र.सं.	नाम पंचायत	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बसाड	289	2.	असावता	452
3.	बरोठा	225	4.	डाबडा	285
5.	वरमण्डल	166	6.	घोटारसी.	330
7.	कल्याणपुरा	285	8.	गादोला	388

1	2	3	4	5	6
9.	पानमोडी	464	10.	पीलू	376
11.	अवलेश्वर	439	12.	अमलावद	219
13.	कचोटिया	694	14.	कुणी	447
15.	बसेरा	291	16.	लुहारिया	302
17.	सुहागपुरा	405	18.	बीरपुरम	650
19.	मोरीखेड़ी	422	20.	कुलधाना	585
21.	गन्देर	427	22.	चिकलाड़	534
23.	ग्यासपुर	311	24.	पाल	445
25.	नकोर	493	26.	अचलपुरा	426
27.	देवगढ़	652	28.	रामपुरिया	423
29.	बोलर	444	30.	बड़ीलाग	453
31.	रामपुरिया	403	32.	पण्डावा	653
33.	बारावरदा	794	34.	मधुरातालाब	371
35.	मोडिया खेड़ी	499	36.	सरीपिपली	386
37.	धमोतर	521	38.	सीतापुरा	303
39.	नारायण खेड़ी	354	40.	कुलमीपुरा	338
41.	बोरी	157	42	रठांजना	373
43.	थड़ा	247	44.	बरड़िया	398
45.	खोरिया	472	46.	खोरोट	268
47.	मनोहरगढ़	398	48.	धनखेड़ी	233
49.	केरवाल	538			

कुल परिवारों की संख्या-19948

1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति अरनोद					
1.	अरनोद	280	2.	लालगढ़	393
3.	अचलावदा	514	4.	विरावली	340
5.	मोहेड़ा	425	6.	सांगथली	409
7.	फतेहगढ़	311	8.	कोटडी	329
9.	मोवाई	435	10.	हिगंलाट	546
11.	मोटा धामनिया	553	12.	दलोट	271
13.	चंकुण्डा	255	14.	अचनेरा	565
15.	उठेल	430	16.	भचुण्डा	310
17.	सालमगढ़	400	18.	सेवना	638
19.	रायलपुर जंगल	609	20.	बोरी	584
21.	रायपुर	449	22.	बडीसागंथली	338
23.	निनोर	287	24.	अम्बीरामा	826
25.	कानगढ़	621	26.	धोरदिया	311
27.	चूपना	488	28.	नोगांवा	235
29.	जाजली	331	30.	बेडमा	299

कुल परिवारों की संख्या 12782 हैं

ह/-

जिला रसद अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

जिला अलवर के मास्टर प्लान में संशोधन

160. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में मास्टर प्लान घोषित होने के बाद क्या राज्य सरकार अपनी मरजी से मास्टर प्लान में संशोधन कर सकती है ?

(2) क्या जिला अलवर में एन.सी.आर. की परमिशन के बगैर लैण्ड यूज चैंज किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने प्रकरण लैण्ड यूज चैंज करने के राज्य सरकार की जानकारी में आये हैं ?

(3) क्या सरकार को उक्त मामले में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन की निम्न व्यवस्था हैं :

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन बाबत जारी आदेशों के तहत भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है एवं एन.सी.आर. बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

2. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र यथा परिधि नियंत्रण पट्टी, सड़कों के साथ निर्धारित हरित पट्टी एवं ग्रामीण क्षेत्र में एन.सी.आर. बोर्ड की अनुमति के बिना भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में निम्न दस्तावेजों की प्रति संलग्न है :

1. रीजनल प्लान 2001 में वर्णित जोनिंग रेगुलेशन की प्रति।

2. चीफ रीजनल प्लानर (एन.सी.आर.) के द्वारा जारी स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 28.9.1998.

3. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2000 की प्रति।

(2) 1. राष्ट्रीय राजधानी उप क्षेत्र राजस्थान में जिला अलवर की केवल निम्न वर्णित 7 तहसील शामिल है।

अलवर, रामगढ़, बहरोड़, मण्डावर, किशनगढ़, तिजारा, कोटकासिम।

2. एन.सी.आर. क्षेत्र में लैण्ड यूज चैंज की समस्त कार्यवाही उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार की गई है यथा नगरीयकरण क्षेत्र में एन.सी.आर. की अनुमति की आवश्यकता न होने के कारण नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई है।

3. इस प्रकार के कुल 9 मामले हैं।

4. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में बाहर के क्षेत्रों यथा ग्रीन बेल्ट/ग्रीन वेज, प्रमुख परिवहन मार्गों के साथ के क्षेत्र, शेष ग्रामीण क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन एन.सी.आर. की अनुमति के पश्चात् ही किये गये हैं।

5. इस प्रकार के कुल 10 मामले हैं।

(3) मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(दस्तावेजों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रकरण की जांच

161. श्री निर्भय लाल (रूपवास) एवं **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय सवाईमाधोपुर में परिवाद संख्या 26/2000 एवं 45/2000 में जांच अधिकारी ने क्या कार्यवाही करने की रिपोर्ट भेजी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट की प्रति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को भेजी थी? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब भेजने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त परिवाद की पुनः समीक्षा कर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्री साहब सिंह जाट, महामंत्री, राज. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तकनीकी

(गृह मंत्री)

कर्मचारी संघ खण्ड हिण्डौन सिटी द्वारा श्री रामराज मीणा, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड हिण्डौन सिटी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर भारी अनियमितताऐं करने के आरोपों पर भ.नि. ब्यूरो में परिवाद प्रेषित किया, जिस पर ब्यूरो में परिवाद संख्या 26/2000 पंजीबद्ध कर ब्यूरो के सवाईमाधोपुर कार्यालय से परिवाद का सत्यापन करवाया गया।

उक्त परिवाद की प्रति मुख्य मंत्री सचिवालय के पत्र संख्या मु. मं.-4/प. (74) रा.रा.ब्यूरो/99/135-75 दिनांक 23.10.1999 के माध्यम से ब्यूरो में प्राप्त हुई है। सत्यापन अधिकारी ने परिवाद में अंकित आरोपों पर रिकार्ड लेने व विस्तृत जांच करने हेतु प्राथमिक जांच पंजीबद्ध करने की अनुशंसा ब्यूरो मुख्यालय को प्रेषित की है। परिवाद की सत्यापन रिपोर्ट का मुख्यालय पर कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त आरोप तकनीकी तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही योग्य पाये जाने पर परिवाद मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर को ब्यूरो के पत्र संख्या 1007-8 दिनांक 7.7.2000 के द्वारा उन्हें अपने स्तर पर जांच करवाने तथा जांच रिपोर्ट सीधे ही उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय जयपुर को प्रेषित करने हेतु भिजवाया जाकर परिवाद ब्यूरो में नथीबद्ध किया गया है।

श्री ओम प्रकाश बोहरा, अध्यक्ष नल मजदूर यूनियन फ़ेडरेशन उप खण्ड हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री राम राज मीणा, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन सिटी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर भारी अनियमितताऐं करने के आरोपों पर भ्र.नि. ब्यूरो में परिवाद प्रेषित किया, जिस पर ब्यूरो में परिवाद संख्या 45/2000 पंजीबद्ध कर सत्यापन करवाया गया।

सत्यापन अधिकारी ने परिवाद में अंकित आरोपों को भ्र. नि. अधिनियम के तहत ब्यूरो स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित न होने पर परिवाद नथीबद्ध करने की अनुशंसा दी है।

सत्यापन रिपोर्ट की मुख्यालय पर कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षणोपरांत आरोप विभागीय स्तर पर कार्यवाही किये जाने योग्य पाये जाने पर परिवाद की प्रति मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर को ब्यूरो के पत्र संख्या 1487-89 दिनांक 15.5.2001 के द्वारा उन्हें अपने स्तर पर करवाने व बाद जांच से मामला पी.सी. एक्ट. से संबंधित पाया जावें तो ब्यूरो को अवगत कराने हेतु प्रेषित किया जाकर परिवाद ब्यूरो में नथीबद्ध किया गया है।

(2) जी हां। परिवाद की प्रति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रेषित की गई है।

(3) परिवाद की सक्षम स्तर पर विशेष आडिट कराने के बाद सिविल सेवा (वर्गीकरण व अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

जनजाति उपयोजना में खनिज लीज आबंटन

162. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खनिज लीज आबंटन एवं खनिज कार्य हेतु सरकार की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया था? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जन जातियों को खनन पट्टे आबंटित नहीं किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार उक्त पर क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) राज्य के जन जाति उपयोजना क्षेत्र में खनिजों के पट्टे आबंटन अथवा खनन कार्य के लिए पृथक से नीति नहीं बनाई गई है। तथापि उच्चतम न्यायालय द्वारा समथा बनाम आंध्र प्रदेश में पारित निर्णय को देखते हुए दिनांक 18.12.2000 को निर्देश दिये गये हैं कि अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में चेजा पत्थर जैसे गौण खनिजों के नवीन पट्टा व अल्पावधि अनुज्ञापत्र आदि स्थानीय अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को आबंटित करने के अलावा अन्य सभी प्रधान/गौण खनिजों के नवीन खनन पट्टे आबंटित नहीं किये जायें, परन्तु जो पट्टे पूर्व से ही स्वीकृत हैं उनके नियमानुसार नवीनीकरण पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियम 'द प्रोविजन्स आफ दी पंचायत' (एक्स्टेंशन टू द शिड्यूल एरियाज) एक्ट, 1996 के अनुसरण में जारी राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अध्यादेश, 1999 की पालना में अप्रधान खनिज के खनन पट्टे/पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र पंचायती राज संस्थानों की सिफारिश प्राप्त होने पर ही स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रावधान रखा गया है।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समथा बनाम आंध्र प्रदेश में पारित निर्णय की प्रति संलग्न है।

(3) चेजा पत्थर जैसे गौण खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों के नवीन पट्टे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नहीं दिये जा रहे हैं।

(4) जन जाति क्षेत्रों में जन जातियों के व्यक्तियों को खनन पट्टे आबंटन करने के सम्बन्ध में महाधिवक्ता से राय प्राप्त की गयी है, जिस पर निर्णय शीघ्र लिया जावेगा।

(निर्णय की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला हनुमानगढ़ में निजी बस आपरेटरों में बकाया राशि

163. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संजीव कुमार)

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में सरकार द्वारा निजी बस आपरेटर्स को तीन वर्षों में अनेक परमिट जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस को और कब-कब? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में विभिन्न बस परमिटधारियों की तरफ सरकार की कर के रूप में किस-किस की तरफ कितनी-कितनी राशि बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि के अब तक बकाया रहने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त बकाया राशि को वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह परमिट किस-किस को और कब-कब जारी किये गये हैं, इसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में उपलब्ध है।

(2) हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न परमिटधारियों के विरुद्ध कर की बकाया राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" में उपलब्ध है।

(3) यह राशि बकाया रहने के निम्नांकित कारण हैं :—

1. बसों के मार्ग पर संचालित न होने के कारण
2. वाहनों के सीज रहने के कारण।
3. बकाया राशि की किस्तों के कारण।
4. बकाया राशि की वसूली पर स्थगन आदेश।
5. अन्य कारण जैसे वसूली की प्रक्रिया अधीन आदि।

बकाया राशि को वसूल करने का विभाग का पक्का इरादा है। चूंकि यह कार्य विभाग की नियमित प्रक्रिया का अंग है अतः वसूली के लिए सतत् प्रयास जारी है तथा जिला परिवहन अधिकारी को बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ (जयपुर) के वन्य अभयारण्य हेतु महाधिवक्ता की राय

164. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जमवारामगढ़ जयपुर क्षेत्र की खदानों को बंद करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के किसी आदेश को आधार बनाया गया है? यदि हां, तो क्या आदेश है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जमवारामगढ़ अभयारण्य और माननीय उच्च न्यायालय के उल्लिखित आदेश के सन्दर्भ में क्या महाधिवक्ता राजस्थान की राय ली गई है? यदि हां, तो क्या राय थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं आदेश दिनांक 14.2.2000 के अनुसरण

(राज्य मंत्री, वन)

में अभयारण्य क्षेत्र की खदानों में खनन कार्य बंद कराया गया है। उल्लिखित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जमवारामगढ़ अभयारण्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में महाधिवक्ता राजस्थान ने अपनी राय में इसे अंतिम रूप से अभयारण्य घोषित होना नहीं माना है। जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान की राय उनसे भिन्न है।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भारत सरकार के विधि मामलात विभाग से राय प्राप्त कर स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार भी जमवारामगढ़ घोषित अभयारण्य की श्रेणी में आता है।

उक्त वर्णित राय की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बसेड़ी (धौलपुर) में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

165. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बसेड़ी (धौलपुर) में सहायक कलक्टर एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) अब बसेड़ी (धौलपुर) में उक्त कोर्ट कब तक खोल दी जावेगी ?

उत्तर

(1) बसेड़ी जिला धौलपुर में उप/सहायक कलक्टर एवं सिविल न्यायाधीश (क. ख.) मुंसिफ कोर्ट स्वीकृत नहीं है।

(2) बसेड़ी जिला धौलपुर में उप/सहायक कलक्टर कोर्ट खोलने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। बसेड़ी जिला धौलपुर में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) (मुंसिफ न्यायालय) इस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने तथा न्यायालय हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन की उपलब्धता पर, माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/ स्वीकृति प्राप्त होने पर ही खोला जा सकता है।

करौली में कृषि उपज मण्डी का निर्माण

166. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी करौली के निर्माण के लिये सरकार ने कोई निर्णय किया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त मण्डी निर्माण हेतु काश्तकारों से जमीन भी अवाप्त करली गई थी ? यदि हां, तो क्या काश्तकारों का कोई मामला विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो इसके निर्माण को सरकार ने क्यों रोक रखा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जनार्दन गहलोत)

(3) अब सरकार उक्त मण्डी निर्माण कार्य कब तक चालू करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 28.01.1995 को गौण मण्डी करौली बनाने का निर्णय लिया गया।

(2) जी हां। 20.14 बीघा भूमि अवाप्त करली गई है। एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि का कब्जा जिला कलक्टर करौली की कलक्ट्रेट परिसर बनाने के लिये दे दिया गया था। जिला कलक्टर को 24.53 लाख रुपये की राशि दियें जाने पर मण्डी समिति को कब्जा प्राप्त हो सकेगा। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण राशि जिला कलक्टर करौली को जमा कराकर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रभावी स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात ही इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के मरम्मत योग्य हैण्ड पम्प

167. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2000 से फरवरी, 2002 तक कुल कितने नये हैण्ड पम्प किस-किस योजना एवं विधायक कोटे से लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के कई ग्रामों के हैण्ड पम्प कई वर्षों से खराब है ? यदि हां, तो किस-किस ग्रामों के किन कारणों से ? अब तक उक्त हैण्ड पम्प ठीक नहीं होने के क्या कारण रहे ? क्या सरकार वर्ष 2002-2003 में इनको ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण कई हैण्ड पम्प बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? क्या सरकार अपने नियमों में शिथिलता देते हुये इनको और गहरा कराकर उक्त क्षेत्र के लोगों को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2002 तक कुल 222 नये हैण्ड पम्प विभिन्न योजनाओं एवं विधायक कोटे से लगाये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त क्षेत्र के कई गांवों के हैण्ड पम्प कई वर्षों से खराब हैं। मरम्मत योग्य सभी हैण्ड पम्पों को हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के दौरान हर वर्ष ठीक कर दिया जाता है। वर्ष 2001 में 27वें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1035 मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को ठीक किया गया इसके पश्चात्

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

"प्रशासन गांव के संग" एवं "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के दौरान 182 हैण्ड पम्पों को ठीक किया गया। वर्ष 2002-2003 के लिए 1 मार्च, 2002 से 28वां हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान विभाग द्वारा चालू किया गया है। अभियान प्रारम्भ होने पर पंचायत समितियों के हैण्ड पम्प मिस्त्रियों द्वारा 117 हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना दी गई। वर्तमान अभियान के दौरान 64 हैण्ड पम्प ठीक कर दिये गये हैं। खराब हैण्ड पम्पों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त क्षेत्र में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कुछ हैण्ड पम्प सूख चुके हैं। सूखे हैण्ड पम्पों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। तकनीकी दृष्टि से हैण्ड पम्पों के बोर की भू-गर्भीय संरचना, बोर की वर्तमान स्थिति, विभागीय मापदण्ड एवं बजट की उपलब्धि के अनुसार हैण्ड पम्पों को गहरा करवाये जाने की स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जा सकता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) में दुकानों का आबंटन

168. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) में तहसील बजारी पर कितनी दुकानें दी हुई है ?

(2) क्या उक्त नगरपालिका ने उनका किराया लेना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार उक्त को पट्टा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, राजगढ़ (चूरू) में 100 दुकानें किराये पर दी हुई है। तहसील बजारी जैसी कोई प्रथा प्रचलित नहीं है।

(2) जी नहीं। जिनका किराया बकाया है, उनसे वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। प्रार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर नियमानुसार 99 वर्ष की लीज पर नियमितीकरण पर विचार किया जा सकता है।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

169. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पुलिस सेवा में हैड कांसटेबल तथा इससे ऊपर की श्रेणी के कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं जिनको अदालतों से सजा/दण्डित किया जा चुका है तथा फिर भी सेवारत है ?

(2) उक्त श्रेणी में से कितनों को निलम्बित किया गया है ? यदि नहीं, तो किन विशेष कारणों से निलम्बित नहीं किया गया है ?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(3) उक्त श्रेणी में से कितने कर्मियों के विरुद्ध अनिवार्य सेवा निवृत्त किये जाने की कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस सेवा में सेवारत कुल 7 अधिकारी/कर्मचारी है। पुलिस निरीक्षक-1, उपनिरीक्षक पुलिस-1, सहायक उपनिरीक्षक-1, एवं 4 हैड कानि. है, जिन्हें अदालतों से सजा/दण्डित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें दिये गये दण्डादेश के विरुद्ध स्थगन आदेश होने के कारण राज्य सेवा में सेवारत है।

(2) उक्त श्रेणी के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है।

(3) उक्त श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनिवार्य सेवा निवृत्त किये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

निजी खातेदारी भूमि में खनिज लीज

170. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में खनिज दोहन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सरकार खातेदारी भूमि पर भी खनन् की इजाजत खातेदार की इच्छा पर देती है? यदि हां, तो क्या उक्त के लिए अलग से नियम बनाये हुए हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम राजगढ़ तहसील नसीराबाद (अजमेर) में खनिज लीज 17/70 द्वारा खातेदारी भूमि पर खनिज क्वार्टज फाल्सपर, सोप स्टोन आदि के खनन् हेतु खनन् पट्टा मैसर्स कल्याणमल टाक को जारी किया गया था? यदि हां, तो क्या खातेदार की स्वीकृति इसके लिये प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त में वर्णित खनिज लीज को निरस्त करने के लिए खनिज अभियन्ता अजमेर तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा सचिव खान विभाग को पत्रावली प्रेषित की गई? यदि हां, तो कब-कब ? प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(4) खनिज लीज 17/70 को किस दिनांक को निरस्त किया गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22(3)(h) में खातेदारी भूमि में खनन पट्टा स्वीकृति का प्रावधान है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां। मूल खनन पट्टा क्षेत्र 65.97 हैक्टेयर में से 16.00 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की थी। खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित खातेदारों की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, क्योंकि तत्कालीन प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं था।

(3) जी हां। खनन पट्टा संख्या 17/70 को निरस्त करने हेतु निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा सचिव, खान विभाग, जयपुर को प्रस्ताव दिनांक 23.2.98,

(राज्य मंत्री, खनिज)

7.8.2001 व 7.3.2002 को प्रेषित किये गये थे। प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट स, द व ई पर संलग्न है।

(4) खनन पट्टा 30.3.2002 को निरस्त कर दिया गया है। आदेश जारी किये जा रहे हैं।

(प्रस्तावों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

छबड़ा हेतु जयपुर कोटा व बारां से बस सेवा

171. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपखण्ड मुख्यालय छबड़ा से बारां, कोटा व जयपुर के लिए अक्टूबर, 2001 से फरवरी, 2002 तक राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें कब-कब चली? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि बारां डिपो से छबड़ा के लिए कोई बस नहीं जाती? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य में ऐसा और कोई उपखण्ड मुख्यालय है जहां से निगम की बसें इतनी कम संख्या में चलती है? यदि हां, तो कौनसा?

(4) क्या सरकार जयपुर, कोटा व बारां के लिए नई परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से कौन-कौन से डिपो से किस-किस समय बसें रवाना होंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उपखण्ड मुख्यालय छबड़ा से बारां व कोटा के लिये इस अवधि में निम्नलिखित बस सेवाएं संचालित की गई है, जो वर्तमान में भी संचालित है :—

बारां	छबड़ा	1.12.2001 से प्रारम्भ की गई
0700	0900	
छबड़ा	बारां	कोटा
1000	1200	1430
कोटा	बारां	
1615	1830	

उपखण्ड छबड़ा से जयपुर के लिये कोई सीधी बस सेवा संचालित नहीं है। छबड़ा से जयपुर के लिये सीधे यात्रीभार उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में बस सेवा के संचालन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जयपुर, कोटा व बारां के लिये वर्तमान में उपलब्ध हो रहे यात्रीभार के अनुसार सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। जयपुर से कोटा ब्रोडगेज ट्रेन सेवा निगम की बस सेवाओं की तुलना में कम किराये व कम समय पर संचालित है जबकि बारां के लिये संचालित बस सेवा उपलब्ध यात्रीभार के अनुसार पर्याप्त है।

नील गायों से व्याप्त आतंक

172. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की लिये रामगढ़ मोड के पास जयसिंहपुरा में निर्मित देश का प्रथम "श्वानघर" का लोकार्पण किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त श्वानघर में कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें वापस छोड़ दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में कई कृषि प्रधान ग्रामीण अंचलों में नीलगायों (रोजड़ों) का भयंकर आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्थानों को चिन्हित कर श्वानघर की तर्ज पर नीलगायों (रोजड़ों) के नसबंदी की व्यवस्था करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) नील गायों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने से राज्य के कुछ हिस्सों में रोजड़ों के द्वारा काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने की समस्या है परन्तु रोजड़ों की अत्यधिक चपलता एवं शारीरिक शक्ति की वजह से उनको पकड़ना बहुत ही कठिन कार्य है। अत: रोजड़ों को पकड़ना तथा उनकी नसबंदी करना व्यवहारिक नहीं है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक सीकर द्वारा ऋण वितरण

173. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण स्वरोजगार योजनान्तर्गत सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक को क्या-क्या लक्ष्य दिए गये थे ?

(2) उक्त बैंक ने फरवरी, 2002 तक कितने लक्ष्य पूर्ण किये ? शाखावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण स्वरोजगार योजना के नाम से इस बैंक में कोई योजना लागू नहीं हैं। बैंक में दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" लागू है, उक्त योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष 2001-2002 में सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा को 1.00 लाख, कुल 18.00 लाख के लक्ष्य अग्रणी बैंक सीकर द्वारा आबंटित किये गये हैं।

(2) बैंक द्वारा माह फरवरी, 2002 तक 18.00 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 15.14 लाख का ऋण वितरण किया गया है। शाखावार विवरण निम्नानुसार है :—

(सहकारिता मंत्री)

(राशि लाख रुपयों में)

क्रमांक	नाम शाखा	वर्ष 2001-2002 के लक्ष्य	लक्ष्यों की पूर्ति माह फरवरी, 2002 तक
1.	सूरजपोल	1.00	—
2.	के. सी.	1.00	2.38
3.	श्रीमाधोपुर	1.00	0.95
4.	नीमकाथाना	1.00	0.68
5.	दांता	1.00	—
6.	फतेहपुर	1.00	0.11
7.	लक्ष्मणगढ़	1.00	1.82
8.	खण्डेला	1.00	0.81
9.	रानोली	1.00	2.02
10.	धोद	1.00	0.76
11.	रींगस	1.00	—
12.	पाटन	1.00	1.87
13.	नेछवा	1.00	1.22
14.	अजीतगढ़	1.00	0.74
15.	कांवट	1.00	1.78
16.	पलसाना	1.00	—
17.	लोसल	1.00	—
18.	खाटू	1.00	—
	योग	18.00	15.14 लाख

विधान सभा क्षेत्र डग में ग्रामीण हाटों की उपयोगिता

174. श्री मदनलाल वर्मा (डग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कितने ग्रामीण हाट कब-कब, कहां-कहां बनाये गये हैं? लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त हाटों का उपयोग हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब उक्त के उपयोग के बारे में सरकार की कोई योजना है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में 2 ग्रामीण प्राथमिक बाजारों का निर्माण किया गया, जिनको बोलचाल की भाषा में हाट बाजार कहा जाता है, जो निम्नप्रकार है :

क्र. सं.	नाम हाट बाजार	निर्माण वर्ष	स्थान	लागत (लाख रुपये)
1	डग	1983-1984	डग	1.52
2	आवर	1983-1984	आवर	1.52

(2) डग ग्रामीण प्राथमिक बाजार कृषि उपज मण्डी समिति के गौण मण्डी यार्ड में होने के कारण वर्तमान में गौण मण्डी यार्ड के लिये उपयोग किया जा रहा है।

आवर ग्रामीण प्राथमिक बाजार को राज्य सरकार के निर्णयानुसार ग्राम पंचायत आवर को कृषि उपज मण्डी समिति, चौमेहला के द्वारा हस्तान्तरण कर दिया गया है उसके उपयोग के बारे में ग्राम पंचायत ही सक्षम है।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में पेयजल समस्या

175. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय के पेयजल संकटग्रस्त कौन-कौन से ग्राम व कस्बे हैं तथा इस वर्ष उक्त ग्रामों/कस्बों में गर्मी के समय पेयजल संकट होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(2) क्या सरकार सरवाड़ से भिनाय, विजय नगर पाइप लाइन के 5 किलोमीटर में पड़ने वाले गांवों को उक्त योजना से गर्मी में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भिनाय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 170 ग्राम आते हैं। इनमें से 7 ग्राम पाइप्ड योजना, 25 पीएण्डटी/टीएसएस योजना, 17 ग्राम क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, 119 ग्राम हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित है तथा शेष 2 ग्राम गैर आबाद हैं। उक्त योजनाओं में से नलकूप एवं खुले कुएं से लाभान्वित गांवों जल स्त्रोतों में पानी की आवक में कमी आई है। परन्तु इन योजनाओं पर स्थापित चालू हैण्ड पम्पों की संख्या ग्राम की आबादी की न्यूनतम पेयजल मांग हेतु पर्याप्त है। ग्रीष्म 2001 में विधान सभा क्षेत्र भिनाय के कुछ ग्रामों में पेयजल की कमी महसूस की गई थी जिसके निवारण हेतु ग्रीष्म ऋतु के पश्चात् अब तक 32 ग्रामों में 42 हैण्ड पम्प स्वीकृत कर, ड्रिलिंग कर चालू किये जा चुके हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इसके अलावा एक ग्राम देवलियाकलां के लिए 1 नलकूप स्वीकृत किया जा चुका है। जिसका वेधन कार्य किया जा चुका है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत अजमेर जिले में 591 हैण्ड पम्प ठीक कराए गए जिसमें विधान सभा क्षेत्र भिनाय के 85 हैण्ड पम्प सम्मिलित हैं तथा 1 मार्च, 2002 से प्रारम्भ 28 वें हैण्ड पम्प अभियान में अब तक 91 हैण्ड पम्प सुधारे जा चुके हैं तथा यह कार्य जारी है। इसके अलावा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आवश्यकता होने पर अतिरिक्त हैण्ड पम्पों की स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जावेगा। हैण्ड पम्प लगाना सम्भव न होने की स्थिति में परिवहन से पेयजल उपलब्ध कराने बाबत निर्णय किये जाने पर विचार किया जावेगा।

(2) जी हां। विभाग द्वारा सरवाड़ से भिनाय व विजयनगर तक डाली गई पाइप लाइन पर टी एवं हाइडेन्ट पूर्व में ही स्थापित किये हुए हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इस पाइप लाइन के पास के गांवों में टी एवं हाइडेन्ट द्वारा पानी प्राप्त कर जल परिवहन के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है।

परिशिष्ट "अ"

ग्रीष्म 2001 के पश्चात् लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	योजना का प्रकार	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बांदनवाड़ा	6	भिनाय	पाइप्ड	2
2.	देवलियाकलां	74	भिनाय	पाइप्ड	2
3.	टांटोटी	3	सरवाड़	पाइप्ड	2
4.	जोताया	41	सरवाड़	पाइप्ड	2
5.	पडांगा	16	भिनाय	पीएण्डटी	1
6.	गणेशपुरा	39	सरवाड़	पीएण्डटी	1
7.	केबानिया	1	सरवाड़	हैण्ड पम्प	2
8.	कल्याणपुरा	2	सरवाड़	हैण्ड पम्प	1
9.	गुडलिया	4	सरवाड़	हैण्ड पम्प	1
10.	केसरपुरा	6	सरवाड़	हैण्ड पम्प	1
11.	कोटड़ी	10	सरवाड़	हैण्ड पम्प	1
12.	अरवड़	37	सरवाड़	हैण्ड पम्प	1
13.	डिगारिया	45	सरवाड़	हैण्ड पम्प	1
14.	रूपपुरा	3	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
15.	देवरिया	5	भिनाय	हैण्ड पम्प	

1	2	3	4	5	6
16.	किटाप	8	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
17.	प्रतापपुरा	12	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
18.	जोरावापुरा	26	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
19.	छछून्दरा	10	भिनाय	हैण्ड पम्प	4
20.	धातोल	31	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
21.	सरगांव	24	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
22.	गोवर्धनपुरा	25	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
23.	सेंदरिया	9	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
24.	किलोदा	35	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
25.	तेलाड़ा	29	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
26.	घाणी	44	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
27.	गन्हैड़ा	72	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
28.	बघराई	76	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
29.	खेड़ी	77	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
30.	गुडाखुर्द	78	भिनाय	हैण्ड पम्प	1
31.	पांडरवाड़ा	164	किशनगढ़	हैण्ड पम्प	1
32.	गूजरवाड़ा	166	किशनगढ़	हैण्ड पम्प	3
				कुल	42

नगर निगम कोटा में लापरवाही से गायों की मौत

176. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, कोटा में कर्मचारियों की लापरवाही से बड़ी संख्या में (नगर निगम, कोटा की गौशाला में) गायों की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो मृत्यु के कारणों व दोषियों के सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गौशाला की उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) राज्य में कुल कितनी गौशालाएं कहां-कहां संचालित हैं? उक्त पर वर्ष 1998-1999 से 2001-2002 में कितनी राशि कितनी गायों पर व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में जांच विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(2) नगर निगम कोटा द्वारा गौशाला का और विस्तार कर पक्के बरामदे एवं टीन शैड लगा कर छाया का प्रबन्ध किया जा रहा है तथा गायों की चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सक एवं कम्पाउण्डर (अनुबंधित) से अस्वस्थ गायों की जांच कर उपचार कराया जा रहा है।

(3) यह सूचना न केवल मेरे विभाग से सम्बन्धित है वरन अन्य कई विभागों एवं निजी संस्थाओं एवं समाजसेवीयों से सम्बन्धित है इसलिए सूचना एकत्रित करने में काफी समय लगेगा।

कोटा खुला विश्वविद्यालय में उत्पादन सामग्री एवं वितरण में अनियमितता

177. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा खुला विश्वविद्यालय में उत्पादन सामग्री एवं वितरण विभाग पर दिनांक 28 मार्च, 2001 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा छापा मारकर 30 लाख रुपये का घोटाला पकड़ा था? उक्त प्रकरण में क्या प्रगति हुई?

उत्तर

जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 28.3.2001 को कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा के एम.पी.डी. स्टोर में पठन पाठन सामग्री वितरण में अनियमितता एवं स्टेशनरी के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर आकस्मिक चैकिंग का भौतिक सत्यापन किया गया।

आकस्मिक चैकिंग पर एम.पी.डी. स्टोर के स्टाक रजिस्टर के भौतिक सत्यापन पर 350 रीम पेपर कीमत 1,96,815/- रुपये व 15 रीम आर्ट कार्डशीट कीमत 43,294/- कुल 2,40,109/- रुपये की सामग्री कम पाई जाने पर प्रथम दृष्टिया मामला पद का दुरुपयोग कर सरकारी सम्पति के स्टाक में हेर-फेर करने से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में ब्यूरो में प्रकरण संख्या 43/2002 अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी) व 2 पीसी एक्ट. व धारा 120 बी भादस में पंजीबद्ध का अन्वेषण कराया जा रहा है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

जिला सीकर एवं झुंझुनूं के खनिज रायल्टी ठेके की बकाया की वसूली

178. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं एवं सीकर के राजस्व ग्राम मावता जहाज, माणकसास, हरिपुरा आदि क्षेत्रों की बजरी

(श्री मोहनलाल मोदी)

अधिशुल्क का ठेका वर्ष 1999-2001 का श्री बाबूलाल गुप्ता को दिया गया था? क्या उक्त ठेकेदार में 50.00 लाख रुपया मय ब्याज बकाया है?

(2) क्या उक्त ठेकेदार ने फर्जी सोलवेन्सी के आधार पर ठेका प्राप्त किया है? यदि हां, तो 420 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया?

(3) उक्त ठेकेदार में बकाया के पेटे जमानतदारों की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश होने के बाद सम्पत्ति नीलाम क्यों नहीं की गई?

(4) उक्त सम्पत्ति को नीलाम करने पर स्टे किस अधिकारी के द्वारा किया गया है? क्या वह सक्षम है? यदि नहीं, तो अधिकार क्षेत्र के बाहर उक्त कार्य क्यों किया गया, जबकि उक्त ठेकेदार के जमानतदारों की सम्पत्ति पर खनिज विभाग का अधिकार है? क्या उक्त ने पहले जमानत दी है बाद में दूसरी जगह रहन रखी है?

उत्तर

(1) जी हां। ठेकेदार के विरुद्ध रुपये 45,96,258/- एवं ब्याज रुपये 18,77,376/- दिनांक 31.3.2002 तक के बकाया है।

(2) जी हां। फर्जी दस्तावेज की जानकारी होने पर शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर के यहां तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, तहसीलदार नीमकाथाना, संबंधित पटवारियों एवं श्री बाबूलाल गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर जांच की कार्यवाही उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर के यहां चल रही है।

(3) जमानती श्री हजारी सिंह की गांवड़ी स्थित सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 10.1.2001 को व नीमकाथाना स्थित सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 23.5.2001 को रखी गई थी, परन्तु जमानतदार श्री हजारी सिंह की अधिकतर सम्पत्ति आबकारी अधिकारी झुंझुनूं द्वारा उसके पक्ष में स्वीकृत ठेका मदिरा समूह पिलानी, सूरजगढ़ के अन्तर्गत रहन रखी हुई थी एवं तत्सम्बन्धी प्रत्यावेदन श्री हजारी सिंह द्वारा शासन को प्रस्तुत करने पर अधीक्षण खनिज अभियन्ता, जयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 3.1.2001 से दिनांक 10.1.2001 को होने वाली नीलामी को स्थगित किया गया। अधीक्षण खनिज अभियन्ता, जयपुर द्वारा नीलामी स्थगन आदेश दिनांक 10.4.2001 को निरस्त करने के पश्चात् पुनः दिनांक 23.5.2001 को नीलामी रखी गई, परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली नहीं लगाई गई। जमानती श्री ग्यारसी लाल की सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 17.1.2001 व 28.3.2001 को रखी गई, परन्तु किसी भी व्यक्ति ने बोली में भाग नहीं लिया। कुर्कशुदा सम्पत्ति में श्री ग्यारसी लाल जमानती का 1/27 का हिस्सा है। इस हिस्से की सही जानकारी हल्का पटवारी से अब तक नहीं होने से नीलामी की अगली तिथि तय नहीं की जा सकी है।

(4) बाकीदार के जमानती श्री हजारी सिंह द्वारा दिनांक 29.1.2000 को शासन सचिव, खान के समक्ष नीलामी कार्यवाही स्थगित

(राज्य मंत्री, खनिज)

करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि उनकी सम्पत्ति आबकारी विभाग द्वारा रहन की गई है। अतः उनकी सम्पत्ति न तो कुर्क की जा सकती है और न ही नीलाम की जा सकती है। इस पर वित्त विभाग द्वारा राय दी गई कि श्री हजारी सिंह की सम्पत्ति 31.3.2001 तक नीलाम नहीं की जावें। श्री हजारी सिंह के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में अधीक्षण खनिज अभियन्ता जयपुर ने पत्र दिनांक 3.1.2001 से दिनांक 10.1.2001 को होने वाली नीलामी को स्थगित करने के आदेश दिये।

ठेकेदार के जमानती श्री हजारी सिंह ने खान विभाग को जमानतनामा प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 28.5.1999 को आबकारी विभाग में जमानत दे रखी थी। जिसे दिनांक 3.12.1999 को आबकारी विभाग में रहन रखा गया।

परिवहन निगम द्वारा संचालित वाहनों का बीमा

179. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों का बीमा नहीं कराया है? यदि हां, तो कब से कब तक तथा क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना बीमा के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकता? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन बिना बीमा के नहीं किया जा सकता है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की है तथा बिना बीमा के रजिस्ट्रेशन किया गया या नहीं?

(4) उक्त सम्बन्ध में इस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 146 (3) के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वाहनों को अधिनियम की धारा 146 (1) के तहत तृतीय पक्ष बीमा की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146 की उपधारा (1) के तहत यह आवश्यक है कि प्रत्येक मोटरयान, जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है, का संचालन जोखिम बीमा कराकर ही किया जा सकता है। उक्त धारा की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार राज्य परिवहन उपक्रम के मामले में जोखिम बीमा की अनिवार्यता को आदेश जारी कर मुक्त कर सकती है। परन्तु ऐसा आदेश जारी करने के लिए यह आवश्यक है कि इस हेतु राज्य परिवहन निगम द्वारा एक निधि की स्थापना की जावें ताकि इस निधि का उपयोग, अधिनियम के तहत दायित्वों की पूर्ति के लिए हो सके।

(यातायात मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मोटरयान तृतीय पक्ष का (प्रति व्यक्ति) दायित्व निधि नियम बनाकर इस निधि की स्थापना की गई है। अतः इन नियमों के तहत निगम की वाहनों के लिए बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी इन नियमों के आने से पूर्व मोटरयान तृतीय पक्षकार नियम 1967 के तहत निगम की वाहनों का बीमा करवाने की आवश्यकता से मुक्त रखा गया था।

(3) किसी भी वाहन का पंजीयन बिना बीमा के नहीं किया जा सकता। सभी वाहनों का पंजीयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि वाहन वैध बीमा से कवर्ड है। बिन्दु संख्या (2) में दिए गए कारणों से निगम के वाहनों का बीमा करवाने से मुक्त किया जाकर पंजीयन किया जाता है।

(4) अतः उक्त सम्बन्ध में निजी वाहनों का पंजीयन वैध बीमा होने के उपरान्त ही किया जाता है तथा निगम के वाहनों का पंजीयन बिन्दु सं. (2) में वर्णित नियमों के तहत बिना बीमा के ही किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 16.2.2002 की पालना में निगम द्वारा वर्ष 1997-1998 से सभी माडल की निगम वाहनों का बीमा करवाये जाने की योजना प्रक्रियाधीन है।

सरकारी कर्मियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

180. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में जनवरी, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक कुल कितने सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में व रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज मुकदमों में से अब तक कितनों में चालान पेश किया गया व कितने प्रकरण ऐसे हैं जिनमें अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सम्पूर्ण राज्य में 1 जनवरी, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक कुल 253 (वर्ष 2001 में 216 व 28.2.2002 तक 37) सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप व रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) परिशिष्ट "अ" में अंकित दर्ज मुकदमों में से अब तक 25 मुकदमों में चालान पेश किया जा चुका है शेष 228 मुकदमों में चालान पेश नहीं किया गया है। चालान पेश करने व पेश नहीं करने की सूचना परिशिष्ट "अ" के कालम 4 में अंकित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मतदाता सूचियों के प्रकाशन में वित्तीय अनियमितताएं

181. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची प्रकाशन की निविदाएं कितने रुपये प्रति पेज की दर पर वर्ष 1998 से 2000 में स्वीकृत की गई तथा वर्ष 2001-2002 में किस फर्म को किस दर प्रति पेज की निविदा स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष नई मतदाता सूचियों के प्रकाशन का कार्य 2.80 रुपये प्रति पेज की दर पर दिया गया था? यदि हां, तो फर्म ने कितना कार्य किया और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने पूना की फर्म द्वारा मतदाता सूचियों के प्रकाशन का काम बीच में छोड़ देने पर दूसरी फर्म को 7.70 रुपये प्रति पेज के हिसाब से दिया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कारण है कि एल-2 पर रही कम्पनी जिसकी दर 5.90 रु. प्रति पेज है को ठेका नहीं दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पहचान पत्रों के प्रकाशन को दूसरे व तीसरे चरण में प्रकाशन के आदेश किस-किस कम्पनियों को किस-किस दर पर दिया गया तथा पहले, दूसरे व तीसरे चरण की दरों में कितना-कितना अन्तर था ?

उत्तर

(1) निर्वाचन विभाग द्वारा वर्ष 1998 से 2000 में मतदाता सूचियों के प्रकाशन हेतु स्वीकृत की गई निविदाओं की दर प्रति पृष्ठ परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी है।

उक्त कार्य के अन्तर्गत फर्मों ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान मतदाता से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियों में जो संशोधन, परिवर्धन एवं विलोपन हुआ को नये सिरे से कम्प्यूटर में दर्ज कर मतदाता सूची के सभी पूरक तैयार किये हैं।

वर्ष 2001-2002 में मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन हेतु कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण के लिए जिन फर्मों को कार्य दिया गया उनकी जिलेवार फर्मवार स्वीकृत दरों की सूची परिशिष्ट "ब" एवं "स" सदन के पटल पर रख दी है।

उक्त कार्य के अन्तर्गत अनुबन्धित फर्मों को मूल मतदाता सूची में वर्ष 2001 तक के सभी पूरकों को सम्मिलित कर तैयार की गई एकीकृत मतदाता सूची-2001 का कम्प्यूटराइज रिकार्ड का बैकअप उपलब्ध कराया जाकर, मतदाता सूचियों के सत्यापन एवं प्रगणना के दौरान मतदाता से सम्बन्धित सभी विवरणों में जो परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन दर्ज किये गये हैं को सम्मिलित कर संशोधित मतदाता सूची तैयार करना है।

(2) जी नहीं। वस्तुतः मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (गहन प्रकृति का) अर्हता दिनांक 1.1.2002 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण का कार्य राज्य के 32 जिलों के लिये राशि 2.69 रुपये से 2.89 रुपये प्रति पृष्ठ की दर पर (परिशिष्ट "ब") के अनुसार मै. डी.एस.एस. इन्फोटेक प्रा. लि. पुणे को दिया गया था।

फर्म को जारी कार्यादेश के अनुसार, फर्म को राज्य के 200 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण एवं उनके मुद्रण का कार्य निर्धारित समय सीमा 31 दिसम्बर, 2001 तक करना था। फर्म ने निर्धारित अवधि में केवल

(निर्वाचन मंत्री)

एक विधान सभा क्षेत्र अजमेर (पश्चिम) की प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी, अजमेर को उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त फर्म ने दौसा जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सिकराय, बांदीकुई एवं दौसा, अजमेर जिले के अजमेर (पूर्व विधान सभा क्षेत्र तथा भरतपुर जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां, नगर, डीग एवं कुम्हेर की निर्वाचक नामावलियां तैयार कर इस विभाग को दिनांक 11 जनवरी, 2002 से 15 जनवरी, 2002 तक उपलब्ध कराई।

फर्म द्वारा अनुबन्ध की मूल शर्तों एवं दरों पर कार्य करने में असमर्थता प्रकट करते हुए सभी जिलों के लिये नयी दर राशि रुपये 8.36 प्रति पृष्ठ देते हुए नयी दर पर ही शेष कार्य करना सूचित किया था। इसके अतिरिक्त फर्म ने यह भी सूचित किया था कि वे लगभग 200 पुस्तिकाएं प्रतिदिन के हिसाब से ही शेष कार्य कर सकती है। अतः इसके अनुसार कार्य करने की समय अवधि बढ़ाई जाए उन्होंने यह भी सूचित किया कि समय अवधि बढ़ाने के बाद भी नई दर से ही कार्य किया जाना सम्भव होगा। फर्म के उक्त प्रस्ताव अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं होने के कारण फर्म को जारी किया गया कार्यादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 को निरस्त कर दिया।

(3) यह सही है कि पुणे की फर्म द्वारा मतदाता सूचियों के प्रकाशन का कार्य बीच में छोड़ देने पर राज्य के 32 जिलों के 199 विधान सभा क्षेत्रों का कार्य पूर्ण कराने के लिए मूल निविदा की दूसरी शार्ट लिस्ट फर्मों को 7.50 रुपये एवं 7.70 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से कार्य दिया गया। जिलेवार फर्मों की दर परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी है।

पूर्व में प्राप्त निविदा में जिलेवार एल-2 पर रही फर्मों की दर केवल जयपुर जिले के लिये ही 5.90 रुपये प्रति पृष्ठ थी। शेष अन्य 31 जिलों के लिये एल-2 पर रही फर्मों की जिलेवार दर 6.40 रुपये से 9.80 रुपये प्रति पृष्ठ थी।

मै. डी. एस. एस. इन्फोटेक प्रा. लि. पुणे द्वारा अनुबन्धित दरों एवं शर्तों पर कार्य करने से इन्कार करने के कारण विभाग ने फर्म को जारी कार्यदेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 का निरस्त कर दिया।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक बार निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों को स्वीकार कर, कार्यदेश जारी करने तथा अन्य असफल फर्मों को धरोहर राशि लौटाए जाने के बाद अगर अनुबन्धित फर्म अनुबन्धित दरों पर कार्य करने से इन्कार कर देती है तो सम्बन्धित कार्य को उसी निविदा की अन्य फर्मों द्वारा नहीं कराया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में विभाग ने इस समयबद्ध कार्य को पूर्ण कराने के लिये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 43 के अन्तर्गत निविदा की शार्ट लिस्ट फर्मों से सीमित निविदा आमंत्रित कर शेष रहा कार्य करवाया जाना उचित समझा तथा निविदाओं में प्राप्त जिलेवार न्यूनतम दरों के आधार पर फर्मों को कार्यादेश जारी किया।

(4) मतदाता फोटो पहचान पत्र को तैयार करने का दूसरा चरण वर्ष 1998 में एवं तीसरा चरण वर्ष 2000 में प्रारम्भ हुआ। उक्त दोनों चरणों के अन्तर्गत विभिन्न फर्मों की जिलेवार स्वीकृत दरें परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1998 से 2000 में मतदाता सूचियों के प्रकाशन हेतु स्वीकृत की गयी निविदाओं की दर का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का नाम	अनुमोदित दरें		विशेष विवरण
			शून्य इन्द्राज वाले लेजर प्रिन्ट की दरें	नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन वाले लेजर प्रिन्ट की दरें	
1	1998	मतदाता सूची दिनांक 1.1.1998 में नाम जोड़ने हटाने एवं संशोधन कर कम्प्यूटरीकरण कर मुद्रण कार्य पूरक-5	रुपये 42.50 प्रति पृष्ठ	रुपये 70/- प्रति पृष्ठ	इन दरों में मतदाता सूची के 50 फोटो स्टेट कापी आपूर्ति की दरें भी सम्मिलित है एवं 5 प्रतिशत की छूट अनुबंधित फर्म द्वारा दी गई है।
2	1999	मतदाता सूची दिनांक 30.9.1998 में नाम जोड़ने हटाने एवं संशोधन कर कम्प्यूटरीकरण कर मुद्रण कार्य पूरक-6	रुपये 15.50 प्रति पृष्ठ	रुपये 43/- प्रति पृष्ठ	इन दरों में मतदाता सूची के 5 फोटो स्टेट कापी आपूर्ति की दरें भी सम्मिलित की हुई है एवं अनुबन्धित फर्मों द्वारा 8 प्रतिशत की छूट दी गई है।
3	2000	मतदाता सूची दिनांक 1.1.2000 में नाम जोड़ने हटाने एवं संशोधन कर कम्प्यूटरीकरण कर मुद्रण कार्य पूरक-7	रुपये 12.00 प्रति पृष्ठ	रुपये 35/- प्रति पृष्ठ	कार्य विभाग के तकनीकी सलाहकार मैसर्स राजकॉम जयपुर से कराया गया है।
4	2000	मतदाता सूची दिनांक 1.1.2001 में नाम जोड़ने हटाने एवं संशोधन कर कम्प्यूटरीकरण कर मुद्रण कार्य पूरक-8	रुपये 1.29 प्रति पृष्ठ	रुपये 38.69/- प्रति पृष्ठ	उक्त दरों में मतदाता सूची के 5 फोटो स्टेट कापी की दरें सम्मिलित नहीं है एवं 5 फोटो स्टेट कापी सैट की दरें 0.49 प्रति पेज एक तरफ एवं 0.89 पैसा प्रति पेज दोनों तरफ की है।

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 2001 में मतदाता सूचियों के प्रकाशन हेतु स्वीकृत की गई निविदाओं की दर का विवरण

फर्म का नाम	क्र.सं.	जिले का नाम	लेजर प्रिन्ट आउट की दर प्रति पृष्ठ	छाया प्रति प्रति पृष्ठ की दर	
				एक तरफ	दोनों तरफ
1	2	3	4	5	6
मै. डी. एस. एस. इन्फोटेक प्रा. लि. पुणे	1	अलवर	2.69	0.46	0.68
	2	भरतपुर	2.69	0.46	0.68
	3	राजसमन्द	2.85	0.46	0.68
	4	भीलवाड़ा	2.69	0.46	0.68
	5	पाली	2.69	0.46	0.68
	6	जालौर	2.85	0.46	0.68
	7	जयपुर	2.69	0.46	0.68
	8	चित्तौड़गढ़	2.69	0.46	0.68
	9	उदयपुर	2.69	0.46	0.68
	10	करौली	2.85	0.46	0.68
	11	बीकानेर	2.69	0.46	0.68
	12	बाड़मेर	2.85	0.46	0.68
	13	जैसलमेर	2.89	0.46	0.68

1	2	3	4	5	6
	14	जोधपुर	2.70	0.46	0.68
	15	सीकर	2.69	0.46	0.68
	16	दौसा	2.85	0.46	0.68
	17	धौलपुर	2.85	0.46	0.68
	18	सवाईमाधोपुर	2.85	0.46	0.68
	19	टौंक	2.85	0.46	0.68
	20	डूंगरपुर	2.85	0.46	0.68
	21	बांसवाड़ा	2.85	0.46	0.68
	22	सिरोही	2.85	0.46	0.68
	23	नागौर	2.70	0.46	0.68
	24	हनुमानगढ़	2.69	0.46	0.68
	25	गंगानगर	2.70	0.46	0.68
	26	चूरू	2.70	0.46	0.68
	27	झुंझुनूं	2.69	0.46	0.68
	28	अजमेर	2.69	0.46	0.68
	29	बूंदी	2.85	0.46	0.68
	30	कोटा	2.69	0.46	0.68
	31	बारां	2.85	0.46	0.68
	32.	झालावाड़	2.85	0.46	0.68

परिशिष्ट "स"

वर्ष 2002 में मतदाता सूचियों के प्रकाशन हेतु स्वीकृत की गई निविदाओं की दर का विवरण

1	2	3	4	5	6
मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	1	अलवर	7.50	0.46	0.75
	2	भरतपुर	7.50	0.46	0.75
	3	राजसमन्द	7.70	0.46	0.75
	4	भीलवाड़ा	7.70	0.46	0.75
	5	पाली	7.70	0.46	0.75
	6	जालौर	7.70	0.46	0.75
मै विप्स, जयपुर	7	जयपुर	7.50	0.46	0.75
	8	चित्तौड़गढ़	7.70	0.46	0.75
	9	उदयपुर	7.70	0.46	0.75
	10	करौली	7.50	0.46	0.75
मै. जैम कम्प्यूटर्स, जयपुर	11	बीकानेर	7.70	0.46	0.75
	12	बाड़मेर	7.70	0.46	0.75
	13	जैसलमेर	7.70	0.46	0.75
	14	जोधपुर	7.70	0.46	0.75
मै. मल्टीवेव इनोवेशन जयपुर	15	सीकर	7.50	0.46	0.75

1	2	3	4	5	6
	16	दौसा	7.50	0.46	0.75
	17	धौलपुर	7.70	0.46	0.75
	18	सवाईमाधोपुर	7.50	0.46	0.75
	19	टौंक	7.50	0.46	0.75
	20	डूंगरपुर	7.70	0.46	0.75
	21	बांसवाड़ा	7.70	0.46	0.75
	22	सिरोही	7.70	0.46	0.75
	23	नागौर	7.70	0.46	0.75
मै. नैचुरल सोफ्टवेयर जयपुर	24	हनुमानगढ़	7.70	0.46	0.75
	25	गंगानगर	7.70	0.46	0.75
	26	चूरू	7.50	0.46	0.75
	27	झुंझुनूं	7.50	0.46	0.75
	28	अजमेर	7.50	0.46	0.75
	29	बूंदी	7.70	0.46	0.75
	30	कोटा	7.70	0.46	0.75
	31	बारां	7.70	0.46	0.75
	32.	झालावाड़	7.70	0.46	0.75

परिशिष्ट "द"

मतदाता फोटो पहचान पत्र के द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के अन्तर्गत विभिन्न फर्मों की जिलेवार स्वीकृत दरें

क्र.सं.	जिले का नाम	द्वितीय चरण		तृतीय चरण		दरों में अन्तर	
		फर्म का नाम	दर	फर्म का नाम	दर	प्रथम एवं द्वितीय	द्वितीय एवं तृतीय (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हनुमानगढ़	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि. जयपुर	13.00	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	17.20	3.10	4.20
2	गंगानगर	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	13.00	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	17.20	3.10	4.20
3	बूंदी	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	11.90	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	16.20	2.00	4.30
4	कोटा	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	11.90	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	16.20	2.40	4.30
5	बारां	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	11.90	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	16.20	2.40	4.30
6	झालावाड़	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	11,90	मै. नेचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर	16.20	2.00	4.30
7	जोधपुर	मै. जैम कम्प्यूटर प्रा. लि., जयपुर	11.20	मै. जैम कम्प्यूटर प्रा. लि., जयपुर	15.30	1.30	4.10

1	2	3	4	5	6	7	8
8	नागौर	मै. यू. एम. सी., जयपुर	12.50	मै. यू. एम. सी., जयपुर	17.15	2.60	4.65
9	बीकानेर	मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	11.25	मै. जैम कम्प्यूटर प्रा. लि., जयपुर	15.35	1.35	4.10
10	चित्तौड़गढ़	मै. बिप्स, जयपुर	12.50	मै. बिप्स, जयपुर	17.60	2.60	5.10
11	उदयपुर	मै. बिप्स, जयपुर	12.50	मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	17.00	2.60	4.50
12	राजसमन्द	मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	11.25	मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	15.50	1.35	4.25
13	भीलवाड़ा	मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	11.25	मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	15.50	1.35	4.25
14	पाली	मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	12.20	मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर	16.60	0.71	4.40
15	बाड़मेर	मै. जैम कम्प्यूटर प्रा. लि., जयपुर	15.00	मै. जैम कम्प्यूटर प्रा. लि. जयपुर	20.60	2.55	5.60
16	जैसलमेर	मै. जैम कम्प्यूटर प्रा. लि., जयपुर	16.50	मै. जैम कम्प्यूटर प्रा. लि., जयपुर	23.00	1.65	6.50
17	दौसा	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	8.70	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	12.40	0.55	3.70

1	2	3	4	5	6	7	8
18	बांसवाड़ा	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	12.25	मै. मल्टीवेव इनोवेंशन, जयपुर	17.15	2.35	4.90
19	डूंगरपुर	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	13.00	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	18.35	3.10	5.35
20	टोंक	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	9.60	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	13.30	0.10	3.70
21	अजमेर	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	9.60	मै. मल्टीवेव इनौवेशन, जयपुर	13.30	0.35	3.70
22	सिरोही	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	12.10	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	17.45	2.20	5.35
23	जालौर	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	12.25	मै. बाइनरी सिस्टमस, जयपुर	17.10	2.35	4.85
24	अलवर	मै. पुष्कर इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली	10.45	मै. पुष्कर इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली	14.60	1.20	4.15
25	भरतपुर	मै. पुष्कर इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली	12.50	मै. पुष्कर इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली	16.60	3.25	4.10
26	धौलपुर	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	12.25	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	16.90	3.00	4.65
27	करौली	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	12.25	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	16.90	3.00	4.65

1	2	3	4	5	6	7	8
28	सवाईमाधोपुर	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	12.25	मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर	16.90	3.00	4.65
29.	चूरू	मै. यू.एम.सी., जयपुर	12.50	मै. यू. एम. सी., जयपुर	17.00	2.60	4.50
30	झुंझुनूं	मै. यू.एम.सी., जयपुर	12.50	मै. यू.एम.सी., जयपुर	17.10	3.25	4.60
31	सीकर	मै. यू.एम.सी., जयपुर	12.25	मै. यू.एम.सी., जयपुर	16.83	3.00	4.58
32	जयपुर	मै. नैचुरल सोफ्टवेयर प्रा. लि., जयपुर (7 विधान सभा), मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर (7 विधान सभा), मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर (1 विधान सभा)	7.50	मै. बिप्स, जयपुर	10.98	-1.20	3.48

चौमूं (जयपुर) में अपूर्ण नाले का निर्माण

182. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति चौमूं मण्डी यार्ड का पानी निकालने के लिए कोई नाला गत वर्षों में बनाया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त नाला निर्माण पर कितनी राशि किस आदेश के तहत कब स्वीकृत हुई ?

(3) उक्त नाला निर्माण की लम्बाई कितने मीटर स्वीकृत की गई थी ?

(4) क्या उक्त नाला निर्माण का कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या मण्डी यार्ड का पानी निर्मित नाले द्वारा गन्तव्य स्थान पर जा रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि नाला निर्माण से अब तक मण्डी समिति द्वारा नाले को कभी साफ नहीं करवाया गया ?

(7) क्या यह भी सही है कि नाले में गन्दा पानी एकत्रित रहने से आसपास के क्षेत्र में मलेरिया व अन्य रोग फैल गए थे ?

(8) क्या सरकार उक्त नाले का पूर्ण निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 2000 में नाले का निर्माण कराया गया है।

(2) नाला निर्माण के लिए निदेशक कृषि विपणन द्वारा पत्रांक 25309-14 दिनांक 5.9.1996 द्वारा 9.95 लाख एवं पत्रांक 39835-39 दिनांक 26.8.2000 द्वारा 3.30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

(3) उक्त नाले के निर्माण हेतु 1996-97 में 700 मीटर लम्बाई में तथा वर्ष 2000 में 200 मीटर में अनाज मण्डी यार्ड की आवश्यकता हेतु तखमीना स्वीकृत था।

(4) मण्डी यार्ड एवं नेशनल हाइवे तक नाला पूर्ण है आगे नाला निर्माण मण्डी सीमा क्षेत्र में नहीं है इसलिए निर्माण नहीं कराया जा सकता।

(5) मण्डी यार्ड की सीमा जहां तक नाला निर्मित है मण्डी यार्ड का पानी जा रहा है।

(6) जी नहीं। मण्डी समिति द्वारा समय-समय पर नाले की सफाई करवाई जा रही है।

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं। मण्डी समिति सीमा क्षेत्र तक नाला पूर्ण है।

तोलियासर (चूरू) हेतु पेयजल व्यवस्था

183. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सुजानगढ़ के गांव तोलियासर में ग्रामवासियों हेतु पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव में गरीब तबके के लोग निवास करते हैं? क्या सरकार उक्त ग्राम के लिये कोई विशेष योजना बनाकर जलापूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में उक्त गांव में पानी की कोई योजना है? उक्त गांव में क्या सरकार बड़ी टंकी बनाकर ग्रामवासियों को पानी की योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार उक्त ग्राम के हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तोलियासर में पानी का होद हरिजन बस्ती के लिये स्वीकृत हुआ था? क्या उक्त टंकी हरिजन बस्ती में नहीं बनाकर श्री डालमचन्द पुत्र श्री मावाराम ने रामदेव जी के मन्दिर के स्थान पर करवाकर अवैध कब्जा कर लिया है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ में ग्रामवासियों को क्षेत्रीय जलयोजना सेठो की ढाणी भाग-प्रथम के अन्तर्गत पीने का स्वच्छ पानी वितरित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गांव तोलियासर के साथ अन्य 7 ग्रामों को भी पेयजल वितरित किया जा रहा है। इस योजना का जल स्रोत सेठो की ढाणी में स्थित 7 नलकूप हैं। वर्तमान में तोलियासर में पेयजल का सर्विस लेवल लगभग 35 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है।

(2) विभागीय नीति अनुसार किसी भी गांव में किस प्रकार की योजना स्वीकृत की जाए यह उस गांव की 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी एवं उपलब्ध पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ग्राम तोलियासर की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 1091 है एवं इस गांव में उपलब्ध पानी खारा होने के कारण इस ग्राम को क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना से लाभान्वित कर, ग्राम सेठो की ढाणी में उपलब्ध मीठे पानी के जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम में सभी प्रकार की वित्तीय स्थिति की जनता रहती है तथा गांव में बने हुए 4 भूतल जलाशय के साथ स्थापित सार्वजनिक नल के माध्यम से ये पेयजल लेते हैं, जिसका कोई भुगतान इनके द्वारा नहीं किया जाता है। वर्ष 1996 में स्वीकृत सम्वर्धन क्षेत्रीय जल योजना सेठो की ढाणी भाग प्रथम के अन्तर्गत स्वीकृत 7 नलकूपों में से 4 नलकूपों को अभी चालू किया जाना शेष है जिनका कार्य प्रगति पर है एवं उसके चालू किये जाने पर ग्राम तोलियासर को विभागीय मापदण्ड के अनुसार 70 लीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध हो सकेगा।

(3) जी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न सं. 1 एवं 2 के उत्तर में निहित है। बड़ी टंकी (उच्च जलाशय) का निर्माण वर्तमान विभागीय मापदण्ड के सन्दर्भ में नीतिगत नहीं है। उक्त ग्राम का पानी खारा होने के कारण हरिजन

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

बस्ती में हैण्ड पम्प लगाना विभागीय नीति अनुसार सम्भव नहीं है।

(4) ग्राम तोलियासर में विभाग द्वारा चार भूतल जलाशय बनाए हुए हैं जो क्रमशः पूर्वी मोहल्ला हरिजन बस्ती, रतनगढ़ मार्ग पर हरिजन बस्ती व सवर्ण बस्ती के मध्य, ग्राम के मध्य कुएं के पास तथा पश्चिमी कुएं के पास ब्राह्मणों व जाटों के मोहल्ले में निर्मित है। इसी ग्राम में 2 होज (खेल कोठा) ग्राम पंचायत द्वारा भी निर्मित करवाए हैं। पहला खेल कोठा हरिजन बस्ती के नाम से वर्ष 1997 में स्वीकृत किया गया था जिसका निर्माण पंचायत द्वारा हरिजन बस्ती में करवाया गया था तथा वर्तमान में यह विभागीय पाइप लाइन से जोड़ा जाकर कार्यरत है। दूसरा खेल कोठा बिजारनिया बास के नाम से वर्ष 1998 में पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसका निर्माण पंचायत द्वारा बिजारनिया बास में रामदेव मंदिर (चबूतरा) के पास करवाया गया था। इसके लिए न तो विभाग की पूर्व सहमति ली गई थी एवं न ही इस होद को पंचायत समिति द्वारा विभागीय पाइप लाइन से जोड़ने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई। इसको विभागीय पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है। इस खेल कोठे के गलत जगह बनवाने बाबत तथा अवैध कब्जे बाबत अधिकृत जानकारी विभाग के पास नहीं है।

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-265 का विवरण)

जैसलमेर जिले में डीजल इंजन चलित योजनाओं पर इस वर्ष (फरवरी, 2002 तक) डीजल आयल पर हुए व्यय का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय (राशि रु. लाखों में)
1	2	3
1.	पेयजल योजना गजेसिंह का गांव	12.44
2.	पेयजल बम्बारा	8.34
3.	पेयजल चैलक	6.33
4.	पेयजल देवड़ा	10.83
5.	पेयजल नगराजा	11.11
6.	पेयजल मगरा	6.28
7.	जलयोजना बोड़ाना	0.82
8.	जलयोजना पांचे का तला	0.23
9.	पम्प व टैंक योजना साड़िया	1.99
10.	जलप्रदाय योजना करडा गूजनगढ़	12.23
11.	जलप्रदाय योजना कोरि़या लूणार	4.35
12.	पम्प व टैंक योजना भूरार	1.22
13.	जलप्रदाय योजना केरला मिठराउ	3.04
14.	जलप्रदाय योजना केसरसिंह का तला	8.50
15.	जलप्रदाय कीता पिथोडाई	0.65
16.	जलप्रदाय अडवाला	8.77
17.	जलप्रदाय छतागढ़	7.18
18.	जलप्रदाय आसोलाई जानरा	1.35
19.	जलप्रदाय खारिया	2.22
20.	जलप्रदाय बीजराव का तला	7.43
21.	जलप्रदाय बेरीसियाला	13.98
22.	जलप्रदाय फूलिया देव-I	7.88
23.	जलप्रदाय फूलिया देव-II	7.88
24.	जलप्रदाय सिंहदार आटिया	8.60
25.	जलप्रदाय थानेली	2.67
26.	पम्प व टैंक योजना आसूतार	8.97

1	2	3
27.	पम्प व टैंक योजना लोगवाला	8.39
28.	पम्प व टैंक योजना घोटारू	4.37
29.	पम्प व टैंक योजना साथेवाला	3.50
30.	पम्प व टैंक योजना गमनेवाला	2.91
31.	पेयजल योजना बाधा	4.37
32.	पम्प व टैंक योजना कुरिया बेरी	3.50
33.	पम्प व टैंक योजना घटियाली	3.50
34.	पम्प व टैंक योजना शाहगढ़	2.58
35.	पम्प व टैंक योजना बछियाछोड़	1.92
36.	पम्प व टैंक योजना लंगतला	1.92
37.	पम्प व टैंक योजना धर्मी	0.51
38.	पम्प व टैंक योजना किशनगढ़	2.91
39.	जल योजना हमीरनाड़ा	1.28
40.	जलयोजना बाहला	2.58
41.	जलयोजना घटियाली	0.41
42.	जलयोजना जालूवाला	0.41
43.	जलयोजना रायचंद वाला	0.88
44.	जलयोजना आकल का तला	0.41
45.	जलयोजना खारिया	0.41
46.	जलयोजना खारालूण्डायत	0.41
47.	जलयोजना मारवाला	0.41
48.	जलयोजना मानासर	0.86
49.	जलयोजना नीम्बली	1.06
50.	जलयोजना उण्डा	0.86
51.	जलयोजना साजोत	1.09
52.	जलयोजना जाजीया	1.01
53.	जलयोजना म्याजलार सत्ती	0.56
	कुल व्यय रुपये (लाखों में)	**218.21**

नोट : वर्तमान में कुल 48 डीजल चलित जल योजनाएं हैं जबकि दिनांक 01.04.2001 को कुल 53 योजनाएं डीजल चलित थी जिनमें से 5 योजनाओं को (क्रम संख्या 49 से 53 तक) को इस वर्ष में विद्युतीकरण किया जा चुका है।

परिशिष्ट "ब"

जैसलमेर जिले में डीजल इंजन चलित योजनाएं जिन पर विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति जारी हो चुकी है का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय (राशि रु. लाखों में)
1	2	3
1.	जलयोजना गजेसिंह का गांव	7.68
2.	जलयोजना बम्बारा	7.39
3.	जलयोजना चैलक	4.83
4.	जलयोजना देवडा	1.84
5.	जलयोजना नगराजा	7.54
6.	जलयोजना मगरा	7.80
7.	जलयोजना बोडाना	1.25
8.	जलयोजना पांचे का तला	0.75
	कुल योग रु.	**39.08**

शेष 40 जल योजनाओं के विद्युतीकरण हेतु आरम्भिक आकलन

1.	पम्प व टैंक योजना साड़िया	26.50
2.	जलप्रदाय योजना कोरिया गूजनगढ़	112.00
3.	जलप्रदाय योजना कोरिया लूणार	41.50
4.	पम्प व टैंक योजना भूरार	76.50
5.	जलप्रदाय योजना केरला मिठराउ	124.00
6.	जलप्रदाय योजना केसरसिंह का तला	66.75
7.	जलप्रदाय कीता पिथोडाई	19.00
8.	जलप्रदाय अडवाला	27.00
9.	जलप्रदाय छतागढ	28.25
10.	जलप्रदाय आसोलाई जानरा	32.75
11.	जलप्रदाय खारिया	39.00
12.	जलप्रदाय बीजराव का तला	106.50
13.	जलप्रदाय बेरीसिंयाला	77.00
14.	जलप्रदाय फूलिया देव-I	63.75
15.	जलप्रदाय फूलिया देव-II	63.75
16.	जलप्रदाय सिंहदार आटिया	39.50
17.	जलप्रदाय थानेली	51.50

1	2	3
18.	पम्प व टैंक योजना आसूतार	206.00
19.	जलप्रदाय लोगवाला	46.73
20.	जलप्रदाय घोटारू	51.71
21.	जलप्रदाय साथेवाला	80.59
22.	जलप्रदाय गमनेवाला	40.95
23.	पेयजल योजना बाधा	80.33
24.	पम्प व टैंक योजना कुरिया बेरी	40.95
25.	पम्प व टैंक योजना घटियाली	357.00
26.	पम्प व टैंक योजना शाहगढ़	54.08
27.	पम्प व टैंक योजना बछियाछोड़	218.40
28.	पम्प व टैंक योजना लंगतला	67.20
29.	पम्प व टैंक योजना धर्मी	48.83
30.	पम्प व टैंक योजना किशनगढ़	40.95
31.	जलयोजना हमीरनाड़ा	35.08
32.	जलयोजना बाहला	141.83
33.	जलयोजना घटियाली	32.00
34.	जलयोजना जालूवाला	65.00
35.	जलयोजना रायचंद वाला	30.00
36.	जलयोजना आकल का तला	50.00
37.	जलयोजना खारिया	15.00
38.	जलयोजना खारालूण्डायत	35.00
39.	जलयोजना मारवाला	50.00
40.	जलयोजना मानासर	30.00
	कुल अनुमानित व्यय रुपये :—	**2810.88**
		(रुपये 28.11 करोड़)

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-266 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के गांवों की सूची जहां सेवा स्तर 25 प्रतिशत से कम है

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	आबादी 1991 के अनुसार	योजना का प्रकार गांव जिससे लाभांवित है	वर्तमान जल स्रोत	सर्विस लेवल लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	कार्यरत हैण्डपम्प	आगुमेंटेशन हेतु स्वीकृत योजना का विवरण अथवा प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	महरा	91	140	है. प. योजना	शून्य	शून्य	शून्य	एक नया हैण्ड पम्प लगवाये जाने हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।
2.	नरपुरा	193	507	है. प. योजना	1 है. पं.	20 प्रतिशत	एक हैण्ड पम्प	एक नया हैण्ड पम्प लगवाये जाने हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।
3.	गवां	220	356	है. प. योजना	शून्य	—	शून्य	एक हैण्ड पम्प स्वीकृत है लगवाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
4.	मोरोली	217	2100	पाइप्ड योजना	चम्बल नदी	20 एलपीसीडी	1 है.पं.	एक एक्स्पोलोरेट्री नलकूप स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एवं पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने पर योजना स्वीकृत हेतु प्रस्तावित की जावेगी।
5.	पुरानी छावनी	194	2856	पाइप्ड योजना	1 नलकूप एवं 1 खुला कुआं	17 एलपीसीडी	15 है. प.	योजना 12.85 लाख रु. की स्वीकृत है निर्माण प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	पचगांव	95	4693	पाइप्ड योजना	2 खुले कुआं	20 एलपीसीडी	4 है.पं.	योजना का पेयजल सर्विस लेवल बढ़ाये जाने हेतु एक खुला कुआं का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
7.	सेपउ	24	6550	पाइप्ड योजना	2 नलकूप	18 एलपीसीडी	10 है. पं.	पेयजल सर्विस लेवल बढ़ाये जाने हेतु 43.53 लाख,की योजना स्वीकृत है ।
8.	बसईनीम	219	1551	है.पं. योजना	है.पं.	50 प्रतिशत	3 हैण्ड पम्प	हैण्ड पम्पों का पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण एक एक्सप्लोरेट्री नलकूप स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एवं पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल प्राप्त होने पर योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की जावेगी ।

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के 7 गांवों हेतु स्वीकृत अथवा बनाई जा रही योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991 के अनुसार	योजना का प्रकार	जलयोजना का जल स्रोत	कार्यरत हैण्ड पम्प	वर्तमान जल सेवा का स्तर	जल सेवा स्तर में सुधार हेतु प्रस्तावित कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नरपुरा	193	507	है.प.योजना	हैण्ड पम्प	1	50 प्रतिशत	1 हैण्ड पम्प नया लगवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु भिजवाये जायेंगे।
2.	झोर	नगरीय योजना धौलपुर में सम्मिलित	300	है.प.योजना	हैण्ड पम्प	1	50 प्रतिशत	1 हैण्ड पम्प नया लगवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु भिजवाये जायेंगे।
3.	राजघाट	नगरीय योजना धौलपुर में सम्मिलित	200	पीएसपी	चम्बल का पानी	2 पीएसपी	50 प्रतिशत	—
4.	मोरोली	217	2100	पाइप्ड योजना	चम्बल का पानी	1 हैण्ड पम्प	40 एलपीसीडी	1 एक्स्पलोरेट्री नलकूप स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एवं पर्याप्त पीने योग्य जल उपलब्ध होने पर योजना प्रस्तावित की जावेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	पुरानी छावनी	194	2856	पाइप्ड योजना	नलकूप एवं खुले कुएं	15 है.पं.	17 एलपीसीडी	योजना 12.85 लाख की स्वीकृत है। निर्माण कार्यवाही प्रगति में है।
6	तिघरा	223	486	क्षे.ज. योजना	नलकूप एवं खुले कुएं	2 है.पं.	40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	—
7.	बसईनीम	219	1551	हैण्ड पम्प	नलकूप एवं खुले कुएं	3 है.पं.	50 प्रतिशत	हैण्ड पम्प का पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण एक एक्स्पलोरेट्री नलकूप स्वीकृत है। जिसका निर्माण पूरा होने एवं पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल प्राप्त होने पर योजना की स्वीकृति प्रस्तावित की जावेगी।

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-268 का विवरण)

योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्ण करने का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृति का माह/वर्ष	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि
1.	नागडदा पोशाल	दिसम्बर, 1999	71.62	बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2002-2003 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।
2.	बालासर बीबड़ा	नवम्बर, 1999	133.90	बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2002-2003 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।
3.	शास्त्री गांव खबड़ाला	अप्रैल, 1997	119.37	बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2002-2003 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।
4.	खलीफे की बावड़ी बीजावल	दिसम्बर, 1997	247.55	बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2002-03 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।
5.	बाडासर बूठिया (प्रथम फेज)	मार्च, 2000	197.87	बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2002-03 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-277 की सूची)

यातायात थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पद	प्राप्त प्रशिक्षण किस स्थान से	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री दीनदयाल	उपनिरीक्षक	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
2.	श्री हरिराम	स. उ. नि.	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
3.	श्री हंसराज	हैड कानि. 167	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
4.	श्री ओमप्रकाश	हैड कानि. 115	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
5.	श्री प्रेमसिंह	हैड कानि. नं. 37	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
6.	श्री हरदयाल सिंह	हैड कानि. 2005	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
7.	श्री महावीर प्रसाद	कानि. नं. 209	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
8.	श्री जयप्रकाश	कानि. नं. 369	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
9.	श्री हरजिन सिंह	कानि. नं. 281	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
10.	श्री कृष्ण कुमार	कानि. नं. 548	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
11.	श्री रामप्रताप	कानि. नं. 576	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
12.	श्री रमेश कुमार	कानि. नं. 597	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
13.	श्री नन्दराम	कानि. नं. 613	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
14.	श्री पृथ्वीराज	कानि. नं. 622	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
15.	श्री कृष्णलाल	कानि. नं. 692	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
16.	श्री दर्शन सिंह	कानि. नं. 476	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
17.	श्री अमरीक सिंह	कानि. नं. 785	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
18.	श्री रणवीर कुमार	कानि. नं. 813	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
19.	श्री रामेश्वरलाल	कानि. नं. 915	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
20.	श्री सुखमहेन्द्र सिंह	कानि. नं. 947	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
21.	श्री जयकरण	कानि. नं. 993	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	

1	2	3	4	5
22.	श्री महावीर सिंह	कानि. नं. 1000	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
23.	श्री बृजलाल	कानि. नं. 1470	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
24.	श्री सतोखलाल	कानि. नं. 1536	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
25.	श्री महावीर प्रसाद	कानि. नं. 1807	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
26.	श्री अब्दुल जब्बार	कानि. नं. 1230	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
27.	श्री विकास कुमार	कानि. नं. 320	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
28.	श्री सुरजीत सिंह	कानि. नं. 715	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
29.	श्री राजेन्द्र सिंह	कानि. नं. 728	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
30.	श्री सुभाष चन्द्र	कानि. नं. 1393	थाना स्तर पर प्रशिक्षत	
31.	श्री राजेश कुमार	कानि. नं. 449	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़	
32.	श्री जितेन्द्र कुमार	कानि. नं. 856	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़	
33.	श्री विनोद कुमार	कानि. नं. 931	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़	
34.	श्री इन्द्रराज कुमार	कानि नं. 951	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़	

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-278 की सूची)

वर्ष 2001 से 28.2.2002 तक अभियोगों की सूची

क्र.सं.	थाना	कुल दर्ज अभि.	चालान	अ.बकू	अदम सबूत	जैर तफतीश
1.	कोतवाली	328	226	48	—	54
2.	बायतू	94	77	14	—	3
3.	शिव	178	121	38	—	19
4.	गिड़ा	121	87	10	—	24
5.	गिराब	90	49	27	—	14
6.	धोरीमन्ना	176	141	25	1	9
7.	गुढ़ामलानी	133	106	17	—	10
8.	सदर बाड़मेर	355	247	60	1	47
9.	चौहटन	171	124	26	—	21
10.	बीजराड	92	54	31	—	7
11.	रामसर	127	92	26	—	9
12.	सेडवा	80	52	23	—	5
13.	गडरा रोड	44	27	12	—	5
14.	बाखासर	61	34	18	—	9
15.	बालोतरा	517	335	107	1	74
16.	सिवाना	192	139	42	—	11
17.	समदड़ी	170	122	42	1	6
18.	सिणधरी	103	73	20	—	10
19.	मण्डली	66	36	24	—	6
20.	कल्याणपुर	83	61	17	—	5
कुल योग		3181	2203	627	3	348

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-281 का विवरण)

पंचायत समिति फागी की ग्राम पंचायत के ग्राम साबा के बास में करवाये गये वृक्षारोपण का विवरण

क्र.सं.	नाम वृक्षारोपण	वृक्षारोपण वर्ष	क्षेत्रफल	लगाये गये पौधों की संख्या	लगाये गये पौधों की किस्म
1	सावा का बास	1991	15 हैक्टेयर	22000	अरडू, शीशम, देशी बबूल, इजरायली, बबूल, कुमठा, नीम इत्यादि

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-283 का विवरण)

गांव एवं ग्राम पंचायत तथा उचित मूल्य दुकान स्थान विवरण

तहसील रायपुर के गांव

गांव का नाम	ग्राम पंचायत	सम्बन्धित उचित मु. दुकान स्थान
1	2	3
1. कालाकोट	सबलपुरा	सबलपुरा
2. मालनी	दीपावास	लवाचा
3. बलुपूरा	दीपावास	लवाचा
4. सीरमा	कोटकिराना	कोटकिराना
5. मेधदड़ा	दीपावास	दीपावास
6. नाहरपुरा	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
7. बेलपना	कोटकिराना	कोटकिराना
8. हाथीभाटा (चिताड़)	चिताड़	चिताड़
9. बड़ीपोल	बांग	बांग
10. बर रेल	बर	बर
11. रामगढ़ हेडोतान	बाबरा	बाबरा
12. सराधना	अमरपुरा	लालपुरा
13. नाहरखेड़ा	चिताड़	चिताड़
14. बाडली	बिराटिया खुर्द	बिराटिया खुर्द
15. कुड़ाल	बुटिवास	बुटिवास
16. बाफोला	कलालिया	कलालिया
17. बजोलिया	कानूजा	कानूजा
18. कायाभीला	झाला की चौकी	झाला की चौकी
19. जैतपुरा	झाला की चौकी	झाला की चौकी

1	2	3
तहसील सोजत के गांव		
1. रायराखुर्द	रायराकला	रायराकला
2. खरनीखेडा	खोडिया	खोडिया
3. पोकरिया नाडी	बिजागुडा	गजनाई
4. खारियाबेरा	साण्डिया	साण्डिया
5. रुन्दिया	बोयल	अटपडा
6. नाथलकुंडी	बासना	बासना
7. खेजडी का बाला	खोडिया	खोडिया
8. साण्ड मगरा	खोडिया	खोडिया
9. पुरोहितों की ढाणी	चंडावल	चंडावल

जिला रसद अधिकारी
पाली (राज.)

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-11
(अतारांकित प्रश्न संख्या-284 की सूची)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पिता का नाम	स्थाई पता	जिला	जाति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मदन लाल गुर्जर	सहायक रजि.	श्री मन्नालाल गुर्जर	ग्राम पो. जुगराजपुरा वाया अजीतगढ़, सीकर	सीकर	गुर्जर
2	श्री नारायण सिंह चारण	सहायक रजि.	श्री खेतदान चारण	ग्राम पो. रामपुरिया तह. देसुरी, जिला पाली	पाली	चारण
3	श्री कैलाश सिंह सांधू	सहायक रजि.	श्री नाथू सिंह	ग्राम पो. हिडोली वाया खजवाना जिला नागौर	नागौर	चारण
4	श्री कृष्णा नन्द शर्मा	सहायक रजि.	श्री शिवप्रसाद शर्मा	66, अर्जुन नगर दुर्गापुरा टोंक फाटक, जयपुर	जयपुर	खाती
5	श्री जयदेव देवल	सहायक रजि.	श्री अर्जुन सिंह	दरावडी गली जिला नागौर	नागौर	चारण
6	श्री राजेश टांक	सहायक रजि.	श्री मोहनलाल टांक	नया दरवाजे के बाहर बजला कुआं नागौर	नागौर	चारण
7	श्री पायदान	सहायक रजि.	श्री लादुलाल	मुकाम चारणवास तुलिका पो. रूपगढ़, वाया-कोछोर	सीकर	चारण
8	श्री शुद्धोधन उज्ज्वल	सहायक रजि.	श्री रिधकरण उज्ज्वल	ग्राम उजाला तह. पोकरण जिला जैसलमेर	जैसलमेर	चारण

1	2	3	4	5	6	7
9	श्री सत्यनारायण भाटी	सहायक रजि.	श्री छगन लाल भाटी	27, खेड़िया महाराज के पास, सीवाची गेट के अन्दर	जोधपुर	चारण
10	श्री भवानीसिंह कनिया	सहायक रजि.	श्री प्रतापसिंह कविया	गांव नोखा, तहसील रायपुर जिला पाली	पाली	चारण
11	श्री देवेन्द्र अमराव	सहायक रजि.	श्री बजरंग सिंह	पोलो नम्बर-2, जोधपुर	जोधपुर	चारण
12	श्री भंवरदान चारण	सहायक रजि.	श्री कल्याणदान चारण	ग्राम नोरवा चारणन पो. मालूगा, वाया-सूरसागर, जोधपुर	जोधपुर	चारण
13	श्री मुरारसिंह जाहावत	सहायक रजि.	श्री लक्ष्मण सिंह जाडावत	ग्राम संचई पो. झासडी तहसील प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चारण
14	श्री कमल किशोर यादव	सहायक रजि.	श्री ओमप्रकाश यादव	ग्राम मैसलाना रेल्वे स्टेशन के पास वाया जोबनेर, जयपुर	जयपुर	अहीर

नोट : उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.12.1998 द्वारा कुमारी रेखा बोराणा का चयन किया गया था लेकिन कुमारी बोराणा ने विभाग में उपस्थित नहीं दी है।

ह० /-

संयुक्त रजिस्ट्रार (मा. सं. वि.)

सहकारी विभाग, राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-289 का विवरण)

यूनिट गंगापुर में अनियमितता सम्बन्धी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	शिकायत	वर्तमान स्थिति
1.	काटन क्रय अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कारण गंगानगर से रुई में 12 प्रतिशत ट्रेस आ रहा है।	जांच जारी है
2.	प्रधान कार्यालय के सूत विक्रय विपणन अधिकारी द्वारा यूनिट के सहायक विक्रय अधिकारी को शह देकर पार्टियों को सूत का स्टाक बताया जाता है।	जांच के अधार पर शिकायत सही नहीं पाई गई
3.	सहायक विक्रय अधिकारी ट्रक व ट्रांसपोर्ट वालों से बिल्टी बनाने व रस्सा कसाई के नाम पर पैसे ठेकेदार के माध्यम से प्राप्त करता है।	जांच के आधार पर शिकायत सही नहीं पाई गई
4.	श्री शशि शर्मा, कार्यवाहक कारखाना प्रबन्धक यात्रा प्रवास के दौरान अपने निजी कार्य तथा गलत यात्रा करते हैं।	जांच जारी है
5.	श्री गोपाल नागोरी, सहायक रुई परीक्षक द्वारा करीबन 40,000 रुपये का भ्रष्टाचार कर मै. कुबेर ट्रेडर्स मेड़ता सिटी को भुगतान कराया है।	जांच जारी है
6.	श्री श्यामलाल बाल्दी पार्टियों को सीधे फोन करता है व रीलिंग विभाग में व पाली में दो चैकर बना दिये गये जबकि पूर्व में श्री बालूदास जोबर का केस चल रहा है।	जांच जारी है
7.	उत्पादन प्रबन्धक श्री श्रोत्रिय एवं अन्य अधिकारियों की अनदेखी के कारण अप्रत्यक्ष नुकसान हो रहा है।	जांच जारी है
8.	रुई क्रय कार्यालय में कार्यरत सहायक रुई परीक्षक द्वारा तेजी मन्दी के सौदे हाथ में रखकर बाद में यूनिटों को लिखाये गये हैं जिसकी अन्तर राशि के ड्राफ्ट श्री संचेती एवं श्री वर्मा द्वारा अपना हिस्सा रखा गया है। कुछ ड्राफ्टों का समायोजन नवलजी काटस्पिन में करवाया गया है जो शायद श्री राजेन्द्र संचेती की फर्म हो सकती है।	जांच के आधार पर शिकायत सही नहीं पाई गई

परिशिष्ट-13

परिशिष्ट-I

(अतारांकित प्रश्न संख्या-291 की सूची)

सम्वत् 2057 की अभाव स्थिति के दौरान विधान सभा क्षेत्र, सांचौर में करवाये गये अकाल राहत कार्यों में से राहत अवधि समाप्ति पर अपूर्ण रहे कार्यों की सूची

क्र.सं.	नाम एजेंसी	अपूर्ण राहत कार्य का नाम	कार्य को पूर्ण हेतु आवश्यक राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	सानिवि, भीनमाल	1-ग्रे.स. सांकड से पालड़ी देवडान	10.00	वर्तमान में अपूर्ण
		2-ग्रे.स. पुर से केरवी ढाणी	10.00	" "
		3-ग्रे.स. खारा से कोडका वाया भाटीप	4.00	" "
		4-ग्रे.स. सुरावा से गुजरात सीमा तक	3.00	" "
		5-पटरी कार्य तेंतरोल से हेमागुडा	2.93	" "
		6-ग्रे.स. डेडवा से सांगडवा वाया जागुओंढाणी	13.00	" "
		7-ग्रे.स. जोधावास से निम्बाऊ	6.00	" "
		8-ग्रे.स. आकोली से सियागों की ढाणी	9.40	" "
		9-ग्रे.स. सूथडी से भावातड़ा	13.00	" "
		10-ग्रे.स. मालपुरा मठ से रामपुरिया सीमा तक	26.00	" "
		11-ग्रे.स. एस. एच. 11 से किलूपियापुर	13.00	" "
		12-ग्रे.स. खासरवी-टेम्बी-निम्बज	8.00	" "
		13-ग्रे.स. भोलाकुट्टी से वाया बनाकी ढाणी	1.50	" "
		14-ग्रे.स. से केसूरी क्रास रोड		" "
		14-कालूजी की ढाणी से सरनाऊ ग्राम प.	7.00	" "
		15-ग्रे.स. हरियाली से करावडी	12.00	" "
		16-ग्रे.स. देवडा से भादरुण	10.00	" "
		17-ग्रे.स. पटरी कार्य लालपुर से भड़वल	2.00	" "
		18- ग्रे.स.सीलू से अचलपुर	2.00	" "
		19-ग्रे.स. केसूरी से भादरुणा	4.00	" "
		20-ग्रे.स. काछेना से ईसरोल	17.50	" "
		21-ग्रे.स. जेलातरा से पमाण	12.00	" "

1	2	3	4	5
		22-ग्रे.स. ईटादा से तांतड़ा	5.50	वर्तमान में अपूर्ण
		23-ग्रे.स. अनखोल से वमल	7.60	,, ,,
		24-ग्रे.स. सांगडवा से गोमी	18.70	,, ,,
		25-ग्रे.स. जैसला से गुजरात सीमा	2.00	,, ,,
		26-ग्रे.स. बावरला से विशनपुरा-जानवी	3.70	,, ,,
		27-ग्रे.स. सेसावा से बाडमेर जिला सीमा	3.00	,, ,,
		28-ग्रे.स. धमाणा गोलिया से डांगरा	8.00	,, ,,
		29-ग्रे.स. भीमगुडा से भाटा	3.00	,, ,,
		30-ग्रे.स. लाछडी से नगरपालिका सीमा	4.00	,, ,,
		31-ग्रे.स. धानता से हाडेतर	18.00	,, ,,
		32-ग्रे.स. जाखड से मालवाडा	7.20	,, ,,
		33-ग्रे.स. डडूसन से डारों की ढाणी	1.50	,, ,,
		34-ग्रे.स. सरनाऊ से तुलछानियों की ढाणी	1.50	,, ,,
		35-ग्रे.स. पांचला से वणदेव	1.70	,, ,,
		योग	**271.83**	
2.	सिंचाई, जालौर	36-चितलवाना क्रास बांध	1.63	वर्तमान में अपूर्ण
		37-सायर का कोसीटा क्रास बांध	0.40	,, ,,
		38-हेमागुडा-111 क्रास बांध	-0.24	,, ,,
		39-केसूरी क्रास बांध-II	0.90	,, ,,
		40-कमालपुरा क्रास बांध	2.17	काश्तकारों के आपसी विवाद के कारण निरस्त
		41-गोलासन क्रास बांध	0.95	ई.ए.एस. योजना में पूर्ण
		42-गुन्दाऊ क्रास बांध	0.65	,, ,,
		43-बोढा क्रास बांध	1.12	,, ,,
		44-क्रास बांध केरिया	6.19	आर.आई.डी.एफ-6 में प्रगति पर
		45-फोगडवा क्रास बांध	4.08	,, ,,
		46-सुजानपुरा क्रास बांध	3.86	,, ,,
		योग	**22.19**	

1	2	3	4	5
3.	पं. स. सांचौर	47-रा. प्रा. वि., चितलवाना	0.80	लोक जुम्बिश बजट से पूर्ण
		48-रा.प्रा.वि. रानियों की ढाणी, गलीफा	0.86	" "
		49-रा.गा.पा. कोलियों की ढाणी, खासरवी	2.05	" "
		50-रा.गा.पा. नई बस्ती, रतनपुरा	1.08	" "
		51-रा.गा.पा. रिडिया धोरा	2.20	" "
		52-रा.गा.पा. जागुओं की ढाणी, धनेरिया	2.20	" "
		53-रा.गा.पा. नई बस्ती, वर्णपुरी	2.20	" "
		54-राप्रावि. सरवाना	1.50	लोक जुम्बिश बजट में प्रगति पर
		55-रा.गा.पा. पुर गोलिया	1.78	" "
		56-राप्रावि. कुडा	2.20	" "
		57-राप्रावि. सरनाऊ	2.20	" "
		58-भवन निर्माण, पं.स. कार्यालय, सांचोर	4.40	विधायक कोटे से पूर्ण
		59-सार्व. सभा भवन, मेधवालों का वास, केसूरी	1.68	" "
		60-सार्व. सभा चौधरियों का वास, केसूरी	0.47	" "
		61-ग्राम पंचायत भवन, वीरावा	0.69	" "
		62-एक कमरा/बरामदा, राउप्रावि. काछेला	0.53	" "
		63-दो कमरा/बरामदा, राउप्रावि, भडवल	1.36	" "
		64-चारदीवारी, होमगार्ड बेरक, सांचोर	1.60	" "
		65-सार्व. सभा भवन, किलूपिया	0.57	" "
		66-सार्व. सभा मालियों की ढाणी, सूथडी	0.76	" "
		67-सार्व. सभा भवन वेडिया	0.70	" "
		योग	**32.44**	
		कुल योग	**326.46**	

जिला कलक्टर (सहा.) जालौर

परिशिष्ट-II

सम्वत् 2057 की अभाव स्थिति के दौरान विधान सभा क्षेत्र, सांचौर के अपूर्ण रहे कार्यों में वर्तमान में अपूर्ण रहे कार्यों की सूची

क्र.सं.	नाम एजेंसी	अपूर्ण राहत कार्य का नाम	कार्य को पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	सानिवि, भीनमाल		
		1-ग्रे.स. सांकड से पालडी देवडान	10.00
		2-ग्रे.स. पुर से केरवी ढाणी	10.00
		3-ग्रे.स. खारा से कोडका वाया भाटीप	4.00
		4-ग्रे.स. सुरावा से गुजरात सीमा तक	3.00
		5-पटरी कार्य तेंतरोल से हेमागुडा	2.93
		6-ग्रे.स. डेडवा से सांगडवा वाया जागुओं की ढाणी	13.00
		7-ग्रे.स. जोधावास से निम्बाऊ	6.00
		8-ग्रे.स. आकोली से सियागों की ढाणी	9.40
		9-ग्रे.स. सूथडी से भावातड़ा	13.00
		10-ग्रे.स. मालपुरा मठ से रामपुरिया सीमा तक	26.00
		11-ग्रे.स. एस. एच. 11 से किलूनियापुर	13.00
		12-ग्रे.स. खासरवी-टेम्बी-निम्बज	8.00
		13-ग्रे.स. भोलाकुट्टी से वाया बनाकी ढाणी से केसूरी क्रास रोड	1.50
		14-ग्रे.स. कालूजी की ढाणी से सरनाऊ ग्राम पंचायत	7.00
		15-ग्रे.स. हरियाली से करावडी	12.00
		16-ग्रे.स. देवडा से भादरुण	10.00
		17-पटरी कार्य लालपुर से भडवल	2.00
		18- ग्रे.स. सीलू से अचलपुर	2.00
		19-ग्रे.स. केसूरी से भादरुणा	4.00
		20-ग्रे.स. काछेला से ईसरोल	17.50

1	2	3	4
		21-ग्रे.स. जेलातरा से पमाण	12.00
		22-ग्रे.स. ईटादा से तांतड़ा	5.50
		23-ग्रे.स. अनखोल से वमल	7.60
		24-ग्रे.स. सांगडवा से गोमी	18.70
		25-ग्रे.स. जैसला से गुजरात सीमा	2.00
		26-ग्रे.स. बावरला से विशनपुरा-जानवी	3.70
		27-ग्रे.स. सेसावा से बाडमेर जिला सीमा	3.00
		28-ग्रे.स. धमाणा गोलिया से डांगरा	8.00
		29-ग्रे.स. भीमगुडा से भाटा	3.00
		30-ग्रे.स. लाछडी से नगरपालिका सीमा	4.00
		31-ग्रे.स. धानता से हाडेतर	18.00
		32-ग्रे.स. जाखड से मालवाडा	7.20
		33-ग्रे.स. डडूसन से डारों की ढाणी	1.50
		34-ग्रे.स. सरनाऊ से तुलछानियों की ढाणी	1.50
		35-ग्रे.स. पांचला से वणदेव	1.70
		योग	**271.83**
2.	सिंचाई जालौर	36-चितलाना क्रास बांध	1.63
		37-सायर का कोसीटा क्रास बांध	0.40
		38-हेमागुडा-III क्रास बांध	0.24
		39-केसूरी क्रास बांध-II	0.90
		योग	**3.17**
		कुल योग	**275.00**

ह०/-
जिला कलक्टर (सहायता)
जालौर

परिशिष्ट [illegible]

परिशिष्ट [illegible]

(अतारांकित प्रश्न संख्या-297 का विवरण)

विगत तीन वर्षों में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा क्रय किये गये चैसिसो का श्रेणीवार संख्या एवं लागत का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	चैसिस की संख्या	मेक	राशि प्रति वाहन (लाख रु. में)
1.	1999-2000	10	टाटा (एचटी) नान ए.सी	4.96
2.	1999-2000	18	टाटा-सुपर एक्सप्रेस	5.00
3.	1999-2000	18	लिलेण्ड-एचटी ए.सी/नान ऐ.सी.	5.07
4.	1999-2000	07	लिलेण्ड-सुपर एक्सप्रेस	5.03
		53		
1	2000-2001	172	टाटा-सुपर एक्सप्रेस	5.00
2	2000-2001	31	लिलेण्ड-(एचटी) ऐ.सी/नान ऐ.सी.	6.16
3	2000-2001	244	लिलेण्ड-सुपर एक्सप्रेस	5.19
		447		
1	2001-2002 (फरवरी, 2002 तक)	234	टाटा-सुपर एक्सप्रेस	5.78
2	2001-2002	14	लिलेण्ड-(एचटी) नान ऐ.सी.	6.21
3	2001-2002	345	लिलेण्ड-सुपर एक्सप्रेस	6.20
		593		

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-298 के अनुबन्ध की प्रति)

अनुबन्ध-पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 21.1.2000 को प्रथम पक्षकार राजस्थान के राज्यपाल की ओर से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रशासन), परिवहन विभाग दौसा राजस्थान जिन्हें एतद् पश्चात "सरकार" कहा गया हैं तथा द्वितीय पक्ष पक्षकार मैं सुरेन्द्र पालावत ए-4, "करणी कृपा" शास्त्री नगर, जयपुर (जिन्हें एतद् पश्चात "अनुबन्धकर्ता" कहा गया है) के मध्य सम्पादित किया जा रहा है।

इस अनुबन्ध की शर्तें निम्नानुसार होगी :

चूंकि अनुबन्धकर्ता सरकार को उनके कार्यालयों में निविदा प्रपत्र तथा निविदा शर्तों में दी गई रीति के अनुसार तथा निविदा हेतु नेगोसिएशन उपरान्त तय की गई प्रति टैक्सी हेतु किराये की दर रुपये 10,400/- (दस हजार चार सौ मात्र प्रतिमाह 2000 कि.मी. तक चलने पर तथा पश्चातवर्ती संचालन पर प्रति कि.मी. रुपये 2.64 (दौ रुपये चौसठ पैसे) मात्र पर टैक्सी जीपें किराये पर प्रदाय करने हेतु सरकार के साथ सहमत हो गया है।

और चूंकि उक्त अनुमोदित निविदाकार ने रुपये 35,000/- मात्र विशेष सावधि जमा रसीद संख्या 630305 दिनांक 27.3 के द्वारा उपयुक्त अनुबन्ध के यथावत पालन करने के लिए प्रतिभूमि राशि के रूप में जमा करा दी है, जो संविदा अवधि समाप्त होने एवं सम्पूर्ण कार्य की संतुष्टि होने के उपरान्त एक माह पश्चात् रिफण्ड (वापसी) की जा सकेगी।

अतः यह लेख निम्नांकित साक्ष्य है :

1. सरकार द्वारा आदेशित टैक्सी जीपों की किराये पर आपूर्ति अनुबन्धकर्ता द्वारा निविदा में नेगोसिएशन उपरान्त तय की गई दरों पर आदेश में उल्लिखित मात्रा में निविदा की शर्तों एवं प्रतिबन्धों में बताई गई सूची से यथावत रूप से प्रदान की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्त एवं सूचना संख्या प. 1 वर्ष 1999-2000 दिनांक 6.12.1999 के साथ संलग्न थी और इस अनुबन्ध के साथ भी संलग्न है, इस अनुबन्ध का अंग समझी जावेगी और अनुबन्ध को निष्पादित करने वाले पक्ष इनकी पालना करने हेतु बाध्य हो।
3. यह अनुबन्ध तीन वर्षीय अवधि का होगा तथा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा।
4. टैक्सी जीपें किराये पर उपलब्ध-कराने का समय सरकार द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेशानुसार होगा।

5. सरकार अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध पर उपलब्ध कराई गई टैक्सी जीपों के लिए प्रतिमाह सम्बन्धित प्राधिकारी से संतोषप्रद सेवाओं एवं पूरे माह आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दौसा द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा। आयकर कानून के प्रावधानों के तहत नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर कटौती सरकार द्वारा अनुबन्धकर्ता के बिलों से की जावेगी।

6. टैक्सी जीपें एक दम नई (ब्राण्ड न्यू) उपलब्ध करानी होगी जो वर्ष 1999 की होनी चाहिए।

7. अनुबन्धकर्ता सरकार द्वारा नियम प्राधिकारियों को पूरे माह सम्पूर्ण समय हेतु निविदा व नेगोसिएशन द्वारा तय तथा इस अनुबन्ध पत्र में पूर्व में उल्लिखित दरों पर टैक्सी जीपें उपलब्ध कराने हेतु सहमत है। टैक्सी जीपें घंटे विभाग के नियन्त्रण में रहने पर भी अनुबन्धकर्ता को विभाग द्वारा कोई ओवरटाइम देय नहीं होगा। अनुबन्धकर्ता को टैक्सी जीपें विभाग की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करानी होगी तथा टैक्सी जीपें अनिवार्य रूप से कार्यालय परिसर में ही अनुबन्धकर्ता के स्वयं की जिम्मेदारी पर खड़ी करनी होगी एवं इस हेतु सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

8. यदि अनुबन्धकर्ता निर्दिष्टानुसार नियत स्थान तथा समय पर सरकार को टैक्सी जीपें उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो सरकार आवश्यकतानुसार टैक्सी जीपें किराये पर ले सकेगी और इस हेतु सरकार द्वारा अधिक भुगतान करने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को इस प्रकार व्यय की गई राशि को वहन करना होगा। यह राशि अनुबन्धकर्ता को देय मासिक किराये की राशि में से काटे जाने हेतु सरकार प्राधिकृत होगी।

9. अनुबन्धकर्ता को सरकार द्वारा नियत प्रारूप तथा प्रतियों में लागू शीघ्र उपलब्ध करानी होगी जिसके विधिवत भरे जाने तथा प्रमाणीकरण के उपरान्त ही उसे सरकार द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। "लागशीट" उपलब्ध कराने हेतु उसे अलग से कोई भुगतान देय नहीं हो।

10. अनुबन्धकर्ता को उसके द्वारा प्रदाय की जाने वाली टैक्सी जीपों पर राजस्थान सरकार से अनुबन्धित "की प्लेट तथा नीली बत्ती (डिएवे) स्वयं के खर्च से लगानी होगी एवं अनुबन्धकर्ता अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा इनका दुरुपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

11. यदि अनुबन्धकर्ता की सेवाएं असंतोषप्रद रहती है, अनुबन्धकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा निर्देशानुसार कार्य नहीं किया जाता तो

इसकी संतुष्टि होने पर सरकार के द्वारा इसका अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

12. अनुबन्धकर्ता या उसके कर्मचारियों द्वारा कानून तोड़ने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता के द्वारा रखे गये कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि नहीं करने की स्थिति में या अनुबन्ध के सम्बन्ध में अनुबन्धकर्ता पर होने वाले किसी भी देनदारी के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

13. अनुबन्धकर्ता द्वारा किराये पर उपलब्ध कराई गई टैक्सी जीपों पर होने वाले पी. ओ. एल. रख-रखाव आदि के खर्चे तथा उसके द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों के वेतन आदि के समस्त खर्चे अनुबन्धकर्ता द्वारा किये जावेंगे तथा उक्त के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

14. अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध अथवा उसके किसी भाग को अन्य किसी व्यक्ति को पुनः अनुबन्ध पर नहीं दे सकेगा।

15. संतोषप्रद सेवा होने की स्थिति में दोनों पक्षकारों सरकार एवं अनुबन्धकर्ता की सहमति से अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

16. इस अनुबन्ध के अभय पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध की अवधि में होने वाले किसी भी विवाद के लिए शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान मध्यस्थ (आर्बीटूटर) होंगे तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	मैसर्स सुरेन्द्र पालावत
परिवहन विभाग, दौसा	(पालावत ट्रैवल्स)
	ए-4, करणी कृपा, शास्त्री नगर जयपुर

परिशिष्ट "1"

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-301 का विवरण)

धार्मिक स्थल श्री कल्याण जो डिग्गी होकर जयपुर एवं टोंक तक संचालित बसों का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1.	जयपुर-शाहपुरा	4
2.	जयपुर-बीसलपुर	2
3.	जयपुर-केकडी	24
4.	जयपुर-टोडा	4
5.	जयपुर-देवली	4
6.	जयपुर-बोराडा	4
7.	जयपुर-सायला	2
8.	जयपुर-बघेरा	2
9.	जयपुर-खारेरा	2
10.	जयपुर-उदयपुर	4
11.	जयपुर-सांवरियाजी	2
12.	जयपुर-बडीसादडी	2
13.	जयपुर-भीलवाडा	4
14.	जयपुर-मालपुरा	4
15.	डिग्गी-केकडी	1
16.	गठियाडी-जयपुर	1
17.	जयपुर-डिग्गी	3
18.	सांगानेर-मालपुरा	2
19.	डिग्गी-जोधपुरिया	1
20.	कोटा-जयपुर वाया डिग्गी	2
21.	ब्यावर-जयपुर वाया डिग्गी	2
22.	अजमेर-सवाईमाधोपुर वाया डिग्गी	2
23.	टौंक-नगर (पचेवर)	2
24.	टौंक-टोडा	18
25.	टौंक-भांवता	2
26.	मालपुरा-टौंक	3
27.	देवली-दिल्ली वाया केकडी-डिग्गी	2
		105

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-307 का विवरण)

मण्डी प्रांगणों में मण्डी समिति द्वारा आबंटियों को विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विवरण

क्र.सं.	कृषि उपज मण्डी समिति	वे मण्डी प्रांगण जहां विद्युत कनेक्शन मण्डी समिति द्वारा दिये जा रहे हैं	विद्युत चार्जेज संग्रहण का तरीका	वसूली नियमित की जा रही है/नहीं	बकाया राशि	बकाया वसूली कब तक करली जावेगी
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर अनाज	हां। 20 आबंटियों को विद्युत कनेक्शन मण्डी माध्यम से है।	सब मीटर के आधार पर	हां	—	
2	मालपुरा	हां	सब मीटर के आधार पर	हां	—	
3	देवली	हां	सब मीटर के आधार पर	हां	—	
4	बीकानेर अनाज	हां	मीटर रीडिंग के अनुसार कन्ट्रीब्यूटरी इलैक्ट्रिक बिल के माध्यम से	हां	10576	अगले त्रैमास में वसूली की जायेगी।
5	बीकानेर फल सब्जी	हां	5.20 प्रति यूनिट के हिसाब से तथा 2 माह का 20रु. मीटर किराया वसूल किया जाता है	हां	—	
6.	नोखा	हां	औसत लागत दर से विद्युत बिल के अनुसार वसूली की जाती है	हां	—	

1	2	3	4	5	6	7
7	सुजानगढ़	हां	सब मीटर के आधार पर	नहीं	16630	वसूली कार्यवाही जारी माह अप्रैल, 02 तक करली जावेगी।
8	सरदारशहर	हां	व्यापार स्थानान्तरण नहीं हुआ है	—	—	—
9	सादुलपुर	हां	विद्युत बिल की राशि औसत आधार पर आबंटियों से वसूल की जाती है	हां	—	—
10	श्री विजयनगर	हां	सम्बन्धित आबंटी से दो माह में मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल जारी कर ठेकेदार के मार्फत वसूली की जाती है	हां	—	—
11	रायसिंहनगर	हां	सब मीटर के आधार पर	हां	—	—
12	श्रीगंगानगर फ.स.	हां	सब मीटर के आधार पर	हां	—	—
13	पदमपुर	हां	सब मीटर के आधार पर	हां	—	—
14	श्री गंगानगर अनाज	हां	सब मीटर के आधार पर	हां	272920	तीन माह में वसूली की जावेगी।
15	कोटा	हां	सब मीटर के आधार पर	अनियमित	93935	वसूली प्रक्रियाधीन
16	हिण्डौन	हां गौ.मं.टोडाभीम	सब मीटर के आधार पर	अनियमित	वसूली प्रक्रियाधीन	भार निर्धारण होते ही वसूली नियमानुसार की जावेगी
17	गंगापुरसिटी	हां	सब मीटर के आधार पर	नियमित	—	—

1	2	3	4	5	6	7
18	सवाईमाधोपुर	हां	सब मीटर के आधार पर	नियमित	—	—
19	ईटावा	हां	सब मीटर के आधार पर	नियमित	—	—
20	बारां	हां	सब मीटर के आधार पर	नहीं	9998	चालू माह में
21	अलवर	हां	मण्डी समिति द्वारा फ्लेट रेट पर/सब मीटर होने पर उपभोग की गई यूनिटों के आधार पर	नहीं	1002358	वसूली की कार्यवाही की जा रही है
22	भरतपुर	हां	ब्लाकवाइज फिक्स चार्जेज प्रति माह से एवं कुम्हेर में सब मीटर के आधार पर वसूली की जा रही है	नहीं	71305	शीघ्र वसूल करली जावेगी
23	डीग	हां	फ्लैट रेट पर वसूली	हां	5050	मण्डी स्तर एवं एल.आर. एक्ट के तहत वसूली की जावेगी
24	खैरथल	हां	गौण मण्डी यार्ड तिजारा व बानसूर में निर्धारित न्यूनतम उपभोग के आधार पर वसूली की जा रही है।	नहीं	149245	नोटिस जारी किये जा चुके हैं एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत वसूली की जावेगी
25	खेरली	हां	फ्लेट रेट पर फरवरी,99 तक अब सब मीटर की यूनिट के आधार पर	नहीं	7.62 लाख	शीघ्र राशि वसूल होना सम्भावित
26	नगर	हां	फ्लेट रेट पर की जाती है	हां	—	—
27	डेगाना	हां	विद्युत विभाग की दर अनुसार-सब मीटर से	हां	नहीं	—
28	झुंझुनूं	हां	विद्युत विभाग की दर अनुसार-सब मीटर से	हां	नहीं	—

1	2	3	4	5	6	7
29	कुचामनसिटी	हां	विद्युत विभाग की दर अनुसार-सब मीटर से	हां	नहीं	—
30	श्रीमाधोपुर	हां	विद्युत विभाग की दर अनुसार-सब मीटर से	हां	नहीं	—
31	जोधपुर अनाज	गौण मण्डी फलौदी में विद्युत व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा की जा रही है	विद्युत पर होने वाले व्यय सम्बन्धित आबंटियों से वसूली की जा रही है	हां	नहीं	—
32	जैतारण	गौण मण्डी आनन्दपुर कालू रायपुर में विद्युत कनेक्शन व्यापारियों को दिये गये	सब मीटर लगाकर वसूली की जा रही है	हां	नहीं	—
33	प्रतापगढ़	14 आबंटियों को विद्युत कनेक्शन मण्डी समिति द्वारा दिये गये	सब मीटर के आधार पर	हां	नहीं	—
34	कोटपूतली	हां	व्यापारियों द्वारा उपभोग की गई विद्युत यूनिट के आधार पर राशि ली जाती है	हां	62917	शीघ्र वसूली करली जावेगी
35	बांदीकुई	हां	सब मीटर के आधार पर	हां	—	—

परिशिष्ट-18

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

गागरोन झालावाड़ के मध्य आई नदी पर पुल बनवाने विषयक

(श्री हेमन्त कुमार – दीगोद)

झालावाड़ जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर गागरोन किला है। यह ऐतिहासिक प्राचीन किला है। काली सिन्ध व आहू नदी से घिरे हुये इस किले का ऐतिहासिक महत्व है। हिन्दु सम्प्रदाय के प्रसिद्ध संत नामाजी इसी किले के शासक रहे व बाद में राज्य त्याग कर संत हुये। इसी प्रकार मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत मिठठे शाह की दरगाह है। सूफी संत मिठठे शाह की राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, की जनता में बहुत ज्यादा मान्यता है। प्रति वर्ष मोहरम के माह की शुरूआत में गागरोन में उर्स भरता है जिससे लाखों की संख्या में जनता अपनी मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धा अर्पित करने आती है।

अभी वर्तमान में गागरोन जाने के लिये झालावाड़, बारां मार्ग से सम्पर्क सड़क द्वारा जोड़े रखा है जिससे झालावाड़ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। झालावाड़ जिला मुख्यालय से दूसरा सम्पर्क मार्ग मात्र 4 किलोमीटर है लेकिन इस मार्ग में झालावाड़ एवं गागरोन के मध्य आहू नदी आती है। यदि आहू नदी पर पुलिया का निर्माण करा दिया जाता है तो गागरोन कस्बे का धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से विकास होगा तथा झालावाड़ जिला पर्यटन स्थल से जुड़ेगा।

झालावाड़ के पास प्रसिद्ध हिन्दुओं का तीर्थ स्थल चन्द्र भाग नदी व सूर्य मन्दिर है। तथा मुस्लिम सम्प्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ मिठठे शाह की दरगाह होने से साम्प्रदाय सद्भाव को भी बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर झालावाड़ गागरोन के मध्य आहू नदी पर पुल निर्माण की मांग करता हूं जिससे क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान हो।

रानीवाड़ा विधान सभा के ग्राम वियोका गोलीया (पुनासा) की शिक्षाकर्मी स्कूल को रा.प्रा.वि. बनाने बाबत

(श्री रतनाराम चौधरी – रानीवाड़ा)

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांव वियोका, गोलीया में पटला रा. प्रा. वि. के रूप में चला रही थी। परन्तु तत्कालीन भाजपा की सरकार ने रा. प्रा. वि. को शिक्षाकर्मी स्कूल घोषित कर दिया। जब से आम जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त है, अतः कृपया अविलम्ब आदेश प्रदान कर इन स्कूलों को रा. प्रा. वि. बनाने के आदेश प्रदान करावें। इस बाबत कई बार शिक्षा मंत्री जी को हमने लिखित में दिया और आम जनता एवं स्थानीय सरपंच वगैरह ने भी लिखित में निवेदन किया गया था परन्तु अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया है।

अतः जल्दी ही आदेश प्रदान कर इन स्कूलों को रा. प्रा. वि. बनाने का आदेश प्रदान करावें नहीं तो वहां की जनता आन्दोलित हो जायेगी।

तहसील पीपल्दा (कोटा) में सा. नि. वि. द्वारा सड़कों के पुनः डामरीकरण विषयक

(श्री रामगोपाल बैरवा – पीपल्दा)

सा. नि. वि. द्वारा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्वीकृत पुनः डामरीकरण का कार्य इटावा से गेता रोड पेच वर्क व मरम्मत का कार्य टेण्डर होने के बाद भी लम्बे समय से कार्य शुरू नहीं किये गये हैं। जिससे ग्रामवासियों व यात्रियों को आने-जाने में परेशानी होती है व स्वीकृत कार्य शुरू करवाने के लिये जनप्रतिनिधियों द्वारा व आम जनता के द्वारा समय-समय पर बताने के बाद भी शुरू नहीं होने से आम नागरिकों में रोष व्याप्त है।

तहसील पीपल्दा का इटावा मुख्य कस्बा है। इस रोड की हालत बड़ी खराब है। इटावा से खातोली रोड पर 1 फुट गहरे गड्ढे पड़ने व पानी भरा होने से दो पहिया वाहन यात्रियों को निकलने में भारी परेशानी होती है। वहीं कस्बे के सम्पूर्ण रोड की हालत खराब होने से जनता में आक्रोश व्याप्त है। कस्बे के रोड को ठीक करवाने के लिये आम नागरिकों व जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर विभाग को अवगत करवाया गया परन्तु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता उपेक्षा से आज भी स्थिति खराब है, जिससे आम नागरिक व क्षेत्र की जनता को आवागमन में असुविधा होती है।

अतः आप आम नागरिक की समस्या को मध्य नजर रखकर स्वीकृत कार्य को शीघ्र शुरू करवाकर आम नागरिकों को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

सधन्यवाद।

पचपदरा साल्ट नमक क्षेत्र से लाइन एरिया 32.34 वर्गमीटर आरक्षित को यथावत रखने विषयक

(श्री अमराराम चौधरी – पचपदरा)

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आपके माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर निवेदन करना चाहता हूं :—

(1) यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पचपदरा साल्ट नमक उत्पादन क्षेत्र का सारा सैलाइन एरिया 32.34 वर्गमील रिजर्व रखा हुआ है। जिसमें नमक उत्पादकों का नमक उत्पादन पुश्तैनी धन्धा है और सैकड़ों वर्षों से इस सैलाइन एरिया में नमक उत्पादन का कार्य करते आ रहे है। यह एग्रीमेंट राज्य सरकार और नमक उत्पादकों के बीच नमक उत्पादन पर नमक बेचने के लिए 10 साल के लिए हुए जिसकी अवधि अगस्त माह में पूरी हो रही है। इसलिए अब भविष्य के लिए कम से कम 99 वर्ष की अवधि में एग्रीमेंट नमक उत्पादन कर नमक बेचने का निर्देश दिलाने की कृपा करें।

(2) यह कि पचपदरा नमक उद्योग 700 वर्षों से भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। खारवाल जाति के ही नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। नमक उत्पादन हेतु नमक की खान 400 फीट लम्बाई, 100 फीट चौड़ाई तथा 15 फीट गहराई खान नमक उत्पादन हेतु तैयार करनी पड़ती है। जिससे नमक उत्पादन का खर्चा ज्यादा आता है। अन्य स्रोत साम्भर, डीडवाना, नावां, फलौदी, पोकरण, कुचामन, क्या-क्या पद्धति से नमक उत्पादित करते हैं, जो कम लागत में बनता है। उन स्रोतों से खुले बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के युग में बनाने हेतु खारवाल नमक उत्पादन वर्तमान में 2500 इकाइयां हैं। वर्तमान में पारिवारिक बंटवारा से खान का हिस्सा आना दो आना यदि 25×10 फीट व चार आने होने से खारवाल नमक उत्पादन का गुजारा होना मुश्किल है। अतः उपरोक्त स्रोतों की भांति पचपदरा खारवाल नमक उत्पादकों को यथावत सैलाइन एरिया रखते हुए आबंटित किया जावे।

(3) यह कि पचपदरा साल्ट नमक उत्पादन ही हो सकता है, सैलाइन एरिया है जहां केवल नमक ही उत्पादन हो सकता है। इस क्षेत्र में न तो खेती हो सकती है इसलिए 32.34 वर्गमील क्षेत्र के चारों ओर 12 (बारह) पत्थरों की पत्थरगढ़ी आरक्षित कर ब्रिटिश समय में की गई थी जिससे नमक उत्पादन में कोई बाधा नहीं पहुंचे और न नमक की खानें जो कच्ची मिट्टी व रेत की बनी हुई हैं नष्ट नहीं हो सके। यह सारा क्षेत्र नमक की खानों में से घिरा हुआ है व नमक की खानों में सेजा का पानी आने के लिए खानों के बीचों-बीच व खानों के पास खुली रखी हुई। इसलिए यह सारी आरक्षित सैलाइन भूमि आरक्षित रखते हुए नमक उत्पादकों को क्यारी पद्धति से नमक उत्पादन हेतु दिलाई जाने का श्रीमान् निर्देश दिलाने की कृपा करें।

खारची विधान सभा क्षेत्र के फ्लोराइड युक्त एवं खारे पानी वाले गांवों को फुलाद बांध से पानी उपलब्ध कराने विषयक

(श्री केसाराम चौधरी – खारची)

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पाली जिले के खारची विधान सभा क्षेत्र में पानी खारा एवं फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से विहोडा कलां, भगवानपुरा, नरसिंहपुरा, कारोलिया, गुडा मेहकरण, गुडा सूरसिंह, गुडा प्रेमसिंह, खारची की ढाणी, आसणमेलड़ा, गुडा केसरसिंह, मानी, इन सभी गांवों में कई लोग कुबडेपन के शिकार हो गए हैं। मात्र चार-पांच गांवों में करीब 500 व्यक्ति बिलकुल झुककर चलने लग गए हैं। अकाल की वजह से फ्लोराइड की मात्रा और अधिक हो गई है तथा मलसाबावड़ी, राणावास, गादाणा, रडावास, रामसिंह गुडा, आंगदोष, आऊवा, चैलावास, आसण छांचीयान, कराडी, साटियों की ढाणी, चौधरियों की ढाणी, इसाली, जैतपुरा तथा गुडा मैखम सिंह में कुओं तथा ट्यूब वैलों में पानी अत्यधिक कम हो गया है जिससे उपरोक्त गांवों में पीने के पानी की समस्या हो गई है तथा गर्मी में उक्त समस्या और अधिक बढ़ जाएगी।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री महोदय एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि फुलाद बांध से पाइपों द्वारा योजना बनाकर उपरोक्त गांवों की पेयजल समस्या का निदान करावें, जिससे 26 गांवों के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके तथा गांवों में बढ़ रही कुबड़ेपन एवं जोड़ों के दर्द की बीमारी से निजात पा सके।

कृषि उपज मण्डी समिति बयाना जिला भरतपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

(श्री यशवन्त सिंह (रामू) – नदबई)

कृषि उपज मण्डी समिति बयाना में वर्तमान में पदस्थापित श्री भूपसिंह, कनिष्ठ लिपिक, श्री प्रहलाद सिंह, कनिष्ठ लिपिक, श्री घमण्डीलाल, कनिष्ठ लिपिक व अन्य कर्मचारियों द्वारा भयंकर अनियमितताएं की जा रही हैं। इन्हें उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है जिसके कारण इनकी मनमानी कार्यवाही चल रही है और जिससे वहां की जनता में असंतोष व्याप्त है। उक्त सभी कर्मचारी सरकारी सेवा में रहते हुए अवैध व्यापार भी करते हैं। इसके अतिरिक्त मण्डी के व्यापारियों से अवैध वसूली भी करते हैं, जिसके कारण व्यापारी वर्ग में असंतोष है। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के कारण इन कर्मचारियों को कृषि उपज मण्डी समिति बयाना से अविलम्ब अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है जिससे वहां की स्थानीय जनता को राहत मिल सके।

मेरा माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

जालौर जनरल हास्पिटल में इंचार्ज नियुक्त करने विषयक

(श्री गणेशीराम मेघवाल – जालौर)

उपरोक्त विषयानुसार में आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से जालौर जनरल अस्पताल की तरफ ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि जालौर के जनरल हास्पिटल में गहन चिकित्सा इकाई में गम्भीर रोगियों को दाखला दिलवा कर स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया जाता है। पूर्व में इस इकाई में इंचार्ज के रूप में एक जूनियर स्पेशिलस्ट (एम.डी.) रहता था। अब ये पोस्ट 7 दिसम्बर, 2001 में तोड़ दी है। अब इस इकाई में दवाई की समुचित व्यवस्था एवं गम्भीर रोगियों की देख-रेख करने वाला इंचार्ज के रूप में कोई नहीं है। उक्त इकाई के निर्माण में 40 लाख की लागत है एवं पूर्ण ए. सी. है।

अतः निवेदन है कि गहन चिकित्सा इकाई में किसी अस्पताल में कार्यरत कनिष्ठ विशेषज्ञ (एम.डी.) में से किसी को जिम्मेवारी सौंप कर इंचार्ज के रूप में पद स्थापित करवाने की कृपा करावे ताकि जनता के लिए इसका सही उपयोग हो सके।

अलवर-भरतपुर में बढ़ते अपराध व हत्या की घटनाएं विषयक

(मोहम्मद माहिर आजाद – नगर)

विगत कुछ समय से भरतपुर व अलवर जिलों में साम्प्रदायिक सद्भाव व भाई चारे के लिए विख्यात बृज मैवात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं, मारपीट, चोरी, लूट व हत्याओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अपराधियों के साथ सख्ती नहीं बरती जाने एवं पीड़ित पक्षकारों को न्याय नहीं मिलने से जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है।

(1) प्राथमिक सूचना रिपोर्ट सं. 121/01 पुलिस थाना सीकरी जिसमें रसूलपुर निवासी ईसा पुत्र हिम्मत का 22 मई, 2001 से आज तक कुछ अता-पता नहीं है कि कहां है? जिन्दा है? मर गया? मार दिया गया?

(2) एफ. आई. आर. सं. 21/2002 पुलिस थाना सीकरी जिसमें शोराब खां पुत्र श्री झगगड़ ने सिंहावली निवासी ईस्माइल पुत्र महासिंह की हत्या के सम्बन्ध में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है जिस पर भी आज तक कोई संतोषप्रद कार्यवाही नहीं हुई है।

(3) एफ.आई.आर. सं. 116/2001 पुलिस थाना गोपालगढ़ में दिनांक 19.12.2001 को सराजुद्दीन उर्फ सरजू की सवाई मानसिंह अस्पताल में मृत्यु हो गई नामजद मुल्जिम होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(4) 1 मार्च, को गुजरात की घटनाओं के कारण नगर (भरतपुर) में एक प्राचीन जामा मस्जिद के किवाड़ों को कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी तथा शफी मोहम्मद पुत्र श्री ममरेज पर प्राणघातक हमला कर दिया जिसकी प्राथमिकी क्र. 49/02 पुलिस थाना नगर में दर्ज है नामजद अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। श्री रोशनलाल शर्मा, सदस्य, पं. स. नगर के हत्यारे भी आज तक नहीं पकड़े गये।

अतः सदन एवं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर लेख है कि हत्याओं, मारपीट, चोरी व साम्प्रदायिक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कठोर कदम उठाकर पीड़ितों को न्याय तथा दोषियों को दण्डित कराने के निर्देश प्रदान करें। मैं इस सम्बन्ध में अनेक बार प्रतिनिधि मण्डल लेकर माननीय गृह मंत्री जी को मिल चुका हूं, इनके आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। कृपया शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

घाट की गुणी, जयपुर में टेंकर उलटने से लगी आग

(श्री कन्हैया लाल - बस्सी)

जयपुर स्थित पुराना घाट की गुणी में मच्छी दरवाजे के पास दिनांक 21.12.2000 को ज्वलनशील तरल रसायन से भरे टैंकर के उलट जाने से लगी आग से ऐतिहासिक मच्छी दरवाजा एवं आस-पास की इमारतें जहां क्षतिग्रस्त पड़ी है वहीं आज भी मच्छी दरवाजे को बन्द करके राष्ट्रीय राजमार्ग 11 (ग्यारह) पर पड़ने वाले जयपुर, दौसा, भरतपुर, आगरा व अन्य राष्ट्रीय स्तर के यातायात को मात्र 08 फीट चौड़े छोटे से दरवाजे से पास होने को मजबूर किया जा रहा है। साथ ही जयपुर के पूर्वी प्रवेश द्वार जिसका सौन्दर्यन किये जाने की सरकार बार-बार थोथी घोषणा कर रही है। आज उसी प्रवेश द्वार पर लाल-हरी बत्ती लगी वाहनों की बड़ी कतारें खड़ी कर सरकार के सफेदपोश नुमाइन्दे अघोषित टोल टैक्स वसूलने में मशगूल होकर विश्वविख्यात जयपुर में पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाले विदेशी/देशी मेहमानों (पर्यटक) पर अशोभनीय छाप छोड़ रहे हैं। आस-पास या दूरदराज के आपातकालीन कार्य एवं अनिवार्य सेवाएं नित्य प्रति प्रभावित हो रही है लेकिन डेढ़ वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी आज तक उक्त ऐतिहासिक दरवाजे को न तो खोला गया है न ही उसका पुनर्निर्माण कार्य भौतिक रूप से आरम्भ किया गया है।

देसूरी (पाली) को उप-खण्ड अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत विषयक

(श्री आत्माराम मेघवाल – देसूरी)

सम्माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष अपने बजट भाषण में बिन्दु संख्या : 124 में 45 सहायक कलक्टर कार्यालयों को आगामी वर्ष में उप-खण्ड अधिकारी कार्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में सहायक कलक्टर कार्यालय देसूरी के अधीन दो पंचायत समितियां देसूरी व रानी की ग्राम पंचायत व राजस्व ग्राम स्थित है जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है।

वर्तमान में देसूरी विधान सभा क्षेत्र (सुरक्षित सीट) अ. जा. की है। इस क्षेत्र के अधीन क्षेत्रों में अ.ज़ा. व अ.ज़ा.ज़ा. तथा गरीब तबके की पिछड़ी जाती रहती है। इन लोगों को उप-खण्ड स्तर का कार्य निस्तारण हेतु इन्हें बाली जाना पड़ता है जो काफी दूर होने से इन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। यह एक ऐतिहासिक एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में उप-खण्ड कार्यालय खोलना वांछनीय है। देसूरी क्षेत्र उदयपुर, पाली, सिरोही, जोधपुर, रणकपुर, अजमेर आदि रास्तों से जुड़ा हुआ है।

अतः उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए मैं आपके माध्यम से देसूरी (पाली) के सहायक कलक्टर कार्यालयों को उप-खण्ड कार्यालयों में क्रमोन्नत करवाने की प्रार्थना करता हूं। क्रमोन्तर करवाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावे।

सादर धन्यवाद।